संसद् में गाँव, गरीब, किसान की बात

हुक्मदेव नारायण यादव

भूमिका : डॉ. मुरली मनोहर जोशी

संसद् में गाँव, गरीब, किसान की बात

हुक्मदेव नारायण यादव

लालकृष्ण आडवाणी
संसद सदस्य (लोक सभा)
सभापति
आचार समिति

कार्यालय : एफ-008, संसदीय ज्ञानपीठ,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23034987
टेलीफैक्स : 011-23017707

दिनांक : 14 दिसंबर, 2014

प्रिय श्री यादवजी,
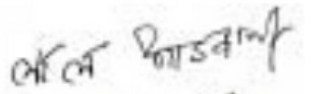
आपका दिनांक 26 नवंबर, 2014 का पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप 15वीं लोक सभा में दिए गए अपने भाषणों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा रहे हैं।

पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

सादर,

आपका,

(लालकृष्ण आडवाणी)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव
संसद् सदस्य
4, विश्वंभर दास मार्ग
नई दिल्ली-110001

राजनाथ सिंह
Rajnath Singh

गृह मंत्री भारत
नई दिल्ली-110001
HOME MINISTER INDIA
NEW DELHI-110001

दिनांक : 15.12.2014

संदेश
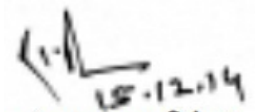
मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि पंद्रहवीं लोकसभा में श्री हुक्मदेवजी द्वारा विभिन्न विषयों पर जो भाषण दिए गए, उन पर एक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

श्री हुक्मदेवजी के साथ संसद् में कई बार रहने का अवसर प्राप्त हुआ। विषयों का प्रस्तुतीकरण, विशेष रूप से गाँव तथा गरीब किसानों के संबंध में जिस प्रभावी तरीके से होता है, उससे सहज ही कोई आकर्षित हो सकता है।

एक निर्वाचित जन-प्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि वह लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से जुड़े विभिन्न विषयों एवं समस्याओं को सशक्त ढंग से संसद् के समक्ष रखे। इस पुस्तक के माध्यम से वे अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

15.12.14
(राजनाथ सिंह)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव
सांसद, लोकसभा
4, विश्वंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विदेश मंत्री एवं
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
भारत

Minister of External Affairs &
Overseas Indian Affairs
India

सुषमा स्वराज

Sushma Swaraj

03 दिसंबर, 2014

संदेश
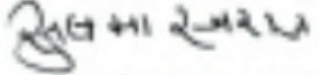
अत्यंत हर्ष का विषय है कि 15वीं लोकसभा में श्री हुक्मदेव नारायण यादवजी द्वारा दिए वक्तव्यों को संकलित कर पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

संसद् में दिए भाषणों के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के अतिरिक्त राष्ट्रहित के अनेक मुद्दों पर चर्चा और विधेयकों पर भी विचार रखते हैं। यह चर्चा बहुत गंभीर होती है और इनसे निकले विचारों से ही देश की नीतियों और नियमों का विकास होता है।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से संसद् में विभिन्न पहलुओं पर उठाई गई आवाज शब्दरूपी माला बन क्षेत्रवासियों सहित प्रत्येक जनसाधारण के पास तक पहुँचेगी, विशेषकर युवा वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत होगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

सुषमा स्वराज

(सुषमा स्वराज)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी
संसद सदस्य (लोक सभा)
अध्यक्ष
प्राक्कलन समिति

52-बी, संसद भवन
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23034701, 23017464

भूमिका

श्री हुक्मदेव नारायण यादव एक संघर्षशील एवं संवेदनशील राजनेता के रूप में विख्यात हैं। वे उतने ही विचार-प्रवण एवं गंभीर सांसद भी हैं। बिहार में विधायक और भारतीय संसद् दोनों ही में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी है। श्री यादव को संसद् में सुनना एक वैचारिक उत्तेजना को जन्म देता है और मैं सदा उनका गंभीर श्रोता रहा हूँ।
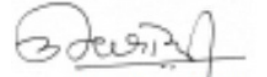
संसद् में हुक्मदेव नारायण यादव उनके विविध विषयों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। संसद् के साथ-साथ संसदीय समितियों में भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार रखे हैं। संसद् के शून्यकाल में भी उन्होंने लोक महत्त्व के विविध विषयों पर बोलते हुए सरकार एवं देश के समक्ष रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रहित एवं जनहित की ही दृष्टि से कठोर आलोचना भी की है। कभी-कभी शून्यकाल की चर्चा करते हुए बहस उत्तेजना एवं कटुता की तरफ मुड़ जाती है, पर श्री यादव ने कभी भी अमर्यादित भाषा या आचरण का परिचय नहीं दिया।

हुक्मदेव बाबू के वक्तव्यों में जहाँ डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों की गहरी छाप है, वहीं उनमें पं. दीनदयाल उपाध्याय और गांधीजी के सिद्धांतों के सामाजिक-आर्थिक पक्ष का भी प्रतिबिंबन होता है। जहाँ वे पिछड़े और दलितों के उत्थान और अधिकारों के लिए बड़े आग्रह के साथ बोलते हैं तो वहीं वे दीनदयालजी के समरस समाज के निर्माण का भी पुरजोर समर्थन करते हैं। एक ओर जब वे बाढ़ और सुखाड़ की त्रासदी से पीड़ित जनसमूह के लिए दर्द भरी आवाज उठाते हैं तो दूसरी ओर वे हिमालय की रक्षा के संकल्प का भी भरपूर समर्थन करते हैं।

श्री यादव की भाषा हृदयस्पर्शी होती है और उनकी शैली एक ऐसे मँजे हुए राजनेता की है, जो जनसामान्य के साथ-साथ उच्च बौद्धिक धरातल पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। वे समाज में बढ़ती हुई विषमता पर तो गहरा प्रहार करते ही हैं, साथ में स्थापित सत्ता को आगाह भी करते हैं कि यदि इन विषमताओं पर समग्रता से चिंतन नहीं किया गया और निदान नहीं निकाला गया तो परिस्थिति विस्फोटक हो जाएगी। वे सामाजिक समरसत्ता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए दृढसंकल्प लेने का आह्वान भी करते नजर आते हैं।

हुक्मदेव बाबू का वैचारिक फलक बहुत विस्तित है। वे अपनी बात जहाँ तथ्यों और आँकड़ों सहित तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वहीं वे विभिन्न ग्रंथों का भी उल्लेख करते हैं, वे रामचरित मानस को भी उद्धृत करते हैं, उपनिषदों का भी उल्लेख करते हैं, गीता के श्लोक भी बोलते हैं और मैथिली की कविता का भी रसास्वादन कराते हैं, पर गाँव, गरीब, किसान, पिछड़े, वंचित एवं उपेक्षित समूहों का दर्द उनके हर भाषण में झलकता है। श्री यादव ने पूरी गंभीरता से अपनी आवाज एक विषमता विहीन समरस समाज के निर्माण के लिए उठाई है और उनकी यह आवाज संसद् में सदा गूँजती रहेगी। उनके संसदीय वक्तव्यों का पाठन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इस सामयिक प्रकाशन के लिए प्रकाशक एवं भाषणकर्ता दोनों ही बधाई के पात्र हैं।

(मुरली मनोहर जोशी)

अपनी बात

मेरा सार्वजनिक जीवन सन् 1960 में ही शुरू हो गया था, जब मैं ग्राम पंचायत का मुखिया बना था। उस समय स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र था। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गाँव के साधारण किसान थे। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ग्राम पंचायत से यात्रा प्रारंभ कर भारत के सर्वोच्च सदन तक जाऊँगा। गाँव के साधारण किसान के घर में जन्म लेनेवाले मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को देश की महान् जनता ने जो सम्मान दिया, वह वंदनीय है। बिहार विधानसभा का तीन बार सदस्य बना। विधानसभा में रहते कई परिवर्तन देखे और उनमें भागीदार बना। 1967 में बिहार समेत कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस क्रम में कई राज्यों में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। राजनीति का रूपांतरण हुआ था। काफी संख्या में साधारण परिवार के लोग विधायक बने थे। पिछड़े वर्ग में चेतना का जागरण हो रहा था। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति में से नए नेतृत्व निकलने लगे, जिसके कारण उस समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण आने लगा। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन की धारा बलवती होने लगी। प्रदेश स्तर पर प्रभावशाली नेता निकलने लगे। बिहार विधान सभा का सदस्य बनने के बाद कई महान् नेताओं से मिलने का अवसर मिला। कई नेता ऐसे थे, जिनके व्यवहार का प्रभाव आज तक मेरे जीवन पर है। सादगी, सदाचार और सद्व्यवहार के कारण आज भी वे समाज में पूजनीय हैं।

विधानसभा में बहस के दौरान वाणी में विनम्रता और विचार में दृढ़ता रहती थी। सदन में तर्क-वितर्क के द्वारा कठोरतापूर्वक खंडन और मंडन करते थे, परंतु सदन के बाहर एक-दूसरे का सम्मान करते थे। ऐसे नेताओं के कारण लोकतंत्र सबल बना। उन सभी के ऊपर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव था। कई नेता स्वतंत्रता सेनानी थे। 1967 में संविद की सरकार बनी थी। बिहार विधानसभा में समाजवादी, जनसंघ, साम्यवादी और सामंतवादी दल एक साथ सरकार में शामिल थे। गैर-कांग्रेसवाद का व्यावहारिक स्वरूप दिखाई पड़ा था। डॉ. राममनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नैतिक प्रभाव था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ और संविद की सरकार का पतन हो गया। शोषित दल बनाया गया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया और चालीस दिन के लिए सरकार बना दी गई। उस सरकार का पतन भी कांग्रेस के विभाजन के कारण हुआ था। लगातार दो बार मध्यावधि चुनाव हुए। 1974 में छात्र आंदोलन हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। संसोपा नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में सात सदस्यों ने प्रथम इस्तीफा दिया। मैं भी उसमें एक था। आपातकाल की घोषणा हुई। लोग जेल के सेल में बंदी बनाकर रखे गए। जेल में कई विद्वान् लोगों के साथ रहकर काफी सीखने और समझने का अवसर मिला।

सन् 1977 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ। जेल से ही नामांकन दाखिल करने के बाद मधुबनी से चुनाव लड़ना पड़ा। भय और आतंक का वातावरण था, फिर भी जनता ने पहली बार वोट के द्वारा सत्ता का परिवर्तन किया। जनता पार्टी बन गई। दुभाग्र्यवश आपसी तनाव और आंतरिक टकराव के कारण सरकार बीच में ही टूट गई। कांग्रेस के समर्थन पर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लोकदल के नाम से दल बना। मैं उस विभाजन में सक्रिय था और लोकदल का संस्थापक सदस्य था। जैसे बिहार में शोषित दल की सरकार कांग्रेस के कारण अल्पकाल में समाप्त हो गई, उसी तरह लोकदल की सरकार भी कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण चली गई। 1980 में मुझे लोकदल ने राज्यसभा में भेज दिया। 1989 के अंत में लोकसभा का चुनाव हुआ। जनता दल का निर्माण हुआ। मुझे भी सीतामढ़ी से लड़ाया गया। काफी उठापटक और खींचातानी के बाद वी.पी. सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। चौधरी देवीलाल को मंत्रिमंडल से निकाला गया। श्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल का विभाजन
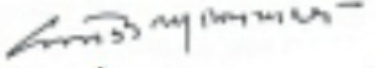
हुआ और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी। कांग्रेस ने शीघ्र समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। मैं उस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1991 के चुनाव के मध्य में ही श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद अल्पमत की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार का दौर चला।

1993 में मैं भाजपा में चला गया। समाजवादी धारा बिखर गई। नेतृत्व का संकट आ गया। राष्ट्रहित में और राजनीति को सिद्धांत एवं आदर्श के आधार पर चलाने के लिए भाजपा में जाना उचित समझा। भाजपा में प्रदेश और केंद्र में संगठन के पदों पर रहने का अवसर मिला। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी के प्रखर नेतृत्व में मैं समर्पित होकर काम करने लगा। मैं 1950 से स्वयंसेवक रहा, इसलिए भाजपा में घुल-मिल गया। 1999 में मधुबनी से चुनाव जीत गया और श्री वाजपेयी ने मुझे अपनी सरकार में राज्य मंत्री बनाकर कई विभागों में काम करने का अवसर दिया। मेरा सौभाग्य रहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, श्री चंद्रशेखर और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। श्री कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता मिले, जो साथी के जैसे रहे। उन्होंने काफी सम्मान दिया। कांग्रेस विरोधी धारा में चला था, जो अब तक जारी है। मधुबनी से चार बार लोकसभा में आया, इसके लिए वहाँ की जनता का भी अभारी हूँ। बिहार के सबसे बुद्धिजीवी क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि रहा। सभी नेताओं से अपार स्नेह मिला। मेरी राजनैतिक यात्रा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए शुरू हुई थी। बहुत से परिवर्तन देखा। बहुत से नेताओं को देखा। सिद्धांत और आदर्श की बात करनेवालों को क्षेत्रवाद और परिवारवाद के दलदल में धँसते देखा। समाजवाद की बात करनेवालों ने परिवारवाद, व्यक्तिवाद और जातिवाद के चक्रव्यूह में समाज को फँसा दिया। क्षेत्रवादी राजनीति ने पिछड़े और दलित समाज में से कई नेताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर उनका नेतृत्व उमड़कर आया। शोषित समाज को आशा की किरण दिखाई दी। परंतु दुभार्ग्य रहा है कि उन्हें जातिवाद के अंधकार में भटका दिया गया। गैर-कांग्रेसवाद की धारा से निकले थे और चलते-चलते कांग्रेस के भोग, भय, भ्रांति और भ्रष्टाचार की धारा के समर्थक बन गए। इसी अंधकार में एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नव जागरण आया। सभी संकीर्णताओं से मुक्त होकर जनता ने उन्हें समर्थन दिया। डॉ. राममनोहर लोहिया और पं. दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार हुआ।

15वीं लोकसभा में मुझे कई विषयों पर भाषण देने का अवसर मिला। दल की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने काफी प्रोत्साहन दिया, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। गठबंधन की राजनीति पर संसद् में श्री वाजपेयीजी ने जो भाषण दिया था, उस पुस्तक को पढ़ने का अवसर मिला। उससे प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने भाषण को पुस्तक के रूप में छपवा दूँ। प्रभात प्रकाशन के सहयोगी ने कहा कि वे पुस्तक छपवा देंगे। उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। समाजवादी नेता मधुलिमये कहा करते थे—तुम लिखा करो। मेरे कई लेख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए। मेरी पत्नी सुदेश यादव, जो भाजपा की कर्मठ कार्यकर्त्री रही हैं, मुझे प्रेरित करती थीं, भाषण को छपवा दूँ। उनके प्रति भी सस्नेह आभार प्रकट करता है। क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने भी पे्ररित किया, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अपने उन नेताओं के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने शुभकामना संदेश दिया है। आदरणीय डॉ. मुरली मनोहर जोशी के प्रति हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखने का अनुग्रह किया। मुझे आशीर्वाद दिया है। गाँव, गरीब-मजदूर-किसान के प्रति आभारी रहूँगा कि उन्होंने हमेशा समर्थन दिया। प्रभात प्रकाशन परिवार के सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे भाषण को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराने में सहयोग दिया है। उन सभी महान् नेताओं का ऋणी रहूँगा, जिनके सान्निध्य में रहकर दृष्टि प्राप्त की और सकारात्मक दिशा पाई। पाठकों के प्रति आभारी रहूँगा, जो भाषा अशुद्धि पर ध्यान देकर भावना को देखेंगे। गाँव

का हूँ—इस कारण गलतियों को क्षमा कर देंगे। पुस्तक भारतमाता के श्रीचरणों में अर्पित है।

सस्नेह,

(हुक्मदेव नारायण यादव)

अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय कल्याण समिति

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, पिछली बैठक में इस बात की चर्चा हुई थी कि छात्रवृत्ति पाने के लिए कितने बच्चों ने आवेदन किया और उनमें से कितने बच्चों को हमने छात्रवृत्ति दी, जिससे यह पता लग सके कि हमारे कितने बच्चों ने आवेदन किया था और उनमें से कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। जितने आवेदन आए थे, उसके कितने प्रतिशत बच्चों को हम छात्रवृत्ति देने में सफल हुए, यह जानकारी समिति को दीजिए, जिससे वास्तविक स्थिति का पता लगे। यह जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है।

दूसरी बात यह है कि योजना आयोग के पास समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के मंत्रियों ने अनेक पत्र लिखे, जब श्रीमती मीरा कुमारजी इस विभाग की मंत्री थीं, उन्होंने तीन पत्र लिखे, मुकुल वासनिकजी के चार पत्र हैं। उन्होंने प्रधानमंत्रीजी को पत्र लिखे, अहलूवालियाजी को पत्र लिखे, वित्तमंत्रीजी को पत्र लिखे गए, उसके बावजूद योजना आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आवंटन बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? योजना आयोग में क्या इन बातों की चर्चा होती है या नहीं?

योजना आयोग की जानकारी में यह बात है या नहीं कि अनुसूचित जाति को जो 14 प्रतिशत हैं उनके लिए समाज कल्याण पर 72 प्रतिशत खर्च किया जाता है, जबकि ओबीसी जो 54 प्रतिशत हैं उनके लिए 21 प्रतिशत दिया जाता है। आप भले ही अनुसूचित जाति को ज्यादा दें, लेकिन हमें भी तो समुचित दिया जाए। हमें हमारा हिस्सा कम क्यों मिल रहा है? हमें भी जो आरक्षण मिला है, वह संविधान सम्मत है, संविधान से दिया गया है। मुझे लगता है कि योजना आयोग जानबूझकर संविधान की, संसद् की और हमारी अवहेलना कर रहा है। जो लोग योजना आयोग मैं बैठते हैं, रुटीन में कह देते हैं कि पिछले साल एक रुपया दिया, इस साल डेढ़ रुपया कर दिया गया है। समाज कल्याण मंत्रालय ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस पर योजना आयोग ने क्या काररवाई की, वित्त विभाग ने क्या काररवाई की? योजना आयोग को ओबीसी के लिए आवंटन बढ़ाने में क्या कठिनाई है? माँग करने के बाद भी आवंटन नहीं बढ़ाया जाता है, इसका क्या जवाब है? आप जो बँटवारा कर रहे हैं, क्या वह व्यावहारिक है, वैज्ञानिक आधार पर सही है और क्या इसे न्यायपूर्ण कह सकते हैं? आपने इसमें दिया है कि हर साल में अंतर है छात्रावास बनाने में, क्योंकि पैसे की कमी है। केंद्र सरकार जो हिस्सा देती है, उतना ही हिस्सा राज्य सरकार को देना होता है। अगर कोई राज्य सरकार अपना उतना हिस्सा नहीं दे पाती है तो केंद्र को अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विशेष अवसर की बात जहाँ आती है, वह यहाँ उचित बैठती है। राज्य सरकार अगर अपना हिस्सा नहीं दे पाती है तो होता यह है कि केंद्र का हिस्सा भी खर्च नहीं होता है। कभी योजना आयोग या समाज कल्याण मंत्रालय ने इस पर विचार किया कि राज्य सरकार उतना हिस्सा नहीं देती है, जिसके कारण केंद्र सरकार की राशि खर्च नहीं हो पाती तो केंद्र का हिस्सा बढ़ाया जाए और राज्य का कम किया जाए, जिससे राज्यों पर बोझ न पड़े। इसीलिए पैसे के अभाव के कारण छात्रावास नहीं बन पा रहे हैं। इसके लिए समाज कल्याण मंत्रालय ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है जिससे ज्यादा-से-ज्यादा इस वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास बन सकें और केंद्र ज्यादा-से-ज्यादा प्रतिशत राशि दे जिससे राज्यों पर कम बोझ पड़े तथा इस योजना को लागू किया जा सके? योजना आयोग के जो सलाहकार यहाँ आए हैं और समाज कल्याण मंत्रालय के भी अधिकारी आए हैं वे बताएँ कि योजना आयोग हमारे लिए क्या कर रहा है? या तो कर दिया जाए कि योजना आयोग ओबीसी के लिए नहीं है बाकी सबके लिए है?

जब तक योजना आयोग के सेक्रेटरी नहीं आएँगे, क्योंकि नीति और विचार तो वही बनाते हैं। माननीय गीतेजी ने प्रश्‍न उठाया था और रंजनजी भी कह रहे थे कि आप जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं उसकी राशि कम है। आप भगवान् सत्यनारायण का चरणामृत बाँट रहे हैं और वह भी सब को नहीं दे पा रहे हैं। चरणामृत बाँटने में भी आप कंजूसी

कर रहे हैं। उनको खाने के लिए जहाँ चार रोटी मिलनी चाहिए, वहाँ आप उन्हें एक चौथाई रोटी ही दे रहे हैं। लेकिन वह टुकड़ा भी आप सभी को नहीं दे पा रहे हैं। योजना आयोग की दृष्टि अमानवीय और अव्यवहारिक है। आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि इन्होंने कितना खर्च किया है। मान लीजिए आपने हमें जितना पैसा दिया है उसमें से 60 या 70 प्रतिशत खर्च हुआ है। लेकिन यदि आप हमें एक-दो लाख करोड़ रुपए दिए होते तो हम उसी अनुपात में खर्च करते। उतना तो आपने दिया नहीं। बात यह है कि योजना आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं और जो समाज कल्याण विभाग के लिए बजट बनाते हैं उनकी नजर में ओबीसी कुछ है ही नहीं। वे सोचते हैं कि इनको कुछ-कुछ दे दो। इसलिए यदि कोई गड़बड़ी है तो योजना आयोग में है और योजना आयोग में बैठनेवाले अफसरों का इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। इसलिए आप एक बैठक कीजिए और उसमें योजना आयोग के सेक्रेटरी को बुलाइए और उनसे जवाब तलब कीजिए। आज जो चर्चा हुई है उसके बारे में यह अपने सेक्रेटरी को ब्रीफ भी कर दीजिए ताकि वह जब आएँ तो तैयार होकर आएँ और बताएँ कि उन्होंने क्यों नहीं किया। माँग के अनुसार पैसा देने में उनको क्या आपत्ति थी?

अनुसूचित जाति को प्रति विद्यार्थी के हिसाब से कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है, ओबीसी को कितनी छात्रवृत्ति जाती है? आय की जो सीमा ओबीसी के लिए बाँध दी गई है क्या अनुसूचित जाति के लिए वह सीमा है? अगर आरक्षण है तो दोनों को संविधान से आरक्षण है। जब दोनों को संविधान से आरक्षण है तो उसका नियम दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि हमारा कम है तो अनुसूचित जाति का भी काट कर कम कर दें। उनको जितना मिल रहा है, वे भी अगर संतोषजनक नहीं हैं तो उनका भी बढ़ाएँ, लेकिन हमारा भी बढ़ाएँ और संतुलित रखें, दोनों को बराबर करें। छात्रवृत्ति बराबर दें, जो भी सुविधा हो, दोनों को बराबर दें। उनके लिए अगर कोचिंग की व्यवस्था है तो उसी हिसाब से करें। उनके लिए अगर होस्टल की व्यवस्था है तो उसी हिसाब से करिए। अगर अनुसूचित जाति के लिए हॉस्टल बनाने के लिए जितना प्रतिशत राज्य को देते हैं पिछड़े वर्ग के लिए भी हॉस्टल बनाने में राज्य सरकारों को उसी अनुपात में पैसा दें। जिस अनुपात में राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति के लिए दिया जाता है उसी अनुपात में ओबीसी को भी दिया जाना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएँगे। इसमें कोई आरक्षण नहीं है, यह तो फ्री है। जितने हमारे छात्र-छात्राएँ, बच्चे हैं उन सब को देना है। जब सब को देना है तो फिर छूट क्यों रहा है, छूट रहा है, यही आपत्तिजनक है।

06/08/2013

❑

अन्य पिछड़ा वर्ग

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति जी, प्रारंभ में रामचंद्र बाबू ने जितने बिंदुओं को उठाया और उस पर हम आगे चर्चा करते-करते सभी साथियों ने उसको रखा, तो पहले यही प्रश्न पैदा होता है कि जब तक हमारे सामने सत्य और तथ्य नहीं होगा, तो हम किसका विश्लेषण करेंगे? सत्य और तथ्य हमारे पास तभी आएँगे, जबकि वर्तमान में स्थिति क्या है अन्य पिछड़े वर्गों की न्यायपालिका में संख्या कितनी है और उसमें ओबीसी कितने हैं जब यह स्पष्ट हो जाएगा, तब पता लगेगा। समिति की तरफ से आप हाईकोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को अगर यह कहेंगे कि लोकसभा की जो अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण समिति है वह यह जानकारी चाहती है और यह जानकारी हमें समिति के समक्ष देना है। अगर कोई हाई कोर्ट इनकार करे तो हमारे सामने आए कि किस हाईकोर्ट ने इनकार किया। अगर किसी ने इनकार किया तो हम देखेंगे, फिर हम हाईकोर्ट से लड़ेंगे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर लड़ेंगे। हम कोई उनके मुकदमा या केस की जानकारी नहीं माँग रहे हैं। हम यह माँग रहे हैं कि स्थिति क्या है सत्य क्या है तथ्य क्या है? आपकी यह जिम्मेदारी बनती है।

दूसरा, हमें एक बात से दु:ख है कि जब सभी जगह आरक्षण लागू हो गया, प्रशासन में लागू हो गया, आईएएस, आईपीएस, संघ लोक सेवा आयोग में लागू हो गया, जब सब जगह आरक्षण लागू हो गया, तो आपके मंत्रालय से अपनी तरफ से किसी सर्वे करनेवाली निजी संस्था के द्वारा सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए था कि न्यायपालिका के अंदर क्या स्थिति है? यह सर्वेक्षण कराने से स्थिति सामने आ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हम इसमें उलझे रहे कि संविधान में संशोधन हो। हम इसमें उलझे रहे कि हाई कोर्ट राजी नहीं हो रहा है। यह ऐसी ही स्थिति है जैसे जंगल के सारे जीव जाकर शेर के सामने हाथ जोड़कर कहें कि हम लोग कानून बनवाना चाहते हैं कि इस जंगल में जीव हिंसा न हो। क्या शेर कभी कानून बनाने के लिए राजी होगा? जब पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सेवा में आरक्षण दिया गया था, उस समय क्या लोग आरक्षण देने के लिए राजी थे? लेकिन देनेवाले ने आरक्षण दिया, हिम्मत किया, साहस किया तो उनको दिया। वे देने के लिए राजी थोड़े ही थे। अगर वे राजी होते, तो इतने दिन पहले क्यों नहीं दे दिए होते? आरक्षण राजनैतिक संकल्प से लोगों को मिला। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो राजनैतिक निर्णय लेनेवाले हैं उनके ऊपर यह निर्भर करता है कि वे कितनी दृढ़ता के साथ, संकल्प-शक्ति के साथ इसको करना चाहते हैं। यह आज से थोड़े ही लागू हुआ है। रामचंद्र बाबू जब पढ़ाई-लिखाई करके नौकरी में गए थे, वर्ष 1962 से ही डॉ. लोहिया के नेतृत्व में हम लोग इस आंदोलन के लिए लड़ते रहे कि न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हो, जिससे सबको लाभ मिले। हिंदुस्तान में सबकुछ बन गया, लेकिन यह नहीं बना। आईएएस, आईपीएस में पिछड़े वर्ग के लोग मिल गए, हिंदुस्तान में सब पद पर मिल गए, लेकिन इनको भगवान् ने लिखकर भेज दिया कि तुम हिंदुस्तान में सारे सर्वोच्च पद पर तो जा सकते हो, लेकिन तुम न्यायपालिका के योग्य नहीं हो। भगवान् ने इनके भाग्य में लिख दिया कि इस लायक तुमको नहीं मानेंगे, तुम न्यायाधीश नहीं हो सकते हो। यह अनर्थ है या नहीं। इसको कैसे दूर किया जाए? समिति की जो भावना है उस भावना के अनुरूप आप इसका सर्वेक्षण कराइए, प्रतिवेदन दीजिए और सरकार के सामने भी आज जो चर्चाएँ हुई हैं इसके आलोक में आप अपनी तरफ से सरकार के सामने भी एक नोट प्रस्तुत करिए कि समिति के सामने इस पर गंभीरता के साथ चर्चा की गई, जिसमें इन-इन मुद्दों को उठाया गया। सर्मिति की तरफ से आप अगर सरकार को लिखेंगे तो एक दबाव बनेगा।

इस तरह से संसदीय समिति का दबाव बनेगा। पार्लियामेंट में तो रिपोर्ट जाएगी, लेकिन वह दबाव पड़ेगा तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। यह भी करने की जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि यहाँ आप आए हैं। मंत्रीजी यहाँ आ

नहीं सकते हैं कि उनको यहाँ बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। सरकार के विभाग के प्रधान, सचिव होते हैं और सचिव का मतलब है कि वे सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से आते हैं। हम मानते हैं कि आपका जो न्याय विभाग है उस विभाग के जो कुछ भी आप हैं आप उसके प्रतिनिधि के हैसियत से यहाँ आए हैं। हमारी जो कुछ भी भावना है, उन्हें हम यहाँ उठाएँगे और आप हमारी इन बातों को अपने नोट के जरिए, या जैसे भी हो, वैसे कार्यान्वयन करने के लिए सरकार के पास भेजेंगे कि ऐसे होना चाहिए। यह मुख्य बात है। बाकी जो अन्य राज्यों में दिया गया है और कई राज्यों में नहीं है। क्या कभी इसे केंद्रीय स्तर पर आपके द्वारा उठाया गया है कि इसमें एकरूपता हो, समरूपता हो। कुछ राज्यों में यह है और कुछ राज्यों में यह क्यों नहीं है? यह नहीं है तो जो कारण रामचंद्र बाबू जी बता रहे थे, क्या ऐसे कारण सब जगह हैं? अगर ऐसे कारण हैं तो उन कारणों को दूर करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर क्या करना चाहिए? आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है, न कि यहाँ केवल आँकड़े पढ़ लें। इसे पढ़कर क्या हल निकाल लेंगे? समस्या का कारण समझ में आ गया है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वह कदम आज तक नहीं उठाए गए। उस कदम को आगे उठाने के लिए, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि समिति की इस भावना से और समिति की तरफ से संसद् में जो रिपोर्ट जाएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिन बातों की चर्चा की गई है, जो जानकारी इस संबंध में माँगी गई है, जैसे भी हो, वैसे समिति की भावना के तहत, वे सारी जानकारी समिति के सामने उपलब्ध कराना, मेरी राय में आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर यह जानकारी हाई कोर्ट नहीं देता है तो यह लिखित रूप में आनी चाहिए, जैसा कि पोन्नम प्रभाकरजी ने कहा था। हम इसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाएँगे। इसे प्रेस में देंगे कि यह हिंदुस्तान का हाई कोर्ट है। हम उनको सार्वजनिक तौर पर नंगा कर देंगे। देश का पिछड़ा वर्ग स्थिति को समझेगा कि ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। आप हमें जानकारी उपलब्ध कराएँ।

06/08/2013

❑

भूमि अधिग्रहण भाषण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, इस विधेयक पर बहस को प्रारंभ करते हुए हमारे नेता माननीय राजनाथ सिंहजी ने जिन बिंदुओं को उठाया था, मैं उसका समर्थन करता हूँ और सरकार से माँग करता हूँ कि उनपर गंभीरतापूर्वक विचार करे और उन पर संशोधन करे। जिन खंडों - धारा 9, धारा 10 और धारा 16(3) के संबंध में उन्होंने कहा था कि इनका विलोप किया जाना चाहिए, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ और माँग करता हूँ कि इन धाराओं को इस विधेयक से हटा भी दिया जाए।

सभापति जी, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाकर इस देश के लाखों गरीबों को मुँगेरीलाल का एक हसीन सपना दिखाया गया, लेकिन उससे मिलेगा क्या, वह तो समय बताएगा, उसी तरह का यह भूमि अधिग्रहण विधेयक है। इसमें एक हवा बनाई गई, देश के अंदर एक बात फैलाई गई देश के अंदर कि किसानों के लिए एक क्रांतिकारी अधिनियम सरकार लाने जा रही है। लेकिन यह ऐसा ही अधिनियम है कि इन तीन धाराओं के रहने के बाद पूरे अधिनियम का बंध्याकरण कर दिया गया है। इन तीनों धाराओं के कारण यह पूरा विधेयक किसी काम का नहीं रहेगा और इनके कारण किसान बिलकुल अपने अधिकार से वंचित रह जाएँगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय राजनाथ सिंहजी ने जिन बातों को उठाया है, उसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

हमारे पास निरंतर कृषि योग्य भूमि का अभाव होता जा रहा है। 1984 में 1311 करोड़ हेक्टेयर जमीन जहाँ हमारे पास खेती की थी, वह 2010 में 11.50 करोड़ हेक्टेयर जनसंख्या रह गई। जनसंख्या बढ़ती जाए और खेती की जमीन घटती जाए तो फूड सिक्योरिटी लाएँगे कहाँ से, अनाज आएगा कहाँ से? कारखाने में आप उत्पादन कर सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, सबकुछ कर सकते हैं, लेकिन इनसान का पेट भरेगा रोटी से, तन पलेगा रोटी से, उसका शरीर पलेगा रोटी से, इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा रोटी पर ध्यान दिया गया है। अन्न ही ब्रह्म है, यह उपनिषद् ने संदेश दिया था, वह कहाँ से आएगा इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, जहाँ-जहाँ भूमि का अधिग्रहण होता गया है, वहाँ भूमि अधिग्रहण होने के कारण कितने किसान भूमिहीन बनकर मजदूर बने हैं वह आँकड़ा आपके सामने है।

सन् 1951 में जहाँ किसान 71. 9 प्रतिशत था, वह वर्ष 2001 में 54.4 प्रतिशत अर्थात् 17. 5 प्रतिशत किसान कम हुआ है। दूसरी तरफ खेतिहर मजदूर वर्ष 1951 में 28.1 प्रतिशत था, वह वर्ष 2001 में 45.06 हो गया। वह 17.5 प्रतिशत ज्यादा हो गया। यह भारत सरकार का आँकड़ा सिद्ध करता है कि 17.5 प्रतिशत किसान हटा और 17.5 प्रतिशत खेतिहर मजदूर बढ़ा। किसान क्यों हटे क्योंकि भूमि अधिग्रहण के कारण या अन्य कारण से वह खेतिहर मजदूर बन गए और खेतिहर मजदूर का मतलब है कि सीजनल काम करे और बाकी समय में शहरों में जाकर रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, फुटपाथ पर सोए, महल का निर्माण करे, भूखे-नंगे सोए। इसलिए इस देश के कानून के कारण या भूमि अधिग्रहण के कारण या गलत नीति के कारण हिंदुस्तान के किसानों को नंगा किया है, भूखा किया है, बेबस किया है और जहाँ वह जमीन का मालिक था, वहाँ उसे मजदूर बनाकर फुटपाथ पर रिक्शा चलाने के लिए खड़ा किया है। यह अन्याय इस देश में होता रहा है।

दूसरी तरफ इसका दुष्प्रभाव हमारे पशुधन पर भी पड़ा है। वर्ष 1951 में एक हजार आदमी पर 430 गो धन थे, वहाँ वर्ष 2007 में केवल 117 गो धन बच गए। पहले एक हजार की जनसंख्या पर 430 था और बच गया 117। यह हमारे बैल-गाय कहाँ चले गए? इसलिए कि किसान जब मरता है, किसान जब उजड़ता है तो उसके साथ-साथ वह भी उजड़ते हैं। वर्ष 1951 में भैंस एक हजार आदमी पर 120 थी। वर्ष 2007 में वह भैंस केवल 90 बच गई। मैं इसलिए इन आँकड़ों को रख रहा हूँ कि ज्यों-ज्यों हमारे हिंदुस्तान में भूमि अधिग्रहण हुआ या अन्य कारणों से

किसान विस्थापित हो गए, गाँव से उजड़ते चले गए, भागते चले गए, उसके साथ हमारी यह व्यवस्था समाप्त होती गई। हमारा गो धन समाप्त हो गया, हमारे पशु समाप्त हो गए। एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में बच्चे कहेंगे कि दूध कहाँ मिलता है, तो कहेंगे कि डीएमएस के बूथ पर। वे नहीं समझेंगे कि गाय और भैंस नाम के जानवर भी हिंदुस्तान में देसी नस्ल के थे।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अभी अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है, जिसे माननीय राजनाथजी ने उठाया। अभी भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ सरकार के जरिए यह नोटीफाई किया जाता है कि एक आरबीट्रेटर होते हैं, पंचाट हर जिले में होती है। मेरी भी डेढ़ एकड़ जमीन ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर सड़क में गई। वर्ष 2006 से लेकर आज तक मैं उसका मुकदमा, मेरे जैसा आदमी जो उस विभाग का मंत्री रहा, आज तक अपने मुआवजे के लिए मुकदमा लड़ रहा है और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान के गरीब कहाँ-कहाँ मुकदमा लड़ेंगे, कहाँ-कहाँ जाएँगे, कहाँ से पैसा लाएँगे, कहाँ से वकील लाएँगे? ''गाय बिकाए चरवाही में।'' किसान को गाय चरवाहे की मजदूरी देने में बेचनी पड़ी। उसी तरह मुआवजा लेने के लिए कहाँ से अपनी तरफ से पैसा लाएँगे, अगर उन्हें इतना मुकदमा लड़ना पड़ेगा?

माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार के समय यशवंत सिन्हाजी वित्तमंत्री थे। किसानों की तरफ से हम लोगों ने उन्हें जाकर कहा था, तब उन्होंने किया था कि भूमि अधिग्रहण से, उसके सूद से और अन्य स्रोतों से किसानों को जो आय होगी, उसपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह बात इनकम टैक्स कानून में है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों से इनकम टैक्स काटा गया। उस ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर में किसानों के सूद से इनकम टैक्स के पैसे काटे गए। बाद में कहा कि फार्म '16ए' जमा करो, आयकर विभाग से तब पैसे वापस होंगे। कितने ही किसानों के पैसे आज तक लंबित हैं। इसलिए मैं उनकी यह दर्दनाक कहानी आपको सुना रहा हूँ। अगर अथॉरिटी बनानी है तो हर जिले में अथॉरिटी बनाइए। किसान को उसकी सुविधा दीजिए।

आप खेती लायक जमीन पर उद्योग क्यों लगाते हैं, बंजर भूमि पर उद्योग क्यों नहीं लगाते हैं? अगर बंजर भूमि पर उद्योग लगाने हैं तो छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, आंध्र के उस इलाके में चले जाइए, जहाँ जमीन बंजर है, पत्थरीली है, कंकरीली है, वहाँ जाकर उद्योग क्यों नहीं खड़ा करते हैं। अगर वहाँ उद्योग खड़ा करेंगे तो वहाँ बिजली जाएगी, वहाँ सड़क जाएगी, वहाँ वाटर सप्लाई होगा, वहाँ क्वार्टर बनेंगे, वहाँ का विकास होगा। वहाँ गरीबों के हाथ में रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए ''का दु:ख जाने दुखिया, का दु:ख जाने दुखिया की माए, जा के पैर न फटे बिवाई सो का जाने पीड़ पराई।''

मैं उस किसान, गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ। इसीलिए उसकी पीड़ा, उसकी वेदना मुझे सताती है। लेकिन, इसमें दो दृष्टि है। एक औद्योगिक घरानेवाले हैं, व्यावसायिक घरानेवाले हैं, एस.ई.जेड. वाले हैं। वे सोचते हैं कि जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा तो कारखाना कहाँ लगेगा, उद्योग कहाँ लगेगा, व्यवसाय कहाँ लगेगा? शहरों के आसपास वह बनाया जाता है।

सभापति महोदया, इस हिंदुस्तान में हमारे बिहार के अंदर जब गांधीजी के मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई तो वह नहीं बनी, क्योंकि प्रोफेसर लोगों ने कहा कि वहाँ हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए मुझे जाने में कठिनाई होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ बनाओ जहाँ हवाई अड्डा हो अर्थात् सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मन के अनुकूल स्थान पर उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। क्या कोई यूनिवर्सिटी रिमोट क्षेत्र में नहीं बन सकता है? क्या वह पिछड़े क्षेत्र में नहीं बन सकता था? यह मानसिकता है। यह हमारी दृष्टि है। इसलिए इस पर सोचें।

महोदया, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। विस्थापितों को बसाने की बात, उन्हें रखने की बात करना

चाहूँगा। मार्जिनल फार्मर जो ढाई एकड़ जमीन जोतनेवाला है, जमीन के अधिग्रहण होने के बाद वह भूमिहीन बन जाता है। हजारों, लाखों की संख्या में ऐसे किसान भूमिहीन बन गए। आप उन्हें जमीन देंगे। आप कहेंगे कि उन्हें बसा देंगे, लेकिन वह जमीन का मालिक नहीं रहेगा। वह मजदूर बन जाएगा। कल उसके बेटे का विवाह होता था तो भूमिपति मानकर उसके दरवाजे पर लोग आते हैं। परसों उसकी जमीन चली जाएगी तो खेतिहर मजदूर मानकर उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के किसानों को कंगाल बना देते हैं। उनकी जमीन लेते हैं। एयरपोर्ट बनाते हैं। रेल लाइन बनाते हैं। उसपर बस चलाते हैं। उद्योग लगाते हैं। उससे तो आय होती है न! आप सार्वजनिक हित के लिए रेल लाइन लगाते हैं। उससे पैसा कमाते हैं। रोड बनाते हैं। उस पर रोड टैक्स लेते हैं। ट्रांसपोर्ट का टैक्स लेते हैं। फिर उसपर आप अन्य साधनों से टैक्स लेते हैं। हवाई अड्डा बनाते हैं। उस पर आप पैसा कमाते हैं। जहाँ जिन किसानों की जमीन जाए, वहाँ पर लगनेवाले उद्योगों से, व्यवसाय से आमदनी हो, उसकी जमीन में जब तक वहाँ गाड़ी चलती रहे, व्यवसाय चलता रहे, तब तक उन किसानों को उस आय में हिस्सेदारी मिलती रहे। तब हम समझेंगे कि आप किसानों के हितैषी हैं और आप किसानों की बात सोच रहे हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका काम एक ही है। एक ही है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बात तो गरीबों की करो, बात तो किसानों की करो, लेकिन लाभ किसी और को पहुँचाओ, यह आप छोड़िए और इस पर आइए।

हमारे दूसरे साथी भी बोलनेवाले हैं। मैं अंतिम तौर पर आप से प्रार्थना करूँगा कि आप इन बातों पर सोचिए। आप क्या कहते हैं? सरकार जो फैसला करती है, वह अंतिम है। खाता न बही, जो सरकार कहे, किसानों के लिए सोलह आना सही। आप उसे न न्यायालय में जाने देंगे और न कहीं अपील करने देंगे। आप उन्हें कुछ नहीं करने देंगे। क्या आप देश में तानाशाही चलाना चाहते हैं? ऐसी तानाशाही कहीं नहीं है। मेरे बगल में नेपाल है। वहाँ कहते हैं—'मुखेर कानून छ:।' वहाँ के राजा जो अपने मुख से बोले, वह कानून है। उसी तरह आप कहना चाहते हैं कि सरकार जो कहे वह कानून है। सरकार का मतलब सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अफसर जो कभी इस देश के गाँव, गरीब, किसान के हितैषी नहीं हैं, हमदर्द नहीं हैं। उनके दिलों में गाँव, गरीब, किसान के लिए कोई दया नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। उनके आदेश को आप किसानों पर लादेंगे। आप किसानों को अपील का अधिकार क्यों नहीं देंगे? अभी भी सोचिए। माननीय राजनाथ सिंहजी ने भी इस बात को उठाया है।

आप कहते हैं कि हम अर्जेंसी में जमीन ले लेंगे। कलक्टर नोटिफिकेशन करेगा। तीन दिनों के अंदर हमारी जमीन छीन लेगा। क्यों? क्या उसकी कोई प्रक्रिया है? अर्जेंसी का मतलब क्या है? किस बात के लिए आप जमीन लेंगे? उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोई नियम होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। यह संविधान और विधान से चलता है। यह संसद् भी संविधान और विधान से चलता है। यह देश संविधान और विधान से चलता है। लेकिन आप किसान को कहते हैं कि न तेरे लिए संविधान रहेगा, न तेरे लिए विधान रहेगा, न तेरे लिए न्यायालय रहेगा, न तेरी कहीं सुनवाई होगी, तेरे लिए एक ही होगा कि जो कलक्टर करेगा, वही सही होगा और सरकार जो आदेश करेगी, वह सरकार का आदेश अंतिम होगा, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जिस तरह आप करना चाहते हैं, ऐसा अंग्रेजी राज में भी नहीं किया गया था।

अगर कानून को बनाएँ, हमारे राजनाथ सिंहजी और अन्य साथियों ने जिन बातों को उठाया है, उनको देखिए।

अंत में मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, दो दृष्टिवाले लोग होते हैं। मार्क्सवादी दर्शन के रचियता मार्क्स ने कहा था—क्लास करेक्टर और क्लास इंटरेस्ट। हिंदुस्तान में क्लास है, एक संपन्न समृद्ध है। एक ऊँचे महलों में रहनेवालों की क्लास है और एक निर्धन गरीबों की क्लास है। दोनों की दिशा एवं दृष्टि अलग है दोनों की समस्या एवं चिंतन

अलग है विचारधारा अलग है और दोनों की निष्ठा अलग है।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी, जब यह कानून बना रहे थे तब क्या उस समय किसी किसान प्रतिनिधि को उसमें बुलाया था, क्या कोई किसान का रिप्रजेंटेटिव आया? हिंदुस्तान के सारे किसान यूनियन वालों ने मेमोरेंडम भेजा, आपने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपके अधिकारी बैठे हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जो सुझाव दिया, क्या उस पर विचार किया? आपने इस बिल को एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजा? मैं अभी भी कहता हूँ कि आप इस बिल को एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, जिस पर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। किसानों के हक एवं हित को हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उस पर आपको राय देंगे। आप बिल लाए हैं, अच्छे बिल तो नहीं हैं लेकिन बिल लाए हैं अगर थोड़ा सा कदम उठा रहे हैं, मैं उसका स्वागत तो करूँगा, लेकिन चाहूँगा कि इस पर पुनर्विचार करिए और पूर्णता के साथ विधेयक लाइए, जिससे हिंदुस्तान के किसानों की आत्मा, तन एवं मन को शक्ति मिले। धन्यवाद।

29/08/2013

❑

बजट पर भाषण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, हमारे सामने जो बजट पर सामान्य चर्चा की जा रही है चूँकि यह बजट पर सामान्य चर्चा है इसलिए करीब-करीब सरकार के मातहत जितने विषय हैं उन सभी विषयों पर इसमें चर्चा हो जाती है। वित्तमंत्रीजी अमेरिका से पढ़े हुए अर्थशास्त्री हैं, विद्वान् हैं, मैं उनके अर्थशास्त्र की विद्या को नमस्कार करता हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा, वह उनके जैसे ही महान् विद्वान् जर्मनी से पी-एच.डी. किए हुए महान् स्वतंत्रता सेनानी डॉ. राममनोहर लोहिया के कुछ प्रसंगों को उनके सामने रखता चला जाऊँगा। जब कभी हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के गाँव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, बनवासी की बात करते हैं। हिंदुस्तान में जब यह बजट बना है तो यहाँ दो बातों का संघर्ष है। एक तरफ हिंदुस्तान में पसीनेवाले लोग हैं और दूसरी तरफ पैसेवाले हैं।

पैसेवाले के तन से पसीना नहीं आता, पसीना बहानेवाले के पास पैसा नहीं जाता। जो पसीने से लथपथ रहता है जेठ की चिलचिलाती दुपहरी में अपने शरीर को झुलसाता है, पानी में अपने शरीर को गलाता है, जाड़े में अपनी हड्डी को ठिठुराता है, उसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था—

''कुत्ते को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाडे की रात बिताते हैं।
हटो स्वर्ग के दूत, मैं स्वर्ग लूटने आता हूँ।''

आज हिंदुस्तान की जो तसवीर है, उस तसवीर पर क्या अर्थशास्त्री, वित्तमंत्री और हमारे महान् अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का क्या कभी ध्यान जाता है? अर्थशास्त्र भी कई तरह के हैं। एक है ग्रामीण कृषि अर्थशास्त्र और एक है औद्योगिक पूँजीपति अर्थशास्त्र। डॉ. लोहिया ने कहा था, ''आग्रह, दुराग्रह, पूर्वग्रह और अनुग्रह से प्रेरित होकर इस देश में सत्ता को चलाया जाता है।'' एक तरफ इनके मन में कुछ लोगों के प्रति पूर्वग्रह और दुराग्रह है। जैसे पिछड़ी जाति, दलित और वनवासी के लिए मन में यह दुराग्रह है कि उनके घर में कोई तेजस्वी, प्रतिभाशाली, योग्य, दक्ष और सक्षम पैदा हो ही नहीं सकता है। इस दुराग्रह से प्रेरित होकर ये सरकार को चलाते हैं और समाज को बनाते हैं तो यह देश कैसे बन सकेगा? एक तरफ कुछ लोगों के प्रति दुराग्रह और पूर्वग्रह है—गाँव, गरीब, किसान और मजदूर के प्रति पूर्वग्रह और दुराग्रह है कि उनका जितना शोषण कर सकते हो करो, ये बोलेंगे क्या? जाति के दलदल में ये इतने धँसे हुए हैं और दलों के बीच में ये इतने बँटे हुए हैं कि ये न कभी एकजुट और न इकट्ठा होंगे। जब वोट का समय आएगा, जाति का लस्सा लेकर जाएँगे और सबको फँसाएँगे और चिडिमार के जैसे सबकी गरदन मरोड़कर रख देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के बजट को उन पूँजीपतियों के लिए बनाएँगे—कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपकी दृष्टि कहीं है और काम किसी के लिए करते हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये समाजवाद की चर्चा करते हैं। मैंने इस संसद् में पढ़कर बताया था। मैं फिर उन पंक्तियों को पढ़कर बता देना चाहता हूँ कि इन विद्वान् अर्थशास्त्रियों के बीच में एक समाजवादी, महान् स्वतंत्रता सेनानी, गांधीजी के साथ रहनेवाले, नेहरू के आनंद भवन में विदेश सचिव का कार्यभार सँभालनेवाले, ऐसे महान् अर्थशास्त्री विद्वान् डॉ. लोहिया ने समाजवाद के बारे में क्या कहा था, जरा सुनें।

''समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो। उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो। आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो तो उसके बाद आएगी—

समता, पूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो। तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ।''

इसमें डॉ. लोहिया ने धार्मिक बराबरी की भी बात की है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं हैं, ये कोई शिवसेना के शब्द नहीं हैं। महान् समाजवादी डॉ. लोहिया ने धार्मिक समता, धार्मिक बराबरी की बात क्यों की थी? इसका मतलब यह है कि इस देश में धार्मिक विषमता है, सांस्कृतिक विषमता है और इस तरह सामाजिक-सांस्कृतिक समन्वय की बात करनेवाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि किस सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हो? डॉ. लोहिया ने सांस्कृतिक समन्वय की बात को कहते हुए इस संसद् में 26 मार्च, 1966 को बोलते हुए कहा था—

''समन्वय दो तरह का होता है। एक दास का समन्वय, एक स्वामी का समन्वय। पिछले 1000 बरस के इतिहास में हिंदुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा, यह एक दास का समन्वय रहा है। इसलिए भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हैं, यहाँ दासभाव का समन्वय है, स्वामीभाव का समन्वय नहीं है।''

इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर समाजवाद की बात करो, समता-समाज की बात करो तो पूर्णता में बात करिए। खंडित में बात करने की कृपा मत करिए। आपका बजट बनता है, आप क्या बजट बनाते हैं आपके बजट का आधार क्या है? आपका बजट साठ-गाँठ से बनाया गया है, गठबंधन से बनाया गया है। किसके गठबंधन से? राजनीतिक दलों का गठबंधन अलग है, लेकिन आपके बजट का गठबंधन अलग है। वह गठबंधन की अर्थ नीति क्या है?

सत्ता और नौकरशाही का गठबंधन, सत्ता और व्यापार का गठबंधन, सत्ता और भ्रष्टाचार का गठबंधन, सत्ता और बहुराष्ट्रीय कंपनी का गठबंधन। इस बजट में चारों गठबंधन हैं और इन्हीं चार खूँटों पर इस बजट को बनाया गया है।

मैं पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि सत्ता और नौकरशाही का गठबंधन कैसे? आपका बजट नौकरशाही उन्मुखी है। आपका बजट नौकरशाहियों के द्वारा नियंत्रित है, संचालित है प्रबंधित है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब नौकरशाही के हाथ में रहेगा, इसका छोटा सा उदाहरण है कि कितने नौकरशाह पकड़े गए हैं। सत्ता के गठबंधन में नौकरशाही के संबंध में डॉ. लोहिया ने इसी लोकसभा में बोलते हुए कहा था, ''मैं इस सिद्धांत को उठा रहा हूँ कि राजनीति और नौकरशाह का संबंध क्या रहना चाहिए। क्योंकि अगर यह तीन-चार सौ मंत्री अपने नौकरशाहों का इस्तेमाल करते हैं या तो खुद धन बटोरने के लिए, जरा गौर करिएगा, या अपने रिश्तेदारों के लिए धन बटोरने के लिए या अपनी पार्टी के लिए धन बटोरने के लिए और मान लें कि धन न भी बटोरे तो शक्ति का संचय करने के लिए ताकि अपने गुट को मजबूत बनाकर राज्य पर कब्जा कर लो।'' ये चार चीजें उन्होंने गिनाई हैं। नौकरशाही के साथ इसलिए इनका गठबंधन है। जितने घोटाले की बात हमारे साथियों ने की है, हर घोटाले के पीछे किसका हाथ है? नौकरशाही का हाथ है? जितने राजनैतिक नेता पकड़े गए, उनके नाम आ गए, लेकिन नौकरशाही और बड़े व्यापारी घरानों के कितने लोग पकडे गए, क्या वह जेल में गए? 2जी स्पैक्ट्रम में... (Not recorded) घराने का हाथ था या नहीं?... घराने का हाथ था या नहीं? उनका नाम था या नहीं? क्या उसे गिरफ्तार किया गया? (व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : एमएलए और एमपी पकड़ में आ जाए तो उन्हें गिरफ्तार करो, उनके लिए आवाज लगाओ, लेकिन इन बड़े घरानों के ऊपर हाथ मत लगाओ, क्योंकि उनकी पूँजी से, उनके पैसे से

सरकार चलाते हो। यह है व्यापार और नौकरशाह का गठबंधन। इस गठबंधन पर सरकार को चलाते हो। मैं हिंदुस्तान के गाँव, गरीब, किसान, मजदूर और देश के नौजवानों से कहता हूँ कि आओ, बढ़ो, उमंग से उछाल मारो। एक बार हनुमान के जैसे कूद चलो। उस पार जाओ। या तो अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी, जालिम सत्ता को जलाकर राख कर दो या समुद्र में डूब कर मर जाओ। लेकिन अब चैन से मत बैठो। सहते-सहते हम थक चुके हैं।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके बजट का आधार क्या है? मैंने यह चार्ट बनाया है। इसमें पाँच चीज हैं—भय, भोग, भ्रष्टाचार, भ्रांति और भगदड़। यही आपके बजट का आधार है। भय क्या है? 12 दिसंबर, 1912 को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है— दिनांक 31.10.12 की स्थिति के अनुसार 57 मामले सुनवाई के लिए सीबीआई के अधीन लंबित हैं। जिनमें आठ पूर्व मुख्यमंत्री, 71 राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, पूर्व संसद् सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद और विभिन्न दलों के सदस्यों सहित शामिल हैं। इन सुनवाई के अधीन मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री मामलों में शामिल हैं पदाधिकारी इत्यादि इत्यादि। यही तो है आपका आधार-भय। भय दिखाओ, मेरे साथ आओ, चरण चुंबन कर लो। मेरे चरण चुंबन में आओ, सिर झुकाओ, नहीं तो सीबीआई है, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट है, आयकर विभाग है। घेरेंगे, फँसाएँगे, जेल में बंद कर देंगे और इसके कारण राजनैतिक दलों का यह चरित्र बन गया है कि सड़क पर रहते हो तो सरकार के खिलाफ बोलते हो, सदन में आते हो और जब सरकार गिराने का मौका आता है तो उनके साथ हाथ मिलाते हो। वाह रे यह दोहरा चरित्र राजनैतिक दल का! क्या इससे हिंदुस्तान बनेगा? इससे हिंदुस्तान नहीं बन सकता है। इससे देश नहीं बन सकता है, इसलिए हिंदुस्तान के उन पिछड़े दलितों और आदिवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि इन दोहरे चरित्र वाले को जब तक साफ नहीं करोगे, तब तक हिंदुस्तान की राजनीति सुधरेगी नहीं, हिंदुस्तान की व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तुम उनके पीछे जाति के नाम पर दौड़ते रहोगे, दलदल में धँसते रहोगे। वह जाति के नाम पर लाएँगे, तुम को कांग्रेस के जंगल में फँसाएँगे। कांग्रेस तुम्हारी मांस हड्डी खा जाएगी, कांग्रेस तुम्हारा रक्त पी जाएगी। तुम्हारे पूर्वजों का पीया है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी।

इसलिए कांग्रेस के साथ-साथ उन दलों को भी सावधान करता हूँ जो कांग्रेस के साथ आँख-में-आँख मिलाते हैं और कांग्रेस के साथ गले मिलते हैं। 'बाहर आँख में लाली और अंदर कांग्रेस की दलाली'—ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर में कहते चला जा रहा हूँ। इस सरकार में अंतर आया है। गाँव-शहर का अंतर, कृषि और उद्योग का अंतर, गरीब और अमीर का अंतर, जनता एवं नौकरशाह के बीच अंतर और खाई बढ़ी है जो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। क्या इस बजट से वह खाई कम होगी? क्या इस बजट के द्वारा वह खाई पाटी जाएगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसका भी कारण है। मैं वह कारण आप को बता देना चाहता हूँ। दो-चार मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँगा।

अंतर कहाँ-कहाँ बढ़ा है, जरा गौर करिए। वर्ष 1951 में गाँव के लोग थे 82.7 प्रतिशत, वर्ष 2001 में ये हो गए 72 प्रतिशत यानी माइनस 10.5 प्रतिशत। यह आँकड़ा है। गाँव के 10.5 प्रतिशत लोग कहाँ भाग गए, कहाँ डूब गए? गाँव का किसान था। वह एक एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़, पाँच एकड़ जमीन जोतता था। गाँव में खाने के लिए रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं रहा। वह शहर में भाग आया। शहर में रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, फुटपाथ पर रहता है, पेड़ के नीचे सोता है। ये 10.5 प्रतिशत किसानों को आपने गरीब बनाया है, मजदूर बनाया है। वर्ष 1951 में किसान 71.9 प्रतिशत थे, वर्ष 2001 में उनकी संख्या 54.4 प्रतिशत हो गई। बाकी 17.5 प्रतिशत किसान कहाँ लुप्त हो गए? खेतिहर मजदूर 28.1 प्रतिशत थे, वर्ष 2001 में बढ़कर हो गए 45.6 प्रतिशत। आपके आँकड़े बताते हैं कि 17.5 प्रतिशत किसान लुप्त हुए हैं और 17.5 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों की

संख्या बढ़ी है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा। आप बजट में पाँच लाख करोड़ रुपए कर्ज लेते हैं और तीन लाख करोड़ रुपए सूद चुकाते हैं। मैं गाँव का किसान हूँ। पाँच लाख रुपए कर्ज लिया, तीन लाख रुपए महाजन को दिया, बच गया दो लाख रुपए और बजट बन गया सोलह लाख करोड़ रुपए का। साहब, आप किस को धोखा देते हैं? मेरे हिसाब से तो वह तीन लाख सूद में चला गया, बाकी बचा दो लाख करोड़ रुपया। इसलिए यह किस लिए हुआ? केवल सरकारी बैंकों और गैर सरकारी बैंकों का एन.पी.ए. का बकाया है, बट्टा खाते का बकाया है, एक करोड़ रुपए से ऊपर जिन पर टैक्स का बकाया है, उनको जोड़ दें तो वर्ष 2009 तक के आँकड़े मेरे पास हैं। वह 2,90,643 करोड़ रुपए होता है। यह बकाया जो बड़े घरानों के ऊपर है और जिसे आपने छोड़ा है, अगर यह बकाया नहीं रहता, अगर यह तीन लाख करोड़ रुपए आप उनसे वसूल लिये होते तो आपको कर्ज क्यों लेना पड़ता? आप उन को छोड़ते जाते हैं। उन पर लुटाते जाते हैं।

पहले गाँव में जमींदार होते थे। अजयजी, आप हमारे इधर के बारे में जानते हैं। गाँव में पहले बाबू साहब जमींदार होते थे। वे खेत बेचते थे, दरवाजे पर मुजरा करवाते थे। उसी तरह आज यह सरकार लुटाती है। अगर इन बड़े घरानों को दी गई सारी छूट को निकाल लें तो यह लगभग दस लाख करोड़ रुपए बनते हैं जिससे एक साल के बजट में केवल पाँच लाख रुपए की कमी रह जाती है।

महोदय, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल एक बात कहना चाहूँगा। एक मामला मेरे पास है। मेरे पास का नहीं है, हमारी नेता सुषमा स्वराजजी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के इंपलॉयज एसोसिएशन वाले ने दिया। वे गाँव में किसान और मजदूर के बीच में दूरदराज देहातों में काम करते हैं। उनके इंपलॉयज ने शर्तें रखी थीं कि उनको भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर सभी सुविधाएँ दी जाएँ। बाबू प्रणव मुखर्जी जब यहाँ वित्तमंत्री थे, उन्होंने उनको बुलाया, बैठाया, समझौता किया और उस कागज पर उनके भी विभाग का हस्ताक्षर है, मुहर है। लेकिन, आज के वित्तमंत्री कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्या प्रणव बाबू का किया हुआ सौदा, समझौता या इकरार किया हुआ आप नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। मैं अपनी बात को अंतिम चरण पर ले जाते हुए आपसे केवल इतनी प्रार्थना करूँगा।

सभापति महोदय, मैं हिंदुस्तान के गाँव के गरीब किसान, मजदूर सबको यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ। आज वहाँ लाखों-करोड़ों की संख्या में लोग संसद् की कारवाई को देख रहे होंगे। गाँव के गरीब किसान, मजदूरों, दलितों, तुम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। जब तक दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए तुम्हारी दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक तुम ऐसे रहोगे।... (व्यवधान) बैंक में, जितनी भी अंडरटैकिंग्स हैं, वहाँ एक भी उस समाज का व्यक्ति नहीं है। कहीं इन पिछड़े दलितों को किसी भी ऊँची कुरसी पर स्थान नहीं, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एवं अंडर सेक्रेटरी भी वहाँ उस समाज का नहीं है। ''राज चलाओ तुम, खून बहाए हम, राज चलाओ तुम, तेल लाएँ हम और नाच नाचो तुम।'' ये कब तक देश में चलता रहेगा?

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस अत्याचार जुल्म को बंद करो। अब मैं दो पंक्तियाँ सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। साहब, इतना अवसर दे दीजिए। हमारी पार्टी के दूसरे वक्ता में से दो मिनट कम कर लीजिएगा, हमारा समय है। मैं दो पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ जो जयप्रकाशजी के आंदोलन के समय में, कर्पूरी ठाकुरजी के नेतृत्व में और जयप्रकाशजी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में गाते थे। विधानसभा से मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने इमरजेंसी में जेल में अपनी हड्डी सुखाई थी, 20 किलो खून सूख गया था। तब मैं गाया करता था —''लाख-लाख झोंपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपती के बँगले में हस्ती पूर्णमासी है। ये सब अब न

चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ श्रमिक, कृषक, मजदूरों इनकलाब का नारा दो, शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। तब देखें हम सत्ता कितनी बर-बर और बोराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है।'' इसलिए आओ, सब मिलकर छलाँग लगाओ, इस जालिम, जुल्मी, गाँव विरोधी, किसान विरोधी सत्ता को जलाकर राख नहीं करोगे, तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ, आओ हिंदुस्तान को आजाद करो, गाँव, गरीब किसान, मजदूर को आजाद करो।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मेरे नेता ने मुझे दूसरा वक्ता बनाया, इसलिए सबके प्रति धन्यवाद।

13/03/2013

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, किसानों के लिए संसद् की जो स्थायी समिति है उसने देशभर में दौरा किया कमेटी के सभापति श्री आचार्यजी हैं हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा राज्यों में दौरा किया तो सरकारी अधिकारियों के साथ किसान के संगठनों को भी हम साक्ष्य के तौर पर उसमें बुलाते हैं जिसमें एक विषय रहता है कि मनरेगा से किसान को लाभ हुआ या नुकसान। हमने हिंदुस्तान के दस-बारह प्रांतों, जो देश के मुख्य रूप से बड़े-बड़े राज्य हैं, उनमें दौरा किया। सब जगह किसानों की एक ही राय थी कि मनरेगा के कारण किसान की हालत खराब हुई है और कृषि पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि किसान को मजदूर नहीं मिलते।

मैं किसान होने के नाते, किसानों की भावनाओं से अपने को जोड़ते हुए कह सकता हूँ कि मनरेगा में चाहे जितने भी सुधार किए जाएँ, संशोधन किए जाएँ, लेकिन मनरेगा का लाभ किसानों को तभी मिलेगा, जब इसको बंद करके इसका रूपांतरण ग्रामीण विकास के लिए किया जाए। इसकी राशि गाँव के विकास के लिए खर्च की जाए। लेकिन, इसका रूपांतरण होना चाहिए। शिखर से लेकर सतह तक भ्रष्टाचार का एक तंत्र खड़ा किया गया, मुख्य रूप से इसके लिए मनरेगा बनाया गया था। जो समय आने पर भ्रष्टाचारियों का अंतरप्रवाह के द्वारा मिलन हो जाए और भ्रष्टाचारियों का राज देश में सतह से शिखर तक बना रहे। गाँव के किसान मरे या गाँव उजड़े, इससे कोई मतलब नहीं। मैं भी गाँव का हूँ। हम और आप पहली बार सन् 1967 में एम.एल.ए. बनकर आए थे। मैं सन् 1959-60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना तथा दो कार्यकाल तक प्रधान रहा, ब्लॉक का प्रधान रहा और जिला परिषद् का भी अध्यक्ष रहा। मैंने देखा था कि सन् 1902 तथा 1967 में अकाल पड़ा, उस समय श्री कर्पूरी ठाकुर उपमुख्यमंत्री थे। उस अकाल के समय में एक योजना बनी थी, जिसका नाम था- कठिन श्रम योजना (हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम)। कठिन श्रम योजना को बाद में काम के बदले अनाज योजना में जोड़ दिया गया। उन्हें अनाज के रूप में पाँच किलो गेहूँ दिया जाता था, तो हम लोगों ने श्री कर्पूरी ठाकुरजी से आग्रह किया था कि जो पाँच किलो गेहूँ दिया जाता है, उसमें से ये एक किलो गेहूँ को वे दाल और सब्जी खरीदने के लिए बेच देते हैं। इसके बाद उन्होंने पाँच किलो गेहूँ के साथ दो रुपए नकद भी मजदूरों को देने के लिए योजना में जोड़ा था। उसके साथ-साथ काम की ड्यूटी लगी हुई थी कि दस फीट बाई दस फीट, गहरा एक फीट इतनी मिट्टी की खुदाई करेंगे, तो इसके बदले में उन्हें पाँच किलो गेहूँ और दो रुपए नकद दिए जाएँगे। लोग मेहनत-मजदूरी करके, उतना काम करके दिखाते थे। उस समय मैंने अपने गाँव में बाढ़ सुरक्षा तटबंध को बनाया था। वह बाँध सन् 1967 का बनाया हुआ है। आज भी उसकी मजबूती बनी है। लोग इसकी जाँच करके देखें, तो मालूम होगा कि वे बाँध इतने मजबूत बने हुए हैं कि बाढ़ में भी ध्वस्त नहीं हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनरेगा का रूपांतरण किया जाए। आज यह जिस रूप में है, उस रूप में इसका नाम है—किसान मरेगा, गाँव उजड़ेगा, सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये तीन काम मनरेगा के द्वारा बहुत ज्यादा हुए हैं और किसानों का नाश हुआ है। इसलिए मुझे उन गरीबों के प्रति हमदर्दी है। मैं गरीब किसानों के लिए लड़ते रहा हूँ, पसीना बहाते रहा हूँ। जिस समय मैं समाजवादी आंदोलन में डॉ. लोहिया के नेतृत्व में जेल में बंद होता था, जेठ की दुपहरिया में जब दीवार और छत गरमी से तपने लगते थे, चमडी झुलसने लगती थी, तो हम लोग आनंद लेने के लिए उसमें बैठकर गाया करते थे—

''धूप-ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर मरते,
फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रोकर,
हम चलो बसाए नया नगर हम चलो बसाए नया नगर।

जहाँ न होवे छोट-बड़ाई, गले मिलें सब भाई-भाई,
ऊँच-नीच का भेद न होवे, सुख का होवे डगर-डगर,
हम चलो बसाएँ नया नगर।''

कहाँ गया वह नए नगर का सपना! हमने अपनी जवानी को उस जेल में सड़ाया, हड्डी गलाया, लेकिन खुशी है कि जो आंदोलन हमने किया, उससे संसद् के स्वरूप में बदलाव आया। आज पिछड़े दलित, शोषित, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को सीना तानकर बैठे देखता हूँ, इस पर चलते देखता हूँ। हमारी संसद् की कालीन पर रानी और राजाओं जूते-चप्पल फिसला करते थे, उस आज अनुसूचित जाति और जनजाति के धूल-धुसरित चप्पल से जब इस कालीन की छाती को रगड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक जमाना था, जब शादी में भी इसपर बैठने का मौका नहीं मिलता था। आज हिंदुस्तान का इतना रूपांतरण हुआ है कि मैं अपनी जूती से तेरी छाती को रगड़ रहा हूँ। यह परिवर्तन हिंदुस्तान में हुआ है। आज मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि क्या आप इसका रूपांतरण कर सकते हैं? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गाँव के लिए है, जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने चलाया। क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिट्टी का काम नहीं होता? बिना मिट्टी के काम के सड़कें नहीं बन सकतीं। उसमें ईंट के खड़ंजा लगते हैं। यहाँ ईंट भट्ठे में बनता है, जहाँ मजदूर को काम मिलता है। दो सौ-तीन सौ मजदूर ईंट के भट्ठों में काम करते हैं, वे भी ग्रामीण मजदूर होते हैं। उनको ईंट के भट्ठे पर काम करने से जितना पैसा मिलता है उसका आधा पैसा भी उन्हें मनरेगा में नहीं मिलता। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस सारे पैसे को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डायवर्ट कीजिए, गाँव-गाँव की सड़कों को पक्की कीजिए। गाँव की सड़कें पक्की हो जाएँगी, तो हमारा विकास होगा, किसान को यातायात का लाभ मिलेगा, उनकी फसल की उचित कीमत मिलेगी, बारह महीने वे शहर जा सकेंगे, अस्पताल जा सकेंगे, स्टेशन जा सकेंगे, हमारे गाँव के बच्चों को रोजगार मिलेगा।

जिला योजना के तहत ग्रामीण सड़कों और गलियों में ईंट का खड़ंजा लगवाइए, पीसीसी की ढलाई कराइए जिससे गाँवों में पानी न लगे, कीचड़ न हो। राजस्थान और अन्य रेगिस्तानी इलाकों की प्राकृतिक बनावट अलग है लेकिन हम बिहार के, उत्तर बिहार के हैं, नदी के पेट में बसनेवाले हैं। जून से लेकर नवंबर तक, इन छह महीनों के लिए सरकार की तरफ से वहाँ लिखा हुआ होता है कि यह रेनी सीजन है, इस दौरान कोई अर्थवर्क नहीं चलेगा। छह महीने उसी में चले गए, बचे छह महीने, उन छह महीनों में काम चलेगा, तो उसमें धान की कटनी चली गई, गेहूँ की खेती चली गई, तीन महीने इसमें चले गए। बचे केवल तीन महीने। तीन महीनों में क्या काम होगा। मिट्टी खोदो, बाँध बनाओ, फिर उसी मिट्टी से गड्ढे को भरो, फिर गड्ढा खोदकर ऊँचा करो, फिर ऊँचे को गड्ढा करो। इसके अलावा और कोई काम बचा नहीं है। मिट्टी कहाँ मिलेगी? मेरे यहाँ गाँव में चलकर मिट्टी लाकर दिखाइए, जो लोग ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी की ढुलाई करते हैं तो पाँच से छह रुपए प्रति मन मिट्टी की कीमत हो रही है। कौन किसान अपने खेत में मिट्टी काटने देगा? किसान खेत में मिट्टी काटने नहीं देता है तो फर्जी कागज भर दिए जाते हैं कि मिट्टी का काम हो गया, अर्थवर्क हो गया। कहाँ हुआ अर्थवर्क? किसान खेत में मिट्टी काटने नहीं देता है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अगर तालाब की खुदाई हो, तालाब की उडाही हो, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, भोला सिंहजी बैठे हैं किसी भी तालाब की खुदाई बिना जेसीबी मशीन के कोई करा दे और भारत सरकार के योजनावाले अफसर उस जगह बैठें, वे जितना पैसा कहें मैं अपने घर से देना चाहूँगा, बिना जेसीबी मशीन के मेरा एक एकड़ का तालाब खुदवा दे। खुद नहीं सकता है क्योंकि आज उतनी दूर तक सिर पर मिट्टी ढोनेवाला मजदूर नहीं मिलेगा। आज श्रम करनेवाला मजदूर नहीं है, हल चलानेवाला मजदूर

नहीं है, कुदाल चलानेवाला मजदूर नहीं है, कंधे पर धान का बीज उठानेवाला मजदूर नहीं है, क्योंकि आज वह लड़का पढ़ा-लिखा है, मैट्रिक पास है, बीए पास है। किसान का बेटा पढ़-लिखकर भी कोई रोजगार न मिलने से खेत में मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसको इस योजना में आप लगाते हैं।... (व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, ग्रामीण सड़कों पर खडंजा लगाया जाए और पीसीसी कराया जाए। किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जिससे हरित-क्रांति आ रही है और अन्न का अधिक उत्पादन हो रहा है। मनरेगा में से पैसा निकालकर इन तीन योजनाओं में पैसा डाल दीजिए, गाँव का रूपांतरण होगा, किसान का रूपांतरण होगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, देश में धन और अनाज की वृद्धि होगी, गाँव का कायाकल्प हो जाएगा और गाँव से भ्रष्टाचार मिट जाएगा।

अंतिम बात, जो पैसा पंचायतों को दिया गया है, वह पंचायत को दिया जाए, प्रखंड समिति को दिया जाए और जिला समिति को दिया जाए, तीनों जगह बाँट दिया जाए। पंचायत स्तर की ग्रामीण योजना पंचायत समिति करे, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़नेवाली सड़कों का कार्यान्वयन प्रखंड करे और एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड, तीसरे प्रखंड जानेवाली लंबी सड़कों का निर्माण जिला समिति के द्वारा कराया जाए, तो इस पैसे का सदुपयोग होगा। एक बात पर ध्यान दें। सभी माननीय सदस्य जी बोल रहे थे मैं उनकी भावनाओं का समर्थन करता हूँ। अर्जुन मेघवालजी ने बड़े प्रभावकारी ढंग से सुधार की बात की है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1951 में गाँव में बसनेवाले लोगों की जनसंख्या 82.7 प्रतिशत थी, वर्ष 2001 में 72.2 प्रतिशत हो गई, 10.5 प्रतिशत घट गए। इतने लोग गाँव छोड़कर चले गए, लोग अपने आदमी को खोज रहे हैं। हम किसान हैं, हम खोजते हैं कि हमारे 10.5 प्रतिशत आदमी गाँव से कहाँ चले गए, कहाँ विलीन हो गए। वर्ष 1951 में किसान थे 71.9 प्रतिशत, जो वर्ष 2001 में घटकर 54.6 प्रतिशत हो गए, 17.5 प्रतिशत घट गए। खेतिहर मजदूर वर्ष 1951 में 28.1 प्रतिशत थे जो वर्ष 2001 में 45.6 प्रतिशत हो गए, 17.5 प्रतिशत बढ़ गए। क्या यह भयावह स्थिति नहीं है? अगर गाँव का सुधार करना चाहते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए।

आप देखें कि 17 प्रतिशत किसान कम हो गए और साढ़े 17 प्रतिशत खेतीहर मजदूर बढ़ गए। इस व्यवस्था ने गाँवों के अंदर ऐसी योजनाएँ चलाई हैं जिसकी वजह से किसान निरंतर निर्धन होकर, शोषित होकर और गरीबी में डूबता तथा टूटता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग मर रहा है जो खेती पर निर्भर है, जो दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इसलिए मेरी सदन से विनम्र प्रार्थना है कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाए। इस लूट-खसोट की योजना को बंद किया जाए और किसानोन्मुखी तथा ग्रामोन्मुखी योजना बनाई जाए। उस पर संसद् में बहस कराई जाए। विशेषज्ञों के साथ-साथ गाँवों के गरीब के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और उनके साथ बहस करके योजना बनाई जाए। सफेदपोश लोगों द्वारा, योजना आयोग में बैठे तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा योजना न बनाई जाए। जिन्होंने न गाँव देखा, न किसान देखा, न खेत देखा, न खलिहान देखा, न आरी देखा, न मेड़ देखा, न सावन-भादों का कीचड़ देखा, न ज्वार देखा, न बाजरा देखा, न धान देखा, न गेहूँ देखा। उनके द्वारा आप योजना बनाते हो और हमारे सिर पर उसे लादते हो। इसलिए इस योजना को बंद करो और ग्रामोन्मुखी, किसानोन्मुखी योजना का निर्माण करो, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

08/03/2013

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। अर्जुन मेघवालजी ने बड़े मार्मिक, और तार्किक ढंग से इसको सदन में रखा है। सुमित्राजी भी इसके संबंध में बोल रही थीं, उनकी वाणी में भी पीड़ा, तर्क और संवेदना थी। बाकी माननीय सदस्यों ने भी अपनी-अपनी राय रखते हुए बड़े तार्किक ढंग से आपके सामने सदन में रखा है।

मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं 3 अप्रैल, 1964 को इसी प्रसंग पर इसी सदन में डॉ. राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी चिंतक थे, जिसे दुनिया जानती है, द्वारा कही गई बात को उद्धरित करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था—

''हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान् आदर्श रखें कि किस तरह से जीने का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए। मैं इस बात को बिलकुल ठुकराता हूँ कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का हिंदू चाहे वह कहीं का भी नागरिक हो, लेकिन उनकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान की। यह तर्क दे देना कि कौन कहाँ का नागरिक है, यह व्यर्थ हो जाता है। वह मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीवन की सुरक्षा हमें सबको देनी है।''

यह इसी सदन में 3 अप्रैल, 1964 को महान् समाजवादी नेता डॉ. लोहिया ने कहा था। प्रश्न यह नहीं है कि वह हिंदू पाकिस्तान में है या वह दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि वह दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी देश में हो, अगर उनके ऊपर कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का जुल्म हो रहा है, उनकी जान-माल इज्जत पर अगर खतरा हो रहा है, उनको अपने देश से जबरदस्ती निष्कासित करने की प्रक्रिया चलाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ का इनसान, जानवर के जैसे रहता है। मैं समझता हूँ कि जानवर में उतनी चेतना नहीं है इसलिए वह उसको बरदाश्त कर लेता है, लेकिन आदमी बरदाश्त कैसे कर सकता है। जिस इनसान को वैसी स्थिति में जिंदा रहना पड़ता है, वही इनसान समझ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पीड़ा को क्या जानेगा। हमारे बिहार में कहावत है:

''का दुःख जाने दुखिया, का दुःख जाने दुखिया माय।
जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई।''

सभापति महोदय, जिनके सांस्कृतिक अधिकार नहीं रोके जाते हैं उनको क्या पता होगा। जब कहीं का हिंदू पूजा करता है, सत्यनारायण भगवान् की पूजा करता है, जन्माष्टमी, रामनवमी या दुर्गापूजा करता है, लेकिन जब उसे प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकालने दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या आघात होता है, उसे वही जानता है। मुसलमान ताजिया बनाते हैं अगर कहीं उनके ताजिया को पहलाम के समय रोका जाता है तो उनके दिल पर क्या बुरा असर पड़ता है, उसे वह मुसलमान ही जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति क्या जानेगा। इसलिए राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार के साथ हमें सांस्कृतिक अधिकार और धार्मिक अधिकार के महत्त्व को भी समझना चाहिए। अगर इन बातों की चर्चा की जाए, दुर्भाग्यवश उसे सांप्रदायिकता के घेरे में रख दिया जाता है जो नहीं रखा जाना चाहिए, आखिर वह भी तो नागरिक अधिकार है। धर्म के अनुसार अपनी पूजा करना, संस्कृति के अनुसार अपना अनुष्ठान करना, वह भी पूजा है। सत्यनारायण भगवान् की पूजा करें, लेकिन अगर उनको घड़ी-घंटा और शंख न बजाने दिया जाए और उस समय उनको रोका जाए, तो क्या यह अपराध नहीं है? क्या यह नागरिक

अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है। पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ अगर सांस्कृतिक जुल्म हो रहा है, धार्मिक जुल्म हो रहा है, राजनैतिक और आर्थिक जुल्म हो रहे हैं, सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, तो भारत की सरकार को दृढ़ता के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए।

मैं कहूँगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो पाकिस्तान की सरकार सुरक्षा दे अगर न दे तो भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ सभी संबंध विच्छेद करने चाहिए। यह छोटी सी बात नहीं है। एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो इतना बड़ा महाभारत हुआ था। कौरव वंश का नाश हुआ था, 56 कोटि यदुवंशियों को कृष्ण ने दाँव पर लगा दिया था। एक द्रौपदी के चीर हरण का तो भारत का इतिहास बता रहा है। एक सीता का हरण हुआ था तो लंका को जलाकर राख कर दिया गया था। रावण के आधिपत्य को समाप्त कर दिया गया था। जहाँ हमारे घर के अंदर इस तरह के अत्याचार हुए, नारी का उत्पीड़न हुआ, धर्म पर आघात हुआ, संस्कृति पर आघात हुआ, तो अपनी देशी सत्ता के खिलाफ भी विद्रोह किया गया, जो श्रीकृष्ण के नेतृत्व में हुआ था। अगर परदेशी रावण ने भी हमारी इज्जत पर हमला किया था, तो लंका में जाकर हमला करके उससे बदला चुकाया गया था। यह हमारा इतिहास रहा है, लेकिन आज भारत की सरकार इसे देशी-परदेशी, अंतरराष्ट्रीय मामला बनाकर मौन है, तो मैं समझता हूँ कि यह हमारा दासभाव का परिचायक है।

इसी संसद् में स्वामिभाव और दासभाव पर बोलते हुए डॉ. लोहिया ने 26 मार्च, 1966 को जो कहा था, वह भी हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों के लिए समझने की बात है—

> ''समन्वय दो तरह का होता है—एक दास का समन्वय और एक स्वामी का समन्वय। पिछले हजार वर्ष के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा है। यह एक दास का समन्वय रहा है। इस संबंध में मैं सिर्फ परदेसियों को ही दोष नहीं देता हूँ। उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे सभी यह बात भूल जाते हैं। आज भारत में दो इतिहास के स्कूल हैं—एक डॉ. तारा चंद का और दूसरा डॉ. मजूमदार का। ये दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है, इसे भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं, उनकी तारीख पर निगाह चली जाती है, लेकिन हम भारत के स्वामिभाव के समन्वय को भूल जाते हैं।''

सभापति महोदय, यह दासभाव और स्वामिभाव का समन्वय क्या है। आपकी भी संस्कृति है, मेरी भी संस्कृति है। मेरी भी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, मान्यता है, परंपरा है, मर्यादा है। हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई राह है। किसी दूसरी संस्कृति की राह और धारा है। स्वामिभाव है बराबरी में बैठकर हमारी अच्छाई को वह ले, उसकी अच्छाई को हम ग्रहण करें। बराबरी से समन्वय होगा, वह स्वामिभाव का समन्वय है। अगर सिर झुका कर समन्वय होता है कि तुम्हारे लिए चलो शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सद्‌भावना के लिए मैं अपना सिर झुकाकर तुम्हारे साथ समन्वय करता हूँ तो यह दासभाव का समन्वय है। इसी का उदाहरण देते हुए डॉ. लोहिया ने कहा था —

''स्वामिभाव का समन्वय भारत के इतिहास में है। जब सिकंदर पुरु पर विजय प्राप्त करता है, तो पुरु को बुलाकर पूछता है कि बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। भारत का वह पराजित राजा भी कहता है कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है? वैसा ही व्यवहार किया जाए। यह स्वामिभाव का समन्वय है और दासभाव का समन्वय है कि सिर झुकाकर उसके आगे उसकी राह को मान ले, उसके डर से मत बोले। किसी तरह समन्वय के नाम पर शांति के नाम पर, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, अंतरराष्ट्रीय

मामले के नाम पर अगर हमारी जुबान दब जाती है, तो मैं समझता हूँ कि यह राष्ट्रीय अपमान है और यह राष्ट्रीय कायरता है।''

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस पर चेते और सोचे।

मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऐसे मामले आए थे। क्या यह सुधरनेवाला है जो लोग इसे कहते हैं। उस संबंध में बोलते हुए डॉ. लोहिया ने कहा था—

''हिंद-पाक का रिश्ता ऐसा है कि हम लोग साधारण दोस्ती की हालत में रह नहीं सकते। या तो हिंदुस्तान-पाकिस्तान की दुश्मनी होगी या हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक देश बनेंगे। एक की भी कई मंजिलें हैं। महासंघ होता, फिर एका होता।''

मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कितनी दूर तक हम जाते हैं। समाजवादी नेता डॉ. लोहिया थे। वह कोई सांप्रदायिक नहीं थे, कोई हिंदूवादी नहीं थे, कोई कट्टरपंथी नहीं थे, वह विश्वविख्यात समाजवादी और उदारवादी थे। लेकिन उन्होंने इसी सदन में कहा था कि हमें किस दूरी तक जाना चाहिए समस्या का समाधान करने के लिए। आवश्यकता पड़े तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ते ही रहेंगे। जो कोई इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएगी, असंभव है, कभी दोस्ती नहीं होगी।

वे लड़ते रहेंगे, दुश्मन बने रहेंगे और या तो दुश्मन होकर लड़ते रहेंगे या फिर हिंदुस्तान-पाकिस्तान एक बनेगा तब दुश्मनी खत्म हो सकती है। इस दुश्मनी को खत्म करने का एक रास्ता है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान का एक महासंघ बनाया जाए, जिसे डॉ. लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1964 में संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी करके कहा था कि हिंद-पाक महासंघ बने। इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए इस सदन और देश से प्रार्थना करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हिंदू भारत क्यों आए हैं, क्योंकि उनकी बेटियों की इज्जत लूटी गई लेकिन क्यों? क्या वे इनसान नहीं हैं? अगर वे इनसान हैं और उनके साथ ऐसा अन्याय होता है तो हिंदुस्तान की सरकार को जंग करना चाहिए? हिंदुस्तान की सरकार को किस बात के लिए मौन रहना चाहिए? अगर हिंदुस्तान की एक इंच भूमि पर पाकिस्तान की पलटन आक्रमण कर दे तो हिंदुस्तान के सारे लोग अस्तित्व को दाँव पर लगाकर प्राणों को हथेली पर ले लेते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में अगर किसी एक बेटी का हरण हो जाए तो उसी चेतना के साथ, उसी बहादुरी और दृढ़ता के साथ पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए कि या तो अपनी हरकत को रोको, नहीं रोकोगे तो यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हिंदुस्तान में निकलते हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं पर अगर ज्यादती होती है तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ कट्टरपंथी, कुछ बिगड़े दिमागवाले इस बात को हिंदू-मुसलिम बनाकर उसकी प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन वह राष्ट्र के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकती है। इसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में जब होने लगती है तो आपस में संशय पनपता है, इसलिए भारत की सरकार को चाहिए कि उन आए हुए लोगों को सम्मानजनक स्थान दे, उनको नागरिकता दे, उनकी रोजी-रोटी का प्रबंध करे वहाँ जो भी लोग हैं, सीधे ऐलानिया भाषा में कहें कि या तो पाकिस्तान की सरकार उनकी इज्जत, आबरू जान-माल की हिफाजत करे या अगर वहाँ से हिंदू आना चाहें तो हिंदुस्तान के बॉर्डर का फाटक खुला हुआ है, हम उनका सम्मान करते हैं, वे आएँ और भारत में बसें। लाखों की संख्या में शरणार्थी आते हैं और कहाँ से कहाँ तक बस जाते हैं, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। उनके लिए हमारे पास जमीन है, उनके लिए सबकुछ है लेकिन अगर पाकिस्तान से हिंदू आएँगे तो क्या उनके लिए हमारे पास जमीन नहीं होगी? भारत सरकार नहीं दे सकती है तो सरकार हिंदुस्तान के लोगों से आग्रह करे कि ऐसे लोग जो आते हैं उन्हें बसाने के लिए जमीन दो, रोजगार के लिए दौलत दो, कपड़े दो तो हिंदुस्तान के लोग घर-घर से अपने पैसे निकालकर दौलत का ढेर इस दिल्ली में लगा देंगे कि पाकिस्तान से आए

हुए हिंदुओं को भूखा मरना नहीं पड़ेगा, अपमान की जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार को संकल्प करना चाहिए और अगर नहीं करती है तो हिंदुस्तान के नागरिकों से माँग करे। साथ ही पाकिस्तान को रोके कि वह अपनी हरकतों को बंद करे और अगर वह अपनी हरकतों को बंद नहीं करता है तो उसके साथ सभी आर्थिक और राजनैतिक संबंधों को तत्काल विच्छेद कर दे। यह भारत के अपने पुरुषार्थ का परिचायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

14/12/2012

❑

गैर-सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, इस कारण मुझमें कुछ धार्मिक प्रेरणाएँ भी जाग्रत् हो जाती हैं। बसुदेवजी ने जिस प्रश्न को उठाया है, भले ही एक राज्य या कहीं और से उदाहरण के साथ जुडा हुआ है, लेकिन मानवाधिकार एक व्यापक प्रश्न है कि मानव को क्या अधिकार है। यह केवल सरकार का काम नहीं है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, लेकिन सभी को सोचना चाहिए कि जितना अधिकार मुझे प्राप्त है उतना ही इस सृष्टि में सभी प्राणियों को अधिकार है। अगर हम अपने अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं तो पहले मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं किसी के अधिकार का अतिक्रमण न करूँ। हम तो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करें लेकिन मेरे अधिकार का कोई अतिक्रमण न करे। मुझ पर अगर कोई गोली या डंडा चलाए, मेरे घर में घुसकर हत्या करे तो वह मानवाधिकार का हनन नहीं है, लेकिन अगर पुलिस अत्याचारियों पर गोली चलाती है, हत्या करती है तो मानवाधिकार हनन का मामला उठने लगता है कि पुलिस ने अन्याय किया, जुल्म किया। आखिर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था किस के लिए है? देश में कुछ मानवाधिकारवादी हैं, उन्हें मानवाधिकार से कुछ लेना-देना नहीं है। मैं सदन द्वारा देश के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को कितने अधिकार हैं, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार और मानवीय अधिकार।

'सहज कर्म कौंतेय', यह भगवान् कृष्ण ने क्यों कहा था कि हमारी सभी इंद्रियों को सहज भाव से कर्म करने का अधिकार है। मैं कुछ प्रश्न करने के बाद डॉ. लोहिया के दो-तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूँगा। भूख और निर्धनता के कारण तड़प-तड़पकर मरनेवालों का मानवाधिकार का हनन इस देश में होता है या नहीं। अगर उनके मानवाधिकार का हनन होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किस पर है। जाति प्रथा के कारण जन्म से मरण तक कदम-कदम पर अपमान की अग्नि में झुलस-झुलसकर मरनेवालों के लिए मानवाधिकार है या नहीं। आज तक भारतवर्ष में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कोई सरकार है या यह पूरा समाज है और हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। मैं किसी को इसमें वंचित करनेवाला नहीं हूँ और न अलग करनेवाला हूँ। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को बलपूर्वक रोकना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है। दूर्गापूजा में, रामनवमी में, जनमाष्टमी में जुलूस निकाला जाए और इसी देश में उनके जुलूस को यह कहकर रोका जाए कि इस रास्ते से नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक संप्रदाय विशेष पर आघात है और उनके जुलूस को रोक दिया जाए तो क्या वह मानवाधिकार का हनन नहीं है। क्या संविधान में हिंदुस्तान के नागरिकों को सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार नहीं दिया गया है। मैं इस सदन के मार्फत इस देश के नागरिकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हजारों जगह ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र मधुबनी में अभी हाल में भैरवस्थान में इसी तरह की घटनाएँ घटित हुई हैं। वहाँ कितने गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े और दलित समाज के लोग जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्य को पूरा करने जा रहे थे, जलाभिषेक में उन पर लाठी चली, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी औरतों को अपमानित किया गया। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है। इस देश में कुछ लोग हैं, जो तथाकथित प्रगतिशील हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, वे धर्म की बात क्या करेंगे, वे धर्मनिरपेक्ष हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूँ, मैं धर्म पर हूँ और धर्म को मानता हूँ और मरते दम तक मानूँगा, धर्म सापेक्ष है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि ऐसे कुछ प्रगतिशील और क्रांतिकारी लोग हैं जो तथाकथित सेक्युलरवादी बनते हैं, यदि ऐसी घटनाएँ घटती हैं तो वे कहते हैं कि यह सांप्रदायिक सद्भावना पर आघात है। कोई आदमी यदि अपना धार्मिक जुलूस निकाले, सरकार उसे सुरक्षा देकर निकलवाए और यदि मैं धार्मिक जुलूस

निकालूँ तो सरकार मेरा रास्ता रोक दे, क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? इस आजाद भारत में गाँवों में लाखों जगहों पर ये घटनाएँ घटित हो रही हैं। पूजा करना वर्जित है, शंख बजाना वर्जित है, घंटे-घड़ियाल बजाना वर्जित है। सत्यनारायण कथा के बाद अगर शंख फूँकेंगे तो सत्यनारायण भगवान् का जो पूजा का स्थल है, वहाँ से शालिग्रामजी को उठाकर फेंक दिया जाएगा। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है। इस पर कोई ह्यूमैन राइट्स कमीशन और इस देश के तथाकथित सेक्युलरवादियों का ध्यान क्यों नहीं जाता है। हिंसा और अराजकता द्वारा आतंक फैलाकर लोगों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुँचाना क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है।

महोदय, इसी सदन में महान् समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था, ''मैं हिंसा नापसंद करता हूँ। मैं अभी भी इस मत का नहीं बना हूँ कि सरकारी हिंसा का जवाब जनता की हिंसा से दिया जाए। मैं अराजकतावाद पसंद करता हूँ यह अलग बात है। कानून टूटे मैं पसंद कर सकता हूँ। आजकल के रिश्ते बदले, मैं इसे पसंद करता हूँ। किसी तरह से अस्थिरता खत्म होकर परिवर्तन आए, मैं पसंद करता हूँ। लेकिन हिंसा नहीं, मारकाट नहीं, किसी की जान लेना नहीं।''

महोदय, जब आतंकवादी, उग्रवादी बम विस्फोट करते हैं और वहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के जवान जंगल में जाते हैं और उन्हें डायनामाइट लगाकर उड़ा देते हैं। हमारे पचास-पचास सिपाही, हमारे भाई कश्मीर में मारे जाते हैं, अपने रक्त से भारत की सीमा को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, अपनी लाशों की दीवार खड़ी करके दुश्मन के कदमों को रोकते हैं, ऐसे लोग जब मारे जाते हैं तो क्या मानवाधिकार का हनन नहीं है। लेकिन अगर एनकाउंटर होता है, आमने-सामने गोलियाँ चलती हैं और उसमें अगर उग्रवादी, आतंकवादी मारे जाते हैं तो मानवाधिकार का हनन हो जाता है।

बाटला हाउस में मानवाधिकार का हनन होता है। मुंबई में करकरे के लिए मानवाधिकार का हनन होता। देश के अंदर ऐसे बेशर्म लोग हैं, जो बेशर्मी के साथ, बिना किसी तर्क के साथ ही किसी बात को उठा दिया करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। मतदान केंद्रों पर आज भी लाखों लोग जाते हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति-जनजाति के हैं, निर्धन हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं। आज भी वे मतदान केंद्र पर जाते हैं तो ताकतवर लोग लाठी के बल से उनको मतदान केंद्रों से खदेड़ कर भगा देते हैं। उनकी माँ-बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनको खदेड़-खदेड़कर मारते हैं और उनके वोट को फर्जी ले लेते हैं। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मानवाधिकार के बारे में अगर इस सदन में चर्चा हो तो विस्तृत चर्चा हो।

बसुदेव आचार्यजी को मानेसर की घटना बताते हुए मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि उस गाँव के चारों तरफ मेरी रिश्तेदारी है। मजदूर को अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्या मजदूर को यह अधिकार है कि कारखाने में घुस जाए, आग लगा दे एक जीएम की टाँग तोड़ दे और आग में जलाकर मार दे? वहाँ दो अधिकारी आग में जला कर मार दिए गए। क्या उनको मानवाधिकार नहीं था? क्या वे जानवर या चूहे थे? उनको हिंसा करने का अधिकार किसने दिया था? 15 गाँव के किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने लठ लेकर कहा कि इस कारखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सुरक्षा प्रदान करूँगा, तब जाकर वह कारखाना चल रहा है। मजदूर यूनियन बनाएँ, मजदूर अपने अधिकार के लिए लड़े। मजदूर को अधिकार मिले। उनको भी सभी अधिकार दिए जाएँ। लेकिन उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि कारखाने में घुस जाएँ, आग लगा दें, जला दें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करें और लोगों को मार-मारकर उनकी जान ले लें। यह अधिकार उनको कभी प्राप्त नहीं है। मैं अंत में डॉ. लोहिया की एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। इसी सदन में 3, अप्रैल 1964 को डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो इस देश के

सभी हिंदुओं और मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए। यह बात सरकार को, सभी राजनीतिक दलों को और तथाकथित सेक्युलरवादियों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। मैं उनको कहता हूँ, जो अपने आपको सेक्युलरवादी कहते हैं, वोट-बैंक बनाते हैं और केवल ऐसे नाचने लगते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज, जो जाति के दलदल में धँसा हुआ है, अपनी जाति के नेताओं की दुम पकड़कर के वैतरणी पार होना चाहता है। इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है। चाहे उनकी इज्जत लुट जाए। डॉ. लोहिया ने कहा, ''हिंदुस्तान-पाकिस्तान दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान् आदर्श रखें कि किस तरह से जीने का अधिकार सारी दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए। मैं इस बात को बिलकुल ठुकराता हूँ कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे जहाँ का नागरिक हो, लेकिन उनकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है, जितना कर्तव्य हिंदू या मुसलमानों की रक्षा करना है। यह तर्क दे देना कि कौन कहाँ का नागरिक है, यह व्यर्थ हो जाता है। यह मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीने की सुरक्षा हमें सबको देनी है।'' यह जीने का अधिकार हर नागरिक को है। जितना अधिकार आतंकवादी को है, उतना ही पुलिस को भी है। इसलिए मैं यह माँग करता हूँ कि जो मानवाधिकार की बात करनेवाले हैं, आज पाकिस्तान के लाखों हिंदू वहाँ से भगाए जा रहे हैं, वे भारत की सीमा में घुस के आए हुए हैं, उनको न पीने का पानी देंगे, न रहने को घर देंगे, न उनके बच्चे को कपड़ा देंगे, न उनको राशन देंगे। अगर यह बात उठाते हैं तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं? पाकिस्तान के उन लाखों-करोड़ों हिंदुओं के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उनकी बहू-बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? कहाँ गए टी.वी. वाले, अखबारवाले और तथाकथित सेक्युलरवादी लोग, उनकी आँखें उधर क्यों नहीं जाती हैं। अगर इस बात को उठाया जाए तो हुक्मदेव नारायण यादव सांप्रदायिक है। बँगलादेशी के लिए तुम्हारे पास सबकुछ है। लेकिन पाकिस्तानी हिंदू के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर बसाना चाहते हो, बड़े उदारवादी बनते हो तो उनको भी हिंदुस्तान में आने दो, हिंदुस्तान में बसने दो। उनको भी रोटी, कपड़ा और मकान दो। उनके बहू-बेटियों की इज्जत करो। अगर समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया इसी संसद् में इस बात को जिस हिम्मत के साथ कह सकते हैं तो आज हुक्मदेव नारायण यादव भी उसी हिम्मत के साथ उनकी बात को दोहराता है और लोगों से कहता है कि सोचो और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ।

अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों निर्धन, निर्मल, पिछड़े, दलित, शोषित, उपेक्षित, उपहासित मानव से कहना चाहता हूँ कि तुम इन तथाकथित मानवाधिकारवादियों के झंझट में मत उलझना, ये बड़े-बड़े लोग हैं, एन.जी.ओ. चलाते हैं, पैसा खाते हैं, विदेश से लाते हैं, मौज-मस्ती में उड़ाते हैं, चैनल दिखाते हैं, अखबार में छापते हैं, बाप-बेटा दलाल, बैल के दाम बारह आना, सब मिलकर लिखते हैं, पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की सही तसवीर को सामने नहीं आने देते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर व्यापक दृष्टिकोण बनाए और मानवाधिकार के बारे में हिंदुस्तान की संसद् में एक व्यापक बहस होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

17/08/2012

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : संपूर्ण समता नहीं आ सकती, परंतु संभव समता लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जन्म के आधार पर जातिगत विषमता का कारण जातिप्रथा है। भारत में सामाजिक विषमता, सामाजिक शोषण और प्रशासनिक तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार के मूल में जातिप्रथा है। इसको समूल नाश किए बिना समतामूलक समाज का निर्माण संभव नहीं है। दिशा और दृष्टि बन जाए तो संकल्प के साथ संसद् इसको समाप्त कर सकता है। सभी प्रकार की विषमता के समूल नाश के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाएँ।

शिक्षा में समानता लाने के लिए एक जैसी शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था हो। राष्ट्रपति का पूत और निर्धन की संतान सबकी शिक्षा एक समान। सभी के लिए समान शिक्षा हो, तब शिक्षा का स्तर सुधरेगा। बचपन से एक साथ पढ़ेंगे और खेलेंगे, तब सामाजिक समता आएगी।

आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए 'एक व्यक्ति एक पेशा' के सिद्धांत को मानकर खेती, नौकरी और व्यापार के लिए संसद् में कानून बनाना चाहिए। देश के कुछ परिवार के पास चारों आर्थिक साधन का केंद्रीकरण हो गया है। चारों में एक भी साधन, जिनके पास नहीं हो उन्हें पहले अवसर दिया जाए। तभी देश में आर्थिक समता आ सकती है।

सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा पाने के लिए अंतरजातीय विवाह को कानून बनाकर अनिवार्य किया जाए। जो अंतरजातीय विवाह रचाएगा, वही सरकारी नौकरी और सेवा पाएगा। इससे जाति प्रथा मिटेगी और एक नया समाज बनेगा।

कुछ परिवार में दौलत का केंद्रीयकरण हो रहा है। अमीरी और गरीबी में विषमता बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय हो। एक और दस से ज्यादा का अंतर नहीं रहे। 'सौ से कम न हजार से ज्यादा, समता समाज का यही तकाजा।'

यह तभी हो सफल होगा, जब संसद् संकल्प लेगा। सभी दल के लोग सभी बंधन को तोड़ेंगे। अपनी सुविधाओं का विसर्जन करेंगे। राष्ट्र का कायाकल्प होगा और भारत विश्व में महान् बनेगा। जातीय संघर्ष तथा आरक्षण के विवाद का भी अंत हो जाएगा।

19/08/2010

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नाणयण यादव प्रस्ताव करेंगे—

''यह सभा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इसके उन्मूलन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए—

देश से भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु कदम

(1) सरकारी पद के दुरुपयोग संबंधी सभी मामलों का निपटान नियत समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए;

(2) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सरकारी या निजी क्षेत्र में किसी भी पद पर नियुक्ति पर प्रतिबंध;

(3) सभी राजनीतिक दलों के पदधारियों द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा किया जाना अनिवार्य बनाना; और

(4) भारत के नागरिकों द्वारा विदेशी बैंकों में गैर-कानूनी रूप से जमा किए गए धन को वापस लाए जाने तथा ऐसे नागरिकों के लिए कठोर दंड का भी उपबंध किया जाना।''

29/11/2010

❑

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, देश में 1000 से अधिक आबादीवाले गाँवों को 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयीजी के समय में प्रारंभ हुआ था। उस समय लगभग दो-ढाई लाख गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने का निश्चय किया गया था। दस-ग्यारह साल गुजर गए, लेकिन अब तक हम एक-तिहाई तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। अगर इसी रफ्तार से ये काम चलेगा तो लगता है कि 50 वर्ष में हम सभी 1000 से अधिक आबादीवाले गाँवों को जोड़ पाएँगे, तब तक हमारी कई पीढ़ियाँ समाप्त हो जाएँगी, इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस पर काफी जोर दिया जाए।

प्रथम चरण में बनाई गई सड़कें सन् 2003 से अधूरी हैं। वे क्षतिग्रस्त हो गईं, टूट गईं, बिहार में बाढ़ से बरबाद हो गईं, लेकिन उनकी मरम्मती का कोई प्रावधान न रहने के कारण न पुल बनाए गए, न पुलिया बन सकती है और न ही दूसरा कोई विभाग कर सकता है। वे ज्यों-की-त्यों पड़ी हुई हैं। दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपए लगने के बाद भी वे सड़कें अधूरी हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उनकी मरम्मती करके उन सड़कों को चालू करना चाहिए। हमारे यहाँ मधुबनी में भैरवा से सकराढ़ी तक, कोकला चौक से बैंगरा कोठी तक, सलेमपुर मधवापुर, रजौनपाली से तरैया जाल दरभंगा तक है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। देश के अंदर ऐसी सैकड़ों सड़कें इस स्थिति में होंगी, जो बंद पड़ी होंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहूँगा कि बिहार में पाँच एजेंसियों को इस काम में लगाया गया।

सभापति महोदय, उन्हें कहा गया कि आप इस काम को करिए। उन्होंने अपना एक कंसल्टेंट बहाल किया। जो कंसल्टेंट नियुक्त हुए, उन्हें न भूगोल का ज्ञान, न इतिहास का ज्ञान और न समाज का ज्ञान। उन्हें कुछ पता नहीं। उन्होंने जैसे-तैसे डी. पी.आर. बना दिया। इसके कारण गाँवों के लोगों में काफी असंतोष है। गलत ढंग से सड़कें बन रही हैं, न गाँववालों को लाभ मिलता है और न गाँववालों तक वे सड़क जाती हैं। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय एजेंसी थी यानी जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने ऐसा काम किया है। माननीय जोशीजी, पहले उस विभाग में थे। अब वे छोटी सड़कों से नेशनल हाइवे की सड़कों के मंत्री बन गए हैं। जहाँ वे गए हैं, वहाँ भी कुछ करने के लिए हम पत्र लिखते रहते हैं।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर संसद् सदस्यों के साथ बैठकर पुनर्विचार किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, मरम्मत का प्रावधान किया जाए और जो सड़कें अधूरी हैं, उन्हें पूरा किया जाए। बिहार की सड़कों के लिए बिहार सरकार 1 हजार करोड़ रुपए की माँग कर रही है और केंद्र नहीं दे रहा है, उस पैसे का तत्काल प्रावधान करें, ताकि बिहार की वे सड़कें पूरी हो जाएँ। हम लोगों ने वहाँ कांग्रेस सरकार को हराया है, तो दिल्ली की केंद्र सरकार बिहार की जनता से उस हार का बदला न ले और उसे कष्ट न दे।

07/03/2011

❑

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं शून्यकाल में इस महत्त्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ। इस संबंध में मैं लोकसभा की वाद-विवाद पुस्तक में से कुछ अंश पढ़ना चाहूँगा, जब उस वक्त इस विषय पर चर्चा हुई थी, तब ये बातें कही गई थीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा और वह कुछेक लाइन पढ़कर तथा संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

''हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान् आदर्श रखें। किस तरह से जीने का अधिकार शायद दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। जीने का अधिकार यह है महत्त्वपूर्ण कि हिंदुस्तान का मुसलमान जीए और पाकिस्तान का हिंदू जीए। मैं इस बात को बिलकुल ठुकराता हूँ कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे जहाँ का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है, जितना हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान की। तो यह तर्क दे देना कि कौन कहाँ का नागरिक है, यह व्यर्थ है। इस मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीवन की सुरक्षा हमें सबको देनी है।''

ये बातें डॉ. राम मनोहर लोहिया ने इसी सदन में 3 अप्रैल, 1964 को चर्चा के दौरान कही थी। मैंने इसलिए इसे उठाया है कि लोग यह न समझे कि यह विश्व हिंदू परिषद् या संघ परिवार की दृष्टि है या भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि है। डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्व के विख्यात समाजवादी नेता थे। उन्होंने इस प्रश्न को उस समय उठाए था। आज यह प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के कुछ हिंदू नागरिक हिंदुस्तान आए हुए हैं। उनके वीजा की अवधि खत्म हो गई है, वे लोग यहाँ मजनूँ के टीला पर दिल्ली में बसे हुए हैं।

जो पाकिस्तान के हिंदू आएँ हैं, यहाँ रुके हैं, उनका वीजा खत्म है और वे वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको जान-माल, अपनी सस्कृति और धर्म का खतरा है। जिस तरह से हिंदुस्तान में हम मुसलमान को पूरी तरह से अपना भाई मानते हैं और उनके हर अधिकार के सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तो उसी तरह पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं को सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कृत्य करने में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है, तो भारत सरकार को उसी तरह उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को हम सुरक्षा देते हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए या भारत के बाहर दुनिया में कहीं भी हिंदू बसे हुए हों, उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकार में अगर खलल पड़ती हो, तो भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें उनका अधिकार दिलाना चाहिए। यह मेरा सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

22/12/2011

❑

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पिछले तीन साल से लगातार मैं इस विषय को उठाते आ रहा हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई गंभीर काररवाई नहीं की जाती है। आप भी जानती हैं कि पटना में जो महात्मा गांधी सेतु है, वह निर्माण काल से ही इतना खराब बनाया गया है कि उसकी हालत जर्जर है। पिछले 7-8 साल से 2 सौ करोड़ रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए जा चुके हैं। फिर भी अभी उसकी एक ही लेन कारगर हैं, दूसरी लेन कारगर नहीं है। कहीं-कहीं उसका स्पेन एक फीट से डेढ़ फीट तक धँस गया है। उस पुल को बनानेवाला कौन था? उसने पुल बनाने में जो गलती की है, उसकी जाँच सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? अब उस पुल का जिम्मा एनएचएआई के पास चला गया है। एनएचएआई और एनएच वाले कहते हैं कि वह पुल बिहार सरकार के इंजीनियर ने बनाया था। इसलिए उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उस पुल की स्ट्रेंथ कितनी है? जिस समय वह पुल बना था, उस समय 12 और 14 टन का ट्रक उस पर चलता था। आज उस पुल पर 100 टन का लोड लेकर ट्रक चल रहा है। उस समय कोई एनएच नहीं था। गंगा पुल के पार होते ही एनएच-103 है, जो मुसरीघरारी, समस्तीपुर तक है। हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक चार लेन हैं। हाजीपुर से लेकर छपरा, सीवान और गोपालगंज तक चार लेन हैं। उस पुल पर बहुत लोड पड़ रहा है। किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि एक-आध सौ ट्रक और गाड़ी को लेते हुए वह पुल गंगा के पेट में समा जाएगा। वहाँ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सरकार से मेरी सीधी माँग है। नंबर एक—उस पुल को बनानेवाली कंपनी की जाँच शुरू से की जाए। अगर उसमें आर्किटेक्चरल फाल्ट है तो उसकी जाँच करके उस कंपनी को सजा दी जाए। दूसरा, उसके लॉक करने का जो सिस्टम लगा था, वह फेल हो गया है। जिस कंपनी ने वह लॉक सिस्टम दिया था, वह टेक्नोलॉजी दी थी, उस कंपनी पर काररवाई की जानी चाहिए। तीसरा, वह पुल वर्तमान में पूरा लोड लेकर नहीं चल सकता है, इसलिए एनएचएआई को उसकी बगल में एक अन्य पुल बनाना चाहिए, जो कि पूरा लोड लेकर जा सके। इन तीन बातों पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। जिस कंपनी ने गड़बड़ी की है और देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और पैसे का घोटाला किया है, उस पर काररवाई की जाए, मुकदमा चलाया जाए और उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। मेरी यही माँग है। धन्यवाद।

30/04/2012

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव प्रस्ताव करेंगे—

''कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक असमानताओं को मिटाने के लिए एक समयबद्ध व्यापक योजना तैयार करने तथा एक वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के आदेश के साथ एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करे :— *देश मे व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक असमानताओं को मिटाने हेतु एक योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन।*

(1) व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आय के लिए उचित सीमा का नियतन;

(2) सभी विद्यार्थियों के लिए बारहवीं कक्षा तक समान शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान;

(3) 'एक व्यक्ति—एक रोजगार' सिद्धांत का कार्यान्वयन;

(4) जाति-प्रथा को समाप्त करने की दृष्टि से अंतरजातीय विवाह का चयन करनेवाले व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता;

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए वर्तमान सीमाओं से अधिक आरक्षण का प्रावधान;

(6) देश में औद्योगिक और कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत के आधार पर उनके मूल्यों के नियतन के लिए एक आयोग का गठन; और

(7) किसानों और मजदूरों सहित सभी नागरिकों के लिए समान वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सभी कल्याणकारी उपायों के लिए प्रावधान करने हेतु एक योजना तैयार करना।''

❑

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार के पश्चिमी कोसी कैनाल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरूजी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण काम शुरू हुआ था और कोसी बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू हुआ। आज तक पश्चिमी कोसी नहर का काम अधूरा है। किसानों की उपजाऊ जमीनें चली गईं। नहरें बना दी गईं, मिट्टी काटकर बाँध बना दिए गए, लेकिन उसमें पानी का इंतजाम नहीं हुआ। उलटे इस कोसी नहर के बनने के कारण पानी का जमाव हो गया, जिससे बाढ़ की समस्या और विकराल होती चली जा रही है। इस कोसी नहर के कारण हमारी समस्या का समाधान तो कम हुआ, लेकिन हमारे बच्चे बाढ़ में डूबकर ज्यादा मरने लगे हैं। अगर जल्दी-से-जल्दी उसको पूरा कर दिया जाता तो हमारे खेतों में सिंचाई होने लगती, खेतों में पैदावार बढ़ती और किसानों की जो जमीन चली गई, उन किसानों की जो उपज मारी गई है, उन किसानों को भी कुछ लाभ मिल जाता।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिए अधिक-से-अधिक राशि दे, युद्ध स्तर पर उसका निर्माण करे और जितनी शीघ्रता से करे उतना अच्छा है। अगर इसमें समय लगेगा तो कोसी पश्चिमी कैनाल बनते-बनते बैराज की लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर नया बैराज बनाना पड़ेगा और वह योजना निरर्थक पड़ी रहेगी। इसलिए उस योजना को इंजीनियर ठेकेदार और राजनेताओं की तिकड़म से बाहर निकालकर किसानों के हित में जल्दी-से-जल्दी पूरा करा दिया जाए।

07/05/2012

❑

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान और इस देश के लोगों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मिथिलांचल का नाम सीता और राम के साथ जुड़ा हुआ है और रामायण काल से बहुत ही प्राचीन स्थल वहाँ हैं। रामायण काल से जुड़े हुए महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम है, माता अहिल्या का आश्रम है, जहाँ राम-सीता का मिलन हुआ था, वह फुलहर स्थान है, विश्वामित्र राम-लखन के साथ जहाँ रुके थे, वह विश्वामित्र आश्रम है और राजा जनक के इष्टदेव कलानेश्वर महादेव का मंदिर भी वहाँ एक साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुर की 20 कोस की परिक्रमा 15 दिन तक चलती है, जो हिंदुस्तान और नेपाल में चारों तरफ घूमती है।

मैं भारत सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि संस्कृति मंत्रालय और सरकार के द्वारा एक विशेष रूप से सर्वेक्षण टीम वहाँ भेजा जाए, जो पूरे रामायण काल से जुड़े हुए उन सभी स्थलों की कड़ी बनाए और परिक्रमा के जो स्थल हैं, वहाँ परिक्रमा के लिए सड़क बनाए, पीने के पानी का इंतजाम हो, शौचालय का इंतजाम हो। मिथिलांचल में राजा जनक के नवरत्न महर्षि याज्ञवक्य का भी आश्रम है, जहाँ मैत्रेयी और गार्गी के साथ वे शास्त्रार्थ करते थे और अध्यात्म चिंतन करते थे, वह बरदायिनी आश्रम भी है। विद्यापति का भी आश्रम है और विद्यापति के यहाँ नौकरी करनेवाले उगना महादेव का भी स्थान है। ऐसे जुड़े हुए कई स्थान वहाँ हैं। वहाँ एकादश रुद्र का स्थान है, जो कहीं नहीं मिलेगा। मधुबनी में चारों तरफ मिथिलांचल के जुड़े हुए स्थल हैं। उच्चैठ और डोकहर स्थान भी हैं।

मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि रामायण काल से लेकर और अभी तक जिसको सीता-राम सर्किट कहा जाता है। रामायण के उन स्थलों के परिक्रमा चक्र का निर्माण होना चाहिए और उस पर विशेष तौर से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा विशेष पैकेज का इंतजाम हो। वहाँ कुछ पैसे दिए गए हैं और कुछ-कुछ खर्च हुए हैं, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। पूरा काम होगा, तब सीता-राम और रामायण काल से जुड़े स्थलों के साथ उसका पूरा विकास होगा।

16/05/2012

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेय नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय सभापति महोदय, मैं ओम प्रकाश यादवजी और अधीर रंजनजी को धन्यवाद देता हूँ। ओम प्रकाशजी ने मोतिहारी में केंदीय विश्वविद्यालय के संबंध में प्ररत्ताव रखा है और विस्तार से चर्चा की है। सबको इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मोतिहारी जिसे 'चंपारन' कहते हैं, पूर्वी-पश्चिमी चंपारन है, लेकिन पहले चंपारन था। हमारे यहाँ जिले की गिनती में कहते थे कि दरभंगा, मुजक्करपुर, सारण और चंपारन। ये चार जिले गंगा के उस पार होते थे।

जिसमें सारण में से तीन जिले हो गए, छपरा, सीवान, गोपालगंज। लेकिन जो चंपारण था, उस चंपारण ने अपने नाम को बरकरार रखा और उसके महत्त्व को देखते हुए जिले के विभाजन के समय ही उसका नाम मोतिहारी और बेतिया न रखकर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण कर दिया गया, क्योंकि उस मिट्टी का संबंध महात्मा गांधीजी के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को ही केवल वहाँ से दिशा नहीं दी, बल्कि महात्मा गांधी को उस मिट्टी से बहुत प्रेरणा मिली थी और उस मिट्टी के साथ महात्मा गांधी का आध्यात्मिक संबंध जुड़ गया था और आज भी उस मिट्टी का महात्मा गांधी के साथ आध्यात्मिक संबंध जुड़ा हुआ है। जो ओम प्रकाशजी ने कहा कि रामचंद्र शुक्लजी जो एक साधारण किसान थे, आज कोई साधारण किसान रामचंद्र शुक्लजी के जैसा आ जाए और एम.पी. को कोई आग्रह करे तो वह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन उस साधारण किसान ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि आप एक बार वहाँ चलिए और उनकी बात को मानकर महात्मा गांधीजी पहुँच गए और उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान् और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसादजी के यहाँ गांधीजी पहुँचे और वहाँ से राजेंद्र बाबू साथ चले और भारत के समाजवादी आंदोलन के प्रबल स्तंभ आचार्य कृपलानी भी थे, वह उस समय मुजफ्फरपुर में कॉलेज में प्राध्यापक का काम करते थे, वहाँ से कृपलानीजी साथ हुए और जय प्रकाश नारायणजी के ससुर व्रज किशोर बाबू दरभंगा के थे, वह आजादी आंदोलन के स्तंभ थे। उन सबने मिलकर वहाँ निल्हों के खिलाफ आंदोलन किया। मैं समझता हूँ कि चंपारण की भूमि को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो चंपारण की उस भूमि को गांधीजी के साथ नमस्कार करना चाहिए, जहाँ से एक प्रेरणा मिली थी। अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह का असली स्वरूप, व्यावहारिक स्वरूप अगर कहीं से प्रकट हुआ था तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण की भूमि से प्रकट हुआ था। यह नेपाल की सीमा पर है, दो संस्कृतियों का संगम है। राजा जनक नेपाल के राजा थे—विदेहराज। महाराजजी अब आप कथा वाचते हैं तो वह राजा जनक की कथा ही प्रारंभ होती है और रामकथा तो उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि जनकपुर से राम की यात्रा प्रारंभ होती है और सेतुबान रामेश्वरम् तक जाती है। अगर भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सभी कड़ियों को जोड़े तो राम उत्तर से जनकपुर से चलते हैं और दक्षिण में सेतुबान रामेश्वरम् तक जाते हैं। इसलिए राम उत्तर और दक्षिण के देव हैं और उस चंपारण की भूमि का जो एरिया है, वही श्रीराम और सीता के क्षेत्रवाला एरिया है, जुड़ा हुआ है, उसका आध्यात्मिक संबंध है, सांस्कृतिक महत्त्व है, धार्मिक महत्त्व है, राष्ट्रीय महत्त्व है, बौद्धिक महत्त्व है। राजा जनक के दरबार में जो नवरत्न थे, उनमें एक याज्ञवल्क्य ऋषि, जिनका नाम कौन नहीं जानता। गार्गी और मैत्रेयी जैसी प्रतिभाशालिनी नारी शायद भारत की मिट्टी से प्रकट हो जाए तो भारत का इतिहास बदल जाएगा। वह भूमि वहीं है, महर्षि याज्ञवल्क्य की भूमि, जिस भूमि का मैं प्रतिनिधि हूँ, वही वरदायिनी है, जहाँ याज्ञवल्क्य को भगवती ने वर दिया था और उनकी आवाज और विद्या पुन: लौट आई थी। राजा जनक और रामायणकाल से जुड़े हुए न्यायशास्त्र के रचयिता, द्रष्टा, मंत्रसृष्टा महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम वहीं है, जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ। उसी की बगल में माता अहिल्या का आश्रम है, जो पत्थर से जड़ से चेतन में प्रकट होनेवाली

अगर कहीं विश्व में और भारतीय संस्कृति में कोई कहानी है तो वहीं अहिल्या का आश्रम है, जिनका जड़ से चेतन में परिवर्तन हुआ था, रूपांतरण हुआ था। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह माना। उस समय माता अहिल्या ने कहा कि ऋषि ने जो श्राप दिया था, उन्होंने कितना अनुग्रह किया था कि आज दशरथ नंदन श्रीराम के चरण-स्पर्श का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि फुलवारी में जहाँ राम-सीता का मिलन हुआ था और दोनों गिरा अनयन-नयन बिनु पानी। तुलसी दासजी की रचना भी अद्भुत है। गिरा अनयन-नयन बिनु पानी। राम और सीता जब ओझल होकर उस फुलवारी में एक-दूसरे पर दृष्टि देते हैं और दोनों की आँख से आँख मिलती हैं तो दोनों एकटक देखते रह गए, दोनों की पलक नहीं गिरी, वह भूमि भी वहीं पर है। महर्षि विश्वामित्र दशरथ नंदन श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर गए थे और राजा जनक के यज्ञ में रुके थे।

दोनों दशरथ नंदन, राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पैर दबाते थे और वहीं शिक्षा लेते हुए, धनुष यज्ञ तक गए। वह भी उसी भूमि से जुड़ी हुई जगह है। मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ कि हम चंपारण को केवल एक मिट्टी न समझें। बल्कि चंपारण एक धरती है। जहाँ से हमारी संस्कृति, सभ्यता, प्राचीनता का उद्गम स्रोत रहा है। कहीं-न-कहीं हमारे शाश्वत, सनातन प्रवाह का उद्गम स्थल रहा है।

वहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जहाँ न्याय शास्त्र का जन्म हुआ, जहाँ विश्वामित्रजी पधारे, जहाँ गौतम ऋषि गए, जहाँ इतने विद्वानों की जगह थी वहाँ अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएँगे, तो आप उनको बहुत सम्मानित करेंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय इतिहास को आप सम्मानित करेंगे। महाबल मिश्रजी उसी मिट्टी के हैं और वे मेरे वोटर हैं। दिल्ली में एमपी हैं पर वे मेरे वोटर हैं। वे उसी मिट्टी के हैं इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय वहीं बनाना है, जैसा अधीर रंजनजी कह रहे थे। हमारे बीच में गंगा है। गंगा के दक्षिण की भूमि मगध भूमि है और गंगा के उत्तर की भूमि को हम मिथिलांचल की भूमि, राजा जनक की भूमि, मंडन भारती की भूमि कहते हैं। आज अगर हम उस भूमि पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं, तो जहाँ स्वयं शंकराचार्यजी को अपने अद्वैत दर्शन के लिए मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करना पड़ा और जब तक मंडन मिश्र उनके दर्शन को स्वीकार नहीं कर लिये तब तक भारत में उनके अद्वैत दर्शन को स्वीकृति नहीं मिली थी। वह मंडन भारती की भूमि है। मैं शिक्षा की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई यह समझता है कि वह भूमि कैसी है। हाँ, यह जरूर है कि कोसी, कमला, गंडक, तिलजुगा, वलान और अधवारा समूह की इन नदियों में बाढ़ आने के कारण हम निर्धन जरूर हो गए।

सभापति महोदय, हमारे घर में निर्धनता जरूर आ गई है, हमारे घर में रोशनी नहीं जली, हमारे बच्चे भूखे जरूर रहे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में हमने हमेशा उस मिथिलांचल की मिट्टी से सारे भारत को नहीं, सारे विश्व को नया दर्शन देने का काम किया है। अगर उस जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कहते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयीजी की देन है कि बिहार में उन्होंने अपने समय में, उस समय सड़क विभाग के मंत्री राजनाथजी थे, और मैं राज्यमंत्री था। उस समय बिहार का एक जो नक्शा खींचा गया, उसके कारण सभी जगह चार लेन, दो लेन, छह लेन की सड़कें बन रही हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयीजी की कृपा से द्वारका से लेकर कामरूप तक छह लेन का एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है। कौन कहता है कि बिहार में रास्ता नहीं है। अगर कहते हैं कि वह विकसित नहीं है तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रजी ने सपना देखा था, चलिए उस कोसी में, आज से पचास साल पहले मिथिलांचल और कोसी को जिन लोगों

ने देखा होगा और आज अगर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयीजी की कृपा से बने हुए द्वारका से लेकर कामरूप तक छह लेन की सड़क पर चलते हैं तो लगता कि मिथिलांचल की धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो रहा है, स्वर्गारोहण हो रहा है। इतनी सड़कें बन रही हैं। चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन रही हैं। क्या हमारे शिक्षक, प्राध्यापक, प्रोफेसर सड़क मार्ग से नहीं जा सकते हैं? केवल हवाई मार्ग से जाएँगे। अगर हवाई मार्ग ही बनाना है तो मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट है, उसे थोड़ा विकसित कर दीजिए और वहाँ हवाई जहाज उतार सकते हैं। लेकिन करने का मन हो तब। मन में करना हो तब होगा। अगर आप गया में बनाना चाहते हैं तो गया भी बौद्ध की भूमि है। वहाँ आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, दुनिया में बौद्ध मत माननेवाले जितने हैं, उनसे काफी सहयोग मिल सकता है। वे भी आपको सहयोग देंगे। आपने नालंदा में केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाया है और वह बन रहा है। उसी के साथ ही गया भी जुड़ा हुआ है। वहाँ बनाइए।

मोतिहारी जो गांधीजी के नाम से जुड़ा हुआ है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए। जिससे संपूर्ण भारत के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। गांधी दर्शन एक विषय रहना चाहिए। गांधी दर्शन की उसमें पढ़ाई हो और लोग उस आधार पर आगे बढ़ें।

उसी मिट्टी ने कर्पूरी ठाकुर, सूरज नारायण सिंह, धर्मिक लाल मंडल, हुक्मदेव नारायण यादव जैसे लोगों को पैदा किया।

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त करें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, वहाँ सभी दल के लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी विद्वान् बुद्धिजीवी एक मत हैं, बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है तो वादी बारह और पंच अठारह, खेत किसी का और उसकी रजिस्ट्री करे कोई। जब बिहार के लोग एक मत हैं, विधानमंडल एक मत है, सभी राजनीतिक दल एक मत हैं, वहाँ की जनता एक मत है और जब सर्वसम्मत है कि मोतीहारी में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तब अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई अड़ंगा लगता है तो नीयत पर जरूर शंका होती है कि आपकी नीयत में जरूर खोट है। आप देना कम चाहते हैं, लड़ाना ज्यादा चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बिहार में जागृति-चेतना है, हम परस्पर लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, केवल एक ही मंत्र आज बिहार में है, 'ओम सहनाभवतु, सहनऊ भुनक्तु, सहवीर्यम् करवावहि, तेजस्विनाम वधितमस्तु, माँ विद्विष सावहे।' हम बिहार के लोग हैं, स्वाभिमान के साथ उठे हैं, संग-संग बढ़ेंगे, संग-संग चलेंगे, संग-संग मंजिल तक जाएँगे और संपूर्ण विश्व में हम अपने बिहार की बुद्धि, विवेक, ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म और धर्म की विजय पताका फहराकर दिखा देंगे। केंद्र सरकार उसमें अवरोध पैदा न करे, बल्कि हमारा सहयोगी बने।

धन्यवाद।

18/05/2012

❑

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 1977 में जब मैं लोकसभा का सदस्य बना था, तब से इस बात को उठाता रहा हूँ, योजना में शामिल भी हो गए, कुछ पैसे भी दिए गए, जमीन के रेखांकन का काम शुरू हुआ, लेकिन वह अनंतकाल तक या कब तक चलेगा, कहा नहीं जा सकता है।

मुजफ्फरपुर से दरभंगा रेल लाइन का सबकुछ बना पड़ा हुआ है, कुछ पैसे भी दिए गए, वह शीघ्र-से-शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे जो हमें बहुत लंबा घूमना पड़ता है, वह नहीं करना पड़े और दूरी कम हो जाएगी।

सीतामढ़ी से जयनगर और जयनगर से निर्मली नेपाल के किनारे-किनारे रेल लाइन नहीं है। यह रेल लाइन अगर बन जाती है तो दिल्ली से गुवाहाटी की सीमा के किनारे शॉर्टकट रूट बनेगा और सबसे कम समय में लोग वहाँ जाएँगे। रक्षा के दृष्टिकोण और सीमा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बढ़िया होगा। इसीलिए उस पर तुरंत काररवाई करके ज्यादा पैसा दिया जाए, उसका सर्वेक्षण कराकर निर्माण में हाथ लगा दिया जाए। इस रेल लाइन को तुरंत पूरा कर दिया जाए, जिससे दिल्ली-गोरखपुर वाया सीतामढ़ी से वहाँ की लाइन सीधा जुड़ जाए। धन्यवाद।

18/05/2012

❑

बजट पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापतिजी, हमारी पार्टी की तरफ से विद्वान् साथी माननीय यशवंत सिन्हाजी ने बड़े ही तार्किक ढंग से माननीय वित्तमंत्रीजी के ध्यान को आकर्षित किया है। मैं प्रार्थना करूँगा कि माननीय यशवंत सिन्हाजी ने जिन बिंदुओं को उठाया है, उन बिंदुओं पर माननीय वित्तमंत्रीजी गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे और आवश्यकता पड़े तो उनके साथ बैठकर विचार करके उस पर रास्ता निकालेंगे तो देश के लिए अधिक अच्छा रहेगा।

सभापतिजी, मेरा माननीय वित्तमंत्रीजी से 32 वर्षों का संबंध है। जब सन् 1980 में मैं राज्यसभा में आया था, तब से इनका सहयोग और स्नेह हमें मिलता आया है, उसके लिए हम लोग इनके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। हमारे साथी माननीय यशवंत सिन्हाजी ने जो कहा था कि अगली बार नए वर्ष में केंद्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने और देश को दिशा-निर्देश देने का जब इन्हें अवसर मिलेगा तो हम लोग धन्य हो जाएँगे। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों की इस इच्छा की पूर्ति हो।

सभापतिजी, मैं गाँव का किसान हूँ और हर चीज में मैं किसान के हित को ही देखता हूँ। रामचरित मानस में है कि लंका विजय के बाद विभीषण को श्रीरामजी ने कहा कि वानर-भालुओं की सेना में तुम कुछ दो। विभीषण ने वानर-भालुओं की सेना में मणि-रत्न की मालाओं की वर्षा की। जब वानर-भालू मणि की माला पहन लिये तो वे एक-एक दाने को तोड़-तोड़कर देखते थे। सब हँसने लगे कि ये बंदर-भालू इस मणि माला का क्या मूल्य जानेंगे। जब बंदर-भालुओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर माला के दाने में हम सीता-राम को खोज रहे हैं और जहाँ सीता-राम नहीं हैं, वहाँ ये मणि और माणिक भी बेकार हैं। उसी प्रकार से जिस, वित्तीय व्यवस्था में गाँव-गरीब-किसान के लिए सम्मान नहीं है वह निरर्थक है, बेकार है, उसकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं उसी बिंदु से अपनी दृष्टि इस ओर डालता हूँ।

जब मैंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि ''प्रभुसत्तासंपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।'' ये समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद के लिए पंडित नेहरूजी ने कहा था—सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। आज भी लोग बोलते हैं समाजवाद, समाजवाद लेकिन समाजवाद के अर्थ और उसकी व्यापक परिभाषा को जाने बगैर लोग समाजवाद के निर्गुण शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। इस संबंध में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने इसी सदन में समाजवाद की परिभाषा करते हुए कहा था, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा और हमारे साथी भी उसे समझेंगे जो समाजवादी अपने को कहते हैं समाजवाद का अर्थ पूरा क्या है वे भी समझेंगे।

''समाजवाद अन्य किसी सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, जिसे हम कहते हैं समता। उस बराबरी से एक सीढी नीचे उतरो। लेकिन कौन-कौन सी बराबरी—आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो तब अधिकतम, न्यूनतम सीमा लगाओ।'' यह है समाजवाद की व्यापक परिभाषा। इसके आधार पर अगर हमारे हाथ में राज आए, सत्ता आए, अर्थतंत्र आए, वित्तीय व्यवस्था आए, उसके अनुसार अगर हम ढाँचे को खड़ा नहीं करते हैं, तब केवल समाजवाद के निर्गुण शब्द के प्रयोग करने से कुछ निकलनेवाला नहीं है।

समाजवाद में जब हम बराबरी की बात करते हैं तो चार तरह से हम हिंदुस्तान को देख सकते हैं। एक है बनवासी,

एक है गिरिवासी, एक है तटवासी और एक है मध्यवासी।

जो मध्य भारत है, जिसे डॉ. लोहिया हृदय प्रदेश कहते थे। गंगा, यमुना की यही उर्वरा भूमि है, जहाँ सबसे ज्यादा अन्न, फल, सब्जी, दूध पैदा होता है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बलवान भी हैं, खुशहाल भी हैं और पलटन में अपने बेटों को सरहदों पर सीमा की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा भेजते भी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो बनवासी और गिरिवासी हैं, उनके पास खेती नहीं है, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, खान-खदान जरूर हैं, लेकिन वहाँ अवैध कब्जा करके खनन किया जाता है। मेरी नक्सललाइट बंधुओं से प्रार्थना है कि वे अधिकारियों को पकड़ते हैं, पुलिस के जवानों को मारते हैं, लेकिन अवैध खनन करनेवाले किसी एक भी व्यक्ति को नक्सलाइट ने बंधक नहीं बनाया है। इसका मतलब जितने अवैध खनन करनेवाले हैं, कहीं-न-कहीं नक्सलवादियों के साथ उनका आंतरिक संबंध है। वे चाहते हैं कि यह इलाका आतंकवाद उग्रवाद के गर्भ में पड़ा रहे, जिससे अवैध खनन करनेवालों का धंधा बिना रोक-टोक चलता रहे और कोई सरकारी तंत्र उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सके। इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, श्री के.एस. राव बोल रहे थे, मैं उनकी बात बहुत ध्यान देकर सुन रहा था, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जब भी वे बोलते हैं तो गाँव, गरीब, किसान की बात को बोलते हैं। महोदय, माननीय यशवंत सिन्हाजी बोल रहे थे, तब उन्होंने गरीब किसान की बात भी उठाई थी। वर्ष 1951 की जनगणना के मुताबिक गाँव में बसनेवाले लोग 82.7 प्रतिशत थे और वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक उनका प्रतिशत 72.2 रह गया अर्थात् 10.5 प्रतिशत गाँव के लोग गायब हो गए। वे गाँव के लोग जो 10.5 प्रतिशत गायब हुए, वे शहर में भाग कर आए। वे खुशहाल बनकर नहीं रह रहे हैं, बल्कि ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, हर दिन पसीना बहाते हैं। जैसे बंदरिया अपने बच्चों को छाती से चिपका कर रखती है, उसी तरह गरीब महिलाएँ सारा दिन बच्चों को अपने पेट से चिपकाए मजदूरी करती हैं और दिल्ली के विकास का काम करती हैं, हर दिन थकती हैं, मरती हैं, पसीने से लथपथ होती हैं और रात में फुटपाथ पर पेड़ के नीचे सो जाती हैं। साढ़े दस प्रतिशत गाँव के लोगों को अर्थ तंत्र ने निर्धन, निर्बल, निस्सहाय, उपेक्षित बनाया है। इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

महोदय, वर्ष 1951 में 71.9 प्रतिशत किसान थे और वर्ष 2001 में 54.4 प्रतिशत रह गए। 17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गए हैं। अगर एक आदमी का अपहरण हो जाए, तो चारों तरफ शोर मच जाता है, मीडिया और चैनल में हल्ला हो जाता है, सारे अखबार लिखने लगते हैं, लेकिन मेरे 17.5 प्रतिशत किसान गायब हो गए हैं हमारे गाँव और किसानी से, वे कहाँ गए और उनका अपहरण किसने किया, यह आँकड़े बताते हैं। वर्ष 1951 में खेतिहर मजदूर 28.1 प्रतिशत थे, उनकी संख्या बढ़कर 45.6 प्रतिशत हुई है अर्थात् 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आँकड़े बताते हैं कि इस आजाद भारत में वित्तीय अर्थ तंत्र में 17.5 प्रतिशत खेतिहर मजदूर की श्रेणी में इसलिए चले गए, क्योंकि उनकी जमीन बँट गई, परिवार बँट गया, खेत की जोत छोटी हो गई, कोई आधार नहीं रहा, तो खेतिहर मजदूर की श्रेणी में चले गए। यही हमारे अर्थ तंत्र की वास्तविकता है और गरीब की दशा, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। माननीय यशवंत सिन्हाजी ने जो आँकड़े दिए, वे बहुत विद्वान् हैं, मैं केवल उन्हें विद्वान् कहता नहीं हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। ये विद्वान् हैं, इसलिए जय प्रकाश नारायणजी भी इनकी विद्वत्ता पर विश्वास करते थे और वर्ष 1977 में समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव बनकर उनका सहयोग किया था और सरकार चलाने में मदद की थी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऊपर से बीस के पास 52.7 और नीचे से बीस के पास 5.2, दस साल पहले एनसीएआर की तरफ से आँकड़ा निकला था, चौधरी चरण सिंहजी ने इकोनॉमिक नाइटमियर ऑफ इंडिया इट्स कॉजेज ऐंड क्योर में आँकड़ा दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि श्रीमान बिरला

महाराज की कुल संपत्ति, एनसीएआर ने अपने सर्वेक्षण में दिया था कि बिरला की संपत्ति तराजू के एक पलड़ा पर और हिदुस्तान के 20 प्रतिशत लोगों की कुल संपत्ति घर, जायदाद, उनकी औरतों के गहनें दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो बिरला का पलड़ा ही भारी होगा।

यह आँकड़े आज से 10 वर्ष पहले आए थे। आज अंबानी के पास कितनी संपत्ति है? दिल्ली में फुटपाथ पर दस लाख लोग रहते हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है? क्या दोनों का कोई मूल्यांकन है? दोनों में आकाश-पाताल का अंतर है। वेद का मंत्र है—ऊपर से सूर्य भगवान् गरमी देते हैं, पानी को भाप बनाकर उड़ाते हैं, लेकिन जब बादल बनता है तो वे संपूर्ण सृष्टि में बराबर वर्षा करते हैं, वे कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह सरकार का काम होना चाहिए कि वह सूर्य के समान कर वसूल करे, जो जितना बड़ा है उससे उतना ज्यादा लिया जाए।

महोदय, मैं एक-दो चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। हमेशा कहा जाता है कि किसानों के लिए इतना पैसा दिया। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 3.12.2010 को कहा गया कि किसानों के ऊपर 5,63,106.88 करोड़ रुपए कर्जा है और उसी अवधि में बड़े घराने पर 10,54390 करोड़ रुपए कर्जा है। इस तरह थोड़े लोगों पर 10 लाख या 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा है और हिंदुस्तान के 72 प्रतिशत किसानों पर पाँच लाख का कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऋण में क्या दे रहे हैं? इन्होंने इनके लिए क्या किया है? मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमारे पास आँकड़े आए थे, जिसमें दिया गया था कि हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति अगर विदेशी कर्ज को जोड़ा जाए तो हर आदमी पर 233 अमेरिकी डॉलर कर्ज है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर विदेशी कर्जा है। यशवंतजी कह रहे थे कि आप कर्जा लाते हैं। हम कहते हैं—

''माँगना काम है छोटे का, भिखमंगे न आदर पाते हैं
भगवान् भी बौना बनते हैं, जब दान माँगने जाते हैं।''

अगर हम कर्ज लेकर आएँगे तो चार्वाक की नीति रही है—''यावात जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृत्म पिबेत।'' हम पाँच लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर्जा लाते हैं और तीन लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सूद में चुकाते हैं। हमारे पास बचता क्या है? आप पाँच लाख करोड़ कर्जा लेकर बजट पूरा करते हैं और दूसरी तरफ पानी की तरह बहाते हैं। विदेशी दौरे पर ऊपर से लेकर नीचे तक कितना खर्च किया गया है? इसका आँकड़ा निकालकर देखिए। आप फिजूलखर्ची को रोकिए, सादगी को लाइए, सदाचार बढ़ाइए और देश में पसीने और परिश्रम से धन बढ़ाइए। अगर आप किसानों, गाँव के लोगों, मजदूरों को ताकत देंगे तो वे आपको बता देंगे कि वे क्या कर सकते हैं।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि 1971, 1981 और 1991 की जनगणना को देख लीजिए कि उस समय कृषि विकास की दर क्या थी और उसके बाद कितना ह्रस हुआ है। आजादी के समय हिंदुस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत कृषि की देन थी और आज यशवंतजी बता रहे थे कि यह 14 प्रतिशत पर आ गया है। इसका मतलब है कि गाँव गरीब हुआ है, निर्धन हुआ है। गाँव मर रहा है, दम तोड़ रहा है और शहर बढ़ रहा है, पूँजीपति लूट रहे हैं, पूँजीपति ऊपर बढ़ रहे हैं। मेरी माननीय वित्तमंत्रीजी से विनम्र प्रार्थना है कि आप आइए, समता समाज लाइए, निर्धनता और अमीरी के फर्क को मिटाइए, बड़े लोग जो इस देश के खजाने को लूट रहे हैं इसे बचाइए, भ्रष्टाचार में जो पैसा जा रहा है उसे बचाइए, विदेश से धन लाइए और उस धन से सिंचाई के लिए प्रबंध कीजिए, गाँव में खुशहाली लाइए, गाँव के लोगों के चेहरे पर लाली लाइए तब यह देश बनेगा।

महोदय, अब मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम गाँव के किसान हैं, हम केवल गाँव की बात कहते हैं, जब किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है तो बाल-बच्चों के साथ मिलकर यही गुनगुनाता है—

''धूप ताप में मेहनत करते बच्चे तड़प-तड़पकर मरते,
फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रोकर,
हम चलो बसाएँ नया नगर, हम चलो बसाएँ नया नगर।''

07/05/2012

❑

प्रस्ताव पर भाषण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज संसद् के 60 साल पूरे हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जा रहा है। लोक के द्वारा संचालित तंत्र को ही लोकसभा कहते हैं। लोक का तंत्र पर नियंत्रण नहीं है। लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भवन और लोक भोजन के साथ लोक संस्कृति के समन्वय से ही लोकतंत्र बनता है। जातिप्रथा और सामंतशाही लोकतंत्र का दुश्मन है। भारत में समाज जातिप्रथा के कटघरे में कैद है। प्रशासन सामंतवादी है। जब तक जातिप्रथा रहेगी, तब तक जन्म आधारित शोषण होता रहेगा। जातिप्रथा के गंदे कूड़े पर ही विषमता और भ्रष्टाचार के कीड़े जन्मते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और समाज को चाटते रहते हैं। विशेष अवसर के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है, परंतु समूल नाश नहीं किया जा सकता है। आरक्षण विशेष अवसर की एक शाखा है। विशेषाधिकार समाज में विषमता को पैदा करता है, परंतु जब विशेष अवसर का रूपांतरण विशेषाधिकार में होने लगता है, तब समाज में कई प्रकार की विकृतियाँ आ जाती हैं। विशेष अवसर के कारण जब एक विशिष्ट वर्ग बनने लगता है तब समाज के अंतिम मानव तक समता का रस पहुँच नहीं पाता है। अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य बनाया जाए। जाति का आधार रोटी नहीं बेटी है। रोटी के मामले में जाति का बंधन कमजोर हुआ है। सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा के लिए अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य बनाने के लिए संसद् से कानून बनाया जाए। हजारों साल के रोग को मिटाने में 100-200 साल लगेंगे। ज्यों-ज्यों जाति की रेखा मिटती जाएगी, त्यों-त्यों देश बलवान बनता जाएगा। आर्थिक विषमता के अंत के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएँ। संसद् दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प ले और कानून बनाए कि आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। खेती, नौकरी और व्यापार एक व्यक्ति एक रोजगार के सिद्धांत को अपनाया जाए। समता समाज के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाए। राष्ट्रपति का बेटा या निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान, इस सिद्धांत को मानकर कानून बनाया जाए। 72 प्रतिशत ग्रामीण किसान को प्रशासन में समुचित स्थान मिल सके। इसके लिए इस सिद्धांत पर अमल किया जाए कि अखिल भारतीय और राज्यों के प्रशासनिक सेवा के लिए कम-से-कम ग्रामीण क्षेत्र के हाईस्कूल तक की शिक्षा अनिवार्य हो।

अनुशासन, मर्यादा, शालीनता, विनम्रता और राष्ट्र के प्रति समर्पण लोकतंत्र की बुनियाद है। तर्क के द्वारा ही सत्य को खोजा जा सकता है। जहाँ तर्क की हार हो जाती है, वहाँ से अधिनायकवाद का जन्म होता है। व्यक्तिवाद, जातिवाद, वंशवाद और भोगवाद लोकतंत्र को खोखला बना देता है। आज राजनीति पर यही प्रवृत्ति हावी और प्रभावी है। आज भोग, भय, भ्रांति और भ्रष्टाचार राष्ट्र को कमजोर बना रहा है। तात्कालिक राजनैतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद और उग्रवाद से भी आंतरिक समझौता किया जाता है। साहस, संकल्प और समर्पण से ही राष्ट्र को सबल, सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है। संसद् संकल्पबद्ध होकर सामाजिक, समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए कठोरतापूर्वक सोचने एवं निर्णय लेने का काम करे। संसद् का रूपांतरण होना चाहिए। समाज को बदलना चाहिए। निर्धन, निर्बल, उपेक्षित तथा वंचित लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले, हमें यही संकल्प लेना चाहिए।

13/05/2012

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, लोकसभा के चैनल पर हिंदुस्तान के गाँव के गरीब, किसान लोग भी जिनके घर में टीवी है, वह इसकी काररवाई को सुनते हैं, देखते हैं और इसमें दिलचस्पी लेते हैं। उनके मन और पेट की जो भूख है, इन दोनों भूख को शांत करने के लिए इस लोकसभा में कितनी बहस होती है और सरकार उसके प्रति कितनी सजग है, सहानुभूति रखती है, यह भी इस देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसलिए इस लोकसभा चैनल को जिन्होंने चलाया था, उनको मैं ह्रदय से धन्यवाद देता हूँ कि भारत के गाँव, गरीब, किसानों को भी लोकसभा का प्रत्यक्ष दर्शन हो पा रहा है। अभी हमारे साथी हरीशजी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के दु:ख-दर्द के बारे में बता रहे थे। मैं उतना तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन कभी किसी जमाने में हमारे नेता चौधरी देवीलालजी थे, उनके साथ, उनके नेतृत्व में वहाँ के हमारे तीन नेता थे, माननीय कुंभाराम आर्यजी और दौलतराम सारंगजी, लालचंद डूडीजी। हम चौधरी देवीलालजी के साथ नीमका थाना से निकलते थे।

उनके साथ मैंने सीकर, चुरू, जालौर, बाड़मेर, पोखरन, बीकानेर की यात्रा की है। उनके साथ रात्रि विश्राम भी किया है। एक बार चौधरी देवीलालजी और मैं पोखरन जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुमने ढ़ाणी देखा है। मैंने कहा कि मेरे यहाँ ढ़ाणी होती ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे? उन्होंने कहा कि चल तुझे ढ़ाणी दिखाता हूँ। सड़क के किनारे फूस का बड़ा-बड़ा छप्पर का मकान था। आजकल दिल्ली में एक ही कमरे के साथ डाइनिंग हॉल एवं अन्य सभी कमरे बनें रहते हैं, उसी तरह का कमरा था। देवीलालजी ने कहा कि इसमें चलो। वह मकान हमारे किसी अनुसूचित जाति के भाई का था। उस कमरे में घूसने लगे तो मैं तो चला गया लेकिन देवीलालजी सात फीट लंबे थे, वे घुटने के बल उसके अंदर घूसे। मुझे अंदर ले जाकर बोले कि देखो और उसको बोले कि बता तेरे घर के अंदर क्या-क्या रहता है? रास्ते चलते उन्होंने कहा कि आपने टांक का पानी पिया है। मैंने कहा कि मैंने जीवन में कभी देखा नहीं तो पिया कहाँ से। वे सड़क के किनारे एक घर में ले गए और बोले कि रस्सी और बालटी लाओ। उन्होंने टांक में से पानी निकाला और बताया कि यह टांक कैसे और किसलिए बनाया जाता है और किस तरह लोग इसमें बरसात का पानी जमा करके गुजारा करते हैं। उनके साथ घूमने के कारण कुछ प्रत्यक्षीकरण हुआ। इसलिए मैं उन नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी उन राजस्थानी इलाकों में भ्रमण कराकर गाँव के गरीब, किसान और मजदूर के दु:ख-दर्द को दिखाया। मैं इस बात को उठाना चाहता हूँ कि इसी सदन में इलाके के पिछड़ापन पर कांग्रेस की श्रीमती रत्ना सिंहजी का प्रस्ताव आया, सतपाल महाराजजी का प्रस्ताव आया, श्री रंजन प्रसाद यादवजी, श्री भोला प्रसाद सिंहजी, श्री वैजयंत पांडाजी का प्रस्ताव आया। इसी तरह से अनेक इलाके के साथियों का इसी लोकसभा में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव आया। इससे संसद् में बहस के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि भारतवर्ष में क्षेत्रीय विषमता है, सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है और इन विषमताओं के ऊपर समग्रता में चिंतन करके अगर निदान नहीं निकाला गया तो भारत के ये सभी पिछड़े इलाके एक-न-एक दिन विद्रोह की अग्नि की ज्वाला में जलने लगेंगे। इसलिए मैं संसद् के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, योजना आयोग पर विश्वास कम है, योजना आयोग न तो मेरे लिए योजना बनाता है और न ही अनुसूचित जाति, किसान, मजदूर, गाँव और गरीब के लिए योजना बनाता है। केवल मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए योजना बनाता है। विश्व बैंक से संचालित होने वाले कुछ लोग योजना आयोग में बैठे हैं उनका आजकल बीच में एक नाम आ गया है, वह कंसलटैंट कहे जाते हैं। यह जानते होंगे, आज हर योजना में कन्सलटैंट नियुक्त किया जाता है। मैं भारत सरकार के शीपिंग विभाग में मंत्री बना था उसमें कई जगह कंसल्टैंट आया तो मैं सोचता था कि यह कंसल्टैंट कौन से प्राणी

का नाम है। यह कंसल्टैंट कौन सा पद है तो कहा गया कि जो बीच में योजना का डीपीआर बनाते हैं और जो योजना का प्रारूप बनाते हैं। मैंने कहा कि इनको बहाल कौन करते हैं तो बताया गया कि जिससे हम कर्ज लेते हैं, उसके द्वारा बहाल किए गए हैं। हमने अंतर्ध्यान लगाया तो पाया कि गाँव में जिसको दलाल कहते हैं, वे यहाँ पर कसल्टैंट है। कंसल्टैंट माने वे विश्व बैंक के साथ कंसल्ट करते हैं और योजना आयोग में जाकर कंसल्ट करते हैं। दोनों के कंसल्टेशन में जहा एक मीटिंग प्वॉइंट होता है, वह तय कर योजना को पास कराते हैं। विश्व बैंक के कर्जे से योजना बनती है, यह चलती है और बीच में क्या होता है, क्या नहीं होता है यह हम और आप नहीं जान पाएँगे, क्योंकि यह इतने ऊपर का खेल है कि उस खेल को अगर हम देखने लगेंगे तो कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका पता नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि भारत की योजना गलत बनती रही है। योजना केवल विकसित इलाकों के लिए बनी है। योजना केवल शहरीकरण के लिए बनाई गई है। योजना केवल शहरों के किनारे विकास के लिए बनाई गई है और जितने शहर बसाए गए हैं, इस दिल्ली में पंजाबी बाग, दौलताबाग, मीना बाग और कौन-कौन बाग हैं, यह बाग का क्या मतलब है। यह कभी बाग रहा होगा। यह कभी गाँव रहा होगा। यहाँ कभी किसान रहे होंगे। इस इलाके में जितने अहीर, जाट और गुजर खेती करनेवाले लोग थे, उनकी जमीन छीन ली गई और उसमें बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ बसा दी गईं।

उनके बच्चों को उजाड़कर भगा दिया गया। वे भिखमंगे बन गए, गाँव में चले गए, निर्धन-निर्बल बन गए। लेकिन बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ बनाई गईं, बड़े-बड़े मकान बनाए गए, बड़े-बड़े अफसरों को गगनचुंबी अट्टालिकाओं में सजे-सजाए मकानों में रखवाया गया। ईंट की दीवारें बनीं और उत्तराखंड, हिमालय से लकड़ी काट-काटकर उन दीवारों पर लकड़ी लगाई गई, फर्श के ऊपर लकड़ी लगाई गई, छत के नीचे लकड़ी लगाई गई। श्रीमान, उस गाँव में बसनेवाले लोगों के पास खंमे, छप्पर के लिए लकड़ी नहीं है, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। यहाँ ईंट के मकान को लकड़ियों से सजाया गया है और वही लोग पर्यावरण की बात करते हैं, जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारतवर्ष में इन विषमताओं को मिटाने के लिए समग्रता से चिंतन होना चाहिए। जितनी क्षेत्रीय विषमताएँ हैं, हमारे राजस्थान के साथी बोल रहे थे, अगर आप उन इलाकों का सामाजिक विश्लेषण करें, उन अविकसित इलाकों, पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान या उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र के पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपोल, कटिहार किशनगंज आदि का सामाजिक परिवेश देखें तो अधिकतर लोग पिछले वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के हैं। पहाड़ों, जंगल में अनुसूचित जाति बनवासी बसते हैं। अगर जैसलमेर, बाड़मेर रेगिस्तानी इलाकों में देखें तो वही लोग बसते हैं, जो रेगिस्तान की तपती धूप बरदाश्त कर सकते हैं, जो उस लू में ठहर सकते हैं। सबसे ज्यादा लोग सीमा पर हैं और वहाँ आक्रमण भी सबसे ज्यादा होता है। अगर हिंदुस्तान का इतिहास निकालकर देखें तो यहाँ जितने भी आक्रमण हुए हैं, सब पश्चिम की तरफ और रेगिस्तानी इलाकों की तरफ से हुए। वहाँ के लोगों ने उन आक्रमणकारियों से मुकाबला किया। इसलिए मैं इस संसद् द्वारा उनके पूर्वजों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके पूर्वज ऐसे थे, जो उस रेगिस्तान में रहे।

''सूख रही है बोटी-बोटी मिलती नहीं घास की रोटी,
गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर कठिन सुधा की मार,
नमन तुम्हें मेरा सतबार।''

ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहे हैं, जिन्होंने इस देश की रक्षा की, इसके लिए अपने प्राण गँवाए, आज वे भूखे हैं, उनकी संतान नंगी हैं, अशिक्षित हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैं योजना आयोग और सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि

जो हिंदुस्तान का मरुस्थली है, रेगिस्तान का इलाका है, बंजर जमीन है, कंकरीली जमीन है, जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, ऐसी गैर-उपजाऊ जमीन में...(व्यवधान) महाबल मिश्रजी...(व्यवधान) सभापतिजी, जरा रोकिए।...(व्यवधान) मंत्रीजी के नजदीक आकर लोग डिस्टर्ब करते हैं। संयोग से गुलाब नबी आजाद साहब बैठे हैं। जब हम इस बार श्रीनगर गए थे तो हमने ट्यूलिप गार्डन देखा। गुलाम नबीजी वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। लोगों ने इनकी प्रशंसा की।...(व्यवधान)

मैंने इनको धन्यवाद दिया कि जितने दिन ये मुख्यमंत्री थे, वहाँ कुछ करके आए हैं, जो श्रीनगर में लोग इनका नाम ले रहे हैं। मैं टयूलिप गार्डन में घूमा तो लोगों ने आपकी प्रशंसा की। हम कांग्रेस पार्टी की शिकायत जरूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे काम करनेवाले लोग हैं, उनकी प्रशंसा भी करेंगे। हम दिनकरजी की राह के राही हैं।

'पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधाक्रम है,
वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है।'

इसलिए हम अच्छे काम करनेवाले की पूजा करेंगे।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं कह रहा था कि जो बंजर, पथरीली, कंकरीली, गैर-उपजाऊ भूमि है, जहाँ विकास नहीं गया, क्या आप उन इलाकों में औद्योगिकीरण नहीं कर सकते? इसी संसद् में बोलते हुए समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने इस प्रश्न को छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि जो अविकसित इलाका है, उस रेगिस्तान वाले इलाके, बंजर पथरीले इलाके में उद्योग खड़ा कीजिए। जब उद्योग लगेगा तो वहाँ बिजली जाएगी, मकान बनेंगे, अफसर रहेंगे, दुकानें खुलेंगी, चाय की दुकान, पान की दुकान। उद्योग खुलेंगे तो बड़े-बड़े उद्योगपति उसमें मौज करेंगे, अफसर मौज करेंगे, आजाद साहब। लेकिन चाय की दुकान, पान की दुकान, खोंचे की दुकान, छोटे से ढाबे चलाकर हमारे बच्चे और बहू-बेटियों को रोजगार मिलेगा।

अगर वहाँ तक सड़कें जाएँगी, तो उस इलाके का विकास होगा। वहाँ उद्योग किसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि वह इलाका विकसित नहीं है। मैं कहता हूँ कि वह इलाका इसलिए विकसित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार नहीं हैं। आप हरियाणा से लेकर सब जगह एनसीआर बनाते हैं दिल्ली के चारों तरफ। एक नंबर तीन फसला जमीन, उपजाऊ कृषि भूमि को उजाड़ते हैं। जहाँ कुछ नहीं पैदा होता, उस रेगिस्तान के इलाके में क्या कारखाने नहीं बना सकते, रिफाइनरी नहीं लगा सकते? क्या वहाँ रेलगाड़ी का जाल नहीं बिछा सकते, सड़कों को नहीं बना सकते, अच्छे स्कूल नहीं बना सकते? नहीं बनाएँगे, किसलिए नहीं बनाएँगे, क्योंकि पोलिटिकल प्रेशर नहीं हैं। वहाँ वोकल लोग नहीं हैं। जहाँ पोलिटिकल प्रेशरवाले हैं, वोकल लोग हैं, आवाज उठानेवाले हैं, धरना देनेवाले हैं, टीवी, मीडिया में लिखनेवाले हैं, उनके हाथ में अपनी कलम है। अंग्रेजी के सभी अखबारों में डिस्पेच पर डिस्पेच लिख देंगे, बंजर को उपजाऊ बना दे, उपजाऊ को बंजर बना दे, यही तो मीडिया का खेल है और यही आज के अखबार का भी खेल है, बाकी हम कुछ देख नहीं पाते हैं।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो अविकसित इलाका है, उसे विकसित करने के लिए योजना आयोग योजना बनाए। क्या कभी योजना आयोग में किसी एमपी से पूछा जाता है, किसी एमएलए से पूछा जाता है, किसी जनप्रतिनिधि से पूछा जाता है? योजना आयोग में बड़े-बड़े लोग उसके सदस्य बनते हैं। अर्थशास्त्र के नाम पर मैं उन अर्थशास्त्रियों को चुनौती देना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसी को नहीं, प्रणव बाबू अर्थशास्त्री और वित्तमंत्री हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में योजना आयोग का एक अर्थशास्त्री आए और उसके साथ हुक्मदेव नारायण जैसा अर्थशास्त्र का साधारण ज्ञान रखनेवाला एक किसान बैठे। मेरे साथ बहस करे। मैं योजना आयोग के उस अर्थशास्त्री

को एक बार नहीं, तीन बार परास्त कर दूँगा। इसलिए उनकी दृष्टि और मेरी दृष्टि में फर्क है। उनकी दृष्टि गरमोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, किसानोन्मुखी, पिछड़ान्मुखी, दलितन्मुखी, निर्धन-निर्बल के प्रतिन्मुखी नहीं है। इसलिए कबीर दास ने कहा कि ''जो दर्शन करना चाहिए, तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई, तो दरस कहाँ से पाई।'' यह जो हमारे योजना बनानेवाले हैं, उनके हृदय में यह नहीं है। उनके हृदय में गरीब की तसवीर नहीं है, मजदूर की तसवीर नहीं है इसलिए भारत का यह इलाका पिछड़ा रह गया और भारत का समाज पिछड़ा रह गया।

सभापति महोदय, रामचरित मानस की एक-दौ चौपाई कहकर मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूँगा। हमारे साथी श्री अर्जुन राम मेघवालजी बोलेंगे। वे राजस्थान के हैं और सौभाग्य से यह आईएएस अफसर कलेक्टर साहब भी रहे हैं। इसलिए इन्होंने देखा भी होगा। इनको दोनों अनुभव है। हनुमानजी जब लंका में गए थे, तो उस समय उन्होंने वर्णन किया है—

'मंदिर-मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ-तहाँ अगनित योद्धा,
गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सो नाहि,
सयन किए, देखा कपि तेहि, मंदिर महुं न दीख बैदेही॥'

उसी तरह मैं वर्ष 1959-60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। ब्लॉक का प्रधान बना, जिला परिषद् का अध्यक्ष बना। तीन बार विधानसभा का सदस्य बना। लोकसभा, राज्यसभा को देखा। दो बार भारत सरकार का मंत्री बना। मैं गाँव से चला था। मेरे पिताजी, आठ चाचा और चार चचेरे भाई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। मेरी माँ मुझे गोद में लेकर अपनी नैहर भाग गई थी, क्योंकि अंग्रेज ने घर जलाया था। मेरे चाचाजी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। प्रथम जिला परिषद् के सदस्य बने थे, वाइस चेयरमैन बने थे। मैं उस इलाके की बात करता हूँ जहाँ भारतवर्ष की उन समस्याओं को देखा...(व्यवधान) मैं गाँव से चला... (व्यवधान) ठीक बात है साहब, मैं आपकी तरफ आने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आप अपनी रेलगाड़ी का इंजन बदल लो, गति दुरुस्त कर लो, मैं आपके साथ आ जाऊँगा। लेकिन मैं इस इंजनवाली गाड़ी में नहीं बैठूँगा, जिसकी दुर्घटना होनेवाली है और मैं जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस रेलगाड़ी पर नहीं बैठूँगा।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मैंने सब देखा, खेत देखा, खलिहान देखा, गाँव देखा, निर्धन-निर्बल को देखा, ग्राम पंचायत से लेकर लालकिला तक देखा, सभी को देखा, लेकिन किसी के दिल में गाँव, गरीब, किसान के लिए प्यार नहीं देखा।

दिल में दर्द नहीं देखा। आपने अभी घोषणा की थी कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं और सभी प्रखंडों में मोबाइल वैन भेज रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन अगर वह खराब होगी, तो मरम्मत कौन कराएगा? डीजल कौन देगा, ड्राइवर को वेतन कौन देगा। आप अगर देखिए तो हिंदुस्तान में सिविल सर्जन के कार्यालय में सबसे ज्यादा गाड़ियाँ सड़ रही होंगी, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ पड़ी होंगी। पूछने पर पता चलता है कि वह उस ऑर्गनाइजेशन की है। श्रीमान्, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन उसकी परवरिश करना कठिन है। हिंदुस्तान की नीति यही है कि बच्चे पैदा करते चलो, भला करेंगे राम। योजना हम बनाएँगे, लेकिन उसका पालन करेगी राज्य सरकार। बच्चा है तेरा और दूध पिलाएँ हम, बच्चा है तेरा, लेकिन खाना खिलाएँगे हम। हमें अगर बच्चा पैदा करके देते हैं, तो उसकी परवरिश करने का भी इंतजाम कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि हिंदुस्तान रो रहा है, उसकी आँखों में आँसू हैं। आप राजस्थान में जाएँ, बिहार में जाएँ, उड़ीसा में जाएँ, हमारे बिहार में रोज सवेरे औरतें खड़ी होकर काली माई के सामने प्रार्थना करती हैं—अविरल आँसू बहे नैनन से, अब तो कृपा करो, हे काली कृपा करो। उनकी आँखों से निरंतर अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, वह पीड़ा है, दर्द है, आप अपने अंदर वह चेतना

पैदा कीजिए। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है। अभी हरीशजी बोल रहे थे, मैं गिन रहा था, एक तरफ माँग कर रहे थे, अपनी पीड़ा भी सुना रहे थे और एक दर्जन बार सरकार को धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा कि दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा साहब? यह तो गलत बात है। एक बार मैं दुकान में गया, एक डिब्बी को देखकर मैंने पूछा कि इसमें क्या है? उसने जवाब दिया, इसमें स्नो है। मैं खड़ा हो गया। मैं साधारण अंग्रेजी पढ़ा हूँ। मैंने कहा— यस होगा, तो नो नहीं होगा। नो होगा, तो यस नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं, यह स्नो है यह चेहरे पर लगानेवाला स्नो है, पावडर है। मैंने कहा कि कमाल की दुनिया है बड़े लोगों की, यस और नो को एक ही डिब्बी में बंद करते हैं। उसी तरह हरीश हैं, एक तरफ एक दर्जन बार सरकार को धन्यवाद देते रहे और दूसरी तरफ अपने पिछड़ेपन पर आँसू भी बहाते रहे। मैं हरीशजी से प्रार्थना करूँगा कि छोड़ो इस बात को, चाहे सरकार कोई हो, सत्ता कोई हो, गाँव के गरीब, निर्धन, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर एक बार उठो, अपनी आँख में शंकर के त्रिनेत्र की ज्वाला लेकर निकलो। जिस दिन हम खड़े हो जाएँगे, उस दिन हम अपनी त्रिनेत्र की ज्वाला से इस व्यवस्था को जलाकर राख कर देंगे और उस राख को अपने शरीर में लपेटकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। नया भारत बनेगा, तब गाँव-गरीब मजबूत होगा जब। धन्यवाद।

04/05/2012

❑

गीता पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह विषय हमारे इतिहास और अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। अतीत और इतिहास को हमें समझना चाहिए। मैं केवल दो-चार उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूँगा। जब इतिहास को लिखने में, समझने में कोई गलती हो जाती है, तो उसके कितने भयंकार परिणाम होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर इतिहास क्या है? यह अतीत का बोध है, जो कुछ पहले हो चुका है, उसे किस ढंग से समझते हैं—अधूरा, पूरा, गलत, सही! इतिहास है अतीत का बोध। अतीत का बोध भविष्य और वर्तमान का निर्माता भी हुआ करता है। अगर गलत समझते हैं, तो गलत ढंग से वर्तमान और भविष्य बनता है, खास तौर से मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बताना चाहता हूँ। लोकसभा वाद-विवाद 26 मार्च, 1966, डॉ. राम मनोहर लोहिया ने संसद् में इसी तरह से रखा था, क्योंकि यूनेस्को द्वारा दुनिया का इतिहास लिखा गया था। उसके अध्यक्ष ने लिखा था कि कविता का उद्गम चीन से हुआ था। उसी पर डॉ. लोहिया ने संसद् में बहस छेड़ी थी। सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन उस समिति में सदस्य थे। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इतिहास की गलती को हम सदन में फिर से न दोहराए।

गीता किसी धर्म की नहीं है। जब हम बैठते हैं और ज्ञान के बारे में कहते हैं तो एक ही श्लोक से संपूर्ण विषय प्रकट हो जाता है—

'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञनगम्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।'

जो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गमयम है, न वह किसी धर्म का है, न किसी एक संस्कृति का है, न किसी एक जात का है, न किसी समाज का जो समग्र रूप से व्यक्तिधर्म, मानवधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, संपूर्णधर्म की व्याख्या युद्धभूमि में हुई थी। ये भारत की ही परंपरा है कि युद्धभूमि में भी धर्म को काव्य में गाया गया है, दर्शन को गीत में गाया गया है। अगर उस गीता को कोई कह दे कि वह सांप्रदायिक है, कट्टरपंथी है, किसी धर्म विशेष का है तो वह गीता का ही अपमान नहीं है, बल्कि मानवता का अपमान है, संपूर्ण सृष्टि का अपमान है, संपूर्ण जाति का अपमान है। ये कृष्ण का अपमान है, जिन्हें हम 16 कला पूर्ण, परब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानते हैं। मैं अंतिम प्रार्थना करूँगा कि पश्चिम द्वारिका है और पूर्व कामरूप है। कृष्ण की यात्रा द्वारिका से कामरूप तक जाती है अर्थात् कृष्ण ने भारत की पश्चिमी सीमा का निर्धारण द्वारिका में किया था और पूर्वी सीमा का निर्धारण कामरूप में किया था। जिसने पूर्व और पश्चिम के भारत के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, लोकमान्यता, लोकभाषा, लोकभूषा, लोकभोजन, लोकभवन, लोकसंस्कृति और लोककला की आधारशिला रखी थी, उस गीता को अगर कोई कह दे कि यह सांप्रदायिक है तो हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। यह संपूर्ण भारत का नहीं, मानवता का अपमान है। इसलिए सदन केवल एक लाइन में यह प्रस्ताव पास करे कि गीता के संबंध में रूस में जो हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए।

19/12/2011

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, माननीय रेवती रमण सिंहजी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सतपाल महाराजजी ने उसका समर्थन किया। उत्तराखंड के संबंध में सतपाल महाराजजी ने बहुत सी भ्रांतियों का निवारण कर दिया है। सतपाल महाराजजी ने भ्रांतियों का निवारण किया है, तो इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह धार्मिक व्यक्ति हैं, संत हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, इसलिए उनके द्वारा भ्रम के निवारण करने के बाद अब तकनीकी विशेषज्ञता के संबंध में भी कोई भ्रम नहीं रह जाना चाहिए।

गंगा केवल गंगा नदी नहीं हैं, जल नहीं है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है—'धर्मार्थ काम मोक्षानाम् आरोग्यम् मूल उत्तमम्।' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों की प्राप्ति होगी कब, जब लोग आरोग्य होंगे तब अर्थात् इस सबके मूल में आरोग्यता है। आरोग्यता कैसे आए, जब हवा शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, आकाश शुद्ध हो। पंचतत्व इस ब्रह्मांड में हैं, उन पाँचों में अगर पवित्रता रहेगी, तभी हम आरोग्य रह सकेंगे। गंगा का महत्त्व इसीलिए बढ़ता है कि गंगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को देनेवाली नदी है। सतपाल महाराजजी ने कहा कि वह हमारी माँ है। हम तो गंगा मैया कहते हैं और गंगा मैया इसलिए कहते हैं कि माँ के दूध से जैसे बच्चे का संपूर्ण अंग पुष्ट होता है, उसी तरह गंगा के पानी से संपूर्ण समाज पुष्ट होता है। गंगा में पशु नहाते हैं। जो पशु पालक हैं, हमारे प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो गंगा के किनारे बसनेवाले हैं, हमारे पशु गंगा में पानी पीते हैं, गंगा में नहाते हैं, गंगा में खेलते हैं, मैं तो अहीर हूँ, जब हमारे बच्चे भैंस लेकर जाते हैं तो दो-तीन घंटे तक भैंस गंगा में लोटती रहती है, पलटती रहती है और बच्चे गंगा में तैरते और खेलते रहते हैं। क्या दुनिया का कोई स्वीमिंग पूल में तैरनेवाला उसका मुकाबला कर सकता है? ऐसी गंगा जहाँ गंगा तट पर बसनेवाले करोड़ों पशु पानी पीते हों, गंगा तट पर बसनेवाले करोड़ों इनसान, जिसमें स्नान करते हों, उसका जल पीते हों और गंगा के पानी से उपजाऊ उर्वरा भूमि में फसल लहलहाती हो, उस गंगा के बारे में हमारी दृष्टि में गंगा की पवित्रता, गंगा की शुद्धता, गंगा के जल की धारा का प्रवाह और गंगा की निर्मलता को बनाए रखने पर अगर हम न सोचें तो हम समझते हैं कि अपने कर्तव्य का, राष्ट्र धर्म का हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। गंगा की धारा गंगोत्री से निकलती है और सागर तक जाती है। सतपाल महाराजजी ने इसके बारे में बताया। श्रीमान, गंगा में जो स्वच्छता का अभियान चला, वह भी उसी से जोड़कर देखिए कि जब गंगा का अवतरण भागीरथ ने किया, राजा सगर ने भागीरथ जैसा पुत्र को पैदा किया, जो गंगा को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाए थे। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकलती है, गंगा को धारण करनेवाला कोई नहीं है, स्वयं शिव गंगा को धारण करते हैं। कहते हैं कि गंगा से कहो, उतरो, मैं गंगा को धारण करूँगा और गंगा शिव की जटा में उलझ जाती है। फिर प्रार्थना करते हैं, तो जटा के एक लट को भगवान् शिव निचोड़ देते हैं, उससे गंगा निकलती है। जिस तरह से गंगा ब्रह्मा के कमंडल से आकर और शिव की जटा में उलझ गई थी, उसी तरह गंगा की स्वच्छता का अभियान सरकार की फाइल से निकलता है, लेकिन अफसरशाही के तंत्र के जाल की जटाओं में उलझकर रह जाता है। गंगा की स्वच्छता अभियान तकनीकी ऑफिसर, ठेकेदार आदि के जाल में फँस कर रह जाता है। लेकिन गंगा में कभी सफाई होती नहीं है। गंगा गंगोत्री से निकलती यमुना यमुनोत्री से निकलती है और हिमालय का इसलिए महत्त्व है कि भारत की संस्कृति का निर्माण और भारत की संस्कृति का उद्गम तथा भारत के धार्मिक ग्रंथों के जो काव्य हैं, उसकी रचना हिमालय से हुई है और भारत की नदियों के किनारे ही भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है।

हम सभी नदियों के बारे में कहेंगे कि आप और हम जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ जितनी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, वे घूम-फिर कर गंगा में ही गिरती हैं। अगर वे सारी नदियाँ शुद्ध रहेंगी तो गंगा का जल भी शुद्ध रहेगा। गंगा की पवित्रता के साथ-साथ गंगा में मिलनेवाली सभी नदियों की जलधारा पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थकर और

हितकर हो। सरकार को इन पर भी चिंतन करना चाहिए। सारे शहरों के सिवरेज का पानी गंगाजी, यमुनाजी और अन्य दूसरी नदियों में गिरता है। सभी सिवरेज का पानी गंगा-यमुना में गिराते हैं। आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि शहरों के जितने सिवरेज के गंदे पानी नदियों में गिरते हैं उसे वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध करें। वहाँ पर पंपिंग सेट लगाकर आसपास के खेतों के लिए सिंचाई का प्रबंध कर दें तो उस पानी से हजारों-लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई का काम भी हो जाएगा और गंगा एवं सभी नदियों की धारा पवित्र भी रहेगी, लेकिन आप उस पर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस योजना पर खर्च करेंगे हजार-दो हजार करोड़ रुपए। आप देते जाएँगे, जैसे गंगा में बाढ़ आती है, सभी गंदगी को ले जाती है और सागर में ले जाकर गिराती है। उसी तरह हजार-दो हजार करोड़ रुपए भी गंगा की धारा में बह जाएगा। इसका कहीं कोई निशान नहीं रहेगा। कौन मूल्यांकन करेगा कि पैसा किधर से आया और किधर चला गया? सब गंगा के पेट में ही चला गया। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि सभी शहरों के गंदे पानी को निकालने के लिए आप वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाइए और उस पानी को नहर के द्वारा खेत में सिंचाई के लिए दीजिए। दूसरी बात यह है कि सभी कारखानों से गंदा पानी निकलता है और नदियों में जाता है।...(व्यवधान)

जितने कारखाने हैं उन सभी का पानी नदियों में गिराते हैं। नदियों के किनारे-किनारे जब भारत में औद्योगिकीकरण हुआ तो सभी उद्योगों के पानी को नदियों में बिना यह सोचे गिराया गया कि इस नदी का हिंदुस्तान के लोगों के साथ, आरोग्यता के साथ क्या संबंध है? इसलिए हमारी नीति वहीं गड़बड़ हो गई। मैं उसको शुद्ध करना चाहूँगा कि जितने उद्योग हैं, जो गंगा और दूसरे नदियों में गंदा पानी गिराते हैं उनमें से कितने पर आपने काररवाई की है। आपने कितने को पकड़ा है और कितने पर मुकदमा किया है? आपने कितने कारखानों को बंद किया है और कितने कारखाना मालिक को जेल में बंद किया है? आप जवाब देते समय जरा बताइए तो हम समझ पाएँगे कि सरकार की इच्छा बलवान है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हिमालय को शुद्ध बनाकर रखिए। हिमालय के आसपास के पेड़ कटते जा रहे हैं। माफिया लोग जाते हैं। पेड़ को काटते हैं और उन्हें उठाकर ले जाते हैं। वे पेड़ कहाँ जाते हैं? इस संसद् में जैसे लगे हैं, बड़े-बड़े शहरों में जाइए, हर मकान में कंक्रीट की दीवार है और हर दीवार पर लकड़ी की एक दीवार लगाई गई है, ताकि उसमें रहनेवाले लोगों को गरमी न लगे। हिंदुस्तान के अंदर, जो बड़े-बड़े समृद्ध एवं संपन्न लोग हैं, वे हिंदुस्तान के पहाड़ों को नंगा बनवाते हैं और उन लकड़ियों से अपने घर को सजाते हैं। मकान में नीचे फर्श होता है और उस फर्श पर लकड़ी लगाते हैं इसलिए कि जब फर्श पर चलेंगे तो आवाज नहीं होगी, लेकिन लकड़ी पर चलेंगे तो मचामच बोलता है, जिससे उनके स्वाभिमान को बल मिलता है कि वे कितने संपन्न हैं? इसलिए लकड़ी काटते हैं और हिमालय की मिट्टी कट कर नदियों में जाती है। भूमि का क्षरण होता है। नदी का पेट भरते हैं, उसमें गाद आती है। गंगा की धारा भरती जाती है। आप पटना या वाराणसी में जाकर गंगा का हाल देखिए। गंगा शहर से दूर चली गई है। पहले गंगा पटना के नजदीक थी। पटना में हजारों-लाखों लोग गंगा के तट पर छठ व्रत मनाते हैं। उसमें सूरज को अर्घ्य देते हैं। आज गंगा शहर से दो किलोमीटर दूर चली गई है। अब गंगा की धारा नहीं है, बल्कि क्षरण के कारण गंगा एक छोटी नदी बनती जा रही है। गंगा की धारा भरती चली जा रही है, जिस दिन गंगा सूखेगी उस दिन भारत की संस्कृति सूखेगी। भारत का इतिहास सूखेगा। भारत के धर्म ग्रंथों के स्रोत सूखेंगे। भारत के जन-जन का प्राण सूखेगा। भारत के पशुओं के प्राण सूखेंगे। इसलिए गंगा की धारा को बचाकर रखिए, जो भारत के मानव, पशुओं और नदी के किनारे बसनेवाले लोगों का जान और प्राण है।

उसी तरह गंगा में भागलपुर के नजदीक पिरपैती से लेकर कहलगाँव व भागलपुर में डॉलफिन है। जो गंगा में है, उसे 'डॉलफिन क्षेत्र' कहा गया है। गंगा में जो दर्शनीय चीज है, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कीजिए। झारखंड में

भी साहेबगंज के नजदीक गंगा में कटाव है। जहाँ भी जाइए, गंगा की धारा में जो कटाव होते हैं, उनसे लोग पीड़ित होते हैं। उन्हें बचाइए।

मैं एक बात कहना चाहूँगा। 4, विशंबरदास मार्ग में कोठियों की मरम्मत हो रही थी।... (व्यवधान)

जब ठेकेदार कचरा लेकर रात में जा रहा था, तो मैंने पूछा, शर्माजी, आप यह कचरा कहाँ फेंकते हैं। उन्होंने कहा कि यमुनाजी में फेंकता हूँ। हमने कहा, कैसे? रात में नहीं फेंकेंगे तो दिन में कैसे फेंकेंगे। यमुनाजी में तो रोक है। उसने कहा कि 20-25 रुपए ट्रक पुलिसवाले को देते हैं और सब कचरा जमुनाजी में फेंकते हैं। यमुना की सफाई के नाम पर हजारों, करोड़ों रुपए की योजना बनाएँ और रात भर संपूर्ण दिल्ली का कचरा, तीन सौ, चार सौ ट्रक कचरा यमुनाजी में फेंकते जाओ। रात में कचरा फेंको और दिन में कचरा निकालो। यही दुनिया का खेल है। चढ़ते रहो, उतरते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, तोड़ते रहो, फोड़ते रहो, नया बनाओ, पुराना खोदो। इसी खेल में भारत की सारी पूँजी चली जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, उन सब नदियों की स्वच्छता के लिए, उनके स्रोत निरंतर चलते रहें, उसके लिए कार्य कीजिए। नदियों में बाढ़ रोकने के नाम पर जितने तटबंध बनाए गए हैं, उन तटबंधों के कारण संपूर्ण पहाड़ की जो मिट्टी आती है, वह गाद बनकर नदी के पेट ऊँचे हो गए हैं। नदी ऊँची है और जमीन नीची है। जितने भी तटबंध हैं, उनके कारण नदियों का पानी रुका है, जिसके कारण विनाशकारी बाढ़ आने लगी है। इसलिए तटबंधों से नदियों को बचाइए।

मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद दूँगा और रेवती रमणजी को भी धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने गंगा पर बहस चलाई है। मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी हो, चाहे कहीं भी हो एक राष्ट्रीय नीति बने, राष्ट्रीय आधार बने, राष्ट्रीय नदी का इतिहास लिखा जाए। हमारे पास आज किसी नदी का इतिहास नहीं है। नदियों के किनारे कितनी संस्कृतियाँ बनी हैं, कैसे विकसित हुई हैं, अगर भारत में नदियों और हिमालय का इतिहास लिख दें तो हम इस राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सरकार से माँग करता हूँ कि गंगा मैया, गीता माता और गाय माता, ये तीन माता हैं। कृष्ण गीतावाले तब हुए, जब उनके साथ गाय थी, कृष्ण के हाथ में गीता भी है। अगर कृष्ण के मुँह में गीता का ज्ञान है तो कृष्ण के दोनों हाथ गाय के थन पर हैं। जो गाय का दूध निकालता है, पीता है, बलवान बनता है। कुरुक्षेत्र में जाता है, धर्म की रक्षा करता है। केवल गीता ही नहीं, गीता के साथ गाय बचे, गंगा बचे, धरती माता भी बचे, तब भारत का कल्याण होगा।

धन्यवाद।

19/12/2011

❑

रेल बजट अनुपूरक माँग

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रेल बजट की जो अनुपूरक माँगें हैं, मैं उस पर कुछ विचार व्यक्त करने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय त्रिवेदीजी से प्रार्थना करूँगा कि वे भारत के छह लाख गाँवों में बसनेवाले जो 85 प्रतिशत लोग हैं, गाँव के गरीब, मजदूर, किसान हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेल में सफर करते हैं, सबसे ज्यादा कष्ट उठाते हैं, उनकी दशा-दिशा और उनकी सुविधाओं पर प्राथमिक तौर पर अवश्य विचार करेंगे।

महोदय, मैं खोजने लगा कि रेल के बारे में कहाँ से शुरू करूँ। वर्ष 1939 में मेरा जन्म हुआ था। वर्ष 1939 में जब अंग्रेजी राज था, तब भारतवर्ष के रेल में अठारह हजार कुल डिब्बे थे और उसमें यात्रा करनेवाले यात्रियों की संख्या कुल मिलाकर साल भर में 60 करोड़ के आसपास होती थी। आज की तारीख में आपके पास कितने डिब्बे हैं और साल में कितने यात्री सफर करते हैं और एक डिब्बे पर औसतन एक साल में कितने यात्री आते है, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय रेल की क्या व्यवस्था है, क्या दुर्व्यवस्था है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश गुलाम था, मुलायम सिंहजी और रेवती रमणजी भी यहाँ हैं, उस समय हम रेल पर चढ़ते थे। उस समय फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास—ये चार तरह के डिब्बे होते थे। इसलिए कि एक नंबर में ऊपर के सबसे संपन्न वर्ग के लोग होते थे, दूसरे में अपर मिडिल क्लास के होते थे, तीसरे में मिडिल क्लास के लोग होते थे और चौथे में समाज का लोअर आर्थिक क्लास होता था। इसलिए वे चार श्रेणी बनाए गए। देश आजाद हुआ तो भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आजाद भारत में रेल में उन चार श्रेणियों को समाप्त करके केवल दो श्रेणी रखा गया—प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तीसरे क्लास के डिब्बे पर जो तीन लकीरें पड़ी हुई थीं, उसमें से एक लकीर को हटा दिया गया। केवल एक लकीर हटा कर तीसरे क्लास को सेकेंड क्लास बना दिया गया और दो क्लास रखे गए—प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। इसलिए कि भारत में उस समय सोचा गया कि दो क्लास ही रखा जाए, समाज को जाति और वर्ग के आधार पर नहीं, समाज को केवल आर्थिक आधार पर बाँटा जाए—संपन्न और निम्न वर्ग। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे-धीरे जब रेल चलने लगी तो उस रेल में फर्स्ट क्लास के साथ-साथ ए.सी. टू टियर आकर जुड़ गया। माननीय सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जब गाड़ी में ए.सी. टू टियर लगा था तो एम.पी. को ए.सी. टू टियर में चढ़ने की सुविधा नहीं थी। वे साधारण फर्स्ट क्लास में चढ़ सकते थे, ए.सी. टू टियर में नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन बाद में चलकर यह सुविधा प्राप्त हुई। फिर ए.सी. टू टियर के बाद ए.सी. फर्स्ट आ गया, ए.सी. थ्री टियर आ गया। जेनरल फर्स्ट क्लास अभी भी कुछ गाड़ियों में चलते हैं और उसके साथ-साथ स्लीपर क्लास आ गया। स्लीपर के बाद एक क्लास और आया, जिसका नाम है ठसाठस क्लास।

उस ठसाठस क्लास की यात्रा हम लोग नहीं कर पाते हैं। मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनसान सब बराबर है, परमात्मा ने हर इनसान को बराबर बनाया है, चाहे उसने भले ही किसी जाति या धर्म में जन्म लिया हो। चाहे वह बिरला सेठ या किसी मजदूर के घर में जन्म ले, लेकिन प्रकृति ने हर इनसान को प्राकृतिक सुविधा बराबर दी है। ए.सी. फर्स्ट क्लास में बीस लोग यात्रा करें और वहाँ चार शौचालय हैं। ए.सी. टू टायर में 46 लोग यात्रा करें वहाँ भी चार शौचालय हैं। ए.सी. 3 टायर में 76 लोग यात्रा करें वहाँ भी चार ही शौचालय हैं। ठसमठस क्लास में बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, वहाँ भी चार ही शौचालय होते हैं। जहाँ बीस व्यक्ति यात्रा करे, वहाँ भी चार शौचालय हैं, 46 व्यक्तियों के लिए भी चार शौचालय हैं, 76 लोगों के लिए भी चार ही शौचालय हैं और ठसमठस क्लास में जो यात्रा कर रहा है, उसके लिए भी चार ही शौचालय हैं। क्या यह रेलगाड़ी इनसानों के लिए है या शैतान

के लिए है? ए.सी. फर्स्ट में भी वही इनसान चलता है, जिसके दो हाथ-पैर हैं, वही नाक और कान हैं, उसे भी शौचालय की उतनी ही सुविधा चाहिए, जितनी सबको चाहिए। लेकिन हमने ऐसा सोचा है कि ए.सी. प्रथम में जो चलते हैं, वे भारत के इनसान हैं और जो ठसाठस क्लास एवं स्लीपर में चलते हैं, शायद आज की रेल ने उनको इनसान का दर्जा भी नहीं दिया। ये देंगे भी कैसे। श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया कहते हैं कि 26 रुपए, 32 रुपए की आमदनी पर रहनेवाला आदमी गरीबी रेखा के बराबर है। शैलेंद्रजी, श्री मोटेंक सिंह अहलुवालिया जैसे जो बहुत बड़े लोग हैं, जो अपने घर में बड़ा मोटा विलायती एलसिशियन कुत्ता पालते हैं, जो एक बार किसी को देखता है, उसका चेहरा देखने के बाद उसकी दुर्गति हो जाती है। ऐसे जो कुत्ते पालते हैं, मैं उन कुत्ते पालनेवालो से कहता हूँ कि क्या 26 रुपए, 32 रुपए में आप अपने विलायती कुते का खर्चा चला सकते हैं। इस देश के बड़े घरानों के लोग, जिनका कुत्ता भी 26 रुपए, 32 रुपए पर रोज जिंदा नहीं रह सकता है, उस देश में 26 और 32 रुपए पर जिंदगी जीनेवाले उन करोड़ों इनसानों को कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर समझते हैं। जिस सरकार में यह दृष्टि हो, गरीब मजदूर, साधारण लोगों को कुत्ते से भी बदत्तर समझा जाता हो, जब हम आदमी ही नहीं हैं, कुत्ते के बराबर हैं तो आप हमारे लिए योजना क्या बनाएँगे? उनके कुत्ते के लिए भी रेलगाड़ी में क्या कोई सुविधा देंगे? बड़े आदमी का कुत्ता भी ए.सी. फर्स्ट में चलता है और गरीब महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर चलती है, वह ऐसे ठसमठस क्लास में चलती है कि बच्चा अगर दूध के लिए रोने लगे तो वह उसे अपनी छाती से भी लगा सके, इतनी जगह भी उसे नहीं मिल पाती है। बड़े आदमी का कुत्ता भी ए.सी. फर्स्ट में चले और गरीब व्यक्ति को खड़े होने की भी सुविधा न मिले, क्या उन गरीबों के लिए रेल विभाग के पास दिल में कोई दर्द है? मैं जब एमएलए था तो मैं रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए गया। मैं पीछे से गया और वहाँ एक डिब्बा देखा। मैंने कहा कि इस रेलगाड़ी में यह कौन सा डिब्बा लगा है तो उन्होंने कहा कि यह सैलून है। मैं गाँव का आदमी था, एमएलए बन गया था। हम तो सैलून में दाढ़ी-बाल बनवाते हैं। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि रेलगाड़ी में सैलून लगा दिया। यहाँ से पटना जाते-जाते रास्ते में ही दाढ़ी बनवा लेंगे। समस्तीपुर जंक्शन पर गाड़ी रुकी, मैं उसमें झाँकने गया। वहाँ जो खड़ा था, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ झाँक रहे हैं। हमने उससे कहा कि यह सैलून है, जरा हम यहाँ दाढ़ी बनवा लें। उसने कहा कि यह सैलून नहीं है। उसी रेलगाड़ी में जीएम का एक डब्बा आजाद भारत में लगता है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी उसमें चलते हैं। एक आदमी के लिए एक पूरा डिब्बा, उसी तरह का डिब्बा अगर जनरल में है तो उसमें डेढ़ सौ लोग घुसे हुए हैं।

आपने कभी पटना से गया तक का सफर किया है, पटना से गया तक अगर सफर करेंगे तो देखेंगे कि रेलगाड़ी का डिब्बा कितना है। फर्स्ट क्लास अलग है, सेकेंड क्लास अलग है, थर्ड क्लास, जिसे आप सेकेंड क्लास कहते हैं, सेकेंड क्लास अलग है, इसके अलावा एक छत क्लास है और उसके अलावा डिब्बा के जोड़ पर व्यक्ति बंदर के जैसे लटका रहता है, वह जोड़ क्लास है। उसके अलावा रेलवे के इंजन पर दोनों तरफ खड़ा रहता है, वह ईंजन क्लास है। उसके अलावा रेल के नीचे बैट्री निकालने के बाद जो खोखा बचा रहता है, उसमें भी रेल के नीचे आदमी घुसा रहता है। जान का इतना जोखिम उठाकर गरीब यात्रा करता है और फिर रेलगाड़ी से कुचल कर मरता है। उसके लिए आप क्या करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई बड़ा आदमी शादी करता है तो दुल्हन-दूल्हा आते हैं, ए.सी. फर्स्ट में चढ़ जाते हैं। उनके लिए स्नैक्स है, लंच है, डिनर है, सूप है, न जाने क्या-क्या है, बियर है, जो चाहे अपना सब मँगाकर मौज करते चले जाओ। पंचसितारा होटल की मस्ती लेते चले जाओ। एक वह हिंदुस्तान है और एक हिंदुस्तान वह जनता क्लास का है, जिसमें गरीब की बेटी शादी करके आती है, उसे जगह नहीं मिलती है, गाँव से माँ-बाप आते हैं,

अटैची-बक्सा ट्रेन में घुसाते हैं और अपनी बेटी और जमाई को भी उसी डिब्बा में ठेलकर चढ़ा देते हैं। किसी तरह बाप कर्ज करके लाता है, एक दिन के लिए अपनी बेटी को रानी बनाकर ससुराल भेजता है, लेकिन उस ठसमठस क्लास में पसीने के कारण उसके चेहरे का सारा लिपिस्टिक पाउडर-टपकने लगता है, वह अपने पल्लू से उसे पोंछती है और घर जाते-जाते उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी साड़ी का रंग भी उतर जाता है। यह है हिंदुस्तान —असली हिंदुस्तान। क्या उस असली हिंदुस्तान के लिए इस रेल में आप कुछ कर पाएँगे? इसीलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जिस हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ, मुलायम सिंहजी की बात की है, रेवती रमणजी की बात की है, गांधी, लोहिया, दीनदयाल, जयप्रकाश, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल चूँकि वे उस तृतीय श्रेणी में चलते थे, उस समय गरीबों के बीच में चलते थे, इसलिए गरीबों के दर्द को जानते थे। गरीबों के दर्द की कहानी सुनते थे, गरीबों के दर्द से पिघलते थे और इसलिए हिंदुस्तान के गरीब को कुछ देने के लिए नए हिंदुस्तान का सपना देखते थे।

आज हम नेता हैं, ए.सी. फर्स्ट में चलते हैं और जनता ठसमठस क्लास में चलती है। अफसर का और नेता का किसी जनता के साथ रेलगाड़ी में कोई समन्वय है क्या, उनके दु:ख-दर्द की कहानी सुनते हैं क्या? मैं किताब निकालकर आपको बताऊँगा। रेल बजट पर बोलते हुए इसी संसद् में हमारे राजनैतिक गुरु डॉ. लोहिया ने उस समय की भारत सरकार से कहा था कि रेलगाड़ी में सभी श्रेणियों को खत्म कर दो, केवल एक तृतीय श्रेणी रहने दो, एक श्रेणी रहने दो, क्या हम इससे सहमत होंगे? अफसोस कि मैं भी उसे चाहते हुए भी नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि आज राजनीति का चरित्र बदला है, चेहरा बदला है, चिंतन बदला है, संसद् का स्वरूप बदला है। इसका वर्ग और वर्ग चरित्र बदला है, इसलिए हम उस तरह की बात नहीं कर सकते, नहीं तो आज भी मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में समतामूलक समाज लाना चाहते हैं तो रेल उसमें बहुत काम कर सकती है। अगर सभी क्लास को आज खत्म करके केवल सेकेंड क्लास रहने दीजिए और उसमें कुछ सीटें रेल बोर्ड के अफसरों और राजनेताओं के लिए, विधायकों और सांसदों के लिए भी सुरक्षित कर दीजिए तो जब ये भी उस ठसम-ठस क्लास में जाएँगे, इनको भी शौचालय का कष्ट होगा, इनको भी चाय-पानी का कष्ट होगा, 'का दु:ख जाने दुखिया या जाने दुखिया की माँ जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई।' जब इनकी देह में भी काँटे चुभेंगे तो इनको दर्द का एहसास होगा, यह मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ।

नंबर दो—जहाँ-जहाँ छोटी लाइन थी वह इलाका पिछड़ा रहा और जहाँ-जहाँ बड़ी लाइन थी, वह पहले संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले छोटी लाइन थी, उसमें भी बिहार में मिथिलांचल, नेपाल की सीमा पर दरभंगा, मधुबनी से मैं आता हूँ, वहाँ केवल छोटी ही लाइन थी। वहाँ बड़ी लाइन का दर्शन नहीं हुआ। मैं अटल बिहारी वाजपेयीजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मिथिलांचल का कण-कण और जन-जन उनका आभारी रहेगा कि जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने संपूर्ण हमारी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया और कहा कि सभी छोटी लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित हों और दोहरी लाइन बने। लालू प्रसादजी भी आए, वे भी कुछ करके गए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन नई रेल लाइन बिहार में अधूरी पड़ी हुई है। सर्वेक्षण कराने पर कितना दिया है, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 1995-96 से रेलवे की ये योजनाएँ चल रही हैं और उन योजनाओं में 129, आपने संसद् में मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 129 नई रेल लाइनें हैं, जो अभी तक आप पूरी नहीं कर पाए हैं। 45 आमान परिवर्तन की हैं और 164 दोहरीकरण की हैं, जिनमें से 87 के लगभग पूरी हुई हैं, बाकी अधूरी पड़ी हुई हैं। ये कब से हैं, 1995-96 से ये योजनाएँ चलती चली आ रही हैं। जब आपके पास पैसा नहीं था, साधन नहीं था तो दिखावटी काम क्यों किया? क्या लॉलीपॉप बाँटने के लिए कि आओ, आओ

रेलगाड़ी का शिलान्यास करते हैं, लोगों को हसीन सपना दिखाते हैं?

रेलगाड़ी आएगी, उस पर तुम चढ़ जाओगे, पटना जाओगे, बाइस्कोप को देखोगे, लौटकर घर आओगे। बाइस्कोप का सिनेमा दिखाने के लिए रेलगाड़ी का शिलान्यास क्यों किया था? पैसा नहीं था, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को वेतन देने के लिए पैसा है, उनको सुविधा से रहने के लिए पैसा है, उनकी सुख-सुविधा के लिए पैसा है, नौकरशाह को खाना-खर्च देने के लिए पैसा है, लेकिन रेल की बड़ी लाइन, छोटी लाइन, अमान परिवर्तन, दोहरीकरण करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। कई नई रेल लाइन बिहार की पड़ी हुई हैं, अमान परिवर्तन की चार योजनाएँ हैं, वे अधूरी पड़ी हुई हैं, दोहरीकरण की तीन योजनाएँ हैं, जो अधूरी पड़ी हुई हैं। मुँगेर पटना, कोसी और गंडक में पुल बनना था, पटना में अटल बिहारी वाजपेयीजी ने शिलान्यास किया, कोसी में नीतीश कुमारजी रेल मंत्री थे और अटलजी थे, उन्होंने शिलान्यास किया। जब अटलजी कोसी में गए थे, दो-दो दिन पैदल चलकर सतुआ, बगिया, ठेकुआ बाँधकर औरत और मर्द उस कोसी के पेट में, बालू और रेत में लाखों की संख्या में आए थे। अंग्रेजी राज में भपटियाही में रेल का पुल था, ललित नारायण मिश्र रेल मंत्रीजी सपना देखते चले गए, वह नहीं पूरा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयीजी उसका शिलान्यास करने गए थे और लोगों में एक आशा जगी थी, लेकिन आज तक कोसी का वह पुल नहीं बन पाया है। पटना में, दीघा में पुल का पाया बना हुआ है, लेकिन उस पर गाटर नहीं पड़ रहा है, मुँगेर में अधूरा है और गंडक में पुल बनाकर हाजीपुर से छपरावाली दोहरी लाइन करने का काम था, उसके लिए गंडक में पुल बनना था, वह अधूरा पड़ा हुआ है। रेल केवल यात्रा का साधन नहीं है। भारत की रेल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एकता को जोड़ने का कड़ी बनती है। द्वारिकाधाम से कामरूप तक अगर सीधे रेलगाड़ी चला दीजिए तो भारत की पश्चिमी तट पर द्वारिका समुंदर के किनारे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक नगर सबसे अंतिम छोर पर है। कामरूप पूरब में है। अगर द्वारिकाधाम से कामरूप तक सीधी रेलगाड़ी चला दीजिए, तो आप देख लीजिए कि भारत के कितने सांस्कृतिक और धार्मिक नगरों को वह जोड़ेगी। अगर रामेश्वरम् से लेकर हरिद्वार तक गाड़ी चला दीजिए, तो रामेश्वरम् से लेकर बदरिका आश्रम, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का सीधा संबंध जुड़ जाएगा। उसके साथ-साथ भारत की सीमा के किनारे-किनारे नेपाल के साथ हम लोग बसे हुए हैं, सीतमढ़ी से जयनगर, जयनगर से निर्मल्ली को नेपाल के किनारे जोड़ दीजिए, तो उस लाइन का सामरिक और आर्थिक महत्त्व है, उस लाइन का बहुत महत्त्व है। नेपाल की सीमा के साथ-साथ उधर से चीन बढ़ता चला आ रहा है, इसलिए कभी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी और कोसी में अगर दूसरा पुल नहीं बनाते हैं, तो वहाँ कुरसैला पुल है, अगर किसी कारण से वह टूट जाए, तो संपूर्ण उत्तर-पूर्व की हमारी रेल लाइन न होने से सब ध्वस्त हो जाएगी, हम कहीं पलटन नहीं भेज सकेंगे, उनके लिए राहत और राशन नहीं भेज सकेंगे।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस पर आइए। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मालवाहक डिब्बे नहीं बनाते हैं, आज भी क्यों प्राइवेट कंपनी से उसे खरीद रहे हैं? किसान के लिए सबसे ज्यादा खाद चाहिए और खाद के लिए आपके पास डिब्बे नहीं हैं, रैक प्वॉइंट नहीं बनाते हैं, जयनगर में बड़ी लाइन, पंडौल में बड़ी लाइन, दरभंगा तक बड़ी लाइन, उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ बड़ी लाइनें गई हैं, आप रैक प्वॉइंट वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाते हैं? नजदीक में रैक प्वॉइंट बनेगा, तो वहाँ खाद की बोरी उतरेगी, वहाँ से डीलर और एजेंट उसे ले जाएँगे, किसान को सस्ता मिलेगा, उसे सुविधा होगी, लेकिन आप उसे क्यों नहीं बनाते हैं? आप इसे बताने की कृपा करेंगे।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि निजी निवेश से ही जो कंटेनर का टर्मिनल बनाना था, उससे भंडारण क्षमता बढ़ती, कंटेनर टर्मिनल बढ़ता, तो उसे रेलवे बोर्ड ने क्यों नहीं बनाया, क्यों इसको छोड़ दिया? उपाध्यक्ष महोदय,

सबसे आश्चर्य की बात है, रेलवे के पास 10.65 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें से 2,424 एकड़ जमीन अतिक्रमण में है। इसका अतिक्रमण किसने किया? आपने किस अधिकारी को इसके लिए पकड़ा? बिना रेल के अधिकारियों की साठगाँठ के कहीं अतिक्रमण होता है। रेल के अधिकारी आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अतिक्रमण करवाते हैं, रेल की संपत्ति पर कब्जा करवाते हैं, जहाँ रेल के अधिकारी ही रेल की संपत्ति को लुटवा रहे हैं, तो कौन उसे बचा सकताहै?

त्रिवेदीजी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह संसदीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जनता सरकार अभिमुख है, सरकार नौकरशाही अभिमुख है। देश की जनता संसद् की गुलाम है। संसद् सरकार की गुलाम है और सरकार नौकरशाह की गुलाम है। इसका मतलब है कि आज संपूर्ण देश नौकरशाही का गुलाम है। जब हम प्रश्न पूछेंगे और आलोचना करेंगे तो आप उठिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। आप हमारे तर्क को काटिएगा। आप उनको नहीं डाँटिएगा। अफसर गड़बड़ और घोटाला करे और उनके लिए मंत्री जवाब दे। कुत्ता पोसे कोई और उसका जूठन उठाए कोई। गोलमाल करे नौकरशाह और हम आलोचना करते हैं तो दुर्भाग्य है कि मंत्री समझते हैं कि उनकी आलोचना हो रही है। मेरी सरकार की आलोचना हो रही है। मैं बिहार में जब एमएलए था, बाबू दरोगा प्रसाद राय उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। मैं इसी प्रकार सरकार पर करारा प्रहार करता था और वह जवाब भी बहुत देते थे। एक दिन उन्होंने चेंबर में बुलाकर कहा कि हुक्मदेवजी, जब मैं आप को डाँटता हूँ तो आप घबराया मत करिए। विधानसभा में जितनी कड़ाई से आप बोलते हैं, अफसर पर कलम चलाने में मुझे उतनी मजबूती आती है। इसलिए आप खूब कड़ाई के साथ विधानसभा में बोला कीजिए। एक वह नेता थे, जिनकी आज मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन अब तो नेता दो तरह के हो गए हैं। दो तरह के नेता होते हैं, एक देश के खातिर मरते हैं, और एक देश को खाकर मरते हैं। दो तरह के नेता होते हैं। फिर उसके बाद क्या...एकतारा बोले टुनुक-टुनुक रे डमुक-डमुक। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल दो बातें रखकर अपनी वाणी को विराम दूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दो बातें बोलिए, लेकिन वे ज्यादा लंबी न हों।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : रेल में दुघर्टनाएँ होती हैं। वर्ष 2008-2009, वर्ष 2009-2010, वर्ष 2010-2011 और वर्ष 2011-2012, जून तक का आँकड़ा इन्होंने दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुल टक्कर की संख्या 30, पटरी से उतरे 261, चौकीदार रहित फाटक पर दुर्घटनाओं की संख्या 118, आग से हुई दुर्घटनाओं की सख्या-8, विविध दुर्घटनाओं की संख्या 12। कुल दुर्घटनाओं की संख्या 329, रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या 72, घायलों की संख्या 375 है। ये मरनेवाले कौन हैं? क्या कोई बड़े आदमी हैं? सबसे ज्यादा जनरल क्लास (ठसाठस क्लास) वाले लोग मरे हैं। गरीब लोग मरे हैं और घायल हुए हैं और उनमें से आज तक क्षतिपूर्ति के 530 मामले लंबित हैं। उन गरीबों के पास कहाँ इतना समय है कि वह क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ-वहाँ दौड़ेंगे? वे कहाँ-कहाँ खोजने जाएँगे। लोग मर गए। उनके बाल-बच्चे रोते रह गए। वे चले गए। उनके लाश के चिथड़े उड़ गए। उनके लिए रोनेवाला कौन है? उसको खोजनेवाला कौन है? रेलवे के ऑफिसर और रेलवे के अधिकारी मौन हैं। इसलिए कहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्घटना पर काररवाई होनी चाहिए। चूक करनेवाले कर्मचारियों पर क्रमश 200 और 273 पेनाल्टी लगाई गई। 60 लोगों को बरखास्त किया गया। शैलेंद्रजी मुझे खुशी है कि आप आँकड़ा निकालते हैं और संसद् में प्रस्तुत करते हैं।

80 लोगों को बरखास्त किया गया। 80 लोग, जो बर्खास्त हुए हैं वे कौन हैं? वे चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग के कर्मचारी होंगे। वे अनुसूचित जाति, दलित, पिछड़े वर्ग एवं निर्धन-निर्बल के बेटे होंगे। क्या आपने किसी जीएम,

डीआरएम, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर टेक्निकल या स्टेशनमास्टर को बरखास्त किया? वह नहीं किया। वह तो आपके पास फाइल लेकर आएँगे और बोलेंगे, यस सर, टेक्निकल फाल्ट हुआ है, वह गेटमैन था और वह नशा कर सोया था। इसलिए गाड़ी डिरेल हो गई। आप एक ऐसी मशीन लाए हैं कि फॉग में दिखाई देगा। बादी बारह और पंच अठारह। ड्राइवर टीवी पर कह रहा था कि इस मशीन की कोई उपयोगिता नहीं है। इससे और दुर्घटना होने की संभावना है, लेकिन रेलवे बोर्डवाले कहते हैं कि नया मैकेनिज्म और नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। क्यों नई टेक्नोलॉजी लाए हैं? यह टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लायटेशन चलता है। यह टेक्नोलॉजिकल करप्शन है। नई मशीन लाएँगे और मंत्रालय में जाएँगे उसको पास कराएँगे और अंदर-अंदर कमीशन खाएँगे। नई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारा पॉकेट भर जाएगा, गरीब रेल एक्सिडेंट में मर जाएगा। गरीब तो दबे-कुचले हैं, मरते आए हैं, मरते रहे हैं और आगे भी मरते रहेंगे। उनके लिए रोनेवाला कौन है? उनके लिए न हम रोएँगे और न आप रोएँगे। क्योंकि हमारी और आपकी आँखों में उनके लिए आँसू नहीं हैं।

अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि लोग हवाई जहाज में मरें या रेल में मरें, आप उन्हें मुआवजा बराबर क्यों नहीं देंगे? इनसान की कीमत बराबर है या वह वजन पर बिकती है। हवाई जहाज में यदि मोटा व्यक्ति जाता है तो वह ज्यादा मुआवजा पाएगा और रेलगाड़ी में गरीब, दुबला-पतला व्यक्ति चलता है तो क्या वह कम मुआवजा पाएगा? क्या आदमी का मुआवजा भी तोलकर देंगे? 'इनसान बराबर है।' जब हम समाजवादी आंदोलन से निकले थे, उस समय यही धारणा लेकर निकले, यही दर्शन गांधीजी का था, दीनदयाल, लोहिया, आंबेडकर का यही दर्शन था। भारत का दर्शन यही है—सब जन है, एक समान, मानव-मानव एक समान, सब जन हैं ईश्वर संतान। जब सब बराबर हैं, सबमें एक आत्मा है, सबकी जिंदगी की बराबर कीमत है, तो मरने पर उनका मुआवजा भी बराबर क्यों नहीं देंगे। ... (व्यवधान)

ऐसा क्यों होगा कि हवाई जहाज पर बड़ा बाबू मरे तो करोड़ रुपए मुआवजा पाए और रेलगाड़ी में गरीब आदमी मर जाए तो लाख, दो लाख रुपए मुआवजा पाए। अगर कीमत पर ही बिके तो क्या कोई बड़ा आदमी है, जो देश में अपनी लाश बेचने के लिए तैयार है? है कोई बड़ा आदमी, जो अपनी लाश बेचना चाहे, तो गाँव के सब गरीब लोग चंदा इकट्ठा करके कीमत जुटा देंगे, हमें दो-चार लाश दे दीजिए।

मैं प्रार्थना करूँगा कि लंबित योजनाओं को पूरा कीजिए। साधन हैं तो आगे बढ़िए, साधन नहीं है, तो रुकिए। हर योजना को समय पर पूरा करवाइए। धीरे-धीरे पूरा करवाइए। मालगाड़ी के डिब्बे ज्यादा लगाइए। रेल का दोहरीकरण करवाइए। छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाइए और दूर-दूर तक के एरिया को आपस में जोड़िए। रेलगाड़ी में गरीबी, अमीरी का जो अंतर है, उसे मिटाने के लिए द्वितीय, तृतीय श्रेणी और ठसाठस क्लास में जो यात्री जाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़िए। वे दुनिया में जगह-जगह महल बनाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। वही इस देश के भगवान् हैं। भगवान् जिस क्लास में यात्रा कर रहा हो, अगर आप उनकी बहन, बेटी, बच्चों को इज्जत के साथ यात्रा संपन्न करवा देंगे तो मैं समझूँगा कि रेल मंत्रालय ने कुछ किया है। अगर इसमें अपने अधिकारियों के वेतन, भत्ते काटने पड़ें तो काटिए, लेकिन उन गरीब लोगों की यात्रा को सुखी, सरल, सहज बनाइए, इज्जत के साथ करवाइए। ... (व्यवधान) धन्यवाद।

13/12/2011

❑

बजट पर भाषण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले हिंदुस्तान के 6 लाख गाँवों के 85 प्रतिशत गरीब, किसान और मजदूर से इस सदन के माध्यम से प्रार्थना करूँगा कि लोकसभा के चैनल को गरीब के बेटे अवश्य देखें। जिससे उनको यह पता लगे कि संसद् में खड़ा होकर दिल से उनकी वकालत करनेवाला कौन है? मैं किसान से यह भी कहूँगा कि इस देश का गरीब किसान केवल दो बात सीख ले। पवन बंसलजी जानते हैं कि हरियाणा के किसान नेता चौधरी छोटू राम कहा करते थे कि किसानों अपने दुश्मन को पहचान लो और दोस्त को जान लो। अपने दुश्मन से लड़ना और दोस्त से दिल मिलाना सीख लो तो तुम्हारा तकदीर बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के किसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वे जाति, धर्म, संप्रदाय आदि में बँटे रहते हैं इसलिए वे ज्यादा दु:खी हैं। मैं उन गरीब किसान और मजदूर से प्रार्थना करूँगा कि भारत की राजनीति जो आज जाति, धर्म और संप्रदाय के दलदल में फँसी हुई है, अगर तुम अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हो तो साहस करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो और अपने दोस्त तथा दुश्मन को पहचानो। तब तुम नए भारत का निर्माण कर सकते हो।

महोदय, में किसान हूँ। सन् 1967 में मैं बिहार विधानसभा का सदस्य चुनकर आया था। उस समय चालीस किलो चावल का दाम सौ रुपया था। हमारे यहाँ चालीस किलो का मन होता है। एक मन चावल बेचते थे तो सौ रुपया पाते थे। सौ रुपया लेकर बाजार में खरीदने जाते थे तो उस समय यूरिया 45 रुपए बोरी, सीमेंट 10 रुपए बोरी, कुदाल 6 रुपया, हल का फाड़ 2 रुपया, धोती 13 रुपए जोड़ी मिलती थी। एक मन चावल बेचते थे, 76 रुपए खर्च करते थे, पाँच सामान पाते थे और 24 रुपए नकद बचाकर आते थे।

हमारा किसान रिजर्व बैंक का रेपो-शेपो नहीं जानता है। वह तो यही जानता है कि 500 का नोट है, सोना है, चाँदी है, गिन्नी है, कपड़ा है, चावल है, धान है, गेंहू है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, चना है, मसूर है। उसी से हम अपने पैसे निकालते हैं। वही हमारा रिजर्व बैंक का खाता है। जिसको आप इनफ्लेसन कहते हैं, उसकी कीमत क्या है। हम अपने इनफ्लेसन का मूल्यांकन इस प्रकार करते हैं। आज की तारीख में अगर हम चालीस किलो चावल बेचते हैं तो 800 रुपया पाते हैं। भले ही यहाँ 24, 25 या 32 रुपए के दाम कहें, लेकिन हम एक नंबर का चावल बेचते हैं तो 800 रुपया पाते हैं। लेकिन जब सामान लेने जाते हैं तो दाम क्या है—यूरिया 320 रुपए प्रति बोरी, सीमेंट प्रति बोरी 350 रुपया, कुदाल 125 रुपया, हल का फाड़ा 45 रुपया, गरीबवाली कोरी धोती एक जोड़ी 250 रुपया। मेरा खर्च होता है 1060 रुपया और पाते हैं 800 रुपया, माइनस 260 रुपया। अगर 67 के 24 रुपए उसमें जोड़ दें तो हो जाता है 284 रुपया। एक मन चावल बेचने पर प्रति मन हम बाजार से समान खरीदते हैं और 284 रुपए का घाटा उठाते हैं। अगर हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत किसान से प्रति मन 284 रुपया उद्योगपति और व्यवसायी लूट रहा है, बड़े लोग लूट रहे हैं तो इसका इंसाफ कौन करेगा?

मैं वित्तमंत्रीजी से प्रार्थना करता हूँ। मैं सन् 1980 से लेकर सन् 1986 तक राज्यसभा में था तो ये हमारे सदन के नेता थे। मैं तब से इनका बहुत सम्मान करता हूँ और विरोध पक्ष में अगर किसी एक नेता के लिए हम लोगों के मन में सबसे ज्यादा श्रद्धा है तो वह प्रणव बाबू के लिए ही है। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिराजी थी और मैं विपक्ष में था। उस समय मैंने उनसे कहा था कि इंदिराजी आपने कहा था कि 'जात पर न पात पर मुहर लगाओ हाथ पर'। लेकिन आज वही गरीब कहता है कि छोटी दो या मोटी दो, इंदिरा मैया रोटी दो। आज आपने कहा कि जात पर न पात पर मुहर लगाओ हाथ पर और गाँव, गरीब, किसान और मजदूर कहता है कि छोटी दो या मोटी दो सोनिया मैया रोटी दो। सोचना आपको है, क्योंकि सरकार आपकी है। मनमोहन सिंहजी की सरकार नहीं है। अगर इस

सरकार में कुछ है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके ट्रेड मार्क पर कोई सिक्का चल रहा है। अगर आपका ट्रेड मार्क नहीं रहेगा तो सिक्के की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वह जीरो पर आउट हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस पर सोचिए।

महोदय, वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ था। मेरे पिताजी, मेरे आठ चाचा और चार चचेरे भाई समेत चौदह आदमी मेरे परिवार से स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्थर लगा हुआ है। मेरे पिताजी सौ एकड़ जमीन जोतनेवाले थे, वर्ष 1947 में सौ एकड़ जमीन जोतनेवाले किसान का पोता आज अढ़ाई एकड़, पाँच एकड़ जमीन का मालिक बना है। बिरला, टाटा, डालमिया, अंबानी वर्ष 1947 में कहाँ थे, आज उनकी संपत्ति कहाँ पहुँच गई है? क्या आप इसका इंसाफ दे सकते हैं? सौ एकड़ जमीन जोतनेवाले किसान का पोता ढ़ाई एकड़ का मजदूर बनता है और जो पेट्रोल पंप पर नोजल मैन था, उसके खानदान के लोग आज विश्व के सबसे बड़े अरबपति बनते हैं। अगर उन्होंने देश को लूटा नहीं है, गैर-कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित नहीं की है, बैंक से हो या सरकारी खजाने से हो, अगर आपकी सरकार का अनुग्रह उन पर नहीं है तो फिर इतनी संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित की है? यह जो विषमता है, इस विषमता को मिटाने का आप क्या उपाय करेंगे?

आप हमें यह बताइए कि आप इस विषमता को कैसे मिटाएँगे? मैं जो भोग रहा हूँ, वह कह रहा हूँ, 'पंडित बाँचे पोथिन लेखा, कबीरा बाँचे आँखिन देखा।' आप तो आँकड़े बताएँगे, हम आँकड़ों के जाल में फँस जाएँगे, हम तो गाँव के किसान हैं।

आप मेरी बात सुनिए। मैं कहीं हूँ कोई किसी का ट्रेड मार्क नहीं होता है, कोई कांग्रेस में कहीं से चला जाए, इसका मतलब वह कांग्रेसी नहीं हो जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि मुझे इसमें विश्वास है, लेकिन हम डॉ. लोहियाजी की अर्थनीति को माननेवाले हैं। आपने कई चीजों को सुझाया है, मैं माननीय प्रणव बाबू से आग्रह करना चाहूँगा, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, हमारे गुरु डॉ. राममनोहर लोहिया विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत के सुविख्यात अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के विश्वासपात्र साथी थे। डॉ. लोहियाजी बढ़ती हुई कीमतों की वृद्धि पर जो इस लोकसभा में बोले थे, उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा था कि कानून बनानेवाले चीजों के दामों को घटाएँ, न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएँ, अपनी ताकत, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों नहीं लगते हो? इस देश में चार प्रकार के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं, जिनका जीवन सरकार के खजाने पर चलता है, जो वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, पेंशन लेते हैं और ज्यों-ज्यों महँगाई बढ़ती है, त्यों-त्यों उनका महँगाई भत्ता बढ़ता है। एक तरफ व्यवसायी, उद्योगपति हैं, जो मुनाफा कमाते हैं, इसलिए उन पर मार नहीं पड़ती है। अगर मार पड़ती है तो हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत लोग, जो गाँव के मजदूर और किसान हैं, जो बेबस और लाचार हैं उन पर इसकी मार पड़ती है। आप अगर रोकना चाहते हैं तो जैसे इस हिंदुस्तान में महँगाई भत्ता बढ़ाते हैं, एमपी का हो, एमएलए का हो, सरकारी नौकर का हो, महँगाई के साथ अगर महँगाई भत्ता बढ़ाते हैं, वेतन भत्ता बढ़ाते हैं तो मैं माँग करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो 85 प्रतिशत गाँव के किसान, मजदूर गरीब इनसान हैं, प्रत्येक आदमी को कम-से-कम चार हजार रुपया महीना महँगाई भत्ता दे दें, महँगाई मिट जाएगी। हमें भी दें, 60 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, बरसात में गलते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, गरमी में पसीने से लथपथ होते हैं। क्या आपने गाँव की उस गरीब माँ को देखा है, जो जाड़े की रात में पुआल पर सोती है, अपने बच्चे को कलेजे से लगाती है, बच्चा ठिठुर-ठिठुरकर रोता है तो वह अपने तन की साड़ी उतारकर अपने बच्चे को ओढ़ाती है और अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती है। कभी इसी दृश्य को देखकर रामधारी सिंह दिनकरजी ने कहा था—कुत्ते को मिलते दूध-भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से

चिपक ठिठुर जाड़े की रात गँवाते हैं। आज हिंदुस्तान वहीं है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम महँगाई भत्ता क्यों बढ़ाएँगे? सरकार के खजाने को लुटाते चलो। गाँव में एक कहावत है, वीर बहादुर सिंहजी जानते होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कहते हैं कि तेल घटता जाए, नाच बढ़ता जाए। दीपक में तेल नहीं है, नाच बढ़ाते जाते हैं। इस सरकारी खजाने की लूट को बंद कीजिए। दूसरा, उन्होंने इसी लोकसभा में 9 सितंबर, 1964 को कहा था कि दाम तो बाँधे नहीं जा सकते, लेकिन दामों के रिश्ते को बाँधना जरूरी हो गया है। मैं चाहता हूँ कि गेहूँ, सीमेंट, मिट्टी का तेल, कपड़ा इनके रिश्ते बाँध दिए जाएँ, ताकि अगर एक घटे तो दूसरा भी घटे, अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। इससे किसान का भी फायदा है, शहर के उपभोक्ता का भी फायदा है और देश का भी फायदा है।

इसी आधार पर अच्छी योजना बन सकती है। दामों के रिश्तों को बाँधना जरूरी है। बाबू रघवंश प्रसाद सिंह कह रहे थे, आप एक मूल्य निर्धारण आयोग क्यों नहीं बनाते हैं? आप हमारे लिए तो लैंड सीलिंग लगाते हैं कि 16 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। सीलिंग ऑफ लैंड मतलब सीलिंग ऑफ इनकम। हमारी तो सीलिंग ऑफ इनकम है 85 प्रतिशत किसान की और दूसरी तरफ मुट्ठी भर उद्योगपति को कहते हैं कि आपके लिए छूट है, अपटू इनफिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन हम 15 एकड़ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 85 प्रतिशत लोगों के कदम को रोको और 15 प्रतिशत लोगों को आकाश में ऊपर उड़ाओ, ऐसे हिंदुस्तान कब तक चलता रहेगा? इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस तरह से हिंदुस्तान का निर्माण अगर करते रहेंगे तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हिम्मत करिए, कलेजे को मजबूत करिए। वोट लेना था तो इंदिरजी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। अंबानी, बिड़ला, टाटा, डालमिया और एफडीआई लाने का सपना कभी इंदिरा गांधी ने नहीं देखा था। अफसोस है कि मैं इंदिरा गांधीजी का विरोधी था, लेकिन आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी की सबसे प्रबल विरोधी है और इंदिरा की नीतियों का नाश करनेवाली है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस बहादुर महिला से सीखो, जो भारत की लौह-पुरुष थी। हम उनके विरोधी थे। उनकी परंपरा में जो भी हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। मैं राह का विरोधी हूँ, इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

महोदय, मैं प्रणव बाबू से कहना चाहता हूँ कि खानेवाले बढ़ते जाएँ और जोत की जमीन घटती जाए! 1984 में जोत की 13 करोड़ हैक्टेयर जमीन थी, 2005 में 12 करोड़ हेक्टेयर, 2009 में 11.5 करोड़ हेक्टेयर। फिर पेट बढ़ता जाए और जमीन घटती जाए। जमीन क्यों घटी है? आपने एस.ई.जेड. को जमीन दी है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, जहाँ जमीन ऊसर है, बंजर है, पथरीली है कंकरीली है, उपजाऊ नहीं है, वहाँ आप क्यों नहीं देते हैं कि एक नया हिंदुस्तान बनेगा? लेकिन आप नहीं बनाएँगे, क्योंकि अगर वहाँ विकास होगा तो वहाँ गाँवों के दलित, आदिवासी, पिछड़े निर्धन, निर्बल, असहाय, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित समाज के जो लोग हैं, वे वहाँ दुकान खोलेंगे, रिक्शा चलाएँगे, टैंपो चलाएँगे, उनकी रोजी बढ़ेगी, उनमें खुशहाली आएगी। आप नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत व्यक्ति के बेटे की छाती चौड़ी हो, बाँहें मजबूत हों, गरदन ऊँची हो और दुनिया के सामने वह सीना तानकर खड़ा हो सके। आप उनको बौना बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए इस महँगाई की जड़ में सबसे बड़ी बात यह है।

सभापतिजी, मैं एक-दो बातें और जल्दी-जल्दी कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। आपने 8.12.2010 को प्रश्न संख्या 4759 का उत्तर दिया है कि ऊपर से 20 प्रतिशत के पास 52.7 है और नीचे से 20 प्रतिशत के पास 5.2 है। हम कहीं खड़े हैं? किसकी आय बढ़ी है? सुषमाजी कह रही थीं और अपने तर्कों के जरिए उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं, अपने ओजस्वी भाषणों से। यहाँ उनके चार-पाँच भाषण हो चुके हैं। अन्य नेताओं के हुए हैं।

अगर उन सब भाषणों को इकट्ठा कर दिया जाता, एक जगह और आप लोकतंत्र में सहमति बनाते, और जिस सहमति की आवश्यकता है। हम भ्रम में नहीं रहते, बाबू रघुवंश सिंह जैसे बोल रहे थे, मैं नहीं मानता हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ तो आँख मूँदकर केवल आपका विरोध करूँ। बिहार विधानसभा में लिखा हुआ था कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दल भी सरकार के अंग होते हैं। अगर सरकार की राह सही होगी, नीति सही होगी, नीयत सही होगी और नेता भी सही होगा तो हम उनकी मदद भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। अगर नीति गलत होगी, नीयत में खोट होगी, नेता अगर खराब होंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, यह मेरा स्वाभाविक धर्म है।

मैं, अंत में सरकार से प्रार्थना करूँगा कि एक बात पर ध्यान दे। आपका उत्तर है लोकसभा में जिसमें लिखा है कि जून 2010 के अंत में प्रति व्यक्ति 233 अमेरिकी डॉलर हम पर विदेशी ऋण था। यह जो 233 डॉलर ऋण है, हुक्मदेव नारायण यादव ने अमेरिका का क्या खाया है, दारा सिंह ने क्या खाया है, शैलेंद्रजी ने क्या खाया है? हम लोग जो बैठे हैं, हमने अमेरिका का क्या लिया है—नमक, हल्दी, कपड़ा, मकान, दवाई—अमेरिका का क्या है हम पर?

लेकिन हम पर भी 233 डॉलर अमरीका का कर्ज है और आज जो बच्चा जन्म लेगा, वह भी अमेरिका का 233 डॉलर कर्ज लेकर जनमेगा। हिंदुस्तान का हर आदमी विदेशी कर्ज में जन्मता है, विदेशी कर्ज में बढ़ता है और विदेशी कर्ज में ही मरता है। कफन भी विदेशवाले लूटकर ले जाते हैं, यही हमारा हिंदुस्तान है। क्या आप इस जगह इनको रोके रखोगे? एक बात कहकर खत्म करने दीजिए। आपने कहा है कि किसानों को इतना दिया, किसानों को उतना दिया। आपने कितना दिया? अतारांकित प्रश्न संख्या 69 दिनांक 22.2.2011 आत्महत्या करनेवाले किसानों समेत किसानों पर कुल संस्थानिक कृषि ऋण 31.12.2010 तक 5,82,106 करोड़ रुपए। देश के 85 प्रतिशत किसान को आपने कर्ज दिया है 5,82,000 करोड़ और उसी बीच में भारत के जो पूँजीपति लोग हैं, कुछ घराने, उनको आपने कर्ज दिया है 10,54,390 करोड़ रुपए। हम पर बड़ा उपकार किए हैं। जैसे हम भीख माँगने के लिए खड़े हैं—अंधे लाचार को एक रोटी दे दे बाबू। अंधे लाचार होकर हम एक रोटी नहीं माँगते हैं, हम हिस्सा माँगते हैं। हिस्सा दे दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए, मेरी हिस्सेदारी कहाँ है। आपने कहा कि हमने बहुत किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का आपने क्या कर्ज माफ किया है। आपने जो किसान को दिया है, ऋण राहत योजना, 2008 के तहत 31.12.2010 तक 3.69 करोड़ किसानों को 65138 करोड़ रुपए दिए हैं। ऋण राहत योजना में केवल 65138 करोड़ रुपए की माफी हुई है और ढिंढोरा पीटा गया, 76 हजार करोड़ दे दिया, लेकिन आँकड़ा बताता है इतना। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप कीमत को रोकना चाहते हैं तो एक मूल्य आयोग बनाइए, जो खेती की कीमत और औद्योगिक उत्पाद की कीमत को निर्धारित करे और हम लोग समाजवादी, जिस नारे को लोहिया ने कहा और नारा लगाते थे मुलायम सिंहजी और हम सब लोग, नारा लगाते हुए जेल जाते थे, जिसमें कहते थे—''पेट है खाली मारे भूख, बंद करो दामों का लूट। अन्न दाम का घटना-बढ़ना आना सेर के अंदर हो, डेढ़ गुनी की लागत पर करखनियाँ माल की बिक्री हो।'' आप एक नीति बनाइए कि उद्योग के जितने उत्पाद हैं, लोहा, सीमेंट, दवा और कपड़े की कीमत बढ़ती है, घोड़े की चाल से और अन्न की कीमत बढ़ती है, कछुए की चाल से। चर्चा जब हम करते हैं कि गेहूँ के दाम बढ़ गए, चावल के दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़ गए, किसान के उत्पादन के दाम बढ़ गए तो सारे देश के लोग रोते हैं, कलेजा पीटते हैं। लेकिन सीमेंट के दाम बढ़ गए, लोहा, कपड़े, दवाई के दाम बढ़ गए, ये जो दुनिया भर के दाम बढ़ गए, कौन कहता है। माँग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी सस्ती हो, कपड़ा भी सस्ता हो, मकान बनाने के लिए ईंट सस्ता हो, सीमेंट सस्ता हो, लोहा सस्ता हो। जब किसान अपना माल बेचे तो उचित कीमत पाए और खरीदने जाए तो उचित

कीमत पर लाए, तब किसान बचेगा, नहीं तो बेचे सस्ता खरीदे महँगा, दोनों चक्की में किसान पिस रहा है। महँगाई की मार उन पर है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उठिए, जागिए और अपने आपको पहचानिए तथा इस हिंदुस्तान को इस महँगाई से निकालना हो तो कुछ नीति बनाइए। इसमें आप जो भी सहयोग चाहेंगे, सब सहयोग देंगे। संकट मोचक के रूप में प्रणव बाबू आगे आते हैं। इस महँगाई को मिटाने में आप आगे आएँ और सर्वदलीय बैठक बुलाएँ। एक सहमति बनकर निकलेंगी। महँगाई मिटेगी, भारत का कल्याण होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

08/12/2011

❑

बिहार के पिछड़ापन पर गैर-सरकारी संकल्प पर भाषण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय कभी समय था, जब श्री इंदरसिंह नामधारी झारखंड-बिहार के संयुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आज वह भले ही बँट गया हो, लेकिन फिर भी जिसके हृदय में बिहार की मिट्टी की ममता है, वह झारखंड और बिहार को कभी अलग दृष्टि से नहीं देखेगा। हम मानते हैं कि झारखंड हमसे अलग हुआ है। वह हमारा छोटा भाई है। इसलिए हम जब भी सोचेंगे तो यह सोचेंगे कि अगर बड़े भाई की थाली में एक रोटी आए तो छोटे भाई की थाली में भी एक रोटी अवश्य आए। हम जब भी बिहार को विशेष दर्जा देने की माँग करते हैं, तो केवल बिहार के लिए नहीं करते, बल्कि संपूर्ण भारत में अगर कोई इलाका आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, तो उस इलाके को विशेष दर्जा देकर सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, जिसे 'विशेष दर्जा' कहते हैं। जैसे हमने आरक्षण दिया था, तो पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण क्यों दिया? इसलिए कि वे कमजोर, निर्बल और निर्धन हैं। उन्हें विशेष भोजन देंगे, तब वे सबल, सशक्त बनेंगे और समाज की बराबरी में आ सकेंगे। इसीलिए हिंदुस्तान का जो भी इलाका पिछड़ा हुआ है, वह सम्मुन्नत, सशक्त बने तभी भारत सशक्त बन सकता है।

हम वर्ष 2021 के भारत की कल्पना करते हैं। जब संपूर्ण भारत सशक्त होगा, तभी विश्व में भारत सशक्त हो सकता है। अगर एक अंग बहुत ही बलशाली हो और दूसरे अंग में लकवा मारा हुआ हो, तो वह कभी भी लकवामार शरीर लेकर युद्ध भूमि में सफल नहीं हो सकता। अभी पुतुलजी अतीत के इतिहास को कह रही थीं। हमारा इतिहास, अतीत बड़ा ही उज्ज्वल था। वह इतना उज्ज्वल था कि जगतगुरु शंकराचार्य जब अपने अद्वैतवाद के विजय का पताका फहराते हुए गए और मिथलांचल के मंडन मिश्रजी के दरवाजे पर पहुँचे, तो हुआ यह कि अब दोनों बराबर के विद्वान् हैं, जब शास्त्रार्थ करेंगे, तो बीच में पंच कौन बनेगा? उस समय स्वयं शंकराचार्यजी ने कहा कि मंडन मिश्रजी की पत्नी भारती पंच बनेगी और हम शास्त्रास्त्र करेंगे। भारती, मंडन मिश्रजी की पत्नी ने निर्णय दिया था कि इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्यजी विजयी हुए और मंडन मिश्रजी, यानी मेरे पति पराजित हुए। उस समय शंकराचार्यजी ने कहा कि मेरा मत मान लो, तो भारती ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, पंच की हैसियत से निर्णय दिया है, आपने हमारे पति को पराजित किया है। जब आप मुझे पराजित कर देंगे, तब आप विजेता होंगे, इसलिए अब हमारा आपका शास्त्रार्स्थ हो जाए। कितनी दूरी तक हमारा यह अतीत उज्ज्वल था। पहले सुग्गा भी मंडन मिश्रजी के दरवाजे पर संस्कृत का श्लोक और वेद का मंत्र पढ़ता था। दादा के पास हाथी था, लेकिन आज हम उस हाथी का सिक्कड़ लेकर घूम रहे हैं कि मेरे दादा के पास हाथी था, तो इसे कौन मानेगा? आज हम दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में रिक्शा, ठेला, मोटर चलाने का काम कर रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, रात में जाड़े में ठिठुर रहे हैं और भूखे पेट हैं, लेकिन फिर भी हमारा अतीत उज्ज्वल था, लेकिन हमारा राजनीतिक अतीत बहुत ही धुँधला हो गया था। वह इसलिए धुँधला हुआ, क्योंकि जातिवाद के रोग ने बिहार को ऐसा ग्रसित किया कि वहाँ अगर कुरसी पर उनकी जातिवाले पटना में बैठ गए, तो उनकी मूर्ति की वह रात-दिन भजन करते थे कि 'तेरी मूर्ति को नहलाएँगे, तुझे ही खूब खिलाएँगे, तेरे बच्चे बढ़ते जाएँगे और मेरे बच्चे की लाश पर चढ़कर तुम राज करते चले जाना।' यह जो जाति की सड़ांध से बिहार ग्रसित हुआ, आज सौभाग्य है कि बिहार का कायाकल्प हो रहा है। बिहार उस जातीयता के दलदल से निकलकर एक नए बिहार का निर्माण कर रहा है। हम समग्र समाज को जोड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारी आवश्यकता बढ़ी, अभी पुतुलजी कह रही थीं कि हमारे यहाँ नदियाँ हैं। वे नदियाँ बाढ़ के कारण अभिशाप हैं। आप हमें सड़क बना देते हैं।

सभापतिजी, आप वहाँ खूब घूमे हुए हैं। आपने वह बिहार देखा है, क्योंकि आप चप्पे-चप्पे में घूमते थे। जब हम सड़कें बना देते हैं, तो उस समय बड़ी अच्छी बनती हैं—

चमचम सड़कें बनती हैं, उस पर गाड़ी फिसलती है,
एक बार नेपाल में वर्षा होती है, बाढ़ ऊपर से आती है,
सारी सडकें बह जाती हैं, मेरा तो सबकुछ बह जाता है।

घर भी बह जाता है, छप्पर भी बह जाता है और तन के कपड़े भी बह जाते हैं। घर के अंदर चौकी पर चौकी रख देते हैं और उसी पर हमारे बच्चे और हम दो-तीन महीने तक रात गुजारते हैं। उस बाढ़ के कारण हम बरबाद हो रहे हैं। किसी राज्य सरकार की क्षमता है, जो उस बाढ़ को रोक दे। वह बाढ़ तब रुकेगी, जब भारत-नेपाल का समझौता होगा। जब नूनथर, सीसापानी, वराह क्षेत्र में डैम बनेगा और पानी को रोका जाएगा, तब बिहार का कायाकल्प होगा। अटल बिहारी वाजपेयीजी ने सपना देखा था कि पूर्व से पश्चिम तक सभी नदियों को जोड़ दो। हमारी नदियों में जब बाढ़ आती है, तो कुछ नदियों में बाढ़ आती है और कुछ नदियाँ सूखी रहती हैं। जब गंगा नीचे रहती है, तो कोसी ऊपर रहती है और जब कोसी में उफान आता है, तो गंगा नीचे आती है। अगर सारी नदियों को जोड़ देंगे, तो विज्ञान कहता है कि—

Water sets its own level.

जल अपने स्तर को सामान्यत: प्राप्त करना चाहता है, तब हमारे यहाँ वह रुक जाएगा, सड़कें नहीं टूटेंगी, खेती नहीं बरबाद होगी? आपने पुतुलजी को ठीक कहा। पंजाब में नीचे धरतीवाले खान-खदान नहीं हैं, माइन्स-मिनरल्स नहीं हैं।

हरियाणा में नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा अपनी कृषि के बल पर आज भारत के सबसे अग्रणी, एक नंबर और दो नंबर पर आनेवाले राज्य हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। ऐसा क्यों हैं? इसका एक रहस्य है। पंजाब के पास अगर भाखड़ा-नांगल बाँध नहीं होता, तो वहाँ बिजली नहीं होती, भाखड़ा-नांगल न होता, तो उनके खेतों में नहरों से पानी नहीं जाता। आज एक भाखड़ा-नांगल बाँध पंजाब में है और उसी तरह से अगर एक भाखड़ा-नांगल बिहार में हमें दे दीजिए, तो मैं आधे हिंदुस्तान को खिला सकता हूँ, इतना मुझमें पुरुषार्थ है, इतनी हमारी धरती में उर्वराशक्ति है, इतना हम करके दिखा सकते हैं। हम अपने हाथ से पंजाब की खेती में हरियाली ला सकते हैं, हरियाणा की खेती में हरियाली ला सकते हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएँ हैं, उनमें रहनेवाले लोग आते हैं, हँसी-मजाक करते हैं और उन महलों का निर्माण करनेवाले हम बिहारी उसकी छाया में ही सो जाते हैं और अपनी रात गँवाते हैं, फिर भी कभी-कभी किसी प्रदेश के लोग उठते हैं, हम पर जूते-लात चलाते हैं कि बिहारी सभी बाहर चले जाओ। पसीना हम बहाते हैं, महलों का निर्माण करते हैं, तेरे बच्चों को खुशहाल बनाते हैं, हम ठेला ठेलते हैं और तुम हवागाड़ी पर चलते हो, फिर भी हमें कहते हो कि तुम बाहर जाओ, लेकिन एक बात याद रखे दुनिया कि जिस दिन सारे हिंदुस्तान के महानगरों से बिहारी अपना बोरिया-बिस्तर बाँधकर अपने घर बिहार वापस चले जाएँगे, उस दिन महानगरों की सारी रौनक खत्म हो जाएगी, इनकी सुंदरता मिट जाएगी और हमारा बिहार सुंदर हो जाएगा। अभी बिहार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों के लिए बिहार के गाँवों के गरीब किसान की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। पिछली बार जब बोल रहे थे, तो उधर से अधीर चौधरीजी ने संविधान पर कहा था कि जब सदन में सभी दलों के लोग उठते हैं और बिहार को विशेष दर्जा देने की माँग करते हैं, तो मैं संपूर्ण सदन के सभी सदस्यों के प्रति बिहार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।...(व्यवधान) यह प्राइवेट डिस्कशन है और संजय निरुपमजी हमारे साथ हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, वह भी हमारे यहाँ से गए

हुए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि संजय निरुपमजी हमारी कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन मुंबई जाकर नेता बनते हैं, तो इस तरह हमारी कोख की कम कीमत है क्या।...(व्यवधान) इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय विषमता के अंत के लिए व्यापक योजना बनाइए। बंजर, पथरीली, कंकरीली, जंगली जमीन है, वहाँ उद्योग लगाइए। दिल्ली में एनसीआर बनाते हैं, चारों तरफ लोगों को उजाड़ते हैं और यहाँ पर गगनचुंबी अट्टालिकाएँ बनाते हैं। अगर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में बंजर पथरीली जगहों पर कारखाने-उद्योग लगें, तो सड़कें बनेंगी, बिजली जाएगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे। सिब्बलजी कह रहे थे कि अगर पिछड़े क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बना देंगे, तो वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप, हिंदुस्तान को आपने क्या बनाया है? गरीबी के महासागर में अमीरी के कुछ टापू बनाए हैं, अगर उस बंजर पथरीली, कंकरीली जमीन पर पिछले इलाके में उद्योग लगेंगे, तो उनके लिए सड़कें बनेंगी, वहाँ बिजली जाएगी, वहाँ पानी की सप्लाई होगी, वहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनेंगे, वहाँ लोग रहने जाएँगे, तो वहाँ स्कूल बनेंगे। जहाँ सेंट्रल सर्विसेज के लोग जाते हैं, वहाँ आप सेंट्रल स्कूल भी बनाते हैं। अगर उस जगह पर सेंटर की ओर से कारखाने खुलेंगे, केंद्रीय कारखाने खुलेंगे, तो वहाँ सेंट्रल स्कूल बनेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं, ताकि हिंदुस्तान के बड़े लोग हमारे यहाँ उद्योग लगाएँ, पैसा कमाएँगे और उनका हेड क्वार्टर हो कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में। मेहनत करें हम, पसीना बहाएँ हम, रुपया लगाएँ हम।

लेकिन हेड क्वार्टर क्यों लगेगा बाहर, हमारा हेड क्वार्टर हमारे प्रदेश में ही होना चाहिए मुंबई या अन्य जगह नहीं।...

उन मुख्यालयों को हमारे यहाँ बिहार में लाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सबकुछ है। पवारजी बैठे हुए हैं। अगर वे चाहें तो बिहार का कायाकल्प कर सकते हैं। बिहार में किसान हैं, नदी है, पानी है, कई जगह तो बीस फीट पर ही पानी है। अगर हमारे प्रदेश में सिंचाई का और पानी का प्रबंध हो जाए तो हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि हम नए बिहार का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अरबों रुपया चाहिए और हमारे पास कोई टकसाल तो है नहीं। अगर केंद्र सरकार नीतीश कुमारजी और सुशील मोदी को यह पावर दे दे कि तुम अपने यहाँ टकसाल लगाकर रुपया छाप सकते हो, तो हम पटना में टकसाल लगाकर रुपया छाप लेंगे। लेकिन टकसाल है आपके हाथ में इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ कि जब राज्य सरकार, गरीब, निर्बल, पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, तब तक वहाँ का कायाकल्प नहीं हो सकता। हमें अधिकार दो, हमें निर्माण करने का अवसर दो। अगर यह नहीं दोगे तो फिर कहीं-न-कहीं विद्रोह की ज्वाला फूटेगी और फिर लोग नारा लगाएँगे, जैसे पहले कहा करते थे—सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसी नौबत न आए इसलिए इस पर केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए और बिहार की समस्या को समझकर राज्य सरकार की बातों को मानना चाहिए।

सभापतिजी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

26/08/2011

❑

बिहार का पिछड़ापन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय सभापतिजी, अधीर रंजन चौधरीजी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बिहार के बारे में विस्तार के साथ सभी बिंदुओं को सदन के सामने और देश के सामने रखा है। उन्होने आँकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, जो विशलेषण किया है, इसके लिए बिहार के लोग आपके अनुगृहीत रहेंगे। माननीय रंजन प्रसाद यादवजी विद्वान् हैं, प्राध्यापक हैं, अध्ययनशील हैं, उन्होंने काफी आँकड़ों और तर्कों के साथ अपनी बात को रखा है, जो सदन के सामने अभिलेख में है और वह बिहार के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रहेगा।

महोदय, मैं बिहार के उस क्षेत्र का हूँ, जहाँ नदियों के जाल हैं, कोसी, कमला, गंडक, भुतही, बालान, लखनदेई और अधवारा समूह—ये सभी नदियों के ऐसे जाल है कि हम उस जाल के बीच में फँसे रहते हैं। आपने संसार मैं सड़क देखी होगी, लेकिन पानी पर तैरनेवाली सड़क कहीं नहीं देखी होगी। आप बाढ़ के समय में बिहार जाएँगे तो हमारी सडकें ऐसी लगेंगी जैसे पानी पर तैर रही हों।

जब हम चलते थे, छात्र जीवन में थे, पढ़ने के लिए अपने गाँव से दूर मिडिल स्कूल में जाते थे, बरसात के समय में जब कभी साइकिल से जाते थे, तो कब साइकिल मेरे कंधे पर चढ़ती थी और कब हम साइकिल पर चढ़ते थे, इसकी गिनती नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब कीचड़ आ जाए, पानी जा जाए, तो साइकिल को कंधे पर लेते थे और जब सूखी सड़क आ जाए, तो साइकिल पर हम चढ़ते थे। उस कोसी के बीच में, उस कमला, गंडक के बीच में, उस बाढ़ की विभीषिका में, जब हम 15 दिन, महीने भर पेड़ की डाली पर बैठे रहते थे और घुटने भर पानी में हमारी औरतें, जब शौच करती हैं, तो उस दर्द का एहसास उसी को होगा, जो उस रिथति में जीवन गुजारता होगा। ऐसी परिस्थिति है। उससे निकलने के लिए प्रयास भी किए गए। युग-युग से मेरे पूर्वज, हम सभी बैठते हैं और आज तक भोर के समय गाँव के किसान लोग परमात्मा की जो पराती गाते हैं, मैं भी गाता था, जब मैं गाँव का प्रधान था और विधायक था। आज भी कभी-कभी गा लेता हूँ। वह प्राती हम लोग आज तक गाते रहे हैं, उसमें हम यही गाते हैं, यह हमारी मैथिली में है, इसे मैं वैसे ही सुना दूँगा—

''कखन हरब दुख मोर, हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। दुख ही जनम भेल दुख ही गमाउल, सुख सपनेहु नाहि फेर। हे, भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर।''

युगों से हम इसे गाते आ रहे हैं, लेकिन न जाने भोला बाबा कहाँ चले गए, जो युग-युगांतर से मेरे पूर्वजों और हमसे यह गीत सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा दु:ख अब तक दूर नहीं हुआ है। प्रसास हो रहे हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि प्रयास नहीं हुए हैं। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही या किसी की रही, लेकिन विकास करने की या उस दु:ख को दूर करने की जो दृष्टि थी, दिशा थी, वह गलत रही। पिछले छह साल से हम दृष्टि और दिशा के साथ कुछ संकल्प की तरफ बढ़े हैं। जब हमारी दृष्टि सही है, दिशा सही है, संकल्प है, प्रतिबद्धता है और हम पूर्ण निष्ठा के साथ बिहार को खड़ा करके भारत के किसी विकसित राज्य से बढ़ाकर आगे ले जाने का संकल्प लेकर चले हैं और वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सब मिलकर प्रयत्नशील हैं, वहाँ की राजनीति में लगे लोग, प्रशासन के लोग सभी एक साथ प्रयत्नशील हैं, तो उस समय केंद्र सरकार का हमें सहयोग मिल जाए, तो वह हमारे लिए वैसे ही कारगर होगा, जैसे खंभे हैं, तार हैं, ट्रांसफार्मर हैं, लेकिन उनमें अगर बिजली ही नहीं होगी, तो इन सारी चीजों का क्या करेंगे। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सभी चीज हैं, लेकिन लाइन नहीं है, बिजली नहीं है और केंद्र सरकार कहती है कि बिजली देने का काम राज्य सरकार का है, तो हम बिजली कहाँ से लाएँ? बिजली एक-दो दिन में नहीं आ सकती है। हम खेत में बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं,

हम पंपिंग सेट लगाकर बिजली नहीं निकाल सकते हैं। बिजली पैदा करने के लिए पैसा चाहिए, साधन चाहिए, कोयला चाहिए, गैस चाहिए या तेल चाहिए, इन्हीं चीजों से बिजली पैदा होगी! क्या ये सभी साधन हमारे पास हैं? न कोयला है, न तेल है, न गैस है, बल्कि इन सभी चीजों के लिए हम केंद्र पर आश्रित हैं। कह दिया जाए कि बिहार ने बिजली क्यों नहीं पैदा की है, तो यह ऐसे ही कहना होगा, जैसे किसी आदमी का लीवर खराब है और उससे कहा जाए कि तुमने अपनी तंदुरुस्ती के लिए एक लीटर दूध रोज क्यों नहीं पिया।

जिसका लीवर खराब है, वह एक लीटर दूध पी जाए और जल्दी मर जाए। हमारे पास साधन नहीं हैं। आपसे साधन माँगते हैं। बिजली के थर्मल स्टेशन का शिलान्यास भी बाढ़ में किया गया और बनाने की योजना भी पड़ी हुई है। जॉर्ज फर्नांडीज की कृपा है कि 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार में वह मंत्री बने थे तो काटी में उन्होंने एक थर्मल स्टेशन बनवाया था। जॉर्ज फर्नांडीज, जो महाराष्ट्र के थे, लेकिन जब वह केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने ईमानदारी के साथ बिहार को हर चीज देने का प्रयास किया। वह जिस भी क्षेत्र में गए, उन्होंने वहाँ काफी कुछ दिया। उन्हें लोग याद रखेंगे। इस पर चिंतन करने की बात है। 1,25,000 करोड़ के आसपास रंजनजी माँग रहे हैं। 1,25,000 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज भारतवर्ष के अखबारों को निकाला जाए और सभी राज्यों के घोटालों को निकाला जाए तो इससे दस गुना का घोटाला रोज अखबार में छपता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के हैं। मैं इस सदन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयीजी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और जिस मिथिलांचल के हम हैं, जब तक मिथिलांचल की धरती रहेगी, तब तक मिथिलांचल के लोग अटल बिहारी वाजपेयीजी के ऋणी रहेंगे। राजमार्ग संख्या 1, 2, 3, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 यानी 750 कि.मी. सड़कें उस सरकार ने उस उत्तर बिहार के मिथिलांचल को एक बार में दी और एन.एच-57 जो पश्चिम से पूर्व को जोड़नेवाला राष्ट्रीय महामार्ग है, जो द्वारिका से लेकर कोहिमा तक जानेवाला है, वह बिहार के 6 जिलों के बीच से होकर निकलता है। इससे सभी राजमार्ग जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, तब अटल बिहारी वाजपेयीजी को कोसी में ले जाकर रेल महासेतु का शिलान्यास किया, जो अब चल रहा है। उत्तर बिहार के पूर्व और पश्चिम को जोड़कर ऐसा नक्शा बना, जिससे कायाकल्प हो सकता है।

मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा कि एक नौजवान अपनी पत्नी को लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। मोटर साइकिल पर जाते हुए बार-बार पीछे हाथ लगाकर टटोल रहा था। मैंने आगे जाकर रोका और पूछा कि बार-बार पीछे क्या देख रहे हो? तो उसने कहा कि देख रहा हूँ कि पत्नी बैठी है या नहीं। क्या आपने सड़क के गड्ढे नहीं देखे हैं? गड्ढे में मोटर साइकिल गिरती है तो टटोलता हूँ कि पत्नी है या किसी गड्ढे में समा तो नहीं गई। ऐसी दुर्गति चलती रही तो आप समझ लीजिए कि चाहे बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर हों, भोला पासवान शास्त्री हों या हुक्मदेव नारायण यादव हों, बिहार के लोगों की जिंदगी की 25 परसेंट आयु सड़क खा गई है, क्योंकि सड़क पर जब चलते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक हड्डियाँ चरमरा जाती हैं और लगता है कि भारत में कहीं इलाज होगा या नहीं या ऐसे ही हड्डियाँ छिटक जाएँगी। हम ऐसी सड़कों पर चलते रहे हैं और बिहार सरकार ने अपने पैसे से मरम्मत करा दी। 711.97 करोड़ रुपए की मरम्मत करा दी और हमने उस राजमार्ग के लिए पैसे की माँग की तो केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य के पास निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, इन कार्यों को सरकार की पूर्वानुमति लिये बिना किए जाने के कारण धनराशि की प्रतिपूर्ति संभव नहीं हो सकती है। क्या यह इंसाफ है? वहाँ की सरकार ने अपने पैसों से मरम्मत इसलिए कराई कि ट्रक, बस न उलट जाए, दुर्घटना न हो, आदमी न मरे। केंद्र सरकार कहती है कि 11 करोड़ रुपए इसलिए नहीं देंगे कि बिना हमारे आदेश के खर्च क्यों किया?

बिहार में अगर किसी गाँव में आग लग जाए तो क्या केंद्र सरकार से आदेश लेंगे कि दमकल बुलाएँ, आग बुझाएँ, पानी डालें, आप खर्च देंगे या नहीं देंगे? आप देखिए कि यह तर्क कितना अन्यायपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप देखिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। रंजनजी भी माँग कर रहे हैं। यहाँ सड़क स्वीकृत हुई, आपने पाँच केंद्रीय एजेंसियों को सड़क बनाने के लिए लगाया, जबकि इसमें हमारी कोई एजेंसी नहीं थी। प्लानिंग कमीशन ने त्रिपक्षीय समझौता करके पाँच एजेंसियों को काम पर लगाया, दिसंबर 2010 तक पूरी की गई स्वीकृत सड़कों की संख्या कुल 3590, दिसंबर 2010 तक पूरी की गई सड़कों की संख्या 1363, सड़कों की कुल लंबाई 18903 किलोमीटर, जबकि पूरी की गई 6448 किलोमीटर। यही गतिशीलता थी, क्योंकि पैसा नहीं दिया। सड़कें कब बनीं? प्राक्कलन बन गए, अब प्राक्कलन की राशि बढ़ गई। केंद्र सरकार का कहना है कि प्राक्कलन की राशि अब बढ़ गई है इसलिए 2001-02 के प्राक्कलन के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा देंगे, अब प्राक्कलन बढ़ गया है, उसका पैसा नहीं देंगे, आप इसका खर्च उठाइए। यह अन्याय नहीं है तो क्या है? अगर बहुत ज्गादा है तो 90 परसेंट राशि आप दीजिए और 10 परसेंट बढ़ी हुई राशि हम देंगे, हम बोझ उठा लेंगे। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है?

महोदय, आप खेती की बात कह रहे थे, समूचे भारत में सीमांत किसान 64.77 प्रतिशत हैं और लघु किसान 18.52 प्रतिशत हैं। लेकिन बिहार में सीमांत किसान 89.64 यानी 90 प्रतिशत और दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जोतनेवाले लघु किसान केवल सात परसेंट हैं। आप देखिए कि इतना अंतर है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को यह पैसा इसलिए देना चाहिए, क्योंकि सड़क बनानी जरूरी है। मैं दो-तीन मिनट और समय लेकर कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि बिहार जातिवादी है। मेरे पास लिस्ट है—स्वर्गीय अशोक मेहता, स्वर्गीय आचार्य कृपलानी, स्वर्गीय मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, रवींद्र वर्मा, श्याम सुंदर प्रसाद, युनूस सलीम, शरद यादव, इंद्र कुमार गुजराल, ये सभी बिहार से एम.पी. बने। हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य है, जो अपने को उदारवादी और विकासवादी कहता हो, जिसने अपने प्रदेश से बाहर के इतने लोगों को संसद् में भेजा हो, उन्हें चुनाव में जिताकर या राज्यसभा के मार्फत भेजा हो? हमने चुनाव में जिताकर या राज्यसभा के मार्फत भेजा है, सबको भेजा है। यह कहा जाता है कि बिहार में संतुलन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में कितना संतुलन किया है, उदारता दिखाई है। डॉ. कृष्ण सिंह, पंडित विनोदानंद झा, जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दूबे, केदारनाथ पांडे, पाँच ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। सरदार हरिहर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, तीन राजपूत मुख्यमंत्री बने। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दरोगा प्रसाद राय, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, चार यादव मुख्यमंत्री बने। अब्दुल गफूर, एक अल्पसंख्यक वर्ग से मुख्यमंत्री बने। श्री भोला पासवान शास्त्री, अनुसूचित जाति की एक शाखा के मुख्यमंत्री बने। श्री रामसुंदर दास अनुसूचित जाति के दूसरी शाखा के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर, अति पिछड़े वर्ग के थे, जो मुख्यमंत्री बने। हमें इन पर गर्व है कि ये सबसे कम संख्यावाले अति पिछड़े वर्ग के थे और सबसे ज्यादा दिन तक बिहार में जन नेता के रूप में रहे। कृष्ण वल्लभजी, कायस्थ थे, मुख्यमंत्री बने। सतीश प्रसाद कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमारजी जाति के हिसाब से कुरमी हैं, अब मुख्यमंत्री हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। बिहार ने अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, दक्षता, उदारता और महानता से संपूर्ण विश्व और भारत को प्रतिभावान व्यक्ति दिए हैं। केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। यह केवल हमारा ही नहीं हुआ, आप संपूर्ण भारत का नक्शा उलट कर देखिए, क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विषमता अगर देन है तो वह केंद्र सरकार की

आर्थिक नीति और बजट की देन है।

इसलिए मैं श्री रंजन प्रसाद यादव को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ! लेकिन एक बात स्वीकार करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारा भी अपराध है और हम 1959 ई. में ग्राम पंचायत के प्रधान बने थे। मैं इतने दिनों से चुनाव लड़ता रहा हूँ और बिहार की सक्रिय राजनीति में ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रधान, जिला परिषद् का अध्यक्ष, तीन बार एम.एल.ए., एम.पी. भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ। 1959 से मैं राजनीति में सक्रिय रहा। लेकिन हमने पाया कि हमारा भी अपराध था और बिहार के लोग आज इसे अंतर्मन से स्वीकार भी कर रहे हैं कि राजनीति का जातीयकरण हुआ, जाति का अपराधीकरण हुआ, अपराध का समाजीकरण हुआ, समाज का भ्रष्टाचारीकरण हुआ, भ्रष्टाचार का प्रशासनीकरण हुआ और प्रशासन का चापलूसीकरण हुआ। इन सभी रोगों से बिहार पिछले पाँच-छह वर्षों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है और इन सभी रोगों से मुक्त होकर हम एक नए बिहार की रचना करना चाहते हैं, नए समाज की रचना करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पंचायती राज में पचास प्रतिशत आरक्षण देकर हम बिहार से महिलाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। हम सब तरफ नई दिशा दे रहे हैं!

इसलिए सदन से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बिहार के साथ-साथ जहाँ भी भारत का जो प्रदेश अविकसित है, अल्प विकसित है, जहाँ क्षेत्रीय विषमता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता है, इन सभी विषमताओं का अंत करो। अगर ये विषमताएँ नहीं मिटेंगी तो इन्हीं विषमताओं की अग्नि से ही कहीं-न-कहीं उग्रवाद और अतिवाद जन्म लेता है, जो आज भारतमाता के शरीर को छिन्न-भिन्न कर रहा है और भारतमाता के रोम-रोम से रक्त प्रवाहित हो रहा है और भारतमाता रो रही है कि आओ इस विषमता को मिटाकर एक नए समाज की रचना के लिए यह संसद् आगे बढ़े।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

05/08/2011

❑

गैर-सरकारी विधेयक

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस विधेयक के समर्थन में और उसके विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथियों ने अपने विचार रखे। मैं वैजयंत पांडाजी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन और देश का ध्यान आकृष्ट किया है। निशिकांतजी ने विस्तार से इस पर चर्चा की। मैं भारत-नेपाल सीमा पर रहनेवाला हूँ। भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ बिहार का बँगलादेश के साथ भी सीमाएँ जुड़ती हैं। कटिहार से लेकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की तरफ बँगलादेश से भी काफी संख्या में लोग आते हैं और नेपाल के मार्फत अब खतरा ज्यादा बढ़ने लगा है। जो बात निशिकांतजी ने उठाई थी, इसका केवल एक पहलू नहीं है। हमारे देश में जो घुसपैठिए आते हैं, चाहे वे अवैध रूप से आएँ या वीजा लेकर आएँ, चाहे वे एन.जी.ओ. बनाकर काम करनेवालों के साथ मिलकर काम में लग जाएँ, लेकिन वे अनेक रूप से छद्म रूप धारण करके भारतवर्ष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को भी अस्त-व्यस्त कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महताबजी कह रहे थे कि हमारे यही अतिथि की सेवा करने की बात कही गई है। वह तो है, लेकिन जब अतिथि को हम घर में रहने दें और वही हमें घर से बाहर निकाल दे तो उस अतिथि की हम क्या पूजा करेंगे? गणेश की मूर्ति बनाने चलें और वह राक्षस बन जाए, तो उस मूर्ति की पूजा करेंगे या उसको ले जाकर समुद्र में डुबा देंगे? आज यह स्थिति पैदा हो गई है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मधुबनी जिला के कैसे-कैसे संबंध हैं! सरकार की तरफ से अतारांकित प्रश्न संख्या 2335, दिनांक 27.7.2009 में गृहमंत्री ने स्वीकार किया कि उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि आतंकवादी तत्त्वों और बिहार के कुछ लोगों के बीच संपर्क है। अब ये बिहार के संपर्क में है, ये कौन हैं? हमारे यहाँ के तो हैं नहीं। मैं सबसे ज्यादा सघन मुसलिम आबादी से जीतकर आता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो भारतीय मुसलमान हैं, लगातार उनके पूर्वज बसे हुए हैं, उनमें से ये नहीं हैं। वहाँ एक भी राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। लेकिन आखिर ये कौन हैं? उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि आतंकवादी तत्त्वों और बिहार के कुछ लोगों के बीच संपर्क है। जब गृहमंत्री कहते हैं कि संपर्क है तो फिर उनको बाहर निकालने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? अभी एक प्रश्न निशिकांतजी उठा रहे थे।

भारत-नेपाल सीमा पर 4178 लोग वर्ष 2010 तक पकड़े गए थे। भारत-बांग्लादेश की सीमा पर 19091 लोग पकड़े गए थे। तस्करी करनेवाले नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर कुल मिलाकर 23229 पकड़े गए। उनको पकड़ने के बाद उन पर केस चल रहा है। लेकिन उसकी बजायाफ्ता छानबीन होनी चाहिए। वे क्यों आए थे? वे कौन हैं? क्या केवल तस्करी करते हैं या राष्ट्रद्रोही संगठनों से उनका संबंध है? पूरी छानबीन करने के बाद ही उन पर काररवाई की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सदन का एक पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान में विदेशी धन से जितने एनजीओज चल रहे हैं, जो कोई विदेश से आता है, वीजा से या अवैध रूप से आता है, उनका कहीं-न-कहीं इनसे संबंध है। तीन साल का आँकड़ा इस सदन में दिया गया, जिसमें हमें यह बताया गया कि कहाँ से कितना पैसा इस देश में एनजीओज के द्वारा खर्च किया जाता है, वह यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। नेपाल और बांग्लादेश की सीमावाले क्षेत्र में 7854.75 करोड़ रुपए केवल शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए गए। इसमें सरकार ने कहा कि प्राप्त हुई विभिन्न शिकायतों तथा की गई जाँच के आधार पर 41 संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषेध किया गया। 35 संगठनों को पूर्वानुमति श्रेणी में रखा गया। 11 संगठनों के खातों को सील किया गया। ये कौन हैं? इसमें भी जो घुसपैठ करनेवाले एनजीओज के साथ जुड़कर राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होते हैं। विदेशी धन से चलनेवाले एनजीओज उन्हें बचाने का काम करते हैं। मैं आपके सामने

यदि कहूँ तो इस देश में इतना बड़ा मामला है, जो देखने के बाद आदमी का मन घबरा जाता है कि कितना इसमें गड़बड़ किया गया है। सरकार द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करनेवाले संगठनों पर काररवाई के संबंध में सरकार ने कहा कि काररवाई नहीं की है। सरकार ने कहा कि सीमा क्षेत्र का शत्रु द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सरकार ने अतारांकित प्रश्न संख्या 849 दिनांक 24.11.2009 में स्वीकार किया है कि सीमा क्षेत्र को शत्रुओं की खुफिया एजेंसी द्वारा मधुबनी से लेकर बांग्लादेश तक, भारत-नेपाल सीमा तक, लेकिन कोई काररवाई नहीं की गई। सरकार ने हमें उत्तर दिया है उसके आधार पर 28869 करोड़ रुपए भारतवर्ष में, तीन साल का आँकड़ा है, एन.जी.ओ. द्वारा लाया गया।

सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि एन.जी.ओ. विदेशों से धन लेते हैं, शिक्षा के मामले में ये पैसा खर्च करते हैं और कहते हैं कि हम शिक्षा में प्रयुक्त प्रयोजनार्थ राशि जो देश में खर्च हुई है, वह 7229 करोड़ रुपए है और जो भारत-नेपाल सीमा पर है, शिक्षा के प्रयोजन सहित भारत-नेपाल सीमावर्ती राज्यों के विदेशी अभिदाय की राशि 1104 करोड़ है और शिक्षा प्रयोजन सहित भारत-बँगलादेश सीमावर्ती राज्यों की विदेशी अभिदाय राशि 1874 करोड़ है। आखिर नेपाल सीमा पर बँगलादेश की सीमा पर ये शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वे कौन सी शिक्षण संस्थाएँ हैं? सौ एकड़, दो सौ एकड़ में कैंपस बनाए गए हैं, जिनके अंडरग्राउंड में माल लदा हुआ ट्रक घुस जाता है, उसकी जाँच नहीं कर सकते हैं, जाँच करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर इसे रोकना है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से रोक सकते हैं। अगर हमारे हृदय के अंदर अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संस्कृति, धर्म, समाज सभी से प्रेम है और इनके प्रति समर्पण भाव है, तो हम इसे रोक सकते हैं। अगर देश के अंदर ही कोई जयचंद पैदा होगा, देश के अंदर ही विदेशी ताकतों को बुलानेवाला होगा, तो कभी भारतवर्ष को इससे मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। भारत को अगर मुक्ति दिलानी है, तो समर्पण भावना चाहिए, संकल्प चाहिए, कटिबद्धता चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। यह कहकर चलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सीमा में चाहे वैध हो, अवैध हो, घुसपैठिया हो, वीजा सहित रुके हो, उनको खोज कर निकाला जाए।

जैसे चूहे को निकाला जाता है, वैसे उनको निकालिए। सरकार उन पर काररवाई करे। उन्हें खदेड़ कर बाहर करिए और इस देश को बचाइए। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। आयोग के साथ-साथ प्रशासन काररवाई करे जो विजय बहादुरजी कह रहे थे, उससे यह होगा केवल आयोग से समस्या का निदान नहीं होगा। धन्यवाद।

11/08/2010

❑

गैर-सरकारी विधेयक

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस बिल के प्रस्तावक महोदय ने लगभग 50 मिनट तक अपनी बात को सदन के सामने रखा है। लेकिन एक है समस्या को रखना और एक है उसका निदान। जो समस्या है, उसका कारण क्या है और निदान क्या है? किसान की समस्या के कारण और निदान पर हिंदुस्तान के सुविख्यात किसान नेता चौधरी चरण सिंहजी ने जो किताब लिखी थी, उसमें यह लिखा था— "The Economic Nightmare of India, its causes and cure." जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे, तब तक उसका निवारण क्या करेंगे?

महोदय, यह बात सही है कि आजाद भारत में बाल विकास के ऊपर ग्राम विकास के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए राशि खर्च की गई और उसे हम गिनाते जाएँ और कहें कि इतने सौ करोड़, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ और अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आखिर धरातल पर जहाँ से हम आते हैं, वहाँ की वस्तु-स्थिति क्या है, हमें उसे देखना होगा। वहाँ वे गिना रहे थे कि इतनी रक्तहीनता है, इतना कुपोषण है, इतने विकलांग हैं, इतने बीमार हैं तो मैं सबके बारे में एक ही बात जानना चाहता हूँ कि बीज कैसा है? चूँकि मैं किसान हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन में उर्वरा शक्ति नहीं है, तो अच्छे बीज भी उर्वरा-विहीन जमीन में अच्छी उत्पादन नहीं दे सकते। अगर जमीन में उर्वरा शक्ति है या ताकत है तो कमजोर बीज भी कुछ-न-कुछ उत्पादन जरूर दे देता है और वह किसान को निराश नहीं करता।

महोदय, आखिर हिंदुस्तान के बच्चे कमजोर विकलांग और अनपढ़ क्यों हैं? यदि इसकी जड़ में जाएँ, तो पहले उनकी माँ की ओर देखना पड़ेगा। उन माताओं की ओर हमारी दृष्टि इसलिए जाती है, क्योंकि उन माताओं को हमने देखा है। उन्हीं माताओं में से एक माँ मेरी भी थी। इसलिए जब मेरी दृष्टि इन गरीबों के ऊपर जाती है, तो मैं पहले अपने भूत में चला जाता हूँ कि मैं कहाँ से चला हूँ, कैसे बढ़ा हूँ और कैसे यहाँ तक आया हूँ।

महोदय, 4, बिशंभर दास मार्ग पर जब मुझे कोठी आबंटित हुई और उसमें जब मरम्मत का काम चल रहा था, तब मैं एक कमरे में रह रहा था। वहाँ मजदूर काम करते थे। उसका बाप राज का काम करता था। ईंट और पत्थर लगाता था और उसकी पत्नी उसके साथ 'रेजा' के रूप में काम करती थी। संभवत: वे मध्य प्रदेश अथवा बिहार के पूर्णिया या कटिहार की तरफ के रहे होंगे। आदमी राज का काम करता था और उसकी पत्नी मजदूरनी यानी रेजा का काम करती थी। पति है राज अर्थात् मिस्त्री और पत्नी है रेजा। उसके तीन बच्चे, मेरे उस कैंपस में खेलते थे। कभी-कभी उनकी माँ कहती थी कि जा, दौड़कर के ईंट ले आ, पत्थर ले आ। वे पाँच साल, सात साल या आठ साल के बच्चे जाते थे और जब उनसे ईंट नहीं उठती थी, तो ईंट को वे अपने पेट से चिपका कर जैसे बंदरिया अपने बच्चे को पेट से चिपका कर चलती है, वैसे ही वे ईंट को पेट से चिपका कर लाते थे। इस प्रकार वे पेट से सटाकर ईंट ढोते थे और माँ के पास रखते थे। माँ और बाप उन ईंटों को लगाते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा कि इन बच्चों से ईंट क्यों ढुलवाती हो, तो उसने कहा कि बाबू ठेके का काम है, ये बच्चा थोड़ी-थोड़ी मदद कर देगा, तो जल्दी काम हो जाएगा। इसी दिल्ली के अंदर ऐसे बच्चे लाखों की संख्या में हैं।

महोदय, दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहाँ हिंदुस्तान के करोड़पति और अरबपति रहते हैं, वहाँ एक-एक रात में, पंच सितारा होटल में डिनर पर लाखों रुपए फूँक दिए जाते हैं, लंच, डिनर और शादी-विवाहों पर खर्च कर दिए जाते हैं। उनकी पार्टियों में आई.ए.एस., आई.पी.एस. ऑफिसर नेता, व्यवसायी और ठेकेदार जाते हैं। वहीं सड़क के किनारे पेड़ के नीचे वे गरीब पड़े होते हैं। वे पेड़ के नीचे माँ के पेट से जन्मते हैं, वहीं पलते हैं, वहीं बढ़ते हैं, वहीं खेलते हैं? वहीं उनकी जवानी आती है और इस पेड़ के नीचेवाले, उस पेड़ के नीचेवाले की किसी बेटी से शादी

करते हैं, तो फिर पेड़ के नीचे ही खुले आसमान में उनके बच्चे पैदा होते हैं। क्या हिंदुस्तान के लोगों की दृष्टि इस ओर गई? वे कह रहे थे कि यह बच्चे का अधिकार है। मैं कहता हूँ कि बच्चे का वह अधिकार है, लेकिन उन बच्चों को सुधारने का कर्तव्य किस का है? बच्चे को यह अधिकार कब मिलेगा? उन्हें यह अधिकार तब मिलेगा, जब कर्तव्य करनेवाले आएँगे। आखिर उन बच्चों के लिए साधन कहाँ से आएँगे?

सभापति महोदय, मैं 1977 में लोकसभा के लिए चुना गया। उससे पहले मैं तीन बार विधानसभा में चुना गया था। मैंने उससे पहले कभी दिल्ली को नहीं देखा था। जब मैं 1977 में लोकसभा में पहली बार आया, तो मुझे नॉर्थ एवेन्यू में आवास का आबंटन हुआ। मैं दिल्ली के इन ऊँचे-ऊँचे भवनों को देखने के लिए पैदल ही निकल जाया करता था। एक दिन मैं इंडिया गेट पर गया। एक गाड़ी जा रही थी। उस गाड़ी में से एक कुत्ता, खिड़की में शीशे के पीछे से जीभ निकाल कर ऐसे लप-लपकर रहा था। मैं टहलता जा रहा था, लेकिन मैं उसे ऐसा करते हुए देखकर खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा कि यह कुत्ता मेरी तरफ जीभ लपलपाकर क्या कह रहा है?

मैं थोड़ा चिंतन में गया, डॉ. लोहिया की दृष्टि से मैंने खोजना प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि यह कुत्ता मुझे कह रहा है कि ऐ इनसान, तू एम.पी. बन गया है, तेरे तन पर कपड़ा है, तू पैदल चलता है। देख, मैं कितनी लंबी गाड़ी में हूँ, ठंडी में गरम और गरमी में ठंडी गाड़ी है, मैं मेम साहब की बगल में बैठा हूँ, घर में जाता हूँ तो दूध-पाव-रोटी खाता हूँ, सप्ताह में दो दिन मांस भी खाता हूँ और मछली भी खाता हूँ। मुझे मेम साहब कौन-कौन इलायती-विलायती शैंपू से नहलाती हैं कि मेरे शरीर में जूँ न आ जाए। अगर मुझे जुकाम भी होता है तो मुझे गाड़ी पर चढ़ाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मेरा इलाज कराते हैं। बोल, ऐ इनसान, मैं कुत्ता तुझसे अच्छा हूँ या नहीं? क्या इस देश के लोग इस बारे में सोचेंगे? इसी दिल्ली में 100-200 रुपए रोज इन बड़े लोगों के कुत्तों को खिलाने पर खर्च होते हैं और इसी दिल्ली के अंदर 10-20 लाख बच्चे आठ आने और एक रुपए रोज पर भी आज खुराक नहीं पाते हैं। क्या यह देश चलनेवाला है? एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान कैसे चलेंगे?

मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि सरकार से केवल माँग मत करो, आज सरकार किसकी है, आजादी के बाद से आज तक देखो तो सब मिलकर सरकार में बैठे हो, कोई राज्य में बैठे हो, कोई केंद्र में बैठे हो। केंद्र में भी हमारा सरकार चलाने का अवसर आया। मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूँ। इस व्यवस्था को बदलो, जिस व्यवस्था ने इन बच्चों को ऐसा किया है अैर जिन बच्चों की बात मैं कह रहा हूँ, वे बच्चे संयोग से, दुर्भाग्य से किसान के बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं और अगर वे 90-95 प्रतिशत हैं तो उसी में पाँच प्रतिशत ऊँची जाति के निर्धन और निर्बल बच्चे भी हैं। गरीब ब्राह्मण का बेटा भी आता है, होटल में झूठी पत्तल को फेंकता है, झूठी थाली धोता है और रात में जाड़े में ठिठुरता है। वह फुटपाथ पर जब सोता है तो उसी जूट की चट्टी के नीचे वह इनसान का बच्चा सोया रहता है और उसी की बगल में कुत्ते का बच्चा भी उसके साथ गले लगकर सो जाता है। क्या हिंदुस्ताम में इस गरीब को देखा है?

सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि इस संसद् के वर्तमान स्वरूप में और इस वर्तमान आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था के रहते हुए, वे हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, मेहनतकश इनसान के बच्चे कीड़े के जैसे जन्मते रहेंगे, पलते रहेंगे, ठिठुरते रहेंगे, मरते रहेंगे और बहस होती रहेगी, आँख से आँसू बहते रहेंगे, उनको गिनाते रहेंगे कि तुम्हारे लिए हमने इतने अरब रुपए दे दिए, लेकिन वह रुपया यहाँ से चलेगा और रास्ते में पता नहीं कहाँ-कहाँ टपकते-टपकते जाएगा। एक पाइप लाइन दिल्ली से गाँव तक जाती है, जिससे पानी जाता है और ठीक उसके बगल में दूसरी पाइप लाइन है, जिससे रिटर्न होकर ऊपर तक आता है। शिखर से सतह की ओर जाता है और सतह से फिर लौटकर शिखर तक आ जाता है और सतह सूखी की सूखी ही रह जाती

है, इससे क्या निकलेगा? इसे कौन चलाता है? भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी।

मैं फिर कहना चाहूँगा कि गाँवों में गरीबों के लिए तो इतना गिना रहे थे, लेकिन सरकारी बैंक और गैर-सरकारी नए पुराने बैंकों का 2,13,352 करोड़ रुपया एन.पी.ए. खाते और बट्टे खाते में डालकर, जो माफ कर दिए हो, यह 2,13,352 करोड़ रुपया तारांकित प्रश्न संख्या 142 दिनांक 06.06.2010 को वित्तमंत्री ने इसी सदन में जवाब देते हुए कहा है। किसानों को 76 हजार करोड़ रुपया दे दिया तो दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया, जबकि 2,13,352 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के मुट्ठी भर व्यवसायियों का माफ कर दिया गया। क्या ये पैसे लेकर उन बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे, उनको कपड़े नहीं दे सकते थे, उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते थे? हिंदुस्तान के ये मुट्ठी भर लोग देश को लूट रहे हैं और क्यों लूट रहे हैं, उससे आगे आइए।

महोदय, इस देश में गैर-सरकारी संगठन हैं। उसमें कौन लोग हैं? उन्हीं के घर के लोग हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई कमिश्नर है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई राजनीति में हैं। बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना। अफसर बनकर ऑफिस में बैठे हैं, उनके घर के लोग, उनकी पत्नी एन.जी.ओ. बनती हैं, उनके परिवार के लोग एन.जी.ओ. बनते हैं और बाल कल्याण के नाम पर, महिला विकास के नाम पर भारत सरकार का पैसा जाता है। कस्तूरबा गांधी के नाम पर बने स्कूल का पैसा कहाँ गया? कहने के लिए तो दलितों के बच्चों के नाम पर उसका रिकॉर्ड लिखते हैं, लेकिन उनका पैसा कौन ले गया—एन.जी.ओ.। एन.जी.ओ. का क्या मतलब है? इसको भगवान् ही जाने।

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में इसी सदन में सरकार ने स्वीकार किया कि विदेशों से 28,876.90 करोड़ रुपए और शिक्षा के नाम पर 7,229 करोड़ रुपए, यह रुपए 144 विदेशी देशों से लाए गए, लंका से, बांग्लादेश से, घाना आदि से। भिखमंगों से भी भीख माँगने में इस देश के बड़े लोगों को शर्म नहीं आती है। इस देश के गरीबों का कफन बेचकर खानेवाले हिंदुस्तान के उन गरीब के बच्चों को, बाल कल्याण और उद्धार के लिए क्या कह रहे हो? यह पैसा क्यों गया, यह किसने किया है, क्या इसकी आप जाँच कर सकते हैं? अभी शैलेंद्रजी कह रहे थे। इनकी कौन जाँच करेगा? चाहे वह कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वह हर्षद मेहता का केस हो, चाहे आईपीएल हो। जितने आए, सब लूटते चले गए। सदन में बहस होती है। हम सदन को ठप करते हैं, रोकते हैं, तीन दिन तक धक्का-मुक्की करते हैं, उस पर नियम 193 में बहस लाते हैं। हम भी बहस करते हैं। हरियाणा में जिसको कहते थूक बिलोई—इसका मतलब थूक को मथते रहो न मट्ठा निकलेगा, न मक्खन, हम थूक-बिलोई करते हैं, इसमें न मट्ठा निकलता है, न मक्खन।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस बात को गंभीरता के साथ गहराई से कहना चाहता हूँ कि आखिर यह क्यों होता है? यहाँ से पैसे गए, कापार्ट से, दूसरी अन्य जगह से आप एन.जी.ओ. को पैसा देते हैं। यहाँ से पैसा बाल विकास के लिए, महिला विकास के लिए, गरीब के लिए जाता है और उसको एन.जी.ओ. चलाता है। एन.जी.ओ. को कलक्टर एलॉट करता है। क्या किसी एम.पी. के कहने से एन.जी.ओ. को आप पैसे देंगे? मालिक इस देश का कौन है—कलक्टर। मैं नहीं कहता। मैं आपके सामने रखना चाहूँगा—''हमारा देश, समाज, सरकार अभिमुख है और सरकार अफसर अभिमुख है यानी जनता सरकार की नौकर है और सरकार अफसरों की नौकर है।'' (लोकसभा वाद-विवाद, 4 अगस्त, 1967, डॉ. राम मनोहर लोहिया)। हम अफसर के नौकर हैं। इस देश पर संसद् का शासन है। संसद् पर बहुमत दल का शासन है। बहुमत दल पर मंत्रिमंडल का शासन है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का शासन है और प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी अदृश्य शक्तियों का शासन है और उस सबका सूत्र हिंदुस्तान के कलक्टर से जुड़ा

हुआ है, आईएएस अफसर से जुड़ा हुआ है। हम सदन में खड़े होते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। मंत्री खड़े होते हैं, अफसर को बचाते हैं। हम तो अफसर के गुलाम हैं। खाता है अफसर, पचाता है नौकरशाह, लूटता है देश को नौकरशाह, गरीब का खून पीता है नौकरशाह, हड्डी चबाता है नौकरशाह, ब्लैकमार्केटिंग कराता है नौकरशाह, एफसीआई का गेहूँ सड़ाता है नौकरशाह, हमारे देश के बच्चे भूखे मरते हैं और एफसीआई के गेहूँ सड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि क्या इस देश में इसका कोई इलाज है? हाँ, इलाज है, इस संसद् में पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, किसान, मजदूर के बेटे जितने हों, चाहे किसी भी दल में हों, लेकिन स्वाभिमानी बनकर, अपने दल की सीमा को तोड़ दो, अपने नेताओं की दुम को छोड़ दो। कोई माने या न माने इस संसद् में बैठ जाओ और कहो, जब तक इसका फैसला नहीं होगा, तब तक इस संसद् से उठकर हम नहीं जाएँगे, तब कहीं उसका नेतृत्व निकल सकता है।...(व्यवधान)

शैलेंद्रजी, कर सकते हैं। अगर हमने आवाज उठाई तो जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि पिछड़ों की जनगणना को नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया, अगुवाई की।...(व्यवधान) आप मंदिर को छोड़िए, मंदिर पर क्यों जाते हैं। हम मंदिर पर जाते हैं, लेकिन गरीबों के पैसों से अपनी मूर्ति नहीं बनवाते। निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़ों के नाम पर नेता आते हैं, अपने को सजाते हैं, हीरे का हार होगा, रेशमी रुमाल होगा, बॉबी कट बाल होंगे, हमारी मूर्तियाँ बन जाएँगी, लोगों को बुलाएँगे, जय-जयकार करवाएँगे, अपनी-अपनी जाति को भरमाएँगे, देश के नाम पर हम भी खाएँगे, आप भी खाइए। क्या ऐसे चलेगा? मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप उसे मत छेड़िए, उस तरफ मत जाइए, हमने राम के नाम पर देश को बेचा या कुछ किया, लेकिन जनता ने हमें वोट देकर भेजा था! जनता के वोट का अपमान मत कीजिए। बहुत से लोग हैं, जो बहस को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्यों? हम जो विरोधी दल हैं, उनका ध्यान भी उचित प्रश्नों की तरफ उतना नहीं जा पाता, जितना गलत प्रश्नों की तरफ जाता है।

शैलेंद्रजी, हमारी और आपकी चीज है, वह पांडेजी की चीज नहीं है।...(व्यवधान) विरोधी दलों का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि सवाल अच्छे उठाए जाएँ। गलत सवाल उठा दिए जाते हैं, चाहे जितना अच्छा जवाब दिया जाए। लेकिन उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। सदन की शोभा तभी संभव है, जब देश की शोभा बची रहती है। जब तक देश, सदन को अलग करके देखने की परिपाटी और तरीका चलता रहेगा, तब तक शोभा बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए देश और सदन दोनों की शोभा को बनाकर रखना है।

इस देश में गलत बहस को गलत दिशा की ओर चला दिया जाता है। गरीबी मिटाने के लिए मैं अपनी ओर से वादा करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और अगर संपूर्ण सदन निर्णय ले कि खर्च पर सीमा लगाई जाए, हुक्मदेव नारायण यादव अपनी प्राण की बाजी लगा देगा, अपनी सदस्यता को दाँव पर लगाकर खड़ा होगा। लेकिन कोई आए तो। हमें क्यों कहते हैं? क्या यह मेरी जिम्मेदारी है? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, लेकिन भ्रष्टाचार कब मिटेगा। केवल निर्गुण तर्क से नहीं। इसी सदन में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने चर्चा छेड़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई बात कही थी। क्या आज सदन के लोग, देश के लोग तैयार हैं? हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं रह गया, मनमानी का राज हो रहा है। 1963 में श्री लोहिया ने जो कहा था, वह आज भी उसी तरह सत्य है। नियम अच्छे नहीं हैं या उनका पालन नहीं हो रहा है। नतीजा यह होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है। उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नंबर का सवाल है। पक्षपात मनमानी, घूसखोरी, नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिए। भ्रष्टाचार के घेरे को व्यापक बनाइए। सिंहासन और व्यापार के संबंध की तरफ भी मैं आपका ध्यान

खीचूँगा। यह संबंध हिंदुस्तान में जितना दूषित, बेईमान और भ्रष्ट हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी की बेटी, बेटे या रिश्तेदार मेरी राय है कि दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने उनके संबंधी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं। आज हिंदुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिए कि सिंहासन पर बैठे लोगों की मदद लेकर क्या किसी ने व्यापार में लाभ उठाया है। ऐसा कोई व्यापार जहाँ मंत्री को कोई कोटा, परमिट या लाइसेंस देना पड़ता हो, उसमें मंत्री के दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को बिलकुल नहीं आना चाहिए।

जब तक यह सिद्धांत आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का संबंध बिगड़ा ही रहेगा। क्या आज हिंदुस्तान की संसद्, लोकसभा, राजनैतिक दल और संसद् सदस्यों के अंदर इतनी नैतिकता आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता, मानवता, उदारता और दयालुता है? इसलिए मैं इस संसद् में खड़े होकर जब बोलता हूँ तो मैं इस संसद् में ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों उन लोगों को कहता हूँ कि आप किसकी आशा कर रहे हो? छोड़ो इस संसद् की आशा, छोड़ो इस राजनीतिक व्यवस्था की आशा, छोड़ो इस प्रशासनिक व्यवस्था की आशा, तुम हथियार उठाकर नक्सलाइट मत बनो, हिंसा की राजनीति मैं मत जाओ। तुम अगर मर्द हो और तुम्हें अपनी माँ के दूध की लाज बचानी है तो आ जाओ दिल्ली में। इस सड़क पर फुटपाथ के नीचे, जो छोटे-छोटे बच्चे कीड़े जैसे रेंगते हैं, उन 20 लाख माँ-बाप को एकत्रित करो, उनमें ताकत पैदा करो और गांधीजी की तरह तुम संसद् और दिल्ली की सड़कों को घेर लो और कहो—''चाहे हमला जैसा होगा, मेरा हाथ नहीं उठेगा, न मारेंगे, न मानेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे।'' जिस दिन यह ताकत पैदा करोगे, उस दिन हिंदुस्तान का स्वरूप बदलेगा, उन गरीबों के बच्चे बदलेंगे, उनका सबकुछ बदलेगा।

महोदय, अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रार्थना करूँगा कि हिंदुस्तान के ये गरीब बच्चे हैं। गांधीजी, लोहियाजी, दीन दयाल उपाध्यायजी, आंबेडकरजी आदि सबने कहा—कोई समता समाज, कोई समरस समाज, कोई अंतिम मानव आदि सारे सिद्धांत आए और उनके माननेवाले गद्दी तक भी आए, लेकिन उन सबके शिष्य अपने-अपने गुरुओं को भूल गए। इसमें मैं किसी एक के बारे में नहीं कहूँगा। गांधीजी की मूर्ति बना दी गई, उनके गले में माला डाल दी गई। आंबेडकरजी की मूर्ति बन गई, उनके गले में माला डाल दी गई, लोहियाजी और दीन दयाल उपाध्यायजी की मूर्तियाँ बन गईं, उनके गले में माला डाल दी गई, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत को राजनीति ने नहीं अपनाया है। इसलिए इन बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान तब मिलेगा, जब उनकी माँ की कोख मजबूत होगी। जब माँ की कोख से ही बच्चे बीमार निकलेंगे, विकलांग निकलेंगे, तो उनको आप कैसे सुधार सकते हैं? उन माँ के स्तनों में दूध नहीं है, शरीर में खून नहीं है, पेट में बच्चा होते हुए आठ घंटे मजदूरी करती हैं, सिर पर टोकरी उठाती हैं, ईंट-गारा उठाती हैं, खाली पेट सोती हैं। माँ तो सूखी रोटी और नमक प्याज खाती है और एक तरफ कुत्ते पर एक सौ, दो सौ रुपया रोज इनसान खर्च कर रहा है। आज उठो, इस कुत्ते के ऊपर सौ रुपए खर्च करनेवाले और हिंदुस्तान के इन गरीब बच्चों को भूखा रखनेवालों की दुनिया को तोड़ दो, तब आप नया हिंदुस्तान बना सकते हैं। क्या आप उसे बना सकते हैं? क्या हम इसे कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं-न-कहीं हमारा रिश्ता भी उनसे बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। हम कहीं दब जाते हैं, इसलिए हम कठोरता के साथ अपनी करुणा की धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहूँगा, ''आओ, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख-लाख झोंपड़ियों में छायी हुई उदासी है, सत्ता संपद के बँगले में हँसती पूर्णमासी है। यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों

क्रांति द्वार पर आई है।'' जिस दिन इस संसद् का स्वरूप बदलेगा, संसद् का रूपांतर होगा, तब संसद् का कायाकल्प हो जाएगा। जिस दिन इस संसद् में करुणा आ जाएगी, जिस दिन इस संसद् में मानवता आ जाएगी, जिस दिन इस संसद् की धरती कराह उठेगी, जिस दिन हम इस मिट्टी की कराह को समझ लेंगे और समझेंगे कि हिंदुस्तान की माता, माता है चाहे वह राजमहल की माता हो या झोंपड़ी की हो, माता, माताहै।

यादेवी सर्व-भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता:

नमस्तस्ये-नमस्तस्ये, नमस्तस्ये-नमस्तस्ये, नमो नम:।

जब तक उन माताओं के स्तनों में दूध न हो, उनके शरीर में खून न हो, उनके पेट में रोटी न हो, वे सूखी रोटी खाएँ, प्याज खाएँ एक तरफ कुछ माँ हैं, जो डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शंस से ड्राईफ्रूट खाती हैं, फ्रूट्स खाती हूँ, हरी सब्जी खाती हैं, मक्खन खाती हैं, लाख-लाख चीज खाती हैं।

तेरे पेट के अंदर बच्चे बलवान, पुष्ट, बुद्धिमान होते हैं और मेरे बच्चे माँ के पेट में ही विकलांग होते हैं। हिंदुस्तान के 95 प्रतिशत माताओं के गर्भ आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनमें विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। जहाँ 95 प्रतिशत माताओं की कोख कमजोर हो, माता के शरीर में खून न हो, बच्चे विकलांग पैदा हों, वह राष्ट्र कभी सबल और समृद्ध हो नहीं सकता है, इसलिए यह झगड़ा 5 या 10 प्रतिशत ऊपरवाले के बीच में फँसा हुआ है। आइए, हम सब अपने को बदलें, अपनी सुविधा की बात छोड़ें, अपने सुख की बात छोड़ें। आइए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अगर अपना सर्वस्व अर्पित करने से भी भारत का भविष्य बन सकता है, तो भारत का भविष्य बनाने में लगें, तभी कुछ निकल सकता है। नहीं तो यह बहस निरर्थक है, इससे कुछ निकलनेवाला नहीं है। धन्यवाद।

13/08/2010

❑

गैर-सरकारी विधेयक

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, रघुवंश प्रसाद सिंहजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन कोई भी प्रस्ताव निर्गुण होता है। उसको सगुण बनाने के जब किसी ठोस कार्यक्रम की बात नहीं होती है, तो निर्गुण से लाभ नहीं मिलता है। जो बात वह कह रहे हैं, मैं उस पर आता हूँ कि इसके लिए संसाधन आएगा कहाँ से और जो कोई इस देश में कहते हैं कि संसाधन का अभाव है, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश में संसाधन का अभाव नहीं है, बल्कि दृष्टि और इच्छाशक्ति का अभाव है।

कबीरदासजी ने कहा था—जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लगा काई तो दरस कहाँ से पाई। अगर हम इस देश के उस निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित वर्ग के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते हैं, उन्हें भी मानवता के जैसे समता और समरसता के समाज में जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें पहले अपने आपको बदलना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि केवल सरकार के करने से यह होगा। अगर हम इस बात को कहें कि सरकार के करने से यह हो सकता है, तो सभी पार्टियों की सरकारें यहाँ आई हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इसलिए नहीं निकल पाया कि जब तक राष्ट्र की इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी, समाज की इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी और भारत की संसद् भारत के विधानमंडल, भारत के नौकरशाह जब तक अपने को रूपांतरित नहीं करेंगे, तब तक नए समाज का जन्म नहीं हो सकता।

महोदया, मैं कल प्रणव दादा का भाषण सुन रहा था। पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हाजी ने बड़े अच्छे-अच्छे तर्क अपने भाषण में दिए थे। जब दादा बोल रहे थे, तो उनके तर्कों को काटते नहीं थे। कहते थे कि अपनी जगह पर आपका तर्क भी सही है, लेकिन आज की तारीख में इसका यह विश्लेषण है और इसका यह अर्थ भी निकलता है। मैं बहुत आनंद ले रहा था कि एक विद्वान् के तर्क को एक विद्वान् अर्थशास्त्री और वित्तमंत्री कैसे एक-दूसरे के तर्कों पर चर्चा कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। वह भी आनंद ले रहे थे और उन्होंने जवाब भी दिया। मुझे भी आनंद आ रहा था, जब यशवंतजी बोल रहे थे, तब भी मैंने ताली बजाई और जब प्रणव बाबू बोल रहे थे, तब भी मैंने तालियाँ बजाईं, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से सही थे। सत्य तब निकलता है, जब हम पूर्वग्रह से मुक्त होते हैं। उसी बीच में जब वह बोल रहे थे, तो हमने आवाज उठाई सांसद निधि कोष का क्या होगा। उस समय संपूर्ण सदन के सदस्यों की एक राय थी, एक दृष्टि थी। जिस दिन इस संसद् के सभी सांसद एक साथ खड़े हो जाएँगे कि भारत से गरीबी को मिटाना है, समता समाज लाना है, राष्ट्र को बलवान बनाना है, उस दिन राष्ट्र का रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद् उस मामले में कभी इकट्ठी खड़ी नहीं हुई। नहीं होगी, क्योंकि जब हम इस ओर बढ़ेंगे, तब हम लोग गाली देने लगेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने कितना खाया, तुमने कितना गरीब का खून चूसा। इस उलझन में हम लोग लग जाते हैं। इसीलिए हम इस बात की ओर बढ़ें।

मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस देश में नौकरशाह हैं। उनके चौथा, पाँचवाँ और छठा वेतन आयोग बनता है। इससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होती है, सुख में वृद्धि होती है, सुविधा बढ़ती है। इसलिए जब-जब महँगाई बढ़ती है, तब-तब महँगाई भत्ता भी बढ़ता है और उनके वेतन में इजाफा होता है। सरकार का खजाना लुटता है, लूटनेवाले की पॉकेट में जाता है। इसलिए महँगाई की मार को वह क्या जाने कि महँगाई क्या होती है। इसलिए इस देश में एक सुविधाभोगी वर्ग है, समृद्ध वर्ग है। उस वर्ग में जो राष्ट्र के खजाने से वेतन पाते हैं, वह शामिल है। उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, नौकरशाह भी हैं और व्यवसायी भी हैं, जो सरकारी खजाने से सुविधा पाते हैं, वेतन पाते हैं। मैं व्यवसायी का नाम इसलिए लेता हूँ कि आज सरकार ने जवाब दिया कि एनपीए खातों में 1,89,036 करोड़

रुपया बकाया है। उसके अलावा 24,316 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया है। अगर सरकार के पास और हमारे पास संकल्प हो, तो इसे रिकवर किया जा सकता है। मेरे पास सन् 2008-2009 के एक अतारांकित प्रश्न संख्या 2893, 24 जुलाई, 2009 के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया था कि लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों सहित सन् 2008-2009 में 10,54,390 करोड़ रुपया इन पर बकाया है। इस वर्ष में आकर जो जवाब मुझे मिला, वह 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। रघुवंश बाबू, इन बड़े उद्योगपतियों पर जो 14 लाख करोड़ रुपए बकाया है। उसके अलावा एनपीए में जो छोड़ दिया गया है या बट्टे खाते में जो पैसा डाल दिया गया है, यह कुल मिलाकर 16-17 लाख करोड़ रुपया बनता है। अगर देश में संकल्प हो, संसद् में संकल्प हो, हम अपने रिश्ते को छोड़ दें, उन उद्योगपतियों से नाता तोड़ लें, तो देश का कितना विकास हो सकता है इस पैसे को वापस लाने में, यह आप समझ सकते हैं।

देश के उद्योपतियों को कौन बुरा कहता है, इसलिए कि जो उद्योगपति हैं, जो ऊपर के 20 घराने हैं, ईमानदारी से कहो कि उन 20 घरानों का संबंध किस राजनीतिक दल से नहीं है।

सबके घर में जाता है, सब के घर में बैठता है, सब के घर में खाता है, सब को कुछ खिलाता है, उनके साथ क्या हम आँख में गरमी लेकर लड़ सकते हैं? हमारी आँख में शंकर के त्रिनेत्र की ज्वाला नहीं आएगी। डॉ. लोहिया ने कहा था कि एक आँख में तुम्हारे शंकर के त्रिनेत्र की गरमी हो, दूसरी आँख में गरीबों के लिए करुणा की धारा हो, तभी आप इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?

छठा वेतन आयोग आएगा तो राजनैतिक दलों से लेकर सभी राज्य सरकारें कहेंगी कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दो, बोनस दो, उनको सबकुछ दो, लेकिन इस देश में 85 प्रतिशत लोग, जो गाँव में हैं, 70 प्रतिशत किसान और मजदूर हैं, जो आधा पेट खाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते हैं।

महोदया, जब मैं बोलता हूँ तो मुझे अपना घर याद आ जाता है। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, तब मेरी माँ मजदूरी कैसे करती थी, वह मुझे याद आता है, उस दर्द को कौन जानेगा? आज लाखों माताएँ झोंपड़ी में सोती हैं, चटाई ओढ़ती हैं अपने बच्चे को कलेजे से लगाती हैं, वह रात में एक धोती के सहारे खुद अधनंगी सो जाती हैं। क्या उन गरीब माताओं को किसी ने देखा है? मैंने देखा है क्योंकि हम और हमारे कुछ साथी उस रास्ते से निकलकर इस संसद् में आए हैं।

चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मेरी नजर एक बार अपने गाँव में जाती थी, जहाँ वही मिट्टी की दीवारें, वही फूस का झप्पर, वही कच्चा कुआँ, वही आधा घर, वही गाय-भैंस और वही साइकिल। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर इस देश के उन गरीबों को उठाना चाहते हैं तो निर्ममतापूर्वक इस संसद् को सोचना पड़ेगा, निर्ममतापूर्वक इस संसद् को अपने को बदलना पड़ेगा।

मैं एक-दो उदाहरण डॉ. लोहिया का देकर अपनी वाणी को विराम दूँगा। रघुवंश बाबू और हम उसी स्कूल से आए हैं। समाजवाद के बारे में डॉ. लोहिया ने उस समय कहा था कि समाजवाद अन्य किसी सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद की एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो तो आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी और उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो, उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता, और उसके बाद एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ। यह है समाजवाद की व्याख्या, यह है समाजवाद का मतलब। जब हम इसके लिए चलते थे, एक ही नारा लगाते थे, राजा पुत्र निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान। सौ से कम न हजार से ज्यादा,

समाजवाद का यही तकाजा। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हजारों लोग गरीबों के घर से निकलकर आएँगे, लड़ते-लड़ते मर जाएँगे, चिता पर चले जाएँगे, बिना कफन के जल जाएँगे, उनकी आवाज गूँजती रह जाएगी, लेकिन इस देश का कुछ भी हिलनेवाला नहीं है, क्योंकि यह देश कपटी और पाखंडियों का देश है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर कहना चाहता हूँ, हमारे गुरु डॉ. लोहिया ने कहा था कि जब कोई सरकार या देश संपत्ति संचय और असत्य बातों के रास्ते पर चला जाता है, तब भूख को वह मिटा नहीं सकता, भूख को वह ही मिटा सकता है, जो सत्यवादी बने और संपत्ति संचय को छोड़े। क्या हम देश में अधिकतम और न्यूनतम का कानून बना सकते हैं? सबसे नीचे एक और सबसे ऊपर दस। अगर महामहिम राष्ट्रपति का वेतन डेढ़ लाख रुपया है तो हिंदुस्तान के सबसे नीचे हल चलानेवाले किसान को उसका दसवाँ हिस्सा मिलना चाहिए। जिस दिन एक और दस का अंतर इस देश में आ जाएगा, उस दिन यह देश विश्व का सबसे संपन्न और बलवान देश बन जाएगा।

क्या हम ऐसा कर पाएँगे? उन्होंने कहा कि कानून बनानेवाले चीजों के दाम घटाएँ, न कि अपनी तनखाहों को बढ़ाएँ। अपनी ताकत, अपनी तनखाह बढ़ाने की बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों कुछ नहीं करते हो। उन्होंने 10 अप्रैल, 1964 को संसद् में बोलते हुए कहा था, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। पैसे आएँगे, लेकिन उसके लिए पहल कौन करेगा? जैसे सरकारी नौकर कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, मेरी माँग पूरी हो। वैसे ही हम भी सांसद और विधायक देश में कहते हैं कि जैसे महँगाई बढ़ गई, सरकारी नौकरशाह लूट रहा है, उसी के अनुपात में मेरी भी तनख्वाह, वेतन और भत्ते बढ़ा दो। सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ता जाएगा, तो गरीबों के लिए पैसा कहाँ से बचेगा। अगर यह नियम बने कि न सौ से कम और न हजार से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। क्या हम इसे मानने के लिए तैयार हैं?

दूसरी बात मैं एक और कहूँगा। कल प्रणव दादा कह रहे थे एनसीएईआर। उसमें था कि उस समय देश में बिरला सबसे ऊपर थे, लेकिन आज अंबानी ऊपर है। उस समय एनसीएईआर ने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि इस देश के नीचे के 20 फीसदी लोगों की कुल जायदाद तराजू के एक पलड़े पर और बिरला की जायदाद तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दें तो अकेले बिरला की जायदाद उनसे ज्यादा है। आज की तारीख में अंबानी घराने की कुल जायदाद तराजू के एक पलड़े पर रख दी जाए और दूसरे पलड़े पर हिंदुस्तान के 30 प्रतिशत निर्धन गरीब वर्ग के लोगों की जायदाद को रख दिया जाए, तब भी अंबानी की जायदाद का पलड़ा भारी होगा, लेकिन अंबानी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि अंबानी की सभी जगह पैठ है। सभी दरबार में अंबानी की जय-जयकार है। इसीलिए आज व्यापारी निर्भय है, उद्योगपति निर्भय है, भ्रष्टाचारी निर्भय है, देश को लूटनेवाला निर्भय है, अपराध करनेवाला निर्भय है, क्योंकि उन्हें संरक्षण देनेवाला प्रशासन और राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ है। हमारे गाँव में कहते हैं—पिया भए कोतवाल, तो डर काहे का। जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलेगा, वह क्यों डरेगा। सबसे ज्यादा संरक्षण जाति के नाम पर मिलता है। लोहियाजी कहते थे कि जाति के गंदे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े पैदा होते हैं, पनपते हैं और देश को चाटते हैं। कोई भी भ्रष्ट-से-भ्रष्ट अधिकारी हो, जाति के नाम पर पार्टियों के लोग उसकी संरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने बिहार में मधुबनी में इस बात को भोगा है। वहाँ डीडीसी एक जाति विशेष का था, उसने भ्रष्टाचार किया। जिला परिषद् को लूटा। मैं उसके खिलाफ लड़ा, लेकिन सभी पार्टी के उसकी जाति के नेता उसके पक्ष में खड़े हो गए। हम अपने चरित्र से उस पाखंड को छोड़े। शैलेंद्रजी बैठे हैं, रघुवंशजी भी राजपूत भले हों, लेकिन वे जिस परिवार से हैं, मैं जानता हूँ। जिस धारा में थे, कितनी रातें जमीन पर सोए होंगे, साइकिल पर चले होंगे, सूखी रोटी खाई होगी, इसे शरीर ही जानता है। मँगनी लाल मंडल यहाँ हैं, वे

किस परिवार से उठकर आए हैं, वे स्वयं जानते हैं। 'जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, का दु:ख जाने दुखिया का, दु:ख जाने दुखिया की माई।' मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। अनपढ़ थे। आधी धोती पहनते थे, आधा तन ढकते थे। कभी देह पर गंजी और पूरी बाजू का कुरता नहीं देखा था, लेकिन मैंने उनके साथ खेत में काम किया है। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर आधा एकड़ जमीन जोतनेवाले नाई के बेटे थे। जिस दिन वे मरे उस दिन आधे एकड़ का आधा जमीन रह गया। यही चादर सुर मुनि ओढ़े, ओढ़कर मैली कीन्हीं, जतन से ओढ़े दास कबीरा जस के तस धर दीन्हीं, चदरिया झीनी रे झीनी। वे महान् कर्पूरी ठाकुर दस कट्ठा जमीन जोतनेवाला नाई का बेटा बिहार का दो बार मुख्यमंत्री बना। दस साल तक बिहार का एकछत्र जातिवादी नेताओं के कलेजे पर चढ़कर हम लोगों के कारण वे बिहार के राजा बनकर रहे।

जब वह मरे तो दस कट्ठा जमीन छोड़कर चले गए। आज हम एमएलए, एमपी बनते है। बाप हल चलाता है, बेटा लखपति बन जाता है। बाप-माँ कहीं रहते हैं, बेटा लखपति, करोड़पति बन जाता है। हमको चढ़ने के लिए साइकिल नहीं रहती है, यहाँ आते हैं तो स्कॉरपियो से ऊपर एक फॉर्चून गाड़ी निकली है, हम तो डिसफार्चुनर हैं। बाकी फॉर्चूनवाले हैं। वहाँ हम जाते हैं तो हम क्या गरीबों के रह पाते हैं, रघुवंश बाबू, इसलिए इस संसद् के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। संसद् इतिहास बदल सकती है। संसद् उन गरीबों को 3000 रुपए महीना भत्ता दे सकती है। संसद् चाहे तो उनकी जिंदगी में नई रोशनी ला सकती है। संसद् चाहे तो जाति को मिटा सकता है और संसद् चाहे तो इसी हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बना सकती है लेकिन—इस 'लेकिन' पर आकर मैं रुकता हूँ, क्योंकि जिसको बदलना है, वे नहीं बदलेंगे। लंबी-लंबी बात हम करेंगे, लेकिन हम इतिहास नहीं बना पाएँगे और न ही हम इस संसद् को बदल पाएँगे। आइए, इस देश को मजबूत और बलवान बनाना है।

मैं कॉमनवेल्थ गेम्स और दुनिया के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ। 1000 रुपए की चोरी हो जाती है तो कलेजा फटने लगता है। यहाँ खड़ा होता हूँ, 1000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए। कोई सड़क खा गया, कोई हवाई जहाज खा गया, कोई स्टेडियम खा गया। अरे उसका पेट है कि राक्षस का पेट है कि ईंटा, रोड़ा, गिट्टी खाता है, सबकुछ खाता है, सबकुछ पचाता है। अब क्या बाकी है, जो छोड़ देगा और पचाते-पचाते इस देश के 85 प्रतिशत निर्धन, निर्बल गाँव के गरीब किसानों की हड्डी पचा गया, उनका मांस पचा गया और खून पी गया। तब भी हम नहीं चेतते हैं, हमारी आँखें नहीं खुल रही हैं।

अंत में, मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा कि यह जो 3000 रुपए आपने मासिक भत्ता देने की बात कही है, जब लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय किसान की हैसियत से मैं उसमें बैठता था और मैंने उसमें यह प्रस्ताव रखा था। हमारी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि कैसे होगा, लेकिन आडवाणीजी ने कहा कि क्यों नहीं होगा? हुक्मदेवजी जो कह रहे हैं सही है। इतने लोगों को अगर पेंशन मिलेगी तो गरीब किसान को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? क्या 100 रुपए रोज भी पेंशन नहीं मिलेगी? हम सौ रुपया रोज नहीं माँगते। हम कुछ नहीं माँगते। भारत सरकार का जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, उसको जितनी पेंशन देते हैं उस फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी के बराबर ही उन गरीबों को पेंशन दे दो। क्या उतना भी नहीं दे सकते हैं? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 3000 रुपया कम-से-कम अगर उनको महीने का मिले, क्योंकि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, खाट पर पड़ी रहेगी, बेटा आएगा, बहू आएगी, सेवा करेगी कि बूढ़ा-बुढ़िया ज्यादा दिन जिंदा रहें, क्योंकि 3000 रुपए पेंशन मिलेगी और वे भी खाएँगे। वे सोचेंगे कि बूढ़ा-बूढ़ी हमारे बेटा-बेटी को भी पढ़ाएँगे। इसलिए हमारा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक सम्मान होगा। इसलिए आइए, संसदीय और प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दीजिए। हिंदुस्तान में एक समता समाज लाने के लिए गांधी, आंबेडकर, लोहिया, इनकी दीन दयाल दृष्टि के

आधार पर नए भारत का निर्माण करने के लिए हम आह्वान करते हैं।

अंत में, मैं इस लोकसभा चैनल को चलानेवाले को धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरी बात को देश के लाखों गरीब सुन रहे हैं। यह संसद् बदले या न बदले, हम बदलें या न बदलें। नौजवानों, यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। विज्ञान को छोड़ दो। उनमें ताले लगा दो। सड़क पर आ जाओ। दिल्ली में बीस लाख लोग पटरियों पर सोते हैं, उन गरीबों को उठा लो और एक दिन इस संसद् के चारों तरफ घेरकर तुम बैठ जाओ कि जब तक तुम अपना अधिकार नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा घेरा नहीं उठेगा। जिस दिन यह बीस लाख लोगों के साथ वह नौजवान निकलकर आएगा, उस दिन वह इस देश का इतिहास बदल देगा। हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि हम और आप कहीं-न-कहीं उस सुविधा के भी समाज के अंग बन गए हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि देश के नौजवानों, गरीब किसानों, हम बदलें या न बदलें, हमसे आशा छोड़ो, तुम आगे निकलो, स्कूल-कॉलेज और विद्यालय को छोड़ दो और तुम्हारा मैं आह्वान करता हूँ कि—

''आओ श्रमिक, कृषक मजदूरों, इंकलाव का नारा दो,
शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो,
तब हम देखें सत्ता कितनी भर-भरकर बौराइ है,
तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है।''

मैं उस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिस बात की तरफ माननीय रघुवंशजी भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। उत्तर-दक्षिण बिहार को जोड़नेवाले दो पुल हैं, एक पटना का है और दूसरा मोकामा का है। मोकामा का पुल लगभग 50 वर्ष पुराना है। उसकी हालत बहुत खराब है। बार-बार मरम्मत होने के कारण उस पर बड़े वाहन का चलना बंद है, जिसके कारण एनएच-57 और जितनी उत्तर बिहार की सड़कें हैं, उन सड़कों पर से मैटीरियल जाना बंद हो गया। जो गंगा का पुल है, मैसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड ने 1972 से 1982, 1983 और 1987 के बीच दो लेन का निर्माण किया। 12 वर्ष बीतते-बीतते दोनों लेन जर्जर हो गई हैं और अब तक 94 करोड़ रुपया मरम्मत पर खर्च हो गए हैं और 101 करोड़ रुपए उस पर और खर्च करने की योजना है। इसी सदन में सरकार ने 9 मार्च, 2010 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1904 में स्वीकार किया है। मेरा कहना है कि जब यह पुल 15 साल के अंदर जर्जर हो गया, तो बनानेवाली कंपनी ने कंस्ट्रक्शन में गलती की है, आर्किटेक्चर ने गलती की है, कन्सल्टेंट ने गलती की है और उसे बनानेवाले जो इंजीनियर्स थे, उस कंपनी के साथ साठ-गाँठ करके गंगा जैसे पुल को जितना बनाने में खर्चा नहीं आया था, उतना मरम्मत पर खर्चा हो गया, लेकिन उस पर भी चार चक्के और छह चक्के से अधिकवाले ट्रक जाने बंद हैं, जिसके कारण उत्तर बिहार में बिल्डिंग मैटीरियल, रोड मैटीरियल, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल जाना बंद हो गया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि एनएच और एनएचआई दोनों मिलकर और कुछ ऑफिसर मिलकर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बचाने के लिए सत्य को छिपाते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि उसका मूल प्राक्कलन कितना था तो एनएच और एनएचआई बताने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कन्सल्टेंट कौन था, यह बताने को वे तैयार नहीं हैं। इसलिए लगता है कि गहरे षड्यंत्र के तहत एनएचआई और कुछ ऑफिसर लोग मिलकर इस बात को छिपा रहे हैं। गैमन इंडिया ने इतना बड़ा घोटाला और अन्याय किया है। बिहार के दोनों पुल जर्जर हो चुके हैं, इसलिए आज हम उत्तर-बिहार से कोई भी साधन या चीज दक्षिण-बिहार से सड़क के मार्फत नहीं ले जा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करता हूँ कि जल्दी-से-जल्दी

इन पुलों की मरम्मत कराए। इसके लिए अधिक-से-अधिक पैसा दे, उस पर वाहन चलाए। एनएच 57, जो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर है, वह जल्दी समय पर पूरा हो, इसकी व्यवस्था करे। गेमन इंडिया लिमिटेड ने बिहार के साथ जो दगाबाजी एवं घोटाला किया है, उसे ब्लैक लिस्टेड करे और उस पर मुकदमा चलाए तथा उस इंजीनियर को जेल में बंद करे।

06/08/2010

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदया, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इस विषय पर आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। ऐसे विषय पर सदन में गंभीरता से चर्चा हो रही है। सत्ता और विपक्ष की जितनी उपस्थिति आज इस विषय पर चर्चा होने के समय सदन में है, उतनी उपस्थिति किसी अन्य विषय पर होनेवाली बहस में नहीं रहती। इससे यह सिद्ध होता है कि इस बहस की कितनी गंभीरता है। यह न सरकार के ऊपर आरोप है, न हम पर है और न किसी और पर है, बल्कि जाति प्रथा के कारण आज अगर भारत में शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है या जो कुछ भी है तो भारत के माथे पर यह सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कलंक है। इसके लिए शुरू से आज तक भारत की जो जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था रही है, वह संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ऋषि और मुनियों के द्वारा इस जाति प्रथा को तोड़ने के बड़े ही आंदोलन और प्रचार किए गए, उपदेश दिए गए, लेकिन भारत से आज तक जाति प्रथा नहीं हिल पाई है। यही इसका एक प्रमाण है।

महोदया, हिंदुस्तान में जाति प्रथा के कारण दो तरह की भूख हैं। इनसान के अंदर एक भूख है पेट की और दूसरी भूख है मन की। पेट की भूख रोटी से मिटती है, लेकिन मन की भूख सम्मान से मिटती है। हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, आदिवासी, शोषित और पीड़ितों को रोटी नहीं चाहिए, अगर चाहिए, तो मन का सम्मान चाहिए, जो आज वे नहीं पा रहे हैं। योग्यता, क्षमता, दक्षता और प्रतिभा की बात करनेवालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या जो भी हों, क्या उनमें कोई योग्य, दक्ष, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली नहीं हैं? क्या इन जातियों में कोई व्यक्ति आज तक नहीं निकले, जो प्रशासन या शासन चलाने के योग्य हों? आज 85 प्रतिशत लोग हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं कि मुझे अधिकार दे दो, मुझे अधिकार दे दो।

मुझे जनगणना में अधिकार दे दो, नौकरी का अधिकार दे दो। जब 85 प्रतिशत भिखमंगे की तरह माँग रहा है, तो यह भारत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। यह देनेवाला कौन है? वह 15 प्रतिशत कौन है, जिसकी खोज इस सदन को करना चाहिए और इस समाज को करना चाहिए, जिसके सामने यह 85 प्रतिशत आज भी भिखमंगा बनकर खड़ा है? उस 15 प्रतिशत की खोज करो। मुलायम सिंह यादवजी, मैं किसी सवर्ण या वर्ण की बात नहीं करूँगा, लेकिन वे 15 प्रतिशत कौन हैं? चाहे वे शासक हों, चाहे वे प्रशासक हों, सरकारी नौकरी में ऊँची कुरसियों पर जो बैठते हैं : भारत के सामंतवादी चरित्र में हैं, वे हमारी पीड़ा को क्या जानेंगे? 'का दुःख जाने दुखिया का जाने दुखिया की माई, जाकी पैर न फटे विमाई, सो का जाने पीर पराई।' जाति के नाम पर जो अपमान मुझे झेलना पड़ा है, वह दूसरे नहीं जानेंगे। मुंडेजी को जो अपमान झेलना पड़ा होगा, वह दूसरे नहीं जानेंगे। शरद यादवजीजी, कहीं चुनाव लड़ रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तब नारा लगता था—शरद यादव लाठी ले लो, गाँव में जाकर भैंस चराओ। क्या आज भी हम इस नारे को सहन कर सकते हैं? चौधरी चरण सिंहजी की जब मृत्यु हुई थी, जो भारत के इतने बड़े विख्यात नेता थे, तब उनकी मृत्यु पर हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबारवालों ने लिखा था—जाट मरा तब जानियो, जब चौदहवीं हो जाए। उस समाज में आग लगा दो, जो पिछड़ी जातियों के प्रति, दलित के प्रति और समाज के अंदर जो वनवासी हैं, उनके लिए ऐसा सोचते हैं। इनमें अगर कोई तेजस्वी भी निकले, तो राष्ट्रीय नेता नहीं निकले।...(व्यवधान)

महोदया, अंत में केवल एक ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अगर आप जनगणना में हमें अधिकार नहीं देंगे, तो एक बात याद रख लें कि यह बात संसद् तक नहीं रहेगी, सड़क तक चली जाएगी। याचना नहीं, अब रण होगा, जीव से... (व्यवधान)

भारत में अशांति को मत जन्म दो, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि गांधीजी के रास्ते पर चले हो, तो आओ भारत की बात मानो, भारत का इतिहास बदलो, पिछड़े वर्ग को सम्मान दो, इन नेताओं ने जो कहा है, इनकी बात पर ध्यान दो। अगर न मानोगे, तो यह समाज पछताएगा, यह देश पछताएगा। धन्यवाद।

06/05/2010

❑

जनसंख्या नियंत्रण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय पर सरकार द्वारा प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए लाया गया है। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है। सदस्यों ने जितनी राय दी हैं, अगर उन्हें इकट्ठा करके सरकार दृढ़तापूर्वक संकल्प लेगी, तभी कुछ सकारात्मक काम बन सकता है। अगर दिशा ठीक हो, दृष्टि ठीक हो और मन में दृढ संकल्प हो, तो जनसंख्या नियंत्रण का काम एक साल में पूरा किया जा सकता है। अगर मन में संकल्प न हो, दृढ़ता न हो, तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। जनसंख्या बढ़ती जाएगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो मुश्किल उत्पन्न होगी ही। मैं किसान हूँ खेती स्टैगनेंट होती जा रही है। जब उत्पादन में आएगी और जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो सहज नियम है कि खाने वाले ज्यादा होंगे।

उपज कम होगी तो लोग भूखे मरेंगे, नंगे रहेंगे। जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा तो बसने की जमीन का अभाव होगा, लोग बिना घर के रहेंगे, झुग्गी-झोंपड़ी में रहेंगे, सड़क के किनारे रहेंगे, जहाँ जगह पाएँगे, वहाँ बस जाएँगे और फिर बिल्डर उनके नाम पर कमाएँगे। मैं सरकार से इस गोरखधंधे को बंद करने के लिए थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। हमने नारा दिया—'हम दो, हमारे दो' इसका मतलब है स्थिर, रोक देना, इससे आगे न बढ़ना और जो इस काम को करे वह नंबर तीन रहे। 'हम दो, हमारा एक' इस काम को जो करे वह नंबर दो रहे और 'हम न किसी के और कोई न हमारा, हम दो के दो चले जाएँगे' वह नंबर एक रहे। इस तरह आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय नागरिक की श्रेणी बना दें। आप पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मानित करते हैं, आप इन्हें सम्मानित कीजिए। फिर देखिए इस देश के आदमी कैसे जनसंख्या कंट्रोल करते हैं। यह काम या तो दंड से होगा या लोभ से होगा। आप या तो इसे भय से कीजिए, दंड से कीजिए या लोभ से कीजिए। आप दंड का विधान नहीं कर सकते, क्योंकि दंड का प्रावधान करेंगे तो हर चीज में, धर्म, संप्रदाय, दुनिया भर की चीजें निहित स्वार्थी सिर पर भूत सवार हो जाएगा और कुछ नहीं होने देगा। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो योजना आयोग या माननीय प्रधानमंत्रीजी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के सभी धर्माचार्यों का सम्मेलन बुलाइए। उन्हें कहिए कि आपस में बैठकर तय करें कि अपने धर्म और संप्रदाय के लोगों को जानवर या कीट-पतंगों के जैसे मरने देंगे या इनसानियत की जिंदगी जीने देंगे, यह निर्णय आप स्वयं करें। जिस धर्म के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हों, जो इस देश में स्वस्थ, सबल, साक्षर, शिक्षित, समृद्ध और सुखी नागरिक बनाना चाहते हैं, उन धर्माचार्यों को पुरस्कृत कीजिए और जो बाधा पैदा करे उन्हें राष्ट्रद्रोह के अपराध में बंद कीजिए। क्या आप यह डर पैदा कर सकते हैं? राष्ट्र निर्माण कोई सहज बात नहीं है। राष्ट्र का निर्माण बहुत दिल कठोर करके होता है। आप सरकारी नौकरी और सुविधाएँ देते हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप किसी पर प्रतिबंध मत लगाइए, लेकिन जिस तरह से किसी नौकरी के लिए एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन निर्धारित करते हैं, उसी तरह से एक और योग्यता रखिए कि इन तीन कैटेगरी के नागरिकों को सरकारी नौकरियों और सुविधाओं में उसी तरह से प्राथमिकता देंगे। जिसे जरूरत है वह उसे करेगा, जिसे आवश्यकता नहीं है वह प्राथमिकता लेकर सरकारी नौकरी और सुविधा पाएगा।

महोदय, आप ग्रामीण विकास योजना के लिए जो भी योजनाएँ चलाते हैं। मेरा सुझाव है कि इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि में जनसंख्या के स्थिरीकरण में जो भी नागरिक सहयोगी हों, उन्हें प्राथमिकता दीजिए कि इंदिरा आवास पहले देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले देंगे। 'हम दो, हमारे दो' को स्थिर करनेवाली कैटेगरी में आने वालों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दीजिए। 'हम दो, हमारा एक' वाली कैटेगरी में आने वालों को 700 रुपए प्रति माह दीजिए और 'हम दो, हमारा न कोई' इनको 1000 रुपए प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दीजिए, फिर आप

देखिए कि इस तरह कैसे नागरिक सहयोगी बनते हैं। लोग फैशन, ठाट-बाट, भोग, आराम, लेनदेन, भ्रष्टाचार में करोड़ों-अरबों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन आप राष्ट्र निर्माण के नाम देंगे तो मैं कहता हूँ कि गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहनेवाले, ठाट-बाट करनेवाले, गिटपिट बोलनेवाले, कंठ लँगोट और पैंट-पतलून पहननेवाले करें या न करें, लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों को पुरस्कार देंगे तो वह जनसंख्या नियंत्रित करके दिखा देगा। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहस करना जानते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए। योजना आयोग में योजना बनाने में इन सबको प्राथमिकता दीजिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का नागरिक, जिसके हृदय में राष्ट्रीयता है, राष्ट्र प्रेम है, जिसके दिल में समाज कल्याण की भावना है और जो इस राष्ट्र को समृद्ध शक्तिशाली और संपन्न बनाना चाहता है, वह आपके इस काम में भागीदार बनेगा, आगे बढ़कर आएगा। यह आपको करना चाहिए, यह आपको ही करना है, नहीं तो सबकी बात सुनिए, घर में जाकर सोइए, चादर ओढ़कर रहिए, बहरा कराइए और बहस का कहीं कोई लाभ न निकले, इससे कुछ नहीं मिलेगा। यदि करना है तो संकल्प लेकर आइए—करो या मरो करके दिखाइए।

धन्यवाद।

04/08/2010

❑

बजट पर सामान्य चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं गाँव का किसान होने के कारण और एक गौपालक वंश का होने के कारण अपनी बात प्रारंभ करने से पहले, चूँकि मैं किसान हूँ इसलिए इस देश की धरती माता, गऊ माता और गंगा माता को नमस्कार करता हूँ।

इस सरकार में बजट प्रस्तुत करनेवाले वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जीजी का मैं सम्मान करता हूँ, वे विद्वान् हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, कर्मठ हैं, तर्क में अच्छे निपुण हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस बजट के एक-एक अंश का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि इस बजट में न दिशा है, न दृष्टि है और न संकल्प है। जब दिशा नहीं हो, दृष्टि नहीं हो और संकल्प नहीं हो तो फिर वह किसी रास्ते की ओर नहीं जा सकता है। मैं इसलिए इस बजट का विरोध करता हूँ कि मैं गाँव का किसान हूँ और इस बजट में हमारे किसानों को जो उचित हिस्सा मिलना चाहिए था, वह जनसंख्या के आधार पर हमें उचित हिस्सा नहीं मिला है।

जब हम इस देश के अंदर सरकारी आँकड़े को निकालकर देखते हैं तो हमारे किसानों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर हमें कितना आपने इस बजट में हिस्सा दिया है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप हमें जनसंख्या के आधार पर हिस्सा देते हैं। दूसरे लगातार किसान मजदूर बनते गए हैं। जहाँ 1951 में कृषि पर 49.9 प्रतिशत लोग निर्भर थे, वहाँ 1991 में कृषि पर निर्भर लोग 35.2 प्रतिशत बच गए। इतने किसान कहाँ चले गए? वे खेतिहर मजदूर बन गए। जिस सरकार ने, जिस सरकार ने, किसानों को मजबूर बनाया है, भूमिहीन बनाया है, किसानों को कृषि मजदूर बनाने के लिए व्यवस्था पैदा की है, उस बजट का कैसे समर्थन किया जा सकता है, उस व्यवस्था का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं। आपने केवल उसकी जमीन का किसान को हिस्सा नहीं दिया, बल्कि भारत के किसान का आधार, भारत की कृषि का आधार गौवंश है। लगातार इस देश में गौवंश का ह्रस हुआ है। अगर आप भारत सरकार के इस आँकड़े को निकालकर देखेंगे तो जहाँ इस देश में एक हजार आदमी पर गौधन की संख्या 1951 में 430 थी, वहाँ वही संख्या 1992 में आकर केवल 242 बचती है।

इसका मतलब निरंतर गोधन का ह्रस हुआ है। हमारे देश के अंदर एक समय एक हजार पर कुल पशु 810 होते थे, जो वर्ष 1991 आते-आते घटकर 555 हो गए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 31.5 प्रतिशत पशुधन का ह्रस हुआ है। जिस देश में पशुधन का ह्रस हो, किसानों को उचित हिस्सा न मिले, क्या उस बजट को उचित कहा जा सकता है? यह किसान विरोधी, गाँव विरोधी और पशुधन पालने वाले, पिछड़े, दलित, वनवासी, जो पशुधन पालते हैं, गाय, मुरगी, भेड़, भैंस, गधा, खच्चर, ऊँट पालते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं, उनकी जीविका का आधार, आर्थिक आधार छीना जा रहा है। यह कभी समर्थन करने योग्य नहीं है।

महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी जमीन भी कम होती चली गई है। जहाँ वर्ष 1950-51 में हम जमीन जोतते थे, तब किसान की कृषि का हिस्सा 50 प्रतिशत था, जो आज निरंतर घटते-घटते 20 के नीचे तक चला गया है। जब हम कृषि से राष्ट्रीय आय में इनका योगदान देते थे, तो यह क्यों घट गया है? यह इसलिए क्योंकि हमारी आमदनी में कमी है, क्रयशक्ति में कमी है। हमारे साथी बोलते हैं, धान, चावल, गेहूँ, दाल, तिल और सरसों की कीमतें बढ़ती हैं, तो देश में हाहाकार मचता है। मैं किसान होने के नाते कहता हूँ कि जब सीमेंट के दाम बढ़ते हैं, लोहे के दाम बढ़ते हैं, कपड़े के दाम बढ़ते हैं, खाद के दाम बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं, तो इस देश में हाहाकार क्यों नहीं मचता है?

महोदय, मैं अन्न पैदा करता हूँ। एक तरफ मैं विक्रेता हूँ, तो दूसरी तरफ मैं खरीददार भी हूँ। मैं अपने कृषि उत्पादन को बाजार में बेचता हूँ, उससे औद्योगिक माल खरीदता हूँ। यूरिया जहाँ वर्ष 1967 में 45 रुपए बोरी

मिलती थी, जब मैं पहली बार असेंबली में एमएलए बनकर आया था, लेकिन आज यूरिया का रेट कहाँ पहुँच गया है? यूरिया की कीमत 300 रुपए तक चली गई। मैं माँग करता हूँ कि एक आधार-वर्ष बनाया जाए, चाहे वर्ष 1967 को मानो, 1977 को मानो, 1960 या 1970 को मानो, लेकिन एक आधार-रेखा खींचिए कि उस समय कृषि उत्पाद, धान, चावल, गेहूँ, दाल की कीमत क्या थी और औद्योगिक उत्पाद की क्या कीमत थी? हमारे खेतिहर सामान की कीमत कछुए की चाल से बढ़ती है, जबकि औद्योगिक उत्पाद की कीमत घोड़े की चाल से बढ़ती है। हमारा किसान लुटता जा रहा है, वह आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसे कृषि उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलती है।

महोदय, मेरी माँग है कि एक कृषि मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए। उसमें कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद दोनों की लागत निकालकर कीमत तय की जाए। हमारे यहाँ खेती में पैदा होने वाले अनाज की कीमत किसान आयोग तय कर देता है। हमारे उत्पाद की कीमत सरकार तय करे, लेकिन सीमेंट की कीमत सरकार नहीं तय करेगी, क्योंकि उद्योग के जरिए से पैसा है। लक्ष्मी है, वहाँ से चुनाव में फंड आता है, जिसका खाते हैं, उसका गाते हैं, पैसा औद्योगिक घराने से लेते हैं, इसलिए बजट उनके हिस्से में बनाते हैं। हम इनको पैसा कहाँ से देंगे? हम तो अपनी हड्डी गलाते हैं। दधीचि के जैसे धूप में, ताप में, शीत में जलते हैं, ठिठुरते हैं, मरते हैं, बिना कपड़ा के रहते हैं। अँधेरी रात में अपने कुएँ पर रहकर, अपने खेत में रहकर खेत को सींचते हैं। हमें न साँप का डर है, न बिच्छू का डर है और न जानवर का डर है। हम इतनी हिम्मत के साथ राष्ट्र के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन हम फिर भी उपेक्षित हैं। इसलिए कि हम पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं।

महोदय, सरकार का जैसा चरित्र होगा, वैसा ही बनेगा। इस सरकार का चरित्र क्या है? मंत्रिमंडल को देखा जाए, तो क्या इसमें कोई यादव, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, दलित या पिछड़ा है, जो एक नंबर की पंक्ति पर बैठा हो? जहाँ न किसान होगा, न मजदूर होगा, न गाँव वाले सरकार में होंगे, उस सरकार से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वह हमारी बात को सुनेगी? आज किसान इतनी बड़ी संख्या में हैं, क्या इनके मंत्रिमंडल में कोई किसान है? इस सदन में पहली पंक्ति पर नजर डालें, आगे की पंक्ति पर कोई किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पिछड़े या दलित का बेटा बैठता है क्या? जब सदन में पहली पंक्ति में हम नहीं हैं, दूसरी पंक्ति में हम नहीं हैं, तो हमारी बात सुननेवाला कौन है? बजट कौन बनाता है? अगर आप उसे मंत्री बनाते है, तो मंत्री में क्या दे देते हैं, श्रीमान? राज्यमंत्री का पद दे देते हैं अर्थात् बड़े मंत्री के पीछे एक साहबल्ला देते हैं, जैसे दूल्हा शादी करता हूँ, साहबल्ला गाली सुनता है। पैसे मंत्रिमंडल में बड़े-बड़े बाबू कैबिनेट मंत्री बनेंगे, पिछड़े, दलित और आदिवासी को ये उनके राज्यमंत्री बना देंगे कि आप उनका बस्ता ढोइए, उनके ऑफिस में बैठिए, इनकी टेबल पर बैठिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सरकार बने, आप उसमें बने रहो। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रणव मुखर्जी जैसे विद्वान्, तेजस्वीस, चरित्रवान, दमदार, बंगाल की वीरभूमि से आए हुए, इनको कभी एक नंबर की कुरसी नहीं मिली।

बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति ने अपना जीवन गँवा दिया, लेकिन मरने के बाद भी उनकी लाश को गाँव में जाकर जलवाया गया, क्योंकि यदि जगजीवन रामजी की लाश दिल्ली में रहेगी तो हिंदुस्तान के करोड़ों दलित उनसे प्रेरणा पाएँगे। जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया गया। जिन्होंने बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को इज्जत नहीं दी, उस पार्टी से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह किसी दलित को इज्जत दें। कहने के लिए भले ही कह दें कि हम दलित की बेटी को स्पीकर बना रहे हैं। हम उस कुरसी पर बिठा रहे हैं। धिक्कार है। जब कहा जाता है कि एक दलित की बेटी को कुरसी पर बिठा रहे हैं, एक आदिवासी को कुरसी पर बिठा रहे हैं, एक पिछड़े को कुरसी पर बिठा रहे हैं, मेरे स्वाभिमान को, मेरे सम्मान को आप धिक्कारते हैं, इसलिए कि मैं भिखमँगा हूँ क्या।

कोई दलित व्यक्ति भिगमंगा है क्या? कोई पिछड़ा व्यक्ति भिगमंगा है क्या? आप देने वाले कौन हैं जो कहते हैं कि हमने दिया। आप कौन होते हैं देने वाले? यह मेरा अधिकार है। आज नहीं देंगे तो हम लड़कर ले लेंगे। हम नहीं लेंगे तो हमारी संतान ले लेगी। अगर नहीं भी लेगी तो देश में भूचाल आएगा, न यह संसद् रहेगी, न यह सरकार रहेगी, न यह माटी की कहानी रहेगी। इसलिए याद कीजिए कि आपकी सरकार का जैसा वर्ग चरित्र है, महान् क्रांतिकारी नेता लेनिन ने कहा था, आप जैसा समाज बनाना चाहते हैं, अपनी पार्टी के स्वरूप को वैसा खड़ा कीजिए। आपकी पार्टी का क्लास, करैक्टर क्या है? आपकी पार्टी का वर्ग स्वार्थ क्या है? जो आपका क्लास, करैक्टर है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से बजट जरूर बनाते हैं, बाकी हमें क्या देते हैं... (व्यवधान)

मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जमीन कितनी थी, जिसे हम जोतते थे। 1984 में 13.11 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती थी। वह घटते-घटते आज केवल 12 करोड़ से भी नीचे चली आई है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी खेती की उपजाऊ जमीन लेते हैं। उसमें उद्योग बनाओ, उसमें सड़क बनाओ, उसमें कारखाने लगवाओ। बंजर भूमि में क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, जहाँ जमीन बंजर है, जहाँ परती जमीन है, जहाँ ऊसर जमीन है, जहाँ ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उन्हें समतल कीजिए, वहाँ कारखाने लगाइए। बंजर को अबाद कीजिए, बंजर में कारखाने लगाइए। जब कारखाना लगेगा तो वहाँ सड़कें जाएँगी, बिजली जाएगी, पीने का पानी जाएगा, वहाँ मकान बनेंगे, वहाँ अधिकारी रुकेंगे, फिर वहाँ बाजार बसेगा। जब बाजार बसेगा तो गाँव के इलाकों में कारखाने लगें, जिससे शोषित, दलित, पिछड़े लोग रोजगार करें, पान बेचें, चाय बेचें, सब्जी बेचें, कपड़ा बेचें, खोमचे में सामान बेचें और अपने परिवार का गुजरा चलाएँ। इसलिए आपसे अगर कोई उम्मीद करता है तो यह उसका धोखा है। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारी जमीन कृषि योग्य है। हरियाणा, पंजाब में जमीन लेते हैं तो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, लेकिन बिहार में एक लाख रुपए, दो लाख रुपए, तीन लाख रुपए, चार लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। हमारी जमीन यहाँ से ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन हमें मुआवजा कम मिलता है। हरियाणा में 30 लाख रुपए, बिहार में 5 लाख रुपए, एनएचआई की सड़क बनती है, बिहार सरकार द्वारा जो नोटीफिकेशन निकलता है, वह भी आप पूरा नहीं कर पाते। मैं कहना चाहूँगा कि बिहार की हालत खराब है। अगर आप इसके कारण जानेंगे तो देखेंगे कि कृषि में मजदूर कम हैं। मार्जिनल किसानों की संख्या के आधार पर वहाँ के लोगों के जीवन चलते हैं। बिहार में लघु किसानों की संख्या ज्यादा है, हरियाणा, पंजाब में सीमांत किसान, लघु किसान की संख्या के साथ-साथ खेतीहर मजदूरों की संख्या भी कम है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह जो असंतुलन है, विषमता है, इसे रोकें और संतुलन लाएँ। मैंने इसीलिए कहा कि न आपकी दृष्टि है, न आपकी दिशा है, न आपका संकल्प है। हमारी दिशा क्या होनी चाहिए—स्वाभिमानी, स्वावलंबी, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण। दृष्टि तात्कालिक, दीर्घकालिक और प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए समय सीमा के अंदर, समग्रता में लक्ष्य को प्राप्त करना। जब हम कृषि को प्राथमिकता, ग्रामीण उद्योग को दूसरे नंबर पर, वृहत् उद्योग को तीसरे नंबर पर रखेंगे, गांधीजी ने सपना देखा था, यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद किसान नेता आए, पटेल चले गए, आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह आए, इस देश ने चौधरी चरण सिंह को नहीं माना। आजादी के बाद जो भी नेता आए, डॉ. लोहिया आए, पिछड़े, दलित को जगाने आए, अस्पताल में जाकर उन्हें मार दिया गया, ऑपरेशन के जरिए मारा गया।

हिंदुस्तान के सांस्कृतिक राष्ट्र को चेतना देने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की लाश...(व्यवधान) उनकी हत्या करके लाश को ट्रेन में फेंक दिया।...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यह सरकार या कांग्रेस पार्टी की एक ही बात रही है कि जो शीश उठाएगा, उसकी गरदन काट देंगे। जो गुलाम बनकर आएगा, वह उनके साथ रह

जाएगा।...(व्यवधान) ये कभी शेर को साथ नहीं रहने देते।...(व्यवधान) ये गुलामों को पूछते हैं।...(व्यवधान) ये गुलामों को साथ रखते हैं। जो शेर बनकर आएगा, वह जरा गरदन उठा दे...(व्यवधान) क्या कभी किसी की गरदन बची है?...(व्यवधान) इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है।...(व्यवधान) मैं बिहार से आया हूँ। लालू प्रसादजी यहाँ मंत्रिमंडल में थे। वे सदन में बैठे हुए हैं। वे आज भी हमारे साथी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मैं बिहार का रहनेवाला हूँ। आप बिहार के साथ अन्याय क्यों करेंगे? अगर आप बिहार के साथ अन्याय करेंगे, तो बिहार ने भी चुनाव में बदला चुकाया है। आप एक बात याद रखिए कि अगर यह अन्याय जारी रहेगा, तो उस बिहार से ऐसी अग्नि निकलेगी कि कांग्रेस पार्टी का वंश नाश कर देंगे, लेकिन बिहार के लोग छोड़ेंगे नहीं।...(व्यवधान) इसलिए आप हमारा हिस्सा दे दें।...(व्यवधान) हम कोसी में डूबते हैं।...(व्यवधान) बाढ़ में मरते हैं।...(व्यवधान) मैं कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ।...(व्यवधान) मैं कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ।...(व्यवधान) मैं किसी नेता को न कहकर कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ।...(व्यवधान) जहाँ वर्ग चरित्र जैसा होगा, वर्ग स्वार्थ जैसा होगा, वर्ग हित जैसा होगा, लेनिन के शब्दों में कि आप जैसे समाज की रचना चाहते हैं वैसे ही पार्टी का चेहरा प्रस्तुत करो। इसलिए मैं आपसे इस बारे में प्रार्थना करता हूँ। प्रणव बाबू, सदन में आ गए हैं। जब मैं राज्यसभा में था, तब ये लीडर थे। मैं उनका सम्मान करता रहा हूँ। ये भी हम लोगों को असलियत बताते रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र, योग्यता, दक्षता, विद्वत्ता और अनुभव में प्रणव बाबू जैसे आदमी को जो पार्टी उचित सम्मान नहीं दे सकती, वह पार्टी दुनिया को क्या सम्मान देगी? वह पार्टी किसानों को क्या सम्मान देगी, पिछड़ों को क्या सम्मानित करेगी, वह दलितों को क्या सम्मानित करेगी?

अगर प्रणव बाबू प्रधानमंत्री होते, तो मैं इनके बजट का विरोध नहीं करता, क्योंकि ये वित्तमंत्री हैं। इन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन दिशा किसी और की है, दृष्टि किसी और की है, नाच कहीं और होता है और कठपुतली को नचाता कोई और है। हम उस अदृश्य शक्ति का विरोध करते हैं, जिसने अपनी दृष्टि, अपनी दिशा इस बजट में दी है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूँगा कि आइए, अपनी धरती को पहचानिए, अपने संस्कार को पहचानिए, भारत के किसानों, मजदूरों को पहचानिए, भारत के पशुधन को पहचानिए। वही हमारा प्राण है और वहीं से हमारी चेतना रही है।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि इस देश में हमारे जितने भी पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? प्रणव बाबू, जो उद्योग-धंधे खेती लायक भूमि पर लगेंगे, वे बंजर भूमि पर क्यों नहीं लगेंगे? वर्ष 1950 से लेकर आज तक एक करोड़ हेक्टेयर से ऊपर की खेती लायक जमीन कम हो गई है। जब कृषि की भूमि कम होगी, उत्पादन कम होगा, अनाज कम होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। यह बड़े-बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि खेती को मारो। जब खेती में उत्पादन कम होगा, अनाज कम होगा, हाहाकार मचेगा, विदेश से आयात होगा और एक पैसे का माल तीन पैसे में खरीदेंगे, हिंदुस्तान के किसान को गेहूँ का दाम 1050 रुपए क्विंटल देंगे और बाहर से 1600 सौ रुपए क्विंटल मँगाएँगे, हमारे घर की गेहूँ 1050 रुपए क्विंटल और गोरी चमड़ी वाले की गेहूँ 1600 रुपए क्विंटल है, यह कहाँ का इंसाफ है? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आइए, एक मूल्य आयोग बनाइए। मूल्य आयोग बनाकर औद्योगिक माल और खेतिया माल के संतुलन को बनाने के लिए लागत तय करिए।

डॉ. लोहिया ने इसी सदन में कहा था—अन्न दाम का घटना-बढ़ना, आना सेर के अंदर हो, डेढ़ गुने की लागत पर करखनिया माल की बिक्री हो। कारखाने में उत्पादित वस्तु की जो भी लागत हो, जैसे सीमेंट की एक बोरी अगर

100 रुपए में तैयार होती है, तो हिंदुस्तान में वह कहीं भी डेढ़ सौ रुपए से ज्यादा में न बिके। जो दवा एक रुपए में तैयार होती है, वह कहीं भी डेढ़ रुपए से ज्यादा दाम में न बिके। जब हमारा अनाज बिकता है, 1050 रुपए प्रति क्विंटल आपने खरीद लिया। जब हम अपना अनाज बेटी की शादी, बाप के श्राद्ध या बेटे की पढ़ाई के लिए, अपने रोजी-रोजगार के लिए बेच चुकते हैं, जब वह हमारे खर्चे में निकल गया, तब बाजार में अनाज की कीमत बढ़ जाती है। वे लोग आपका साथ क्यों देंगे? किसने आपका साथ दिया है? जिन लोगों ने महँगाई बढ़ाई है, लूटा है, वे मजे में हैं, उन्होंने चुनाव में शहरों के आसपास आपको बहुमत देकर जिताया है, क्योंकि जो लूटने वाले हैं, वे मालामाल हो गए हैं। आपको वे क्यों नहीं जिताएँगे? जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के खजाने से वेतन-भत्ते पाते हैं, उनका वेतन बढ़ता है। पाँचवाँ वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग बनाकर उनकी जेब में आप पैसे डालते हैं, वे सरकार के खजाने से वेतन-भत्ते पाते हैं। आप उनके खर्चों को बढ़ा देते हैं। महँगाई बढ़ी एक रुपया और आप उनके पॉकेट में डाल देते हैं, डेढ़ रुपए, वे तो संतुष्ट हो जाते हैं। मरता कौन है? ये 60-65 प्रतिशत गाँव के किसान और 82 प्रतिशत गाँव में बसने वाले लोग हैं। जब गाँव में हम 82 प्रतिशत हैं, तो आप हमें बजट में 82 हिस्सा क्यों नहीं देंगे? जब खेती में 60-65 प्रतिशत लोग हैं, तो आप हमें बजट में 60-65 प्रतिशत हिस्सा क्यों नहीं देंगे? हम अपना हिस्सा माँगते हैं। हमारा हिस्सा आपको देना होगा। अगर नहीं देंगे तो विद्रोह होगा, केवल समाज के अंदर नहीं, सारे राष्ट्र में किसान विद्रोह होगा। इसलिए यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं चेतावनी देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि यह गाँव की आवाज है, किसान की आवाज है, दलित की आवाज है, भूख-प्यासे लोगों की आवाज है, गाँव की मिट्टी की आवाज है। मेरी आवाज को सुनिए, समझिए, इस पर आगे बढ़िए, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि न हम रहेंगे और न आप रहेंगे। न राजा रहेगा, न रानी रहेगी, यह माटी सभी कहानी कहेगी। जब इतिहास में आपका नाम मिट जाएगा, इस संसद् का इतिहास नहीं रह जाएगा, उस दिन चेतने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

प्रणव बाबू, आप उठिए, अपनी दिशा से, अपनी दृष्टि से एक नई दिशा इस बजट को दीजिए, गाँव वालों को हिस्सा चाहिए, किसान को हिस्सा चाहिए, मजदूर को हिस्सा चाहिए, पिछड़े, दलित, वनवासी को सम्मान चाहिए। उनकी औरतों को क्या आपने कभी देखा है? वह मिट्टी में काम करती है, पसीने से लथपथ हो जाती है। पसीने के कारण उसके शरीर से बदबू आती है। गिट्टी तोड़ने वाली, सड़क पर मजदूरी करनेवाली भगवती देवी कभी लोहिया के शासन में एमएलए बनी थी और संसद् तक भी आई थी। क्या आप वैसी महिला को इस बजट के माध्यम से उस स्थिति से निकाल सकते हैं? राजीव गांधी ने कहा था, तुम बजट बनाओ, तुम्हारा पैसा अंतिम मानव तक कितना पहुँचता है, उससे यह जाँचना कि वह बजट कितना सफल हुआ। दीन दयाल उपाध्याय ने कहा कि अंतिम मानव को देखो। लोहिया ने कहा समता समाज बनाओ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूँगा कि सत्ता, बहुमत के बल पर कभी इतराना मत, बहुमत के बल पर कभी ईसा मसीह को शूली पर लटकाया गया था। बहुमत से उनको फाँसी देने वाले इतिहास से मिट गए, लेकिन ईसा मसीह का नाम अमर है। कभी मोहम्मद साहब पर ईंटे-पत्थर बरसाने वाले इतिहास से मिट गए, लेकिन मोहम्मद का नाम अमर है। महात्मा गांधी के सीने पर गोली चलानेवाले तत्त्व मिट जाएँगे, लेकिन इतिहास में वह अमर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अगर बजट में हिस्सा देना है, तो हिस्सा दीजिए, हमको समता दीजिए, समानता दीजिए, हमारे पशुओं को बचाइए, मेरी धरती को बचाइए, मेरी गंगा को बचाइए, मेरी नदियों को बचाइए, मेरे जंगल को बचाइए, जिससे यह देश बचेगा, यह समाज बचेगा, तब आप रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ, लेकिन वित्तमंत्री का सम्मान करता हूँ।

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्त्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूँ। द्वारकाधाम पोरबंदर से लेकर कोहिमा तक भारत की पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा को जोड़ने वाली सड़क माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 4-लेन का एक्सप्रेस हाईवे बनना है। यह हाईवे कई राज्यों से होकर जाता है। बिहार में गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक यह सड़क सात जिलों से निकलती हुई कोसी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों को जोड़ती है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से कोसी से 14 किलीमीटर पर एक महासेतु का निर्माण होना है, जिसके लिए मिथिलांचल और उत्तर बिहार के लोग सदा उनके ऋणी रहेंगे। इस योजना के कारण लाभ मिलनेवाला है। दुर्भाग्य की बात है कि इस सड़क के लिए जो जमीन बिहार के किसानों की ली जा रही है, उसका उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि एनएचएआई ने हरियाणा, पंजाब या दूसरे राज्यों में किसानों को उचित मुआवजा दिया है। जब जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो गलत नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है। जब मिट्टी की कटाई की जाती है, जब एग्रीमेंट किया जाता है तो कुछ किसानों को पैसा दिया जाता है, लेकिन कुछ वहाँ रंगदारी करते हैं। इस कारण कार्य में विलंब हो रहा है। जहाँ भी महासेतु बन रहे हैं या निर्माण किया जा रहा है, उनके लिए सब-कंट्रेक्टर बहाल किए जाते हैं, जिससे दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। भारत सरकार का उपक्रम एनएचआईए जो रेट तय करता है, उससे 30-40-50 प्रतिशत कम रेट पर सब-कंट्रेक्टर बहाल किए जाते हैं, जहाँ न पारदर्शिता है, न गुणवत्ता है, न ही निष्पक्षता और न समयबद्धता है। इस कारण सारे हाईवेज नेगलैक्ट हो रहे हैं। पश्चिम से पूर्व तक उत्तर बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के साथ खिलवाड़ न हो, इस कार्य को प्राथमिकता दी जाए। बिहार के किसानों को न्याय मिलना चाहिए। एनएचआईए और जो दूसरी कंपनियाँ काम कर रही हैं, उनके कार्य की जाँच करने के लिए संसद् की संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, जो इस मामले की जाँच करे और सभी अपराधियों को राष्ट्रद्रोह के अपराध में बंद किया जाए।

24/07/2009

❑

बजट पर अनुपूरक माँग पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से माननीय जसवंत सिंहजी जब बोल रहे थे, उन्होंने विद्वत्तापूर्ण ढंग से, सारे तर्कों से, आँकड़ों से, तथ्य और सत्य को सदन के सामने रखा है। मैं उस तथ्य और सत्य को स्वीकार करता हूँ और यह माँग करता हूँ कि उस तथ्य और सत्य के आधार पर वित्तमंत्रीजी कुछ चिंतन करेंगे और देश को कुछ आगे बढ़ाएँगे।

मैं गाँव का रहनेवाला हूँ और पेशे से किसान हूँ। परमात्मा ने जन्म भी ऐसी जाति में दिया, जिसका नाम ही गोपाल है अर्थात् पशुपालक हूँ। इसलिए जो जहाँ से आता है, उसका सरकार वहीं का बनता है, उसका स्वभाव बनता है, उसका विचार बनता है, उसकी प्रकृति बनती है, उसकी प्रवृत्ति बनती है। जब मैं गाँव से आया हूँ, किसान हूँ, पशुपालक हूँ तो सहज और स्वाभाविक ढंग से मैं जब भी बोलूँगा तो मेरी सरकार मुझे वही बोलने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए इसी को निहित स्वार्थ कहते हैं। आज भारत का वित्तीय प्रबंधन, अर्थव्यवस्था भारत के वैस्टेड इंटरस्ट के हाथ में है। यह शब्द अंग्रेजी में है, जिसे मार्क्सवादी और समाजवादी वैस्टेड इंटरस्ट कहते थे। भारत के अंदर ऐसे वैस्टेड इंटरस्ट की एक जमात बन गई है, जो हिंदुस्तान के 5 से 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में है। वही अर्थ का प्रबंधन करते हैं, वित्त का प्रबंधन करते हैं, घाटे को नफा दिखाते हैं, नफे को घाटे में ले जाते हैं, डैफीसिट को सरप्लस कर देते हैं, सरप्लस को डैफीसिट कर देते हैं। न जाने यह माया का खेल कब तक भारत में चलता रहेगा? यह खेल तब तक चलता रहेगा, जब तक भारत के गाँव, गरीब, किसान, निर्धन, निर्बल, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़े और दलित आकर इस संसद् पर कब्जा नहीं करेंगे, जब तक उसका नेतृत्व नहीं आएगा, तब तक यह खेल बंद नहीं होनेवाला।

ता दुःख जाने दुखिया क्या दुःख जाने दुखिया माये,
जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई।

जो गाँव में रहा नहीं, झोंपड़ी में सोया नहीं, बाजरे, ज्वार, रागी, मकई की सूखी रोटी, नमक और प्याज के साथ खाई नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा। उसी मंडुवा को 'रागी' कहते हैं। उनके दर्द को क्या जानेगा।

आप बजट बनाते हैं। उसमें आप कुछ सुविधाएँ देते हैं कि सीनियर सिटीजंस के लिए इतना छोड़ दो, महिलाओं के लिए इतना छोड़ दो। आप जितना छोड़ते हैं, उसका लाभ किसको मिलेगा?

जब आप सीनियर सिटीजंस के लिए छोडेंगे, तो उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो इनकम टैक्स देते हैं। हिंदुस्तान की 80 प्रतिशत जनता जो गाँवों में रहती है, जिसके पास कोई इनकम नहीं है वह टैक्स कहाँ से देगी? जब उसकी इनकम नहीं है, टैक्स नहीं है, तो वह रिबेट क्या पाएगा? यह कितना दर्दनाक खेल है। जब उसकी इनकम ही नहीं है तो वह टैक्स क्या देगा? जो टैक्स नहीं देगा, वह रिबेट क्या पाएगा? एक तरफ हिंदुस्तान में पाँच से दस प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनकी सुख-सुविधा, समृद्धि और खुशहाली के लिए गरीबी के महासागर में अमीरी के कुछ टापू बनाए जाते हैं और उसमें समृद्ध और संपन्न लोगों के लिए हनीमून मनाने का एक केंद्र बनाया जाता है।

हिंदुस्तान के 80 प्रतिशत लोग, जो गाँवों में रहते हैं, पसीना बहाते हैं, जाड़े के समय अपनी हड्डी ठुठराते हैं, गरमी की लू में अपनी चमड़ी को झुलसाते हैं और बरसात के समय अपने शरीर को गलाते हैं, उस 80 प्रतिशत जनता के लिए इस संसद् में, बजट में या इस वित्तीय प्रबंधन में क्या रखा है? उनके लिए इसमें कुछ नहीं रखा है। आप कहेंगे कि कैसे? आप इनकम टैक्स देनेवाले हैं। जब महँगाई बढ़ती है, तो छठा वेतन आयोग, आठवाँ वेतन आयोग, नौवाँ वेतन आयोग आता है। जब महँगाई बढ़ेगी, वेतन आयोग आएगा, कुछ बढ़ाएगा। सरकारी खजाने से वेतन-भत्ता पानेवालों, सुख-सुविधा पानेवालों की जेब में कुछ पड़ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के गाँव में बसनेवाले, जो 80

प्रतिशत किसान हैं, उनके लिए कौन सा आयोग बनेगा? उनके लिए न वेतन आयोग बनेगा और न ही कोई और आयोग बनेगा। आप उन्हें क्या देंगे?

मेरी पहली माँग है कि जैसे मिलिटरी के रिटायर्ड अफसर को पेंशन मिलती है, जैसे सेवा-निवृत्त होने के बाद अधिकारियों को पेंशन मिलती है, उसी तरह गाँव के खेत में लड़नेवाला किसान, उसकी पत्नी, बहन और बहू रात-दिन अपने बच्चे के साथ मिट्टी में लोटते हैं, पसीना बहाते हैं, गरमी में तपते हैं और मशीन से चलते-चलते पसीने और मिट्टी से उनके कपड़े ऐसे रंग जाते हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिटर्जेंट पाउडर या साबुन नहीं बना है, जो उस रंग को फिर से सफेद कर दे। मैं माँग करना चाहता हूँ कि खेत में जो काम करनेवाले लोग हैं, उनके लिए भी आप इस वित्तीय विधेयक में संशोधन कीजिए। यदि किसान और उसकी पत्नी भी 65 वर्ष के बाद सीनियर सिटीजन बनते हैं, तो उनको भी कम-से-कम तीन हजार रुपए उसी तरह पेंशन दी जाए, जैसे आप सरकारी नौकरों को पेंशन देते हैं, मिलिटरी के रिटायर्ड अफसरों को पेंशन देते हैं। क्या आप उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे?

अभी दीपेंद्र हुड्डाजी बोल रहे थे। उनके पिताजी मेरे मित्र हैं। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी और संविधानसभा के सदस्य थे। वे इस सेंट्रल हॉल में बैठते थे, तो मुझे अपने पुत्र जैसा प्यार करते थे। अभी यह कह रहे थे कि किसान खुश हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा किसान खुश है? इस देश में तीन तरह के किसान हैं—हलधारी, छटाधारी और बँगलाधारी। हलधारी किसान कौन है? जो अपने हाथ से हल, कुदाल, कस्सी, दराती चलाते हैं और ज्वार-बाजरा में सिंचाई करते हैं, जाड़े में खड़े रहते हैं, उनके पैर ठिठुरते रहते हैं, तन पर कपड़े नहीं होते। जब बिजली आती है तो वह मोटर चलाने के लिए दौड़कर जाता है। बिजली चली जाती है तो, दौड़कर घर जाता है। फिर बिजली आती है तो मोटर चलाने के लिए आता है। फिर बिजली चली जाती है, तो दौड़कर घर जाता है। उनके घर में नई-नवेली पत्नी आती है। बिजली के खेल में रात गुजर जाती है, लेकिन वह पत्नी के साथ कभी बैठ नहीं पाता।... (व्यवधान) यही खेल है। यह हलधारी किसान है, जो अपनी पत्नी और बहू के साथ हल, कुदाल, कस्सी और दरांती चलाता है। क्या आपने यह देखा है। उसकी जवान बेटी आती है। उसके तन पर केवल एक पतली धोती रहती है। न नीचे ब्लाउज है, न नीचे पेटीकोट है। वर्षा आती है, वह साड़ी भीग जाती है। वह माँ-बाप के साथ काम करती है, उसके तन की क्या हालत होगी, उस दर्द को यहाँ किसने देखा है। मैं उस गरीबी से पलकर आया हूँ, इसलिए मेरे अंदर वह आग है, वह विद्रोह है। मेरा बस चले, तो मैं इस सारी व्यवस्था को जलाकर राख कर दूँ। भले ही वह राख लगाकर मुझे संन्यासी बनना पड़े, तो वह दिन भी मैं ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वह पीड़ा है, दर्द है। आप ऊपर से हमारी गरीबी पर हँसते हैं? गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? इस दिल्ली के अंदर गगनचुंबी अट्टालिकाएँ बनती हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि से गरीब लोग आते हैं और गगनचुंबी अट्टालिकाएँ बनाते हैं।

उसमें शीत ताप नियंत्रक, ए.सी. लगता है, जाड़े में गरम और गरमी में ठंडा होता है, बैठनेवाले हैं, आगे बीयर है, बगल में डीयर है और मेरी आँख में सिर्फ टीयर-ही-टीयर है। इस दिल्ली के फुटपाथ पर 15 से 20 लाख लोग सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, वहीं बढ़ते हैं, शादी होती है, पेड़ के नीचे उनकी सुहागरात मनती है, बच्चे जन्मते हैं, फिर वे बढ़ते हैं और वे भी पेड़ के नीचे ही रहते हैं। ऐसे 15 से 20 लाख लोग दिल्ली के फुटपाथ पर सोते हैं और इन गगनचुंबी अट्टालिकाओं की छाया में रहते हैं। क्या उनकी तरफ आपमें से किसी की नजर जाती है। हे भारत के वित्तमंत्री, हे भारत के प्रधानमंत्री, एक रात सड़क पर निकलो, फुटपाथ पर सोए हुए उन 15-20 लाख लोगों को, मजदूरों को दिल्ली शहर में देखो। एक है इंडिया, एक है भारत। मैं इंडिया की नहीं, भारत की बात करता हूँ। आपसे

मेरी प्रार्थना है, आप वित्त बनाते हैं, किसलिए? इस पर आप सोचिए।

दूसरे, छाताधारी किसान वे हैं, जो खेत की मेड़ पर खड़े रहते हैं, उनका मजदूर काम करता है, उसको रोटी देते हैं, पानी देते हैं, उसको हल-कुदाल पहुँचा देते हैं, दरांती टूट जाती है तो कहीं से लाकर देते हैं अर्थात् अपने मजदूर का सहयोग करते हैं। वे अपने मजदूर को रोटी-पानी देते हैं, लेकिन मेड़ पर खड़े होकर काम कराते हैं। तीसरे, बँगलाधारी किसान हैं, जो फार्महाउस बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें बराती ठहराते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। पाँच एकड़ जमीन है, उसमें फूलों की खेती कराते हैं, हॉलैंडवाले फूल की खेती कराते हैं, एक एकड़ में इतना उत्पादन दिखाते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाते हैं, उन्हें बँगलाधारी किसान कहते हैं। बड़ी-बड़ी कारों में चलते हैं, अपने फार्म पर जाते हैं, मक्के की बाली लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और कहते हैं, मैं भी किसान हूँ। हे धन्य किसान, मैं तुम्हें कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। वे किसान के नाम पर कलंक हैं और किसान को लूटनेवाले हैं। ऐसे किसान खुश हैं, क्योंकि उनकी खुशहाली का रास्ता है, लेकिन जो हलधारी हैं, जो छाताधारी किसान हैं, उनको आपने क्या दिया है? ठनठन गोपाल, कुछ नहीं। वचनं किम् दरिद्रम अर्थात् अगर बातों से परोसना है, अगर मुँह से परोसना हो तो चम्मच से क्या परोसना, बालटी लेकर घी परोस दीजिए। लेकिन आज सत्य यही है, तथ्य यही है। समाज में आज पाँच तरह के लोग हैं, जिनके लिए यह वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था है, एक है संरक्षित, एक है सुरक्षित, एक है आरक्षित, एक है उपहासित और एक है तिरस्कृत।

पहली तरह के लोग हैं संरक्षित, जो सदाबहार हैं। राज किसी का बदलेगा, लेकिन उनकी जय-जयकार ही रहेगी, चाँदनी चलती रहेगी। वे ऊपर से दस-बीस घराने हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। राजा बदलेगा, उनका कुछ नहीं बदलेगा। फिर वही आएँगे, घनचक्कर बनाएँगे। इनको कहते हैं वेस्टेड इंट्रेस्ट्स का विशियस सर्किल अर्थात् निहित स्वार्थियों का दुश्चक्र, खेल बदलता है, लेकिन खिलाड़ी नहीं बदलते हैं। जैसा जसवंत सिंहजी ने कहा, कृपा करके खेल बदलिए तो उसके साथ खिलाड़ी भी बदलिए। जब तक खिलाड़ी नहीं बदलेगा, तब तक खेल बदलने में कोई मजा नहीं आएगा, वही खिलाड़ी कभी बैडमिंटन खेलेगा, कभी हॉकी खेलेगा, कभी कबड्डी खेलेगा, कभी टेनिस खेलेगा। खेल बदलते रहो, लेकिन खिलाड़ी उतने ही बनाए रहो, चक्कर मारते रहो। आज जरूरत है कि अर्थव्यवस्था बदले, वित्तीय प्रबंधन बदले तो खेल भी बदले और उसके साथ-साथ खिलाड़ी भी बदले, तभी भारत का कुछ उद्धार हो सकता है। ये लोग संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। जो अधिकारी बने हुए हैं, वे सुरक्षित हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि अधिकारी हैं।

इनका काम क्या है, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, बिहार नहीं तो चंडीगढ़ सही, चंडीगढ़ नहीं तो कर्नाटक सही, कर्नाटक नहीं तो तमिलनाडु सही, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय रहते प्रोमोशन मिल ही जाता है, कुरसी तो ऊँची उठती जाती है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वे हैं समाज में सुरक्षित। एक हैं आरक्षित, जिन्हें ऊपर से आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण के मायने यह नहीं कि वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, आरक्षण का मतलब है, जिन्हें सत्ता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा मिली हुई है, एक तरह से आरक्षण मिला हुआ है। उन्हें दूसरी भाषा में कहा जाता है, मिडलमैन यानी बिचौलिए। मैं तो देहाती भाषा में कहूँगा, सूद किसानी में—कमीशनखोर, वे आरक्षित हैं। हम किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हम उपहासित हैं और जो दलित हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, वे इस समाज के तिरस्कृत हैं। जब तक इस वित्तीय प्रबंधन को अपने वित्त विधेयक से और भारत सरकार के बजट से तिरस्कृत को ऊपर नहीं उठाएँगे, उपहासित को ऊपर नहीं उठाएँगे, जब तक समाज का अंतिम मानव ऊपर नहीं उठेगा, देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। गांधीजी ने कहा था कि तुम बजट बनाते हो, तुम्हारे बजट का कितना पैसा अंतिम मानव तक जाता है, उसे कितना मिलता है, उसी पर लोक कल्याणकारी राज्य की

तुम व्याख्या करना। आज आप लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हो, समता समाज है, यह कैसा समता समाज है! समता समाज में तब आएगी, जब समाज से विषमता मिटेगी। आज समता कहाँ-कहाँ है, गाँव और शहर में एक और आठ का फर्क हो गया है। क्या हमने बनाया है? गाँव बनाए एक, शहर बनाए आठ। एक तरफ अंबानी ग्रुप है, बड़े-बड़े ऊपर के पाँच-दस घराने हैं। अंबानी साहब कंपनी बनाते हैं, जनता को शेयर देते हैं, लेकिन पैसा तो जनता का जाता है। शेयर देकर और पैसा लेकर कंपनी बनती है। ये अपने वेतन के रूप में 25 करोड़ रुपया सालाना लेते हैं, जबकि हमें रोजाना 25 रुपए मिलने भी मुनासिब नहीं कि जिसमें हम अपने बच्चों के साथ गुजारा कर सके। क्या आप इस वित्त व्यवस्था के द्वारा इसे रोकेंगे? जहाँ जनता का पैसा लगा हुआ है, अगर वे शेयर मार्केट से पैसा बॉरो करते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं, उस गरीब का, किसान का, निर्धन का, मध्यम वर्ग का पैसा उसमें लगा होता है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा देकर शेयर खरीदा है। आप देखिए अंबानी साहब का ग्रुप है, रिलायंस का है, बिड़ला-टाटा का है, सिंघानिया-पदमानिया का है, ये सब अपने फायदे के लिए कंपनी बनाते हैं और जनता से कहते हैं कि इसमें पैसा लगाकर शेयर खरीदो, इसमें नफा मिलेगा, इस तरह का सुनहरा सपना दिखाते हैं। इस तरह से ये पैसा बटोरते हैं। वही बात हुई कि बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बढ़ाया। पत्नी का जन्मदिवस मनाते हैं, तो उसे हवाई जहाज उपहार में देते हैं। जबकि मेरे घर में बच्चे रोते ही रह जाते हैं, क्योंकि जन्मदिवस के अवसर पर मैं उन्हें एक प्लास्टिक का खिलौना भी नहीं दे पाता। क्या यही वित्तीय व्यवस्था है, क्या यही आपका अर्थशास्त्र है और क्या इसी वित्तीय प्रबंधन से आप समता समाज का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, पिछड़ी जातियों में, दलितों में, अनुसूचित जनजाति में से कुछ लोगों को लाओगे, लेकिन हमें नहीं लाओगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई दया के पात्र नहीं हैं। यहाँ सैलजाजी बैठी हुई हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अपने में स्वाभिमान जगाओ, हम किसी की दया के पात्र नहीं हैं। डॉ. भीमराव आंबेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहिया, पं. दीन दयाल उपाध्याय जैसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं। जिनके कारण संविधान द्वारा हमें आरक्षण मिला हुआ है इसलिए जीतकर आते हैं। अगर संविधान में आरक्षण न होता, तो किसी दल को अनुसूचित जाति या जनजाति में कोई योग्य पात्र नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये हमारी योग्यता पर टिकट नहीं देते हैं, यह तो उनकी मजबूरी है, विवशता है। इसलिए विवशता में हमें अपनाते हो, गले लगाते हो, पद पर बिठाते हो और ऊपर से जूते भी मारते हो और कहते हो कि मैंने दलित की बेटी को बनाया, मैंने पिछड़े व्यक्ति के बेटे को बनाया। इस तरह से ये अपनी जय-जयकार भी स्वयं करते हैं, अपने आपको महान् बनाते हैं और दयावान भी बनते हैं। क्या आप वित्तीय प्रबंधन से ऐसा करोगे और इसमें बदलाव लाओगे?

सभापति महोदय, मैं आरक्षण के समर्थन में लड़ता रहा हूँ। मैं समाजवादी आंदोलन में रहा। 'डॉ. लोहिया बाँधेगा, पिछड़ा पावे सौ में साठ।' इस चीज के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं। इस समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी में, पलटन में, व्यापार और राजनीति में सौ में कम-से-कम साठ जगह देनी चाहिए। क्या आप ऐसा कर पाएँगे? क्या पब्लिक रिप्रजेंटेटिव ऐक्ट में सुधार करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आप जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार करें। जिस तरह से आप लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देते हैं, उसी तरह से आप राज्यसभा और विधान परिषदों में भी दे। वहाँ क्यों नहीं देते हैं? क्या राज्यसभा और विधान परिषदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में जाने की काबलियत नहीं है?

वहाँ आरक्षण नहीं देंगे, कौन आरक्षण करेगा? हे वित्तमंत्रीजी, हे प्रधानमंत्रीजी, हे यूपीए की अध्यक्षा, ''महिलाया देवी सर्व भूतेषु सोनिया रूपेण सं स्थिता, नमस्तैय-नमस्तैय-नमतैस्य-नमोनम:।'' आप कृपा करिए, दयालु बनती हो तो विधान परिषद् और राज्यसभा में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करो, तब हम समझेंगे कि तुम समता

समाज बनाना चाहती हो। तुम्हारा बजट भी ठीक है, तुम्हारा वित्त-विधेयक भी ठीक है, लेकिन यह सब करोगे क्या?

मैं इससे आगे जाता हूँ। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में संशोधन करो। सभी राजनीतिक दलों के संगठन में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो और उसी आरक्षण व्यवस्था के तहत, उतना प्रतिनिधित्व सभी राजनीतिक दलों में दिया जाए, अगर न दिया जाए तो चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल की मान्यता रद्द कर दे। इतने क्रांतिकारी कदम क्या आप उठा सकतेहो?

लेनिन ने कहा था कि तुम जैसा समाज बनाना चाहते हो, पहले अपने संगठन के स्वरूप को वैसा तैयार करो। बनाओ, करोगे क्या? आप कहेंगे कि सब पार्टी तैयार होंगी तब करेंगे।

रिलाइंस कंपनी को आपने टैक्स में छूट दे दी है, क्या आपने सब पार्टीवालों से पूछा था, हम लोगों से पूछा था, किसी से राय की थी कि कंपनीवालों को छूट दें या नहीं दें। बड़े लोगों को फायदा देना होगा तो किसी से नहीं पूछेंगे।

सभापति महोदय, समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे, देवता-दानव दोनों ने समुद्र मंथन किया था। देवता माने सुरक्षित-संरक्षित लोग और दानव माने उपहासित तिरस्कृत लोग हैं। दोनों ने मंथन किया तो उसमें से जहर भी निकला था, जहर को शंकर ने पीया और जब अमृत पीने की बारी आई तो बीच में विष्णु मोहिनी बनकर नाचने लगे, देवताओं को अमृत पिलाते गए, दानव उनकी सूरत पर नाचते रहे। भारत के लोकतंत्र की आर्थिक-प्रशासनिक व्यवस्था वैसी ही है कि हम तो केवल देख-देखकर ही रह जाते हैं, हमें मिलता क्या है? आपने अपने वित्तीय प्रबंधन में इसी बात को किया है।

हमने कहा था कि अगर समाज में समता लानी है तो अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था में एक और दस का अंतर होना चाहिए। जो सबसे नीचा रहेगा, वह एक पाएगा और जो ऊपर रहेगा, वह ज्यादा-से-ज्यादा दस पाएगा। एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो योजना आयोग की एक संस्था है, उसने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके मुताबिक ऊपर के पाँच घराने ले लो। टाटा, रिलाइंस, बिरला आदि ले लो। इनमें से किसी एक की भी सारी जायदाद एक तरफ रख दो और हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत नीचे के गरीब लोगों की जायदाद को एक तरफ रख दो, तब भी उनका पलड़ा भारी होता है। बीस प्रतिशत का मतलब यानी 30 करोड़ लोगों की कुल जायदाद जमीन, कपड़े, गहने, बकरी भैंस-गाय यानी गरीब की सारी-की-सारी जायदाद एक तरफ रख दो और रिलाइंस की संपत्ति को एक तरफ रख दो तो 30 करोड़ लोगों की संपत्ति रिलाइंस से कम पड़ेगी। क्या यही भारत बनेगा, क्या यही आपका वित्त विधेयक है? इसी वित्त विधेयक से क्या आप समता समाज ला देंगे, इसी वित्त विधेयक से आप बराबरी ला देंगे? चाहे उसमें आप कितने ही कानून निकालो, कानून आगे करो, पीछे करो, इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस व्यवस्था को बदलो। जैसा माननीय जसवंत सिंहजी ने कहा और डॉ. लोहिया ने भी इसी सदन में बहस छेड़ते हुए कहा था कि खर्च पर सीमा लगाओ। खर्च पर टैक्स लगाओ, आय की छूट दे दो। भारत का नागरिक जितना कमाना चाहे कमाए, बैंक में जमा करे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हम खर्च पर टैक्स लगाएँगे। हिंदुस्तान के किसी भी आदमी की खर्च सीमा 1500 रुपए करिए, 2000 रुपए करिए या 3000 रुपए कर दीजिए, लेकिन लिमिट कर दीजिए कि इससे अधिक अगर कोई खर्चा करता है तो हम 200 प्रतिशत, 300 प्रतिशत, 500 प्रतिशत तक टैक्स लेंगे। इससे फिजूलखर्ची रुकेगी। एक तरफ फैशन, ठाठबाट, शान-शौकत, ऐशो-आराम पर पैसे उड़ाकर टैक्स बचाओ और दूसरी तरफ कमाते-कमाते मर जाओ, पेट में रोटी नहीं पाओ और मरने के समय मृतक के लिए, कफन का कपड़ा तक न पाओ। जिस राज्य में, जिस शासन में, जिस व्यवस्था में गरीबों को जलाते समय, कफन का कपड़ा नहीं मिलता हो, माँ तड़प-तड़पकर रोती रह जाए। गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उन्हें बासी

भात, सूखी रोटी मिलती हो, क्या शैलजाजी के हरियाणा राज्य में ऐसा नहीं है?

बासी भात, रात की रखी हुई ज्वार-बाजरे की रोटी, नमक और प्याज खाकर वह बच्चा स्कूल जाता है। एक तरफ बड़े-बड़े स्कूल बने हुए हैं, एक लाख रुपए एक महीने का खर्च एक बच्चे का आता है। अरबी घोडा तैयार किया जाता है और दूसरी तरफ टट्टू घोड़ा बनाया जाता है और आप कहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार देंगे। संविधान की उपेक्षा हुई है। राष्ट्र के निर्माताओं के आदर्श की उपेक्षा हुई है। उनकी बातों को तोड़ा गया है। हमारे राष्ट्र को गलत दिशा में ले जाया गया है। हमारे राष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है। ऋग्वेद में कहा गया है कि तुम संपत्ति लाओ, तो उसे पाँच भागों में बाँटों। पहला—धर्म के नाम पर खर्चा करो। दूसरा—समाज के विकास के लिए खर्चा करो। तीसरा—अपने कुटुंब परिवार के लिए खर्चा करो। चौथा—अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए खर्चा करो। पाँचवाँ—अपने व्यापार के विकास के लिए खर्चा करो। हमारे ऋषियों ने उस समय वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था का मूल बताया था—धर्माथ काम मोक्षानाम्, आरोग्यम् मूल उत्तमम। ऐसा बजट बनाओ, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाओ कि मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समग्रता में मनुष्य की आरोग्यता हो, वह स्वस्थ हो, ऐसे नागरिक का जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक यह राष्ट्र सफल नहीं होगा। जब तक हमारा राष्ट्र सुखी नहीं बनता है, तब तक इस पर विचार करना है।

अर्थशास्त्र और वित्त प्रबंधन पर जो आपका नियम है, वह आप करिए। उपभोक्ता मूलक आइटम पर आप ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उत्पादन मूलक पूँजी पर नहीं। डॉ. लोहिया ने कहा था कि पूँजी का विनियोग, पूँजी का विनिमय पूँजी के निर्माण के लिए करो। पूँजी का विनियोग, पूँजी का उपयोग उपभोक्ता मूलक पर करोगे और पैसा खाते चले जाओगे, तो कहाँ से बचाओगे। आज आपकी पूरी व्यवस्था उपभोक्ता मूलक है। खाओ, पचाओ, जितना खाओ, उतना पचाओ, खाते-खाते मर जाओ, यही आप पाओगे। आप उत्पादन मूलक व्यवस्था बनाओ। भारत के नागरिकों को कह दीजिए, बैंक में जितना पैसा है, उस पैसे को बीस साल के लिए फिक्स डिपोजिट कर दो। उसका नाम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष होगा। बीस साल के लिए जितना पैसा जमा करना चाहो, कर सकते हैं। बीस साल के बाद वह पैसा वापस मिलेगा। जितना इंटरेस्ट होगा, वह मिलेगा। अगर 9 परसेंट इंटरेस्ट है, तो 10 परसेंट इंटरेरट कर दीजिए। बीस साल के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। वह एक नंबर का पैसा होगा। उस पैसे से सिंचाई का प्रबंध कर दीजिए, खेती का विकास कर दीजिए। भूमि सेना का निर्माण कर दीजिए। पढ़े-लिखे को रोजगार दोगे, लेकिन हमारे किसान का बेटा-बेटी गाँव में रहता है, उन्हें कहाँ रोजगार दोगे? भूमि सेना निर्माण कीजिए, बंजर भूमि आबाद कीजिए, पत्थरीली भूमि को तोड़िए, वन लगाइए और हमारे बेटे, जो गाँव में बेरोजगार हैं, उन्हें हजार, दो हजार, तीन हजार रुपया देकर सेना में भरती कीजिए। हम राष्ट्र को सबल बनाएँगे, सुखी बनाएँगे। अन्न का अभाव था, हमने पसीना बहाया। डिफिसिट से सरप्लस में ले गए। खाद्य मंत्री कहते हैं कि 230 मिलियन टन अन्न पैदा किया। मैं मन-ही-मन हँस रहा था—हे परमात्मा, हे ईश्वर कहाँ हो, जरा मुझे प्रकाश दिखाओ। भारत में 230 मिलियन टन अन्न पैदा करके अपनी छाती पीटनेवाले, यह भी बताओ कि जब 230 मिलियन टन अन्न पैदा करते हो और विदेश से अन्न भी मँगाते हो, एक तरफ अपनी पीठ थपथपाते हो और दूसरी तरफ विदेशों से अन्न मँगाते हो। मुझे 1050 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य देते हो और वाहवाही लेते हो तथा गोरी चमड़ीवाले के हाथ का पैदा हुआ अन्न 1600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदते हो। क्या उस गेहूँ में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है? तब भी अपनी खुशहाली पर अपनी जय-जयकार करते हो। मैंने जो कहना था कह दिया, जो मुझे सुनाना था, वह मैंने सुना दिया। अंत में मैं केवल एक बात ही कहूँगा कि संसद् के अंदर हम जो बोलते हैं, वह

भारतवर्ष के लाखों लोग टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं, इसलिए मैं पिछड़े, गरीब, निर्धन किसानों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि आप अपने स्वाभिमान को बंधक बन बनाओ। अपने किसी अनुग्रह पर अनुदान पर आश्रित न हो जाओ। अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा पर रहनेवाला नेतृत्व, अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा पर रहनेवाला प्रशासन, अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा पर चलनेवाला व्यवसाय, अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा पर चलनेवाला व्यापार अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा पर चलनेवाली अर्थव्यवस्था कभी भारत का कल्याण नहीं कर सकती है।

अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा से अपने को मुक्त करिए। जिस दिन भारत का यह स्वाभिमान जगेगा, उस दिन भारत ग्रहण मुक्त हो जाएगा और उस दिन भारत माता विश्व विजयी बनेगी। वह दिन भारत के लिए स्वर्णिम तब होगा, जब भारत संपन्न, खुशहाल और समृद्ध बनकर विश्वविजयी होगा और दुनिया भर के लोग आएँगे, हाथ जोड़ेंगे।

''सर्व स्वरूपे, सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते,
भयभयरत्राहि नो देवी दुर्गे रुपणि भारत माता नमस्तुते।''

24/07/2009

❑

शून्यकाल

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं पिछले सत्र से इस मामले को देता रहा, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि लॉटरी निकल गई।

मेरे ये जो सवाल हैं, ये बिहार के महत्त्वपूर्ण सवाल हैं, हृदय-रेखा है। गंगा पर पुल है, जो उत्तर बिहार के 17 जिलों को राजधानी पटना से जोड़ता है। यह पुल उस समय बन रहा था, जब मैं बिहार असेंबली का मेंबर था। उस समय इसके दो पिलर क्रैक हो गए। असेंबली में उस समय हम लोगों ने हल्ला किया था तो मरम्मत करके पुल को बनाया गया। जब मैं भारत सरकार में पिछली बार भूतल परिवहन मंत्रालय का राज्य मंत्री था तो 2002 में उस पुल की इन्क्वायरी करवाई कि इसको देखो कि इसकी हालत क्या है।

वह पुल बिलकुल जर्जर था, 35 करोड़ रुपए के एस्टीमेट से 2003 से लेकर आज तक गंगा के पुल की मरम्मत चालू है। वह पुल जर्जर है और उस पर यह लिखा हुआ है कि भारी वाहन को चलाना मना है या गति सीमा निर्धारित है। कभी-कभी पुल पर जाम हो जाता है तो 1-1 सौ ट्रक और गाड़ियाँ उस पर लगी रहती हैं। किसी दिन उसका सारा इस पार से उस पार तक का बीम ब्रेक कर जाएगा। उसमें हजारों लोग मर जाएँगे और हजारों वाहन गंगा में जल समाधि में चले जाएँगे।

इसी कंपनी ने दरभंगा से मुजफ्फरपुर के बीच में एन.आर.पी. और आधा दर्जन पुल बनाए थे, जो एन.एच. 57, एक्सप्रेस हाईवे पश्चिम से पूरब वाली सड़क को जोड़नेवाली सड़क पर है, उसकी हालत जर्जर है। इसी कंपनी ने मेट्रो में जो पुल बनाया, जो अभी दिल्ली में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। उसी कंपनी के कारण मेट्रो में दुर्घटना हुई। उसी कंपनी गैमन इंडिया लिमिटेड को कोसी पर 12 किलोमीटर का महासेतु एन.एच. 57 पर बनाने के लिए दिया गया है। लगातार जो इतनी बड़ी घटनाएँ घटित हो रही हैं, एन.एच.ए.आई. और एन.एच. में, इस कंपनी को काली सूची में दर्ज करके, जहाँ इस पर मुकदमा करना चाहिए था, जो कंपनी इतने बड़े राष्ट्रीय हित के साथ खिलवाड़ कर रही है। वह नहीं करके पैरवी में हो, प्रभाव में हो, किसी तरह से हो, इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाता है। यह राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए एन.एच.ए.आई., भूतल परिवहन मंत्रालय और भारत सरकार का गृह मंत्रालय अलग से इस बात की जाँच करे और ऐसे लोग, जो राष्ट्रद्रोही काम करनेवाले हैं, उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाए, उनके सब लोगों को गिरफ्तार करे।

22/07/2009

❑

लिखित भाषण

मान्यवर सभापतिजी,

मेरे लिखित भाषण को काररवाई में शामिल कर काररवाई करने की क्या करें।

बिहार में हर साल चार-पाँच जिले में आंशिक तौर पर सुखाड़ की छाया रहती है। चार-पाँच जिले में बाढ़ से परेशानी रहती है। उसी तरह देश के लगभग 200 जिले में निरंतर सुखाड़ रहता है। हर पाँच साल पर छोटा, दस साल पर मँझोला और बीस साल पर बड़ा अकाल आता है। अकालचक्र का इतिहास नहीं लिखा गया है। मौसम विज्ञानी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक मिलकर अकाल पर शोध करें और उसके कालचक्र का इतिहास तैयार करें। हर सौ साल पर भयंकर अकाल आता है। बिहार में और देश के अन्य हिस्से में 1914-15 में अकाल आया था। अब 2014-2015 में अकाल का भयंकर प्रकोप आनेवाला है। 2009 में फसल मारी जाएगी, इसका प्रभाव 2010 में पड़ेगा। जब अकाल का इतिहास बन जाएगा, तब उसके कारण और निदान की खोज की जाएगी। कारण का पता लगाए बिना निदान नहीं खोजा जा सकता है। वैज्ञानिक अपने विज्ञान पर अहंकार करते हैं और अवैज्ञानिकता को विज्ञान मान लेते हैं। किसान अनपढ़ होता है, परंतु उसके पास अनुभवगम्य ज्ञान होता है। उस अनुभव और जानकारी का लाभ उठाने का उपाय किया जाए। अन्य आधुनिकता के कारण हमने प्राचीनता और प्रचलित व्यवहारिक अनुभवगम्य ज्ञान को अंधविश्वास मान लिया है। अंधविश्वास से अन्य अविश्वास ज्यादा खतरनाक होता है। स्थायी निदान खोजा जाए। अलग-अलग क्षेत्र में भौगोलिक बनावट के अनुसार उपाय किए जाए। दीर्घकालीन योजनाएँ बनाई जाए। अन्न का भंडारण विकेंद्रित व्यवस्था से की जाए। प्रत्येक पंचायत में अन्न का भंडार बनाया जाए। ग्रामीण गोदाम बनाने के लिए अनुदान दिया जाए। किसान भंडारण के अभाव के कारण फसल के समय अनाज बेच लेते हैं। एफ.सी. आई. के यातायात और परिवहन व्यय काफी होता है। उसमें छीजन भी होता है। वह भी बचेगा और किसान के भंडार में अनाज भी रहेगा।

सभी परंपरागत सिंचाई स्त्रोतों जैसे नहर, नाला, आहर, पैन, पोखरा, तालाब, जोहर और बड़े-बड़े जलाशयों की खुदाई करवाई जाए। अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। ग्रामीण रोजगार योजना एवं विधायक तथा सांसद कोष से इस काम को प्राथमिकता के तौर पर किया जाए। इससे बाढ़ के समय पानी रुकेगा नहीं और बाद में भयंकरता नहीं आएगी। सभी बरसाती एवं छोटी-छोटी नदियों में सर्वेक्षण करवाकर पानी रोकने के लिए सुलीसगेट, पक्का बाँध या पानी रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। बड़ी सिंचाई योजनाओं के बनिस्पद इससे ज्यादा लाभ होगा। मानव श्रम एवं छोटे मशीन के द्वारा बारह महीना सिंचाई के साधन उपलब्ध रहेंगे। मवेशी को नहलाने-धोने के लिए पानी मिलेगा। मछली मिलेगी। मनुष्य को नहाने के लिए पानी मिलेगा। जमीन के अंदर जलस्तर ऊपर आएगा, जिससे बोरिंग के सहारे सिंचाई की जाए। सभी मृत नदियों की खुदाई की जाए और उसमें पाँच-दस किलोमीटर पर पानी को रोककर रखने की व्यवस्था की जाए। अकाल को वरदान में बदलने का प्रयन्न किया जाए। तत्काल इससे रोजगार मिलेगा। मजदूरी में अनाज दिया जाए। सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जाए तथा बिजली सिंचाई के लिए हो ऐसी प्राथमिकता निर्धारित की जाए। किसानों के द्वारा किसानों के लिए और किसानों का ही कार्यक्रम बनाया जाए। सुखाड़ और अकाल के समय नौकरशाही लूटने में लग जाता है। व्यवस्था तंत्र पर ही साठ प्रतिशत खर्च हो जाता है। एक विशेष सत्र दस दिनों के लिए बुलाकर कृषि के समग्र विकास पर संसद् में चर्चा की जाए।

धन्यवाद।

28/07/2009

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सतपालजी ने एक अच्छे विषय को सदन में बहस के लिए रखा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सतपाल महाराजजी धार्मिक व्यक्ति हैं और वह प्रवचन भी किया करते हैं। वह शास्त्रों-पुराणों का अध्ययन भी करते हैं। इन्हें कथा करते हुए हम लोग टीवी पर भी देखते हैं। इनकी अच्छी शिष्ट मंडली है, जो प्रवचन करते हैं और धर्म मार्ग बताते हैं। इसलिए धर्म के दृष्टिकोण से भी और अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी पानी के महत्त्व पर इन्होंने सदन का और देश का ध्यान आकृष्ट किया है।

रहिमन पानी चाहिए, बिन पानी सब सून।

पानी गए न उबरे, मोती, मानस, चून।

कवि रहीम ने कहा था कि पानी सबके लिए आवश्यक है, अगर पानी नहीं होगा तो बिन पानी के मर्द क्या और बिन पानी के चूना क्या, और बिन पानी के मोती क्या। मोती की सुंदरता तब है, सुंदरियों के गले में भी मोती की सुंदरता तब निखरती है, जब मोती पर पानी की चमक हो। मर्द में भी मर्दानगी तब है, जब उसमें पानी हो। चूना भी काम के लायक तब है, जब उसमें पानी हो, नहीं तो सूखे चूने का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। इसलिए कवि रहीम ने भी पानी के बारे में इतनी सुंदर बातें कही हैं। दूसरी तरफ तुलसीदासजी ने 'रामचरितमानस' में लोक भाषा में लिखा, तो उन्होंने भी पंच तत्त्व की बात कही है—

''क्षिति जल पावक गगन समीरा

पंचरचित यह अधम शरीरा।''

उसमें भी उन्होंने जल को कहा है। पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व, आकाश तत्त्व, अग्नि तत्त्व, इन पंचतत्त्वों की महिमा ऋग्वेद से लेकर सभी भारतीय वाङ्मेय में ऋषियों ने इसे गाया है। माननीय सतपालजी जल तत्त्व पर चर्चा कर रहे हैं कि पानी आवश्यक है। केवल पीने के पानी का ही अभाव नहीं है, केवल आदमी के लिए पानी नहीं, सतपालजी, बिसलरी की बोतल से तो आदमी की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन मैं तो गोपाल हूँ, अहीर हूँ, हमारी भैंस और गाय कितनी बिसलरी की बोतल पीएँगी। बिसलरी की बोतल से तो हमारी बकरी की प्यास भी नहीं बुझ सकती है, तो बिसलरी की बोतल से भैंस, गाय और बैल की प्यास कहाँ से बुझा दोगे। जो बड़े लोग हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, खुशहाल हैं, वे बिसलरी का पानी पीनेवाले हैं, जिनकी जेब में पैसे भी बिसलरीवाले आते हैं। कोई गाढ़ी पसीने की कमाईवाले किसान, मजदूर और दलित अपने पसीने की कमाई से बिसलरी का पानी नहीं पी सकते हैं। आज भी इस दिल्ली शहर में जहाँ आप जाएँ, एक बार होटल में जाते हैं, पंचतारा होटल है, राजा-रानी जाते हैं, एक रात के लिए रहते हैं, हजारों रुपया किराया देते हैं, एक बार शौचालय जाते हैं, पेशाब करते हैं, फ्लश खींचते हैं, 15 लीटर पानी जाता है। दूसरी तरफ इस 15 लीटर पानी के लिए 85,000 गाँवों के गरीब पाँच किलोमीटर दूर पानी के लिए दौड़ते हैं।

माँ गगरी लेकर जाती है, पानी लेकर आती है, जब तक वापस आती है, तब तक पानी के बिना लाखों बच्चों के प्राण छूट जाते हैं। एक तरफ वह हिंदुस्तान है, जहाँ पाव भर पानी के लिए लाखों बच्चे माँ की गोद में मरते हों और एक तरफ यह इंडिया है, जहाँ पाँव भर को धोने के लिए 15 लीटर पानी बहाया जाता है। इन दोनों हिंदुस्तान की तुलना है क्या? पानी की बरबादी को रोको?

शहरी संस्कृति में एक आदमी रोज 200 लीटर पानी खर्च करता है, दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के इलाके में चले जाओ, जहाँ एक आदमी को 10 लीटर पानी भी नहीं मिल पाता है। एक माँ, एक गगरी पानी पाँच किलोमीटर से लाती है और उसी पानी को पीकर वह बच्चों को भी पिलाती है और अपना काम

चलाती है। हमें सबसे पहले पानी के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा, ''अन्नद्भवन्ति भवन्ति भुतानि, पर्जन्यदन्न संभव:। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धभाव।'' अर्थात् बादल से ही अन्न की उत्पत्ति है और अन्न से ही प्राणि मात्र का जीवन है, अन्न बादल से आते हैं, मेघ यज्ञ से बनता है, इसलिए सभी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब केवल हवन यज्ञ नहीं है, यज्ञ माने लोक यज्ञ करना चाहिए।

सतपाल महाराजजी, आपने उस दिन व्याख्यान देते हुए कहा था कि भगीरथ ने तपस्या करके ब्रह्मा के कमंडल से गंगाजी को लाने का काम किया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब ब्रह्माजी के कमंडल से गंगा अवतरित हुईं तो शंकरजी की जटा में ही उलझकर रह गई थीं। फिर भगीरथी को तपस्या करनी पड़ी थी, फिर भगीरथ ने शंकरजी को प्रसन्न किया था, तब जटा की एक लट को उन्होंने निचोड़ा था, जिससे वर्तमान गंगा निकली थी। योजनाएँ बनती हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, सरकारें आती हैं, प्रशासन के तंत्र आते हैं, विकास की गंगा आती है, लेकिन अफसरशाही की जटाओं में उलझकर रह जाती है। भारत में किसी ऐसे भगीरथ की आवश्यकता है, जो इन नौकरशाहों की जटाओं में फँसी गंगा को निकालकर गाँव के गरीब तक पहुँचा दे, निर्धन और निर्बल की प्यास बुझा दे। योजना बनानेवालों में किसी भगीरथ की आवश्यकता है, संकल्प करनेवाले की आवश्यकता है।

मैं किसान हूँ, कृष्ण की संतान हूँ। उन्होंने कहा था कि प्रकृति मेरी माता है, गंगा मेरी माता हैं, गो मेरी माता है, लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि गो मेरी माता है, नदियाँ मेरी माता हैं तो न जाने सांप्रदायिकता के नाम पर मेरी बातों को प्रोसिडिंग से निकलवाने के लिए कोई खड़ा न हो जाए। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में वे प्रकृति को केवल पदार्थों का समूह मानते हैं, जिसमें जंगल है, नदी है, स्थूल है, यह भौतिक है, यह पदार्थ है, लेकिन भारत की संस्कृति में प्रकृति को केवल पदार्थ नहीं मानते हैं, बल्कि प्रकृति को अपनी माता मानते हैं। प्रकृति मेरी माता है, ईश्वर मेरे पिता हैं, प्रकृति के गर्भ से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। माँ का गर्भ जितना शुद्ध होगा, संतान उतनी बलिष्ठ होगी। अगर माँ रुग्ण होगी तो संतान विकलांग पैदा होगी। इसलिए माँ के गर्भ को, माँ के पेट को ठीक कर दो, माँ के स्वास्थ्य को ठीक कर दो, माँ के स्तन में जितना दूध होगा, बच्चे की छाती उतनी ही चौड़ी होगी। प्रकृति में जितनी शुद्धता, पवित्रता होगी, प्रकृति जितनी स्वस्थ होगी, सबल, सुंदर होगी, उतना ही प्रकृति के गर्भ में पलनेवाले प्राणी मात्र भी सबल, सुंदर और स्वस्थ होंगे। इस प्रकृति को विकृत किसने किया है? आज के युग में विज्ञान का नारा देनेवाले, जो बड़े-बड़े अनुसंधान में लगे हुए लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज प्रकृति में विकृति किसने पैदा की है? प्रकृति को आपने विकृत कर दिया है। अगर प्रकृति विकृत होगी, क्रोधित होगी, प्रकृति उत्तेजित होगी, प्रकृति आक्रोश में आ जाएगी, जिस दिन प्रकृति उन्माद में नाच उठेगी, उस दिन वैसे नाचेगी, जैसे नाचते-नाचते काली स्वयं अपने अंगों को काट कर अपनी गरदन भी काट देती है और छिन्न-मस्ता के रूप में प्रगट हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के मार्फत दुनिया के वैज्ञानिकों को चुनौती देना चाहता हूँ कि तुम कृष्ण के रास्ते को सीखो। कृष्ण ने कहा था, सतपाल महाराजजी आप तो कथावाचक हैं, उन्होंने कहा था कि गोवर्धन की पूजा करो। श्रीमद् भगवद के प्रसंग के मैं तीन अर्थ निकालता हूँ। मेरे जैसे अनपढ़, गँवार किसान, अहीर जाट गूजर जो गाँव में रहनेवाले हैं, उनके बीच में कृष्ण गए, तो उन्होंने गोवर्धन का मतलब उनके लिए कहा कि गोबर धन। अर्थात् तुम्हारी गाय, भैंस, बैल का गोबर ही तुम्हारे लिए धन है। जिसके दरवाजे जितना गोबर होगा, उसके खेत में उतनी खाद जाएगी। जब खेत में गोबर की खाद जाएगी, तब उसके खेत में उतनी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जितनी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उतनी अधिक पैदावार बढ़ेगी। जितनी पैदावार बढ़ेगी, उतना घर में अनाज आएगा। जितना घर में

अनाज आएगा, उतनी ही घर में संपन्नता आएगी। जितनी संपन्नता आएगी, उतनी ही उसके चेहरे पर लाली आएगी। उसके घर में उतनी ही खुशहाली आएगी। इसके बाद कुछ पढ़े-लिखे लोग आए, उनके लिए कृष्ण ने कहा—गौ वद्र्धन। ऐसा यहा करो, जिससे गौ वंश की वृद्धि हो, गौ वंश का विकास हो। उसके बाद कुछ लोग ज्यादा पढ़े-लिखे आए, उनके लिए कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए इसका मतलब है गौ संवद्र्धन अर्थात् ऐसा यज्ञ करो, जिससे गौ वंश का विकास हो, जिससे प्रकृति का विकास हो, जिससे ब्रह्मांड का विकास हो। समग्रता में विकास की धारा को बहाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि गंगा को अपवित्र किसने किया, गंगा के किनारे बड़े-बड़े कारखाने बनाते गए। कारखानों की गंदगी गंगा में डालते गए। मैं कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर गंगा के किनारे, जिन लोगों ने बड़े-बड़े उद्योग लगाए, उन उद्योगों की गंदगी को गंगा में गिराया। वे किसान विरोधी लोग थे, वे गाँव के लोगों के विरोधी थे, जानवरों के विरोधी थे। गंगा केवल शुद्धता नहीं देती है। गंगा के किनारे बसनेवाली हमारी बहन, हमारी बहू, हमारी बेटी स्नान करती है। वे गंगा का जल लाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। गंगा में हम अपनी गायों को नहलाते हैं, हमारी गाय वहाँ पानी पीती है। गंगा इसलिए माता है, क्योंकि उससे हमारे पशु का जीवन है, हमारे खेतों में हरियाली आती है, पशुओं में ताकत आती है और हमारे चेहरे पर लाली आती है। ऐसी गंगा नदी को, अपवित्र करने का अपराध जिन्होंने किया है, वही पेयजल का संकट खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पास में यमुना है। यमुना आज रो पड़ेगी कि शायद कृष्ण कहीं से चले आएँ, यमुना के किनारे आएँगे, तो शायद, रोते-रोते एक नई यमुना बहा देंगे, क्योंकि इस यमुना की दुर्दशा वे अपनी आँखों से देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूँगा कि पानी का संग्रहण करो, पानी का संचयन करो, प्रबंधन करो, वितरण करो, इसके लिए व्यवस्था बनाओ। गाँव के अंदर जहाँ-जहाँ जलाशय हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, बरसाती नदियाँ हैं, उन नदियों में चैकडेम बनाओ। पानी वहाँ रुकेगा, उससे कई काम होंगे। जो जलाशय हैं, उनकी खुदाई कर दीजिए, जिससे वहाँ पानी रुकेगा और भूमि का जल स्तर ऊँचा होगा। उससे आगे का काम कीजिए कि जो मृत नदियाँ हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, जिन नदियों ने अपनी धारा बदल दी हैं, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देख चुके हैं। जो मृत नदियाँ सूख गई हैं, उनमें खुदाई कर दो। उन नदियों को चालू कर दो। वहाँ पानी का प्रवाह बढ़ेगा, पानी रुकेगा और भूमि का जल स्तर ऊपर आएगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पानी के दुरुपयोग को रोकिए, पानी का संग्रहण करिए, पानी का संचयन करिए, प्रबंधन करिए और वितरण की व्यवस्था करिए। अगर समग्रता में भारत सरकार योजना बनाए, तो कृषि का विकास होगा, पशु स्वस्थ होंगे, जीव स्वस्थ होंगे, मानव स्वस्थ होगा, नदियों को सुरक्षित कीजिए। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर केवल मैं कहूँगा तो कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। मैं केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया का संसद् में दिया गया भाषण याद करो।

उस भाषण में डॉ. लोहिया ने कहा था कि नदियों को साफ करो, धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाओ, क्योंकि वे सांस्कृतिक केंद्र और कड़ी हैं।

इसलिए अंत में प्रार्थना करते हुए विश्व के सभी वैज्ञानिकों से प्रार्थना करूँगा और बताना चाहूँगा कि जब मैं कृषि मंत्रालय में था, आईसीएआर के वैज्ञानिकों को कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर बंद करो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है?...(व्यवधान) तुम प्रकृति का शोषण मत करो। प्रकृति का दोहन करो, आदान करो, प्रदान

करो। हम गाय को खिलाते हैं, तब दूध निकालते हैं। तुम प्रकृति को दो, तब प्रकृति से लो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर आज के वैज्ञानिकों ने जो शब्द कहा है, वे वैज्ञानिक क्रूर हैं, कठोर हैं और मानवता के विरोधी हैं। एक्सप्लॉयटेशन मत करो, प्रकृति से सहयोग करो। प्रकृति की माता के समान पूजा करो। हम प्रकृति को पूजेंगे, नदियों को पूजेंगे, जंगल को पूजेंगे, यहीं से हमारी सभी समस्याओं का निदान होगा। इन सब के लिए पानी चाहिए। पानी का प्रबंध करो, सब मिलकर पानी का प्रबंध करो। सरकार भी पानी का प्रबंध करे, हम सब मिलकर करें। भारत के गरीब किसानों से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने पसीने से, अपने परिश्रम से पानी को रोको, पानी को बचाओ, समुद्र में पानी को जाने से रोको। पानी रहेगा, तब ही आपके बच्चों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसी से चेहरे पर लाली आएगी। सत्ता के ऊपर निर्भर मत रहो, भारत की करोड़ों संतानों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने हाथों से देश का निर्माण करो। पानी को रोकने का प्रबंध करो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

30/07/2009

❑

सरकारी विधेयक पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सदन में बाल शिक्षा के संबंध में विधेयक पर चर्चा हो रही है। आजाद भारत में बहुत सुखद सपना आम लोगों को दिखाया गया। उसी तरह यह भी एक सुखद सपना है और लोक लुभावन नारा है। गरीबी हटाओ और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा देख चुके हैं। देश के निर्धन, निर्बल, दलित और पिछड़ों का उपहास होता रहा है। यह विधेयक एक बड़ा उपहास है। फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ कि आनेवाली पीढ़ी इस पर सोचेगी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संविधान में संशोधन कर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया और उसे मौलिक अधिकार में शामिल कर एक नए भारत के निर्माण की दिशा में सार्थक कदम उठाया गया। उसके तहत सर्वशिक्षा अभियान योजना चलाई गई। गाँव में विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार किया जाने लगा। नए भवन बनने लगे। चाहरदीवारी देकर विद्यालय भवनों की सुंदरता बढ़ाकर संपत्ति की सुरक्षा की गई। प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्र में दो मंजिल भवन बनने लगे। माध्यमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर हाईस्कूल बनाया जाने लगा। हाईस्कूल में बारहवीं तक की शिक्षा का विस्तार हुआ। सभी विद्यालयों में अभिभावकों की प्रबंध समितियाँ बनाई गईं। हाईस्कूल में पढ़नेवाली लड़कियों को ड्रेस और साइकिल दिया जाने लगा। सभी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कर लड़कियों को सुविधाएँ दी गईं। बिहार में सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षामित्रों और शिक्षा सहायकों की नियुक्ति की गई, जिससे हजारों युवकों को रोजगार दिया गया। उसी व्यवस्था को और विस्तारित किया जाता, बच्चों को सुविधा दी जाती, लड़कियों को और ज्यादा सुविधाएँ देकर छात्रवृत्ति दी जाती तो नए विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं होती। चूँकि राजनैतिक पाखंड करना था और एन.डी.ए. सरकार की योजना को मिटाना था, इसलिए नई योजना लाई जा रही है। शिक्षा को राजनैतिक प्रतिस्पर्धा और विद्वेष का कारण बनाया जा रहा है। जैसी नियत है इस योजना की नीयति भी वैसी ही लग रही है। मेरा आग्रह होगा कि शिक्षा को राजनीतीकरण और लोक लुभावना से अलग रखा जाए। शिक्षा के समग्र विकास पर चिंतन किया जाए।

भारत में दलित, वनवासी, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है, वे निर्धन और निर्बल हैं। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें आजाद भारत में भी गुलाम

समझा गया है। सवेरे बासी-भात पानी में डुबाकर और नमक मिलाकर खानेवाले बच्चों का भविष्य है। बासी रोटी, नमक-तेल और प्याज के साथ खानेवाले बच्चों की दुनिया को किसने देखा है। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ चरानेवाले और अपने पिता-माता के काम में हाथ बँटाने वाले उस निर्धन बच्चों के लिए किसने सोचा है। यह बिल ढपोरशंख के जैसे है। कानून बनाएगी संसद्, वाहवाही लेगी दिल्ली की सरकार और साधन जुटाएगी राज्य की सरकारें। कहाँ से आएगा साधन। एक सुखद सपना है, जो देश के गरीबों को दिखाया जा रहा है कि भारत की सरकार तो सभी बच्चों को शिक्षित, साक्षर, विद्वान् और महान् बनाना चाहती है, परंतु राज्य सरकारें करना नहीं चाहती है। इस कानून के द्वारा संघीय व्यवस्था पर प्रहार किया जा रहा है। राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई? क्या उनसे सहमति ली गई? क्या वे इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? राज्य सरकारों की सहमति और देश की आर्थिक, सामाजिक रचना को देखते हुए इसको धरातल पर उतारा जाए। सुखद सपना दिखाकर गरीबों की गरीबी का उपहास नहीं किया जाए। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसी में सुधार किया जाए और उसी को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था की जाए। इस सरकार की नीयत खराब है और इस बिल के द्वारा देश में एक नए पाखंड और विवाद को पैदा करना चाहती है। जिसके पेट में रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, सोने को घर नहीं, किताब के लिए पैसे नहीं उसको अनिवार्य शिक्षा दिलाने की बात करना सपना है। इस सपना को साकार करने का प्रयास किया जाए। संपन्न, समृद्ध और सुविधाभोगी जमात के लोगों ने हमेशा उनका उपहास किया है।

एक देश में दो देश हैं। दो तरह के नागरिक हैं। एक वे हैं, जिनके बच्चे पंचसितारा शिक्षा पा रहे हैं। उन बच्चों पर एक लाख-पाँच लाख महीना खर्च होता है। वे आमलेट, कटलेट, चॉकलेट, टोस्ट, सैंडविच, चाउमीन और बिरयानी के साथ मेवा, दूध-मलाई और मक्खन खाते हैं। उन्हें भारत में भारतीय अंग्रेज बनाया जाता है। दूसरे वे बच्चे हैं, जो बासी रोटी और भात खाकर जूट की बोरी पर बैठकर पढ़ते हैं। विद्यालय के भवन नहीं होते। ये हैं असली भारत की संतान। क्या आपने उस भारत को देखा है। रात में पढ़ने के लिए लालटेन कौन कहे एक ढिबरी भी नहीं है। इस वील के द्वारा एक काम किया जाए। 'राजापूत, भंगी संतान सबकी शिक्षा एक समान।' राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा सभी के लिए एक जैसी शिक्षा हो, एक जैसा विद्यालय और एक जैसी पढ़ाई हो। जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और रहेंगे, तब देश की एकता और अखंडता में समरूपता आएगी। एक देश में एक समान नागरिक बनेंगे। भारतीयता का बोध आएगा। ऊँच-नीच का भेद मिट जाएगा। यह सरकार नहीं करेगी, कारण एक देश में दो तरह के नागरिक पैदा करना, इनका लक्ष्य है। बड़े बाप के बेटे निर्धन के साथ कैसे रहेंगे। जिस दिन संपन्न वर्ग, नौकरशाह, व्यवसायी तथा राजनेता के बच्चे एक साथ पढ़ाए जाने लगेंगे, उस दिन भारत विश्व में महान् राष्ट्र बन जाएगा। जब समान अवसर और शिक्षा में समानता आएगी, तब राष्ट्र महान् बनेगा, तब सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, रहेंगे और खेलेंगे। तब समता समाज बनेगा, समरसता आ जाएगी। जन्म और जाति के भेद मिट जाएँगे। सभी के मन में बराबरी का बोध आ जाएगा। जब सभी बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे, तब शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। विद्यालयों के भवन अच्छे बन जाएँगे। दोपहर का भोजन ठीक हो जाएगा। वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज का निर्माण होगा। एकात्म बोध होगा। बाल विकास, आँगनबाड़ी योजना भी पाखंड और ढकोसला है। अफसरशाही की जाल में सभी योजनाएँ फँस जाती हैं। सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए देश में आंदोलन चलाया जाए। हर बच्चे को भोजन, वस्त्र, पोषक तत्त्व और शिक्षा एक समान दिया जाए। क्या यह सरकार ऐसा करेगी? मुझे विश्वास है यह सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल पाखंड करेगी।

गाँव, गरीब, किसान को बराबरी का दर्जा नहीं देगी। उनके बच्चों को ऊपर उठाने की नियत नहीं है। केवल उनका वोट लेने के लिए सुख सपना दिखाना चाहती है। पंचायतों और स्थानीय शासन के पास धन कहाँ है। इसको लागू

कौन करेगा। यह एक धोखा है। हमने कानून बना दिया। तुम्हें महान् विद्वान् और विज्ञानी बनाना चाहते हैं, परंतु साधन नहीं देंगे। फिर भी इस विधेयक से उनमें भूख जगेगी। एक-न-एक दिन उनकी समतामूलक भूख की ज्वाला में सभी विषमताओं का अंत हो जाएगा। शिक्षा में समानता लाने के लिए वे क्रांति करेंगे। सिब्बल साहब आज न कल इन सभी निजी व्यवसायिक विद्यालयों और हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बनानेवाली शिक्षा व्यवस्था को वे बदलकर रहेंगे। आज आप उन्हें सुखद सपना दिखा रहे हैं, लेकिन एक दिन आनेवाली संतति समतामूलक समाज बनाकर रहेगी। उस दिन की प्रत्याशा में मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

04/08/2009

❑

सरकारी विधेयक पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस पर लंबी चर्चा चली है और माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा है। मैं कुछ नई बात सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय शरद पवारजी इस पर गंभीरता से चिंतन करने का काम करें। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह कृषि मंत्री तो हैं, लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, कृषि मंत्रालय पर इनका ध्यान कम रहता है। उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो इस देश के किसानों का भला हो जाएगा।

मैं यह कहना चाहूँगा कि इस संबंध में न्यायालय में सात केस दायर किए गए। चीनी मिल-मालिकों की तरफ से सात केस दायर किए गए, लेकिन उसमें न कोई किसान गया, न कोई किसान का प्रतिनिधि गया, न हमारी तरफ से कोई बोलने गया, न सरकार की तरफ से किसान के संबंध में या हित में कोई एफिडेविट पड़ा। एकतरफा निर्णय अदालत से हो जाएगा, उसमें किसान को बुलाया ही नहीं गया, तो मेरे हित की रक्षा किसने की? क्या उसमें महेंद्र सिंह टिकैत को बुलाया गया, क्या उसमें चौधरी अजीत सिंह को बुलाया गया, क्या उसमें हुक्मदेव नारायण यादव को बुलाया गया, क्या उसमें किसी किसान नेता को, जो इस देश के हैं, उनको पार्टी बनाया गया? अगर किसी चीनी मिल-मालिक ने किसी किसान नेता को पार्टी नहीं बनाया, तो बिना हमें पार्टी बनाए हुए, हमारे संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया, उस निर्णय को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम उसमें पार्टी नहीं हैं। एकतरफा निर्णय हुआ और एकतरफा चीनी मिल-मालिक और सरकार के जवाब पर निर्णय हो गया। तीन बार इसमें अब तक संशोधन हो चुका है। मैं भी उस क्षेत्र से आता हूँ, बिहार में भी 11-12 चीनी मिलें बंद हैं। रैंय्याम, संकरी और लोहट दस किलोमीटर के अंदर ये तीन चीनी मिलें हैं, जिन्हें दरभंगा के महाराज ने बनाया था, बाद में सरकार ने उन्हें टेक-ओवर किया। आज तीनों मृत पड़ी हुई हैं। जहाँ कभी किसानों के दरवाजे पर बड़े-बड़े हाथी जैसे बैल होते थे, आज उस किसान को दरवाजे पर गधा रखने की भी औकात नहीं रह गई है। वहाँ इतनी निर्धनता और दरिद्रता आ गई है। जिनके घर में नोटों की वर्षा होती रहती थी, गन्ने नहीं होने के कारण उनके घर के बच्चे छठ और दीपावली के अवसर पर नए वस्त्र नहीं ले सकते हैं। किसानों की यह हालत वहाँ तीन चीनी मिलों के बंद होने के कारण है।

जगदंबिका पालजी इस संबंध में बोल रहे थे। श्रीमान, तीन तरह के किसान हैं। एक है असली किसान, दूसरा है राजनैतिक किसान और तीसरा है बुद्धि विलासी किसान। असली किसान जो खेती करता है, जाड़े में, गरमी में, धूप में, शीत में, जलता है, ठिठुरता है, गलता है, उत्पादन में बाल-बच्चों समेत लगा रहता है, वह असली किसान है। एक है राजनीतिक किसान, जो हम लोग हैं। जगदंबिका पालजी बोल रहे थे, किसानों के दु:ख-तकलीफ पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे सरकार की नीति का समर्थन करते हैं। ये ऐसे भोजन करनेवाले हैं, दाल खट्‍टी है, मिठाई बासी है, दूध फटा है, लेकिन भोजन करानेवाले का जय-जयकार करते हैं कि वे भोजन करवा रहे हैं। इस तरह की, जो राजनीति करनेवाले लोग हैं, वे कभी किसान का भला नहीं कर सकते हैं। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा कि गन्ने के लिए एक नीति निर्धारित हो, हमारे गन्ने की कीमत आप कृषि आयोग बैठाकर तय करेंगे, उसमें कोई किसान प्रतिनिधि नहीं है, वह एकतरफा कीमत तय करेगा। किसान आयोग जब कीमत तय करता है, तो उसमें हमारा परिश्रम, हमारे बच्चों का परिश्रम, हमारी निगरानी, रात-दिन हम काम में लगे रहते हैं, उस पक्ष को किसान आयोग कभी नहीं देखता है।

यशवंत सिन्हाजी जब वित्तमंत्री थे, उन्होंने बजट बनाने के पहले किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था, मैं भी उसमें गया था और वहाँ उद्योगपति और किसान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको उन्होंने सुनने का काम किया था।

सरकार का फर्ज है कि वह ऐसा करे, क्योंकि कृषि आयोग में जब तक किसान का प्रतिनिधि नहीं होगा, तब तक किसान की बात कौन सुनेगा? हमारे हित की बात कौन करेगा? एक तरफा बात होती है, बड़े-बड़े बाबू लोग हैं, कोटवाले, पैंटवाले, टाईवाले, टोपवाले, सूटवाले, गिटपिट बोलनेवाले, काँटा-चम्मच से खानेवाले, पंचसितारा होटल में विश्राम करनेवाले, वह हमारे किसानों के हित की बात सोचते हैं। 'का दु:ख जाने दुखिया, का दु:ख जाने दुखिया माय, जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई।' वह क्या हमारे दु:ख को जानेंगे? इसलिए उसमें किसान के प्रतिनिधि को रखा जाए।

महोदय, एक बात मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ। इन्होंने तीन बातों का जिक्र किया है। जोखिम और लाभ की बात कही है, किसान से ज्यादा जोखिम कौन उठाता है?

मिलवाले क्या जोखिम उठाते हैं। वे मिल के लिए कर्ज लेंगे, बैंक से लोन लेंगे। उससे लोन लेकर मुंबई, कोलकाता में, बड़े-बड़े शहरों में अपना मकान बनाएँगे, गेस्ट हाउस बनाएँगे। मिल बंद हो जाएगी तो उसे सिक डिक्लेयर करेंगे, सरकार टेक-ओवर करेगी, हम बीमार मिल को चलाएँगे और सरकार उन्हें मार कर शमशान घाट पहुँचा देगी। मिलवाले तो सब ले लेंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा। यदि उनकी मिल बंद हो जाती है तो बीआईएफआर से पैसा देते हैं। आप शुगर डेवलपमेंट फंड से पैसा देते हैं। यदि हमारे गन्ने का खेत मर गया, गन्ना पैदा होना बंद हो गया, तो क्या हमारे लिए बीआईएफआर है? हमारे लिए शुगर डेवलपमेंट फंड है? अगर शुगर डेवलपमेंट फंड है तो शुगरकेन फार्मर्स डेवलपमेंट फंड कहाँ है। हमें वह भी क्यों नहीं दिया जाता। अगर इस पर विचार किया जाए तो हम समझेंगे कि यह सर्वांगीण है और इस पर सरकार विचार करती है। इसकी एक नीति बनाइए। जोखिम और लाभ—हमारे जोखिम को देखिए और हमारे लाभ को भी देखिए। उचित और लाभकारी कीमत—हम आज तक लाभकारी कीमत के लिए लड़ते हैं। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। अगर धान, गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं, तो हम धान कहीं भी बेचेंगे, गेहूँ कहीं भी बेचेंगे, लेकिन यदि आप गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, तो हम गन्ना मिल के अलावा कहाँ बेचने जाएँगे। क्या गाड़ी पर, ठेले पर लादकर दिल्ली की सड़क पर घूम-घूमकर कहेंगे कि गन्ना ले लो, गन्ना ले लो, गन्ना ले लो? क्या गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत हमें बाजार में कहीं मिलेगी, जहाँ जाकर हम उसे बेच सकते हैं? इसलिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, सरकार एक बार गन्ने की लाभकारी कीमत तय करे। उसमें सरकार बैठे, एक्सपर्ट बैठें, किसान का प्रतिनिधि बैठें, इकोनॉमिक एडवाइजर बैठें, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हों, सरकार के अनुग्रह, अनुदान पर पलने वाले प्लानिंग कमीशन के अर्थशास्त्री और विद्वान् हों, चाहे कृषि मंत्रालय के हों या वित्त मंत्रालय के हों, कहीं बिठाइए, हुक्मदेव नारायण यादव, एक साधारण किसान, उनके सामने बात करूँगा और उन्हें नील डाउन करवा दूँगा कि आप हमारी समस्या को जानते हैं या नहीं। तब तथ्य और सत्य सामने आएगा। इसीलिए उस पर विचार किया जाए।

न्यूनतम कीमत क्या होगी? क्या आप चीनी की न्यूनतम कीमत तय करेंगे? यदि आप हमारे गन्ने की न्यूनतम कीमत तय करें, तो कृषि मूल्य आयोग चीनी की न्यूनतम कीमत भी वही तय करे। वह हमारे सामने बैठे। जो उद्योग में पैदा होगा, उसकी कीमत तय नहीं होगी। हम 35 रुपए किलो खरीदें, यह कहाँ का न्याय है। हम अपना गन्ना न्यूनतम कीमत पर बेचें और बेटी के विवाह में, बाप के श्राद्ध में, गणेश पूजा में, छठ व्रत में महँगी चीनी खरीदें। अगर आप हमारी चीनी लेते हैं तो 20 प्रतिशत लेवी प्राइस पर चीनी किसान को दे दीजिए। हम अपनी चीनी बेच लेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। यह तय करना चाहिए कि यह किस आधार पर हो।

पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के समय में रफी अहमद किदवई कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कहा था—जितने

रुपए मन चीनी, उतने आना मन गन्ना। उस समय 32 रुपए मन चीनी थी और गन्ने का भाव दो रुपए मन था। अगर आज उस आधार पर तय करेंगे, तो 35 रुपए किलो चीनी है, उसके हिसाब से कम-से-कम 245, ढाई सौ रुपए क्विंटल गन्ने का भाव होता है। रिकवरी के हिसाब से एक नीति बनाइए कि गन्ने में औसत रूप से जितने प्रतिशत रिकवरी होगी, गन्ने की कीमत उसी प्रतिशत के हिसाब से दी जाएगी। अगर औसत रूप से 10 प्रतिशत रिकवरी है और 35 रुपए किलो भाव है, तो 10 प्रतिशत के हिसाब से गन्ने की कीमत तय कर दीजिए। हम कोर्ट में क्यों जाएँगे। आप लेवी चीनी लेते हैं। लेवी चीनी का रंग एक ही है। क्या उसके दो रंग हैं? आप लेवी चीनी लेते हैं और फिर वही चीनी ब्लैक मार्केट में उचित कीमत पर नहीं, बल्कि महँगी कीमत पर बिकती है। आप लेवी चीनी और फ्री चीनी, दोनों के रंग में फर्क कर दीजिए। डॉ. लोहिया कहा करते थे कि लेवी चीनी को रंगीन बना दीजिए कि अगर वह ब्लैक में जाएगी तो चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन दोनों चीनी सफेद है। वही लेवी है, वही फ्री है। इसमें से उसमें मिलाइए, उसमें से इसमें मिलाइए, ब्लैक मार्केट में बेचकर खाइए, किसान का गला कटवाइए। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लेवी क्यों नहीं हटा देते। लेवी हटाइए। आप कहते हैं कि हम गरीब आदमी को बीपीएल कार्ड के अंतर्गत लेवी चीनी देंगे। मेरी प्रार्थना है कि उस लेवी चीनी पर आप प्रति यूनिट जितनी चीनी देते हैं, उसकी पाँच सौ, एक हजार, दो हजार, तीन हजार जितनी डिफरेंस मनी होती है, एक रेट तय कीजिए।

सरकार हर बीपीएल परिवार के नाम पर बैंक में खाता खोल दे और डेढ़-दो या तीन हजार रुपया नगद उसके खाते में डाल दे। आप मार्केट को फ्री कर दीजिए। हम बाजार की दर पर खरीद लेंगे। इस तरह कहीं ब्लैकमार्केटिंग नहीं होगी और मेरा हिस्सा भी कोई नहीं खाएगा। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए।

अंत में, मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप एक नीति तय कीजिए, तब कीमत निर्धारण कीजिए। चौधरी चरण सिंह इस देश के बड़े किसान नेता हुए थे। पहले तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। चौधरी चरण सिंह जब वित्तमंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि तंबाकू पर से एक्साइज ड्यूटी खत्म करो। उस समय बड़े-बड़े अफसर आए और उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी खत्म करने से नुकसान होगा। चौधरी चरण सिंहजी ने कहा कि उद्योगपति उद्योग लगाता है, उसका मन करे तो वह कपड़ा बनाए, दवा बनाए, जूता बनाए या बरतन बनाए। उसी तरह किसान का अपना खेत है, उसका मन करे तो वह गन्ना पैदा करे, तंबाकू पैदा करे या मिर्च पैदा करे। तुम लोग तंबाकू पर टैक्स क्यों लगाओगे? आज तक तंबाकू उत्पादक किसान एक्साइज ड्यूटी से फ्री हैं। एक नेता वह था, जिसकी ऐसी दृष्टि थी। आप हमारे गन्ने पर नियंत्रण लगाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रिजर्व एरिया में कोल्हू से गुड़ नहीं बना सकते थे, उन्होंने उसे फ्री कर दिया। अब किसान की मरजी है कि वह गुड़ बनाए या न बनाए। इसी तरह चीनी मिल लगाने पर 20 किलोमीटर का प्रतिबंध था, उसे कम करके 15 किलोमीटर किया गया। जो मिनी शुगर मिल है, उसे शिफ्ट करने का आदेश नहीं था, उस बारे में उन्होंने कहा कि यह उनकी मरजी है कि वह चीनी मिल को जहाँ कहीं भी ले जाए। यह एक किसान की दृष्टि है और एक उद्योगपति की दृष्टि चीनी मिल मालिकों के फायदे के लिए, शुगर लॉबी के दबाव में, चीनी मिल मालिकों और उद्योगपतियों के हित की रक्षा के लिए है। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है, क्योंकि जो चीनी मिल मालिक हैं, उनकी यूनियन चुनाव के समय एक बार में ही मोटा रुपया चुनाव फंड में दे सकती है, लेकिन अगर हमें कोई लाभ दे देंगे, तो हम दस-पाँच रुपया किसान से वसूल करके किस पार्टी को कहाँ चंदा पहुँचाएँगे? चौधरी चरण सिंह जब जाते थे तो किसान उनकी थैली में पाँच-दस या बीस रुपए डाल देते थे। इसलिए हम मारे जाते हैं, गन्ना उत्पादक मारे जाते है। यहाँ चीनी उत्पादकों की लॉबी है। उनके लिए एसडीएफ है, उनके लिए बहुत

सारे फंड्स हैं। आप उन्हें सहायता आदि सबकुछ देते हैं।

अंत में, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि जय प्रकाश के आंदोलन में हम लोग इस देश के किसानों, नौजवानों को कहते थे—

लाख-लाख झोंपड़ियों में छाई हुई उदासी है,
सत्ता सम्पद के बँगले में हँसती पूर्णमासी है,
यह रोब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं,
तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है।

मैं आज इस सदन से कहना चाहूँगा कि—

''आओ श्रमिक, कृषक, मजदूरों, इंकलाब का नारा दो,
शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो,
फिर देखें यह सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है,
तिलक लगाने तुम्हें किसानों, क्रांति द्वार पर आई है।''

धन्यवाद।

10/12/2009

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूर्वांचल के प्रश्न को उठाया। जिस विस्तार के साथ, मार्मिक पीड़ा के साथ, वेदना के साथ पूर्वांचल की व्यवस्था को वह यहाँ रख रही थीं, वह समझने लायक है और सुनने लायक भी है। मैं प्रार्थना करूँगा कि गैर-सरकारी संकल्प, जब सदन में प्रस्तुत हो तो उसको किसी राजनीतिक दल से न जोड़ा जाए, क्योंकि जब हम राजनीति करने लगेंगे, तो सत्य और तथ्य को नहीं पकड़ पाएँगे।

मैं भी विपक्षी दल में रहा हूँ। समाजवादी आंदोलन से चला था चौधरी चरण सिंहजी के साथ, भाजपा तक की यात्रा, 1959 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। मैं अपनी राजनीतिक यात्रा के पचास साल पूरे कर चुका हूँ। ऐसी कौन सी पार्टी है, जिसे हिंदुस्तान में राज करने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदार है और अगर देश में कुछ अभाव रहा, हम नहीं कर पाए, तो हम भी उसके लिए बरी नहीं हो सकते, हम भी छोटे-मोटे जिम्मेदार जरूर हैं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं समझेंगे, तब तक राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर समग्र विकास नहीं कर सकते। राष्ट्र का जितना विकास होना चाहिए, उतना नहीं हुआ, यह सत्य है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्र का विकास ही नहीं हुआ।

हम 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुए थे। उस समय जहाँ खड़े थे और आज जहाँ खड़े हैं, अगर सोचा जाए, तो इन दोनों में गुणात्मक परिवर्तन है। लेकिन दिशा ठीक नहीं थी, दृष्टि सही नहीं थी और गति सही नहीं थी, इसलिए उस पर हम चिंतन करें। जहाँ पूर्वांचल की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से मिथिलांचल की सीमा प्रारंभ होती है। गोरखपुर-पडरौना की सीमा, जहाँ समाप्त होती है, वहाँ नारायणी के उस पार बगहा रो मिथिलांचल की सीमा शुरू होती है, जो किशनगंज, बँगलादेश के बॉर्डर तक जाती है। जैसी हालत पूर्वांचल की वैसी हालत मिथिलांचल की। आपके यहाँ भी पूर्वांचल में नदियाँ नेपाल से निकलती हैं और नेपाल में जब वर्षा होती है तो अथाह पानी आकर हमारी सभी फसलों को ले जाता है, घर बरबाद हो जाते हैं, जानवर बरबाद हो जाते हैं, हम भी बरबाद होते रहते हैं। उसी तरह मिथिलांचल में है। जब नेपाल में वर्षा होती है, तो हमारे यहाँ भी पानी आ जाता है। हम बाढ़ से उजड़ते रहते हैं। बाढ़ का मिथिलांचल या पूर्वांचल में कोई स्थायी निदान न निकला है, न निकलने की कोई संभावना है, क्योंकि नेपाल से नदियाँ आती हैं। एक बार ऊँचा पानी आकर नीचे फैलता है तो उसे हम किसी कारण रोक नहीं सकते। बिहार के लोग इस आंदोलन को मिथिलांचल में चलाते थे कि कोसी, कमला, गंडक को रोकने के लिए नूनथर में, बड़ा क्षेत्र में, शीशा पानी में डैम बनाया जाए। वह नेपाल में बनेगा। किसी दिन राजनीतिक हालत बिगड़ जाए, नेपाल से हमारे संबंध बिगड़ जाएँ, तो हो सकता है कि यदि एक बार उस डैम का फाटक उठा दिया जाए तो तीन सौ फीट पानी आ जाएगा और पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोग समुद्र के गर्भ में डूब जाएँगे, उतने पानी में बह जाएँगे। यह राजनीतिक कारण से नहीं हो पा रहा है, इसलिए रुका हुआ है। लेकिन दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। परिवहन हो, बिजली हो, अगर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो विकास कहाँ से होगा। पूर्वांचल और मिथिलांचल में टूटी-फूटी सड़कें हैं। हमने आजाद भारत में इतने दिन देखा।

एक बार मैं सड़क पर जा रहा था, तो आगे-आगे एक मोटर साइकिलवाला अपनी नई पत्नी को लेकर सिनेमा दिखाने ले जा रहा था। जब सड़क के गड्ढे में मोटर साइकिल हिचकोले मारती तो वह पलट-पलटकर हाथ लगाकर देखता था।... (व्यवधान)

मैंने उसे रोककर पूछा कि पलट-पलटकर क्या देखते हो। वह कहने लगा कि मैं यही देखता हूँ कि पीछे मेरी पत्नी बैठी है या किसी गड्ढे में गिर गई। ऐसी हालत में हम उस जगह रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि सड़कें ठीक

हों। गाँव-गाँव को जोड़ा जाए। आप अनुकरण देखिए। हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, सभी गाँवों तक पक्की सड़कें बनी हुई हैं। जिस गाँव में पक्की सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ यातायात दुरुस्त है, परिवहन सेवा है, वह इलाका उन्नत है। जहाँ सड़कें नहीं हैं, परिवहन नहीं हैं, यातायात की सेवा नहीं है, वह इलाका सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछड़े होने का कारण क्या है? पिछड़े होने का कारण है। जहाँ सरकार जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, वहाँ हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मैं पूर्वांचल और मिथिलांचल का हूँ। मैं जानता हूँ कि हमने राजनीति का सबसे ज्यादा जातीयकरण किया, जाति का अपराधीकरण किया, अपराध का समाजीकरण किया। हम इस बात के भुक्तभोगी हैं। मेरी आत्मा आज रोती है कि हम कितने गिर गए थे। हमारा नेता चाहे कितना ही भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, चाहे जेल चला जाए, जेल से निकले, हाथी पर बिठाकर घंटी बजाकर उसका स्वागत किया जाए, लेकिन जब वह सामाजिकता में जाता है, तो अपनी जाति में पूजित होता है। वह भ्रष्टाचारी नेता सामाजिक समारोह, सांस्कृतिक समारोह में कहीं भी जाता है तो उसे ऊँचे आसन पर बिठाया जाता है।

उसकी आरती उतारी जाती है, माला पहनाई जाती है, जय-जयकार की जाती है और कहा जाता है कि मेरा नेता कैसा हो, इन्हीं के जैसा हो। जो सबकुछ खाएगा, देश को मिटाएगा अपना नाम उठाएगा। हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए पूर्वांचल, मिथिलांचल और राज्य के सभी पिछड़ों इलाकों का तब कल्याण होगा, जब उस देश की नई पीढ़ी के नौजवान, उस इलाके के लड़के-लड़कियाँ, ये नई पीढ़ीवाले एक दिन उठें, साहस करें और अपनी जाति के नाम पर राजनीति करनेवाले लोगों की अर्थी निकालें और अग्नि की चिता में जाकर भस्म कर दें। जिस दिन जाति के नाम पर राजनीति करनेवाले लोगों को जलाकर राख कर देंगे, उस दिन उस राख से ऐसी क्रांति निकलेगी, जिससे पिछड़े इलाके का संभव और समग्र विकास हो सकेगा। यह हमारा प्रधान रोग है और इस रोग का निदान चाहिए।

माननीय सदस्या ठीक कह रही थीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी गन्ना मिलें बंद हैं। मिथिलांचल में सभी गन्ना मिलें बंद हैं। मेरे क्षेत्र में दस किलोमीटर की दूरी पर तीन चीनी मिलें—रैयाम, लोहट और सकड़ी बंद पड़ी हुई हैं। वहाँ गन्ना ही एकमात्र सबसे बड़ा उद्योग था, जिससे चीनी बनती थी, किसानों को नकदी फसल मिलती थी और उनके घर में खुशहाली आती थी। लेकिन देश के कुछ इलाकों में शुगर लॉबी वालों ने सोचा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो सबसे ज्यादा चीनी पैदा करनेवाला है, जब तक वहाँ की चीनी मिलें बंद नहीं होंगी तब तक उन इलाकों के चीनी मिलवालों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों को बंद कर दिया। वे कहते हैं कि हमारे गन्ने की किस्म अच्छी है, हमारी रिक्वरी अच्छी है, हमारे किसान मेहनती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जहाँ भी कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं। आप चाहे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या जहाँ कहीं भी शहर में चले जाइए, वहाँ आपको वे मेहनत करते हुए मिलेंगे। वे पसीना बहाते हैं, महलों और अट्टालिकाओं को सजाते हैं और उनकी छाया में सोकर अपनी रात गुजारते हैं। आज दिल्ली में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मिथिलांचल के कम-से-कम पाँच लाख लोग फुटपाथ पर सोते हैं। वे पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के नीचे जीवन जीते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में शादी करते हैं और वहीं बच्चे पैदा करते हैं और वहीं बूढ़े होते हैं। वे फुटपाथ पर ही मर जाते हैं फिर उनकी लाश लावारिस जैसे रह जाती है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक विकास नहीं है। हमारे यहाँ सड़क, बिजली नहीं है। माननीय सदस्या कह रही थीं कि बिजली तो कब आती है, कब जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटी जब ससुराल जाती है, तो ठिकाना रहता है कि त्योहार पर आएगी। लेकिन जब बिजली जाती है, तो कोई ठिकाना नहीं। वह आएगी या ससुराल में ही रह जाएगी या मायके में ही रह जाएगी, इसका कोई ठिकानानहीं।

भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जाती है। श्रीमानजी माफ कीजिए कि बिजली लगाई जा रही है, लेकिन यह कहते हैं कि खंभा, तार ट्रांसफार्मर आदि हम देंगे और उसे लगवा भी देंगे, लेकिन बिजली राज्य सरकार पैदा करे। अगर कोई आदमी कहे कि चूल्हा हम खोद देंगे, बरतन हम देंगे, बनानेवाला हम देंगे, लेकिन चावल-दाल का इंतजाम तुम करो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हम जलावन का इंतजाम खुद कर लेंगे, बरतन का इंतजाम खुद कर लेंगे, तुम मुझे चावल-दाल दे दो। भारत सरकार कहती है कि बिजली खुद पैदा करो। अब हम बिजली कैसे पैदा करेंगे? हमारे पूर्वांचल और मिथिलांचल में न कोयला है, न गैस है और न यूरेनियम है। इन्हीं तीन चीजों से बिजली बनती है। हम कोयला कहाँ से लाएँगे? जहाँ कोयला है अब वह चाहे झारखंड में हो या जिस क्षेत्र में हो, पूर्वांचल और बिहार को आप कोयले की खानों का पट्टा दे दीजिए। हम अपनी खान से कोयला निकालेंगे, अपने रेट पर लाएँगे और अपने बिजली घर बनाएँगे, नहीं तो आप हमें गैस दीजिए। अब गैस आप पैदा करते हैं। आप हमें गैस दीजिए, जिससे हम बिजलीघर बनाएँ। बिहार में दो बिजलीघर बने हुए हैं। उनका शिलान्यास हो गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के समय में उनका शिलान्यास किया गया, लेकिन वे आज तक नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब हम पैसा कहाँ से लाएँ? अब आप टैक्स लेंगे, आयकर लेंगे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कपड़े, सिलाई, दवाई, नमक, हल्दी-मिर्च, सड़क आदि पर आप टैक्स लेंगे। यानी सब टैक्स आप लेंगे और हमें कहेंगे कि पैसा तुम लाओ।

मेहनत करें हम, मौज उड़ाओ तुम। ऊपर से कहो कि खाने-ठिकाना का इंतजाम खुद करो। हमें परिश्रम और पसीने का भी हिस्सा नहीं मिलता है, इसलिए मैं केंद्र सरकार के लिए आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। एक नीति बने कि जो पिछड़े इलाके हैं, चाहे वह बुंदेलखंड हो, चाहे मिथिलांचल हो, पूर्वांचल हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, उसका विकास होना चाहिए। आज कौन सा ऐसा प्रदेश है, जहाँ पिछड़ापन नहीं है। क्या महाराष्ट्र के सभी इलाके बराबर हैं, क्या गुजरात में सभी इलाके बराबर हैं, क्या राजस्थान में सभी इलाके गंगानगर जैसे हैं, क्या बिहार के सभी इलाके नालंदा और हाजीपुर जैसे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में सभी इलाके बराबर हैं? हर राज्य में पिछड़ा इलाका है, उनको जान-बूझकर पीछे रखा गया है। जो इलाका जितना पीछे है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से भी उतना ही पीछे है, जो सामाजिक दृष्टि से पीछे हैं, उनको प्रशासन में हिस्सा नहीं, राजनीति में हिस्सा नहीं, मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं, मुख्यमंत्री में हिस्सा नहीं, अफसरों में हिस्सा नहीं, न दिल्ली सरकार में हिस्सा, उनको कहीं हिस्सा मिला नहीं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय चौधरी चरण सिंह थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने किसान जातियों को सबसे पहले मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, इसलिए उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह बिहार तक के किसानों के नेता रहे। उनसे पहले कौन पूछता था, पिछड़े जाति के लोगों को। हमारा भी दुर्भाग्य है कि जो पिछड़े इलाके का नेता है, वह अपने नेता के पीछे दुम पकड़कर चलते रहता है, वह अपनी आवाज नहीं उठाता है। हम तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर, प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर, सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बच्चे को कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएँगे, बच्चा न बढ़िया पड़ेगा, न कंप्टीशन में जाएगा, न ऊँची कुरसी पाएगा, न हाकिम बनेगा, न आईएएस-आईपीएस बनेगा, न इधर से पैसा आए, न उधर से पैसा आए, न गन्ना मिल चले, गन्ने की खेती भी मरती जा रही है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि पिछड़े इलाके को पिछड़ा बनाकर रखो, उनको दबाकर रखो। वे दबे रहे, उनकी आवाज नहीं उठने पाए, क्योंकि अगर वे ताकतवर हो जाएँगे, तो उनकी आवाज गूँजने लगेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब पिछड़ापन दूर होगा, तब सामाजिक उन्नति होगी, जब पिछड़ापन दूर होगा, तब शैक्षिक दृष्टि से उठेंगे, जब पिछड़ापन दूर होगा, तब आर्थिक दृष्टिकोण से उठेंगे। जब पिछड़ापन दूर होगा, तब प्रशासनिक दृष्टि से उठेंगे। इसीलिए जातियों के आधार पर जो

आरक्षण है, वह अपनी जगह पर रहे उसका मैं समर्थक रहा हूँ, उसके लिए संघर्ष करता रहा हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ एक नए सिद्धांत को लागू किया जाए कि जो इलाके आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, वहाँ के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनके लिए अलग से आरक्षण किया जाए, तब कहीं उनका मुकाबला हो सकता है। आज कौन सा बैंक गरीब की बात सुनता है? जो इलाका जितना गरीब है, वहाँ हाकिम उनकी क्या बात सुनेगा। पूर्वांचल की जो पीड़ा है, वही पीड़ा मिथिलांचल की है और हम उसी पीड़ा से ग्रस्त हैं। बुंदेलखंड के लिए आपने क्या किया है? क्या बनाते हैं आप? हम गरीब बनाते हैं दिल्ली की सरकार से कोई जाए और कहे, हम तुमको सोना देंगे, चाँदी देंगे, कंबल देंगे, कपड़े देंगे। मुझे भिखमंगा बनाकर रखो, गरीब बनाकर रखो, भूखा रखो और मुझे खाने में हलवा-पूड़ी का लोभ दिखाकर अपनी जय-जयकार कराओ। यह सबसे बड़ी राजनीतिक अधमता है, यह सबसे बड़ा प्रशासनिक पाप है, क्योंकि गरीब की गरीबी का उपहास करना ठीक नहीं है। हम गरीब हैं, हमें कहेंगे, हम तुम्हारे लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं? क्या दे रहे है आप? क्या अपनी जायदाद बेचकर दे रहे हैं, कोई अपना कपड़ा बेचकर दे रहे हैं, क्या अपनी घरवाली के जेवर बंधक रखकर दे रहे हैं, कहाँ से स्पेशल पैकेज दे रहे हैं? आप भारत सरकार के खजाने से स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। वह खजाना मेरा भी है। वह खजाना इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल, मेहनतकश लोगों का है। इन्हीं लोगों के पसीने से भारत सरकार का खजाना भरा हुआ है। उस पसीना बहानेवाले को उसका लाभ मिलना चाहिए। अफसोस है, जहाँ पसीना है, वहाँ पैसा नहीं है और जहाँ पैसा है, वहाँ पसीना नहीं है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पिछड़ापन तभी दूर होगा, जब पैसा पसीनेवाले के पास में जाएगा और जहाँ बिना पसीने के पैसा है, वहाँ से पैसा लाएगा और पसीनेवाले के पास पहुँचाएगा, तब पसीनेवाला आगे बढ़ पाएगा और देश से पिछड़ापन मिट जाएगा, चाहे वह लालसिंह का कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बिहार हो, चाहे और कोई दूसरा प्रदेश हो, यही बात सब में हमें चाहिए।

अंत में मेरी प्रार्थना है कि हमारे झारखंड के साथी बैठे हुए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र और जहाँ-जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बसनेवाले जो भी लोग हैं, वे एससीएसटी हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी हालत इसलिए बिगड़ी हुई है कि उन पर कोई ध्यान देनेवाला नहीं है, उनकी दशा पर कोई सोचनेवाला नहीं है। 'कमाए कोई, खाए कोई, पसीना बहाए कोई, मौज उड़ाए कोई।' पुराने जमाने में जमींदार थे, जमींदारी बेचकर लाते थे और दरवाजे पर मुजरा करवाते थे, आज सरकार ऐसी आती है, जो गरीब किसान, निर्धन, निर्बल, हरिजन, दलित, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के पसीने से मौज उड़ाती है, ऊपर आते हो और हमसे पैकेज के नाम से जय-जयकार करवाते हो। ओ जय-जयकार करानेवाले, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि अपनी जय-जयकार कराना बंद करो, अगर तुम ऐसी ही राजनीति करते रहोगे तो एक दिन हिंदुस्तान का यह भूखा, नंगा, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति-पिछड़े, किसान-मजदूर उठकर आएँगे और जिस दिन वे दिल्ली की तरफ मार्च कर देंगे, उस दिन रामधारी दिनकर के शब्दों में कहूँगा, ''हटो स्वर्ग के दूत मैं स्वर्ग लूटने आता हूँ, छोड़ों सत्ता की जनता दिल्ली आती है।''

धन्यवाद।

11/12/2009

❑

गैर-सरकारी विधेयक

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, पिछले सत्र में इस विधेयक पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। 1977 से मैं संसद् में हूँ। किसी सरकारी विधेयक पर, संकल्प या गैर-सरकारी विधेयक पर प्रस्तुतकर्ता ने इतना लंबा समय नहीं लिया होगा। डेढ़ घंटे शायद प्रधानमंत्री का भाषण भी नहीं हो पाता है। उन्होंने अपने इस विधेयक के समर्थन में दुनिया भर की और भारत का जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन में सुधार के संबंध में जितनी समितियाँ बनीं, उन सबों की चर्चा की और उसके अतिरिक्त भी चर्चा की, जिन बातों का, जिन विषयों का इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है। वह एक अलग विषय है कि राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति जैसे विषय पर आज से नहीं, बहुत दिनों से चर्चा है। समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया 1964 से 1968 तक इसी सदन में थे और शायद जिस तरफ मैं बैठा हूँ, उसी तरफ किसी बेंच पर बैठकर वह बोला करते थे। इस सदन में भी उस समय चर्चा के समय उन्होंने रखा था और दृढ़ता के साथ कहते थे और हम लोग भी उसे मानते थे और मानते रहे हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म एकांगी हो जाए और राजनीति एकांगी हो जाए तो राष्ट्र का सर्वनाश अवश्य कर देगा, यदि वह सर्वांगीण रहे तो राष्ट्र का विकास करेगा और राष्ट्र का उत्थान भी कर सकता है। उसे समग्रता में चिंतन करने की आवश्यकता है।

महोदय, आखिर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मत देना चाहिए, इसके लिए विधेयक बनाया जाए, आखिर उसका कारण तो ढूँढ़ा जाए। जितने कारण गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त भी कारण हैं कि अनिवार्य मतदान क्यों करें। मैं एक मतदाता हूँ, मैं भारत का गरीब हूँ, निर्धन हूँ, निर्बल हूँ, पिछड़ा हूँ, दलित हूँ, झोंपड़ी में रहता हूँ, वोट डालने जाता हूँ तो मेरी झोंपड़ी के सामने ही लठ्ठ लेकर खड़े हो जाते हैं, घर से निकलने नहीं देते हैं। मतदान केंद्र पर जाता हूँ तो पीटकर भगा दिया जाता हूँ। हमारी बहू-बेटियों को नंगा कर दिया जाता है तो क्या अनिवार्य वोट डालने के कारण हम अपनी इज्जत लुटवा लें। क्या मेरी इज्जत की सुरक्षा देनेवाला कोई हुआ है? जो आज तक वोट लूटनेवाले हुए, बल प्रयोग करनेवाले हुए, जबरदस्ती करनेवाले हुए, क्या ऐसे किन्हीं लोगों को सजा दी गई? उन्हें कुछ मिला, क्या कारण है?

देश जब महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में आजादी की जंग लड़ रहा था, उस समय लोगों के अंदर एक आशा थी कि हिंदुस्तान आजाद होगा, दूध-दही की नदियाँ बहेंगी। कहीं न होवे छोट-बड़ाई, गले मिले सब भाई-भाई, ऊँच-नीच का भेद न होवे, सुख का होवे डगर-डगर, हम चलो बसाएँ नया नगर। आजादी के दिनों में गांधीजी के सामने हमने सपना देखा था कि हम देश को आजाद करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सत्ता से मुक्त होंगे और एक नवीन भारत का निर्माण करेंगे। हम उस आशा में चलते चले गए, लेकिन उस आशा की पूर्ति नहीं हुई। देश आजाद हुआ, आजादी के लोग थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की बागडोर उनके हाथ में आई, लेकिन उसके बाद समय बदलता गया और मिलावट होती गई और राजनीति में वैसे लोग प्रवेश करते गए, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सत्ता की दलाली करते थे। जो अंग्रेजों के इनफॉर्मर बने हुए थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर लोगों को जेल भिजवानेवाले थे, ऐसे लोग राजनीति में प्रवेश करते गए। उस समय जिन गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, वे पीछे धकेले गए, वे धकलाते गए, उन्हें पीछे हटाते गए और वे पीछे हटते गए। जो अंग्रेजों के साथ थे, वही पूँजीपति, बड़े-बड़े लोग राजनीति के शिखर पर आते गए और तब से लोगों के मन में निराशा आई। वह आशा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन लोग थोड़े दिनों तक इस प्रत्याशा में रहे कि अब देश में कुछ परिवर्तन होगा, गांधीजी का सपना पूरा होगा, स्वराज्य आएगा, सुराज आएगा और हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान बनेगा, जहाँ सभी प्रकार के शोषण से समाज मुक्त होगा। यह गांधीजी का ही दर्शन

था। वे राज्य विहीन समाज की कल्पना करते थे। वे वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करते थे। क्या हम ऐसा कर पाए हैं? इस प्रत्याशा में लोग थोड़े दिन तक रहे। उन गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलितों की उस प्रत्याशा की भी पूर्ति नहीं हुई तो उनके अंदर निराशा आने लगी कि कुछ होनेवाला नहीं है, कोई सुननेवाला नहीं है, अब हमें कहीं कुछ मिलनेवाला नहीं है। उस निराशा से निकलकर अब वे हताशा की स्थिति में चले गए हैं। आप कहते हैं कि वोट डालो, किसे वोट डालें? अभी जय प्रकाश अग्रवालजी कह रहे थे कि अनिवार्य मतदान किया जाए। वे कह रहे थे कि वे राजनीति नहीं करते हैं। गुजरात की सरकार ने स्थानीय स्वशासन के चुनाव में अनिवार्य मतदान का प्रावधान किया है और उसे वहाँ की विधानसभा ने पास किया है। क्या गुजरात की विधानसभा चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा नहीं है, क्या वहाँ के विधायक वोट से चुनकर नहीं आए हैं? वहाँ की विधानसभा ने बहुमत से विधेयक पास किया और आप कहते हैं कि अपनी मरजी से कर दिया। अगर हम लोकसभा में ऐसा करेंगे तो हमें भी कहेंगे कि लोकसभा में बैठे-बैठे सब अपनी मरजी से कर दिया, लोकसभा में फालतू बकवास कर गए, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? किसी भी राज्य विधानसभा के द्वारा बहुमत से पारित किसी विधेयक की अगर हम आलोचना करते हैं तो हम लोकतंत्र की माँ की कोख पर लात मारते हैं। उसमें उन्होंने एक प्रावधान भी दिया है, जिसे नकारात्मक वोट कहते हैं। गुजरात की सरकार ने उसमें दिया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हैं तो आखिरी में लिखो कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। यह एक नया प्रयोग हो रहा है कि हमें कोई पसंद नहीं है। गुजरात की सरकार यहाँ तक गई। बिहार विधानसभा ने पास किया और पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। उस आरक्षण में पिछड़े वर्ग, दलित, सबके लिए प्रावधान किया। महिला में भी महिला है तो उसके लिए भी आरक्षण किया। जैसे पुरुष समाज के अंदर ये दबे, कुचले लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उनको आरक्षण का मतलब विशेष अवसर से है, जो कमजोर हैं उन्हें विशेष मौका, विशेष अवसर दिया जाए, जिससे वे आगे बढ़ें। अगर घर में कोई सदस्य बीमार है तो उस बीमार सदस्य को सेब, संतरा, फल, सब्जी, दवाई, दूध, मक्खन दिया जाता है, ताकि वह खाकर तंदुरुस्त बने और परिवार का एक स्वस्थ सदस्य बन सके। अगर घर के परिवार का कोई तगड़ा भाई यह कहे कि इस बीमार को जितना खाना देते हो, उतना ही खाना मुझे भी दो तो यह अन्याय है, अमानवीय है।

इसलिए आरक्षण का मतलब था विशेष अवसर। विशेष अवसर देने का मतलब यह कि उनको अलग से अवसर दिया जाए, जिससे वे बराबरी में आ सकें। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि आप समग्रता में चिंतन करें। बिहार विधानसभा ने एक विधेयक पास किया। उसमें उसने सबसे पहले स्थानीय निकायों के चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की और उस आरक्षण की व्यवस्था में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग और महादलित, जिसको कहते हैं, दलितों में अति कमजोर और पिछड़ों में भी अति कमजोर जो हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान की व्यवस्था की, जिसको कहते हैं अनटु द लास्ट। जो थ्योरी रस्किन ने दी थी, जिसके आधार पर संत विनोबा ने सर्वोदय और महात्मा गांधी ने अंतिम मानव का दर्शन दिया, दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. लोहिया उसको समता समाज और समरस समाज तक ले गए थे उन्होंने ऐसा किया। आखिर मतदान करने कोई नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है? क्या वह नकारात्मक को ही वोट देगा? अगर चुनाव होता है और उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, उसी मशीन में नीचे एक विकल्प होना चाहिए कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, वह बटन दबाने का भी विकल्प होना चाहिए। मान लें जीतनेवाले उम्मीदवार को 100 वोट मिले और नेगेटिव वोट 150 आ गए तो उस चुनाव को रद्द माना जाए और सभी पार्टियों द्वारा जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वे फिर दूसरी बार खड़े न हों। फिर दूसरे उम्मीदवार को पार्टियाँ लाएँ। तब अनिवार्य मतदान का कुछ मतलब निकलेगा। अनिवार्य मतदान किसे कहते हैं? मैं भूखा हूँ और

आप कहते हैं कि खाओ। खाने के लिए क्या है—ये भैंस हैं, ये गाय हैं, ये घोड़ा हैं, ये गधा हैं—उनकी लीद हमारे सामने रख दो कि तुम इनमें से जो पसंद हो वह खा लो। क्या यह तर्क है? यह अमानवीय तर्क क्यों देते हैं? हमें अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नहीं है। अगर यह कॉलम दे देते हैं कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार मुझे पसंद नहीं है और अगर नेगेटिव वोट की संख्या जीतनेवाले उम्मीदवार से ज्यादा हो तो चुनाव को रद्द करो, उन सभी उम्मीदवारों को हटा दो और हर पार्टी नया उम्मीदवार लेकर आए। तब कहीं लोगों में अभिलाषा जगेगी कि हमारे मन के लायक उम्मीदवार आया है और हम उसको चुन सकेंगे। अभी हमारे मन का तो कुछ है नहीं, राजनीतिक दल के द्वारा उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनको चिह्न दे दिया जाता है। राजी या बेराजी तुम्हें वोट देना है, उसी में से तुम्हें चुनना है। अब किसको चुनो? एक थीसिस आई थी 'लैसर ईविल ऐंड ग्रेटर ईविल'—बड़ा दुष्ट और कमजोर दुष्ट। दुष्ट क्या कभी बड़ा होता है या कहीं कमजोर होता है? डॉ. लोहिया ने जब राजनीति में इस थीसिस को दिया था, तब उन्होंने गैर-कांग्रेसवाद की नीति को देते हुए कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए कांग्रेस जैसे बड़े दुष्ट को हटाने के लिए सभी छोटे-छोटे राजनीतिक दल आपस में मतभेद भुलाकर इकट्ठा हो जाओ—वहीं से गैर-कांग्रेसवाद का दर्शन चला। उसी तरह से आप कहते हैं कि हमने राजनीतिक दलों से उम्मीदवार खड़े कर दिए, इनमें से जो पसंद हो वह चुनो। ताकतवर दुष्ट और कमजोर दुष्ट में से जिसको चुनना है, वह चुन लो। आखिर दुष्ट तो दुष्ट ही है। जो ईविल है वह न कमजोर होता है, न बलवान होता है। समय और अवसर के आने पर निर्बल भी, दुष्ट भी बलवान बन जाता है और बलवान दुष्ट भी निर्बल बन जाता है। इसलिए राजनीति के शुद्धीकरण की दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए।

अनिवार्य मतदान होगा, लेकिन अनिवार्य मतदाता सूची में नाम कहाँ होता है? आज भी जो गरीब हैं, निर्धन, पिछड़े, दलित समाज के हैं, उनके 30-40 प्रतिशत लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं रहता। आप दौड़कर जाओ, फोटो खिचाओं, निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में जाओ, वही फॉर्म भरो, वहाँ अपना नाम लिखाओ, एक दिन जाओ, दो दिन जाओ, तीन दिन जाओ, दौड़ो। नाम है मेरा हुक्मदेव नारायण यादव और फोटो लग गया इनका। कैसे काम चलेगा? वोट देने जाओ तो नाम किसी का है फोटो किसी और का है। मेरा नाम है हुक्मदेव नारायण यादव और उसमें लिख दिया गया हुक्मदेव नारायण देवी। अब देव को देवी बना दिया। अगर गलत मतदाता सूची बनाई जाती है, और उसमें फोटो गलत लगाया जाता है, तो जो गलती करनेवाले अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए कि अगर वे मतदाता सूची गलत बनाते हैं, गलत नाम लिखते हैं, उसका विवरण गलत देते हैं, उनकी फोटो गलत लगाते हैं तो इसके अपराध में उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें सजा नहीं देंगे, तब तक वे सही मतदाता सूची नहीं बना पाएँगे। यह मैं नहीं कहता। अभी सेंट्रल हॉल में मैं बैठा था। कांग्रेस पार्टी की ही, शैलजाजी हैं, शादी लाल बत्राजी, एडवोकेट हैं, एमएलए रहे हैं, अब राज्यसभा में आए हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं। अलका बलरामजी राज्यसभा में हैं। हम एक समिति में हैं, इसलिए चर्चा चली। उन लोगों ने भी कहा कि यह बात आप सही कहते हैं। इममें ऐसा प्रावधान करेंगे, तभी सुधार होगा। मैं एक और बात की तरफ माननीय विधि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये बहुत ज्यादा प्रगतिशीलता की बात कहते हैं और करनी भी चाहिए। समाज बदलने के लिए साहस चाहिए और हिम्मत चाहिए। दुनिया को बदलने के लिए अकेले भी चलना पड़े, तो चलना चाहिए। जब हम आजादी की लड़ाई में और बिहार आंदोलन के समय लड़ते थे, तब हम यही गीत गाते थे—

''हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे,
मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे।

सच्चाई के कारण गांधी ने सीने पर गोली खाई थी,
ईसा को झुलाया शूली पर बच्चों ने जान गँवाई थी।''

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि साहस कीजिए। कौन वोट नहीं देता है? दिल्ली शहर में गगनचुंबी अटालिकाएँ हैं, दिल्ली में बड़े-बड़े लोग हैं, जाड़े में गरम और गरमी में ठंडा, ए.सी. मशीन लगाते हैं। यहाँ इतने शौक के साधन हैं। हवागाड़ी पर चढ़ने की सुविधा है। एक-एक घर में तीन-तीन गाड़ियाँ हैं, लेकिन उस दिल्ली में वोट का प्रतिशत कम है, हमारे बिहार के गाँव में ज्यादा वोट डाला जाता है, उससे कम है। ऐसा क्यों है, जबकि यहाँ तो सब सुविधा है। पढ़े-लिखे हैं, विद्वान् हैं, एम.ए. हैं, पी-एच.डी. हैं, इंग्लैंड-अमेरिका रिटर्न हैं, हवागाड़ी चढ़ने की सुविधा है, किसी चीज का अभाव नहीं है तो फिर वोट क्यों नहीं डालते हैं? ये पढ़े-लिखे सुविधा संपन्न लोग हैं, ये वोट कम डालते हैं। एक बात समझ लीजिए, पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोगों के वोट डालने का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र में जितनी उनकी हिस्सेदारी हुई है, उतनी ही उनकी अभिलाषा भी जगी है। यह लोकतंत्र की देन है कि आज इस सदन में लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, हुक्मदेव नारायण यादव, रमेश बैंस या मेरे साथ बैठे माननीय सदस्य, अर्जुन मेघवाल जो कि कलक्टर थे, लेकिन इनको सच्चाई के अपराध में ऐसा दंड दे दिया गया कि यह सदन में पहुँच गए। हम लोग कैसे आए? शैलजाजी बैठी हैं, इनके पिताजी थे। यदि लोकतंत्र में सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, यदि गांधीजी सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं देकर गए होते तो हम लोगों का कहीं स्थान नहीं होता। यदि संविधान में आरक्षण की सुविधा नहीं होती तो हिंदुस्तान के किसी भी राजनैतिक दल को किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता। योग्यता का मापदंड क्या है? आप किस माँ के पेट से जन्म लेकर आए हो, भारतवर्ष में यही मान्यता बना दी गई कि अमुक-अमुक माँ के पेट से जन्म लेनेवाला ही योग्य माना जाएगा और अमुक-अमुक माँ के पेट से जन्म लेनेवाली संतान कभी योग्य हो ही नहीं सकती है। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा सामाजिक अन्याय इस देश में चलता रहा। महात्मा गांधी यदि नहीं होते, बाबा साहेब आंबेडकर नहीं होते, डॉ. लोहिया नहीं होते या ऊँची जाति में जन्म लेनेवाले विवेकानंद औद दयानंद सरस्वती नहीं आते, भगवान् बुद्ध नहीं आते, महावीर नहीं आते, ये लोग यदि धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अलख नहीं जगाए होते तो यह परिवर्तन नहीं आता। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हम लोगों ने अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से इसको बदला है...(व्यवधान)

मैं अपनी बात आपसे कह रहा था, आप मेरी बात सुनें। मेरी न मजबूरी है, न मुझे भय है और न ही कोई लोभ है, मैं निर्भय होकर अपनी बात बोलता हूँ। आप यह बात मान लें कि आज भी पिछड़ी जाति और दलित में से किसी को कुरसी दी जाती है तो कहा जाता है कि हमने इन्हें कुरसी पर बैठाया है। यह सरकस का शेर भालू देखें या बाईस्कोप का खेल देखें, जो सिनेमा दिखाते थे, बाईस्कोप का नाच देखें। मेरे में शैलेजा, मीरा कुमार और हुक्मदेव नारायण यादव देखें। इस सरकस के खेल में अपने को आगे समझकर कोई गर्व मत करना। अगर संविधान के द्वारा अधिकार नहीं दिया होता तो हमें आगे बैठने की पंक्ति में कोई स्थान नहीं देता। हमारे पूर्वजों ने भोगा, हम सदियों से भोगते आए हैं और आज भी बहुत सी जगहों पर भोग रहे हैं। जिसका उदाहरण यह संसद् है। आप अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करते हो, क्या इस संसद् का रूपांतरण हो पाया है? भारत को आजाद हुए इतने दिन गुजर गए, क्या इस संसद् का रूपांतरण हो पाया है? संसद् का रूपांतरण नहीं हो पाया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से इनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप उस पर जरा गहराई से चिंतन करिए। आप जब अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करेंगे तो मुझे हर्ष होगा, क्योंकि मुझे उसका लाभ मिलेगा। हमारी संततियाँ जग रही हैं और जगती जा रही हैं। आप जब अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करेंगे तो जिसकी सबसे ज्यादा संख्या

होगी, वह ज्यादा वोट डालेगा, लोकतंत्र में 51 का राज है, जिसका वोट 51 आएगा, उसका राज बन जाएगा। इसी लड़ाई को अगर मुलायम सिंहजी, लालू प्रसादजी, शरद यादवजी और मायावतीजी लड़ रही हैं, चाहे अन्य कोई देश में लड़ रहा है, वे सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। मनुष्य को केवल रोटी ही नहीं चाहिए, इनसान को दो तरह की भूख है—एक पेट और एक मन की भूख है। पेट की भूख रोटी से मिटती है और मन की भूख इज्जत की है। हमें केवल रोटी देकर मत समझो कि भरपेट रोटी दे देंगे तो हमारी भूख मिट जाएगी, रोटी के साथ-साथ मन की भूख, इज्जत की भूख और इज्जत की भूख बराबरी की भूख है। इसलिए आज इस लोकतंत्र रूपी माता की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस संसदीय लोकतंत्र रूपी माता ने अपने गर्भ से आज हिंदुस्तान के सैकड़ों पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, निर्बल, पीड़ित, उपेक्षित, जिनके पूर्वजों को कभी सड़क पर सीधे चलने नहीं दिया जाता था, आज उन्हें इस संसद् में शेर जैसे गरजने का अवसर मिल रहा है। यह लोकतंत्र, भारत के संविधान एवं भारत की स्वतंत्रता की देन है, महात्मा गांधी और डॉ. आंबेडकर की देन है।

इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर मुझे यह अवसर मिला है तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि अपने इस अवसर का लाभ उठाएँ। जिस समाज में जन्म लेकर आए हैं, जहाँ पले हैं, बड़े हुए हैं, जिस समाज ने आपको उठाया है, हमें आगे बढ़ाया है, कितनी बड़ी-से-बड़ी और ऊँची-से-ऊँची कुरसी पर जाएँ, लेकिन कभी अपने समाज की पीड़ा को मत भूलें। अगर हमारी एक आँख दिल्ली के लाल किले पर रहे तो दूसरी आँख झोंपड़ीवालों की तरफ भी रहे, जहाँ से हम निकलकर आए हैं। जब तक हमारी एक आँख उन झोंपड़ियों पर नहीं जाएगी और दूसरी आँख दिल्ली के लाल किले पर नहीं रहेगी, तब तक हिंदुस्तान की राजनीति का परिवर्तन नहीं होगा। आप जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन एवं परिवर्तन करिए। आप अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करिए, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहूँगा कि यहाँ पालजी बोल रहे थे तो उस पर लोग हँसे थे। जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन दी जाती है। उस दिन अगर छुट्टी हो जाए तो उसका भी उन्हें वेतन भत्ता मिलता है, जिस दिन मतदान हो जाए तो किसी के लिए मत करो, लेकिन एक बात कर दो कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के जितने कार्डधारी हैं, वे जिस दिन वोट डालने जाएँगे तो जो लोग वोट डालेंगे, आप जो नरेगा वालों को मजदूरी दे रहे हैं, उस वोट डालनेवाले बीपीएल कार्डधारी को उतनी मजदूरी देंगे।

सभापति महोदय, इसलिए वह मजदूरी दी जाए, क्योंकि वह कमाता है, राशन लाता है, बच्चों को खिलाता है। यदि नहीं कमाएगा, तो राशन नहीं आएगा और जब राशन नहीं आएगा, तो बच्चे भूखे रह जाएँगे, लोकतंत्र में वोट गिराएगा और सभी बच्चे भूखे पेट सो जाएँगे, इस लोकतंत्र से वह क्या पाएगा। इसलिए जो गरीब और निर्धन हैं, उन्हें कम-से-कम 100 रुपए मजदूरी दें, जिससे वे वोट डाल सकें। जब आप स्टेट फंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें यह क्यों नहीं जुड़ेगा? इसलिए उन्हें कम-से-कम 100 रुपए मजदूरी दें, जिससे वे वोट डालने जाएँ और उस पैसे से वे अपना राशन लेकर आएँ और फिर अपने बच्चों को खिलाएँ।

महोदय, दूसरी बात यह की जाए कि जब वोट की प्रक्रिया शुरू हो जाए और आचार-संहिता लागू हो जाए, उस दिन से मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने तक हिंदुस्तान में शराब की बिक्री बंद कर दी जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अनिवार्य वोटिंग अपने आप हो जाएगी, लेकिन आपको शराब की बिक्री इस दौरान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसेवाले, शराब के कारण हमारे लोगों का सबसे ज्यादा नाश कर रहे हैं। ये हमारे लोगों को बरगलाते हैं, हमारे बच्चों को ये शराब पिलाते हैं और हमारे घरों को उजाड़ते हैं। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि बड़े लोग, छोटे लोगों को पशु समझते हैं, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उसके मसूढ़े से खून आता है, लेकिन वह समझता है कि सूखी हड्डी से रस निकल रहा है। उसी तरह पैसेवाले लोग हम गरीबों को चबाते हैं। मेरी आपसे

विनम्र प्रार्थना है कि अब जमाना लद गया है। आप अनिवार्य वोट की व्यवस्था करें। हमें उसमें लाभ-ही-लाभ है। हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। धूप में आठ-आठ घंटे खड़े होने और वोट डालने का साहस हमारे ही आदमियों में है। हमारे आदमी आज भी वोट डालने के लिए चार और पाँच किलोमीटर दूर चलकर जाते हैं। जो बड़े ताकतवर लोग हैं, वे भले ही नहीं जाते होंगे, लेकिन गरीब आदमी आज भी वोट डालने जाता है।

महोदय, मैं 1967 में एम.एल.ए. बना था। मैं 1962 में चुनाव लड़ा था। मैं वर्ष 1959-60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। मैं ब्लॉक का प्रधान बना। जिला परिषद् का अध्यक्ष बना। तीन बार एम.एल.ए. रहा और संसद् में पाँचवीं बार रहकर भारत सरकार के मंत्री पद तक गया। गाँव, खेत-खलिहान से चलकर लाल किले तक की यात्रा कर देखा है। इसलिए मुझे रामचरित मानस की वे पंक्तियाँ याद आ गईं, जिनमें कहा गया है कि—

''मंदिर-मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जह तह अगपित जोधा।
गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाहीं।
शयन किए देखा कपि तेही, मंदिर महुं न दीख वैदेही।''

मैं गाँव की गली से निकलकर लाल किले तक चलकर आया हूँ। मेरे पिताजी, आठ चाचा और चार चचेरे भाई स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरा घर लूटा गया। मेरे घर को अंग्रेजी-राज में लूट लिया गया। मैं तीन साल का था। मेरी माँ, मुझे गोद में उठाकर नाव पर चढ़कर ननिहाल ले गई थी। मेरे पिताजी, चाचा और चचेरे भाई स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारा गाँव आदर्श गाँव बना। उनके पत्थर लगे हुए हैं। जब आजादी के बाद दिन आने लगे, तब जो महलों में रहनेवाले थे, उनमें किसी ने आजादी की जंग में अपना एक महल दे दिया, तो बदले में उन्होंने भारत की राजनीति पर कब्जा किया। मेरा घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, घर जल गया, माँ-बाप सब परेशान हुए, मैं भी माँ की गोद में परेशान हुआ था, तब देश में आजादी आई थी। इसलिए मैं इस पीड़ा के साथ लड़ता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून दिया था, मेरे खानदान ने खून दिया, मेरे परिवार ने खून दिया और मैं उस संघर्ष से निकलकर आया हूँ। इसलिए उस संघर्ष की अग्नि में तपा हुआ आदमी, कभी धूमिल नहीं होता है। हम उस संघर्ष की आग को निरंतर जलाते चलेंगे, उस मशाल को निरंतर जलाते चलेंगे, उस दिन की कल्पना के साथ, जिस दिन भारत की संपूर्ण सत्ता, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता और जितनी भी सत्ताएँ हैं, जब तक उन सभी संस्थाओं पर भारत के निर्बल, निर्धन, दलित, पिछड़े, गरीब, भूखे लोगों का पूर्ण वर्चस्व नहीं होगा, तब तक भारत में संघर्ष रहेगा! इसलिए अनिवार्य मतदान करिए, हमें सुविधा दीजिए और अनिवार्य मतदान कोई करे न करे, अरे साहब, किसी को करोड़ों रुपए दोगे, तो नहीं मानेगा, हम तो कहते हैं, हमारे घर की औरतों को, हमारे दादा, ताऊ और चाचा को वोट के लिए 100 रुपए दे दो, उन्हें वोट के लिए जरा सा इंसेंटिव दे दो, देखो वोट का कितना परसेंट बढ़ता है। आप अगर इंसेंटिव न भी दोगे, तो भी हम वैसे ही वोट का परसेंट बढ़ाएँगे। मैं अंतिम बात कहता हूँ कि आप इंसेंटिव नहीं देंगे, तब भी हम मतदान केंद्रों पर जाएँगे।

धूप में जलेंगे, पानी में भीगेंगे, जाड़े में ठिठुरेंगे, मतदान केंद्र पर जाएँगे, इसलिए जाएँगे कि लोकतंत्र पर मुझको अधिकार जमाना है और भारत की सत्ता पर हमें अपने संततियों को और सम्मान के साथ बैठाना है, जिसके लिए वह भूखा है। उस अरमान को पूरा करने के लिए और लोकतंत्र में सुधार के लिए हम आपसे समर्थन माँगते हैं और आपसे भी कहते हैं कि समर्थन दीजिए।

05/03/2010

वित्त विधेयक पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मेरे दल की ओर से एक ही लोकसभा क्षेत्र से लगातार सात बार जीतकर आनेवाले श्री हरिन पाठकजी ने वित्त विधेयक के संबंध में अपनी राय रखी। वित्त विधेयक के विभिन्न मुद्दों पर हमारे नौजवान साथी श्री निशिकांत दूबेजी ने अपनी राय रखी, उस बात को आगे बढ़ाते हुए गाँव, गरीब, किसान, पिछड़ों की आवाज को उठाते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर लोकसभा सदस्य बने श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात रखी और हमारे साथी श्री भूपेंद्र सिंहजी ने भी अपनी बात रखी है। मैं कहना चाहूँगा कि भारत को एक योग्य, विद्वान्, अनुभवी वित्तमंत्री तो मिला है, लेकिन श्री निशिकांत दूबेजी ने उनको हमारे संसदीय लोकतंत्र और इस लोकसभा का 'भीष्म पितामह' कहा है। भीष्म पितामह विद्वान् थे, चरित्रवान थे, धर्मात्मा थे, उस समय भारत के महान् पुरुष थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि उनका राजा धृतराष्ट्र आँख का अंधा था। इसलिए भीष्म पितामह की जो बातें होतीं, राजा देख ही नहीं पाता था। जो राजा आँख का अंधा हो, पुत्र मोह में अंधा हो, राजमद में अंधा हो, सब तरह से अंधा हो, तो अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। उसी तरह श्री प्रणव मुखर्जी अच्छे विद्वान् वित्तमंत्री हैं, लेकिन यदि भीष्म पितामह हैं, तो उनका अंधा राजा कौन है, यह खोजना उनका काम है। बाकी हम लोग तो समझते ही हैं कि वह कौन है।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वित्त विधेयक पर चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं कि वित्त विधेयक के संबंध में बात कीजिए। आखिर वित्त विधेयक का मतलब है, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन का मतलब है—ऐसा वित्तीय प्रबंधन जो समाज में समता लाए, विषमता मिटाए, निर्धनता मिटाए, संपन्नता लाए, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाए और राष्ट्र को विश्व में एक नंबर पर ले जाए, उस कसौटी पर इस वित्त विधेयक को हम कसने का काम करते हैं। जब हमारे विपक्ष और सत्तापक्ष के लोग बोलते हैं, तो समाजवाद, समता, इन सभी बातों को कहते हैं।

मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आधुनिक समाजवाद के सबसे विद्वान् अर्थशास्त्री डॉ. राम मनोहर लोहियाजी ने इसी सदन में समाजवाद के बारे में क्या कहा था। लोकसभा वाद-विवाद 16 मार्च, 1965 को उन्होंने कहा था—

''समाजवाद का मतलब क्या है, समझो, समाजवाद हर किसी सिद्धांत की तरह एक होता है थोक और एक होता है फुटकर। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो तो उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब अधिकतम और न्यूनतम सीमा लाओ।'' मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि डॉ. लोहिया ने धार्मिक बराबरी की बात भी कही थी। अगर आज इस धार्मिक बराबरी की बात कोई दूसरा बोले तो उन्हें हमारे बहुत से लोहियावादी साथी कहते हैं कि सांप्रदायिकता है। लेकिन लोहियाजी, जो समाजवाद का दर्शन देनेवाले थे, भारतीय समाजवाद के सबसे बड़े चिंतक माने गए। उन्होंने कहा कि बराबरी का मतलब इतना होता है। इस कसौटी पर हम कसना चाहेंगे कि क्या आपकी सरकार काम कर रही है?

मैं किसान हूँ और किसान होने के नाते हर जगह खोजता हूँ कि किसान को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। इसलिए कि सबसे विपत्ति का मारा हुआ, मुकद्दर का मारा हुआ, दुर्दिन का मारा हुआ, अपमानित होनेवाला, पीड़ित और प्रताड़ित होनेवाला, उपहासित होनेवाला, शोषित होनेवाला जो वर्ग है, उस वर्ग का नाम किसान है। वह इसलिए हो रहा है कि एक तरफ इस देश के पूँजीपति, सत्ताधारी, नौकरशाह सब मिलकर उसका शोषण करते हैं तो दूसरी तरफ भारत की जाति प्रथा के दलदल में धँसे होने के कारण अपनी जाति के नेताओं की

दुम पकड़कर चलता रहता है। इसलिए भी किसान आज दु:ख भोग रहा है। जिस दिन भारत का किसान अपनी जातीयता की दलदल को छोड़ेगा, दल के बंधन को तोड़ेगा, राष्ट्रीयता के समर में खड़ा हो जाएगा, उस दिन भारत के किसान के भाग्य और भविष्य को कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन भारत में किसान क्रांति होगी और एक ही आवाज आएगी कि हटो सत्ताधारी, तुम्हारी सत्ता पर कब्जा करने आता हूँ।

मैं आपको किसानों की दुर्दशा की बात बताना चाहता हूँ। सन् 1951 में इस देश में किसानों का प्रतिशत 71.9 था और 2001 में उसका प्रतिशत घटकर 54.4 प्रतिशत ही रह गया। ये 17.5 प्रतिशत किसान कहाँ चले गए, ये किसान से मजदूर बने हैं। जहाँ सन् 1951 में खेतीहर मजदूर 28.1 प्रतिशत थे, वहीं 2001 में 45.6 प्रतिशत हुए हैं यानी 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आजाद भारत में 17.5 प्रतिशत किसानों को खेतीहर मजदूर बनाने को मजबूर किया गया है। उनकी जमीन चली गई, जायदाद चली गई, वह किसान था, वह जमीन का मालिक था, वह 17.5 प्रतिशत किसान खेतीहर मजदूर बन गया। दिल्ली में और अन्य शहरों में जाकर वह काम करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, गगनचुंबी अट्टालिकाएँ बनाता है। राजा-रानी आते हैं, हाथ में बीयर है, बगल में डियर है और उसकी आँख में केवल टीयर-ही-टीयर है। वह आँसू बहाता है, उस महल की छाँव में सो जाता है। आज भी वे 10 से 15 लाख लोग इस दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं। ये वही हैं, जो किसान से मजदूर बन गए हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों। गाँव में कोई ऊँची जाति के आदमी मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में आकर देखो, ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, सड़क के किनारे खाकर सो जाता है। जाड़े की रात में फटी बोरी को ओढ़ता है। कुत्ते का बच्चा आता है, वह भी उसी में घुस जाता है। कुत्ते का बच्चा और इनसान का बच्चा एक ही बोरी के नीचे रात गुजारते हैं, यह है तुम्हारी दिल्ली। और दूसरी तरफ एक दिल्ली यह है, जिसे नई दिल्ली कहते हैं। वह हिंदुस्तान है और यह इंडिया है और इंडिया का खेल अलग ही है। इस पर ज्यादा ध्यान देना और इस पर कसौटी कसना ही सरकार का काम है।

देश की आबादी बढ़ती जा रही है। सन् 2005 में जहाँ प्रतिवर्ग कि.मी. 345 आबादी का घनत्व था, वह 2025 में 440 हो जाएगा। अगर आबादी बढ़ेगी, आदमी बढ़ेगा, तो उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान भी चाहिए। इसके विपरीत खेती की जमीन सिकुड़ती जा रही है। सन् 1984 में 13.11 करोड़ हेक्टेयर खेती की भूमि थी, लेकिन सन् 2008 में 11.60 करोड़ हेक्टेयर खेती की भूमि कम हो गई यानी 1.51 करोड़ हेक्टेयर खेती की भूमि कम हो गई।

वह कहाँ चली गई? आपने किसानों को उजाड़ा है, बड़े-बड़े मॉल बनाए, बिल्डर्स आए, कमीशन खाए, हमें उजाड़ा गया, एसईजेड बनाए, पूँजीपति को लाए। अमरीका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस वाले आकर हिंदुस्तान को सजा दो और हिंदुस्तान के गरीबों को उजाड़ दो। इसलिए इस देश का नौकरशाह, जो सामंतवादी चरित्र का है, हम किसान कहाँ से उन्हें डिनर कराएँगे, हम कहाँ से उन्हें लंच कराएँगे, हम कहाँ से उन्हें फाइव-स्टार में ले जाकर पार्टी कराएँगे, लेकिन अमरीका-इंग्लैंड वाला लंच और डिनर पर आएगा और उनके साथ हिंदुस्तान के शासन और भाग्य का फैसला होगा।

सभापति महोदय, सन् 1951 में 394.9 ग्राम अनाज प्रति व्यक्ति मिलता था, वर्ष 1991 में यह 510.1 ग्राम हो गया, लेकिन वह घटकर सन् 2007 में 439.3 ग्राम है। किसानों के खाने का अनाज कम हो रहा है, कपड़ा कम हो रहा है और आप कहते हैं कि देश में संपन्नता आ रही है। आईपीएल वाले की संपन्नता आ रही है, संपन्नता उसकी आ रही है, जो अपनी पत्नी को जन्मदिन पर हवाई जहाज देता है, संपन्नता उस कॉरपोरेट वाले आदमी की आ रही है, जो एक साल में 28-30 करोड़ रुपया अपना वेतन और भत्ता लेता है और एक तरफ नरेगा का मजदूर है, औसत रूप से जोड़ो तो पाँच रुपया रोज पर गुजारा करता है। एक तरफ नरेगा का मजदूर औसत रूप से पाँच

रुपया रोज पाए और एक तरफ 28-30 करोड़ में साल का वेतन पाकर इस देश में उड़ाए। क्या आपका कानून इसे रोक सकता है, नहीं रोक सकता है और वह इसलिए कि चुनाव आता है, वे थैली लाते हैं, सबको पहुँचाते हैं। उनका होगा नोट, गरीब का होगा तोट, राज बनेगा आपका, आप तो नाचोगे, आप मस्ती करोगे, जो लूटता है, लूटता रह जाएगा, जात के पीछे वे दीवाने बने रहेंगे। माननीय मंगनी लालजी बोल रहे थे कि छोड़ते हो कहीं, करते हो कहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, तीर चलाते हो कहीं, मारते हो किसी को।

सभापति महोदय, इस देश में जहाँ नरेगावाले 4.60 पैसे प्रतिदिन पर गुजारा करते हों, उसी देश में सुरक्षा जरूरी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात की जाए तो एक दिन में 52.7 लाख रुपया खर्च होता है और एक नरेगा का मजदूर 4.60 पैसे प्रतिदिन पर गुजारा करता है, क्या ऐसा ही भारत आप बनाना चाहते हैं? मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप सुनो, भारत के प्रधानमंत्री का मकान 15 एकड़ में बनेगा और 15 एकड़ में हमारे दलित, पिछड़ी जाति और किसान का एक गाँव होता है। क्या गरीब देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही हो सकते हैं? गरीब देश का प्रधानमंत्री बनो, गरीबों की बात करो...(व्यवधान)

यह अतारांकित प्रश्न संख्या 2893, 24 जुलाई, 2009 को सरकार के सदन में स्वीकार है। इस देश के उद्योगपतियों पर 10 लाख 54 हजार रुपया बकाया है और देश के किसानों का 86 हजार करोड़, 70 हजार करोड़ रुपया माफ करते हो। हमें भीख की रोटी खिलाते हो।

हमें भिखमंगा समझते हो। इस देश के उद्योगपतियों को चलानेवाले, पूँजीपतियों को चलानेवाले, विदेशी कंपनियों को लानेवाले, विदेशी कंपनियों से साठ-गाँठ करनेवाले, आईपीएल करनेवाले, स्विस बैंकों में रुपया जमा करानेवाले देश चला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की दिशा बदलती, देश की दिशा बदलती, अगर प्रणव बाबू को प्रधानमंत्री बनाते। तब भारत का कल्याण होता। लेकिन आप उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको नौकरशाह चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणव बाबू का सम्मान करते हुए उनकी नीयत की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जो फाइनेंस बिल पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

29/04/2010

❑

लोकसभा में 04.09.1990 को आरक्षण पर हुक्मदेव नारायण यादव उपनेता (लोकसभा) का भाषण

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करूँगा कि जहाँ देश में हजारों वर्ष का रोग है उसका इलाज तुरंत नहीं हो सकता है। जिस विषय पर सदन में सदस्य बहस कर रहे हैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि भारतीय समाज का यह हजारों वर्ष का रोग है और कोढ़ में खुजली हो गई है। यदि कोढ़ में खुजली हो जाए तो और भी दर्दनाक स्थिति होती है। भारतीय समाज में जाति प्रथा, एक कोढ़ है और जब ऊपर से आर्थिक विषमता आ जाए तो यह कोढ़ में खुजली के समान है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंहजी, हरीश रावतजी जब बोल रहे थे और अन्य कांग्रेस के लोग बार-बार आरोप लगा रहे थे हमारे प्रधानमंत्रीजी के ऊपर कि उन्होंने आरक्षण को लागू करके जातीयता को बढ़ावा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज भारतीय समाज की जातीयता को क्या विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने बढ़ावा दिया है। भारत में 4500 जातियों में, जो उप जातियाँ बनी हुई हैं उनका निर्माण करनेवाला कौन है? इस देश में ब्राह्मणवादी और पूँजीवादी व्यवस्था ही है न। इस ब्राह्मणवादी और पूँजीवादी व्यवस्था ने मिलकर जातिवाद व्यवस्था के द्वारा प्रतिभाओं को कुंठित किया है। किसने बनाया है यह! आप जरा गौर से सोचो, जाति बनानेवाले आप, उपरोक्त निर्माण करनेवाली जाति के आधार पर शोषण करनेवाले आप, जाति के आधार पर विषमता पैदा करनेवाले आप और जब हम जाति प्रथा को तोड़ने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब आप उलटे जातीयता का आरोप हम पर लगाते हैं। हरीश रावतजी आप लोहियाजी की बात कर रहे थे, लोहिया ने कहा है कि जाति और योनि के कटघरे में समाज कैद है। जाति और योनि के कटघरे से जब तक समाज को मुक्त नहीं किया जाता, तब तक भारत में समता समाज की स्थापना नहीं हो सकती। आप समता समाज की बात करते हैं। ''उधरहि अंत न होहि निबाहू, कालनेमी जिमि रावण राहू।'' कालनेमी संत बनकर हनुमान के मार्ग में बाधा पैदा कर रहा था। रावण भी संत बनकर सीता का हरण करने गया था और राहु भी रूप बदलकर अमृतपान करने गया था और अपना शीष कटवा कर आज तक राहु और केतू के नाम से ग्रहों के रूप में प्रसिद्ध है। आपकी भी हालत वही होनेवाली है।

(व्यवधान)

छद्म रूप रखकर लोगों को धोखा मत दीजिए। आप कह रहे थे कि मंडल कमीशन की सिफारिशें अधूरी हैं, मैं भी मानता हूँ कि मंडल कमीशन की सिफारिशें पूरे तौर पर लागू नहीं की गई है, लेकिन अगर प्रथम चरण में प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन की सिफारिशों का थोड़ा सा अंश लिया है तो आप इसके लिए घबड़ा क्यों रहे हो? आप इस बात को कहते हो कि भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, बौद्धिक विषमताओं से जर्जर है, हिम्मत है तो आगे बढ़ो और इन सभी विषमताओं पर कुठाराघात करो। अल्पमत की सरकार भले ही हो, लेकिन आप भी जानते हो कि जब इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आई थी, उस समय आपने भी बहुत प्रगतिशील कानून बनाए थे। भारत की संसद् का यह इतिहास रहा है कि जब सरकार अल्पमत में रही है उसने हिंदुस्तान के गरीबों के लिए ज्यादा काम किया है। बहुमत के बल पर पागल हाथी की तरह मदमस्त होकर सरकार में बैठनेवाले जो नेता रहे हैं, उन्होंने गरीबों के खून चूसने का काम किया है। इसलिए आपने देखा कि इससे पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी वामपंथियों के बल पर थोड़े दिनों तक सरकार में बैठी थीं, उन्होंने उस समय प्रिवीपर्स समाप्त किया था, बैंकों का राष्ट्रीकरण किया था। इसीलिए आज अगर अल्पमत में सरकार है और वामपंथी दलों का समर्थन है,

इस कारण प्रगतिशील काम हम कर रहे हैं तो आपको इससे जलन क्यों है? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में परिवर्तन के दो रास्ते बनाए गए थे। एक जलन का रास्ता और दूसरा चापलूसी का रास्ता। आप हमेशा चाहते हो कि हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों में से या तो जलनवाला नेता पैदा हो या चापलूस नेता पैदा हो। जलनवाला नेता पैदा होगा तो हिंदुस्तान में जलन की अग्नि को पैदा करेगा और समाज बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बँटेगा, सवर्ण और अवर्ण तथा दूसरी जातियों में समाज बँटेगा। उस जलन का लाभ आपको मिला करेगा, क्योंकि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति से जो जलनवाला नेता पैदा होता है, उसको मारना आपके लिए आसान रहा है। इस तरकीब को आप जानते हो और दूसरी आपकी चाल रही है कि चापलूस नेता पैदा करे तो आपके तलवे में मक्खन लगाए, जी हजूरी करे, आपके सामने घुटने टेके और सर्कस के शेर की तरह नाचता रहे, ऐसे नेता को पैदा करने के लिए आप सोचते रहे हो। लेकिन जनता दल के माध्यम से जिस नए परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं, न हम इस देश में जलनवाले नेता को पसंद करेंगे, न चापलूस को पसंद करेंगे। हम अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों में से प्रतिभाशाली, ज्ञानी, विद्वान् लोग पैदा करना चाहते हैं, जिन पर समाज के सभी वर्गों को भरोसा हो। न केवल सामाजिक परिवर्तन, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में भी वह नेतृत्व कर सके और संपूर्ण समाज को लेकर एक नए भारत का निर्माण कर सके। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जब-जब कट्टरपंथी, ब्राह्मणवादी और पूँजीवादी व्यवस्था का समन्वय होता रहा है, तब-तब यह देश टूटता रहा है, कमजोर हुआ है, निर्धनता में गया है, अपमानित हुआ है और जब-जब कट्टरपंथी, ब्राह्मणवादी और पूँजीवादी व्यवस्था के गठजोड़ को तोड़ा गया है और उसके विरुद्ध क्रांति हुई है तो ऐसे समय में हिंदुस्तान का स्वर्णिमकाल का इतिहास लिखा गया है। केवल पिछड़े वर्ग के लोगों ने नहीं किया, राम किस वर्ग में पैदा हुए थे? कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस कहाँ पैदा हुए थे? संसद् में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भगवान् गौतम बुद्ध ने कहा था, ''समान प्रसव समान जाति।'' जब कट्टरपंथी, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ उदारपंथी क्षत्रियों ने नेतृत्व किया, तब भारत का स्वर्णिम युग आया और भारत के इतिहास में वही परिवर्तन आ रहा है। मेरी मान्यता रही है कि कांग्रेस कट्टरपंथी, ब्राह्मणवादी और पूँजीवादी व्यवस्था का जोड़ था। जनता दल द्वारा उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए एक नई शक्ति का जन्म दिया जा रहा है। आप हँस रहे हो और घबरा रहे हो। आगे की पंक्ति में श्री हरीश रावत, श्री वसंत साठे और श्री दिनेश सिंहजी बैठे हैं। क्या आप अपने दल के अंदर दूसरे साथियों की आत्मा में झाँकते हो, जो कि पिछली पंक्ति में बैठे है उनकी आवाज आने दो तो पता लगेगा कि उनके मन में क्या चिंता है? अगली पंक्ति में बैठे हो...

(व्यवधान)

कुमारमंगलम साहब, जिनके शरीर में काँटे गड़ते हैं, उनको ही पीड़ा होने का अहसास होता है। जिनको नहीं गड़ते उसको कुछ नहीं होता, लालकिले से प्रधानमंत्री ने दो शब्द कहे थे और वे शब्द गरीबी और गैरत थे। आपने उन शब्दों को सुन लिया, लेकिन हुक्मदेव नारायण यादव उसका अर्थ लगाते हैं। प्रश्न गरीबी का नहीं, गैरत का है। इसमें चार श्रेणी के लोग हैं—एक वे हैं, जिन्होंने गरीबी को देखा है, सामाजिक अपमान को नहीं, ऊँची जाति के कुछ लोग गरीबी को तो देखते हैं, सामाजिक अपमान को नहीं। दूसरे वे हैं, जिन्होंने सामाजिक अपमान को देखा है, लेकिन गरीबी को नहीं देखा है। उसमें हुक्मदेव नारायण यादव आपके सामने खड़ा है। तीन बार ग्राम पंचायत का प्रधान रहा, तीन बार विधानसभा का सदस्य और तीसरी बार संसद् सदस्य हूँ। मेरे पिताजी, आठ चाचा और चार

चचेरा भाई ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे और जेल में गए थे। मुझे याद है कि संपत्ति लूटी गई। जब एम.एल. बनकर दरभंगा में जाता था, तब मुझे थाली में खिलाया जाता था और उस थाली को कुत्ता रात भर चाटता रहता था। जब अपनी कचहरी में जमींदार टहल रहा था, उस समय मेरे चाचाजी अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे हुए थे। मेरे दादाजी को बुलाकर कहा गया कि आपके खानदान के लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है कि मेरे सामने खाट पर बैठे हुए हैं। क्या वे उसके सिर पर बैठे हुए थे? यह सामाजिक अपमान है। गरीबी मेरे पास नहीं है, पर मैंने यह सामाजिक अपमान को भोगा है। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने गरीबी और सामाजिक अपमान को नहीं देखा है। वे अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं। जिन्होंने गरीबी और सामाजिक अपमान को देखा है, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। उन्होंने उन दोनों चीजों को भोगा है। डॉ. लोहिया के शब्दों में यह है कि नीचे की जाति ऊपर आएगी और ऊपर की नीचे जाएगी। आपके कलेजे में दर्द होगा तो आपको पता चलेगा। आप चाहते हैं कि सदा सुहागन रहो और बाकी विधवा का जीवन जीए। सन् 77 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में सात सौ उम्मीदवार सफल हुए थे। 227 गाँववाले और 473 शहरवाले थे। गाँववालों का प्रतिशत 23.42 था और शहरवाले 67.57 थे। सन् 78 में सफल उम्मीदवार 728 भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसमें शहरवाले 525 और गाँववाले 193 थे। गाँव का प्रतिशत है 26.23, शहर का है 73.77। मैं पूछना चाहता हूँ कि 85 प्रतिशत लोग गाँव में बसनेवाले हैं और आई.ए.एस. की सर्विस में बैठते हैं तो उनको 27 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलता है। शहर में बसनेवाले 15 प्रतिशत लोग हैं आई.ए.एस. की सेवा में 72 प्रतिशत स्थान लेते हैं। अब आप बताएँ कि लुटेरे कौन हैं, किसने पाप किया है और अन्याय करनेवाला कौन है? इस विषमता को किसने पैदा किया है, आपने पैदा किया है। हम भी गाँव में रहनेवाले हैं। 15 प्रतिशत लोग शहर में बसते थे, आपने उनको 73 प्रतिशत आई.ए.एस. कुरसी पर बिठाया है। 85 प्रतिशत गाँव में बसनेवाले लोग हैं, उनको 27 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व दिया। क्या यह गाँववालों का कलेजा चीरनेवाली बात नहीं रही है?

आप बहुत सी बातें करते हो, शिक्षा के बारे में कहते हो हरीश रावतजी, एक तरफ दिल्ली में स्कूल बनाते हो, जहाँ बड़े बाप का बेटा पढ़ता है, जिस पर तीन हजार रुपए महीने का खर्च करते हो और दूसरी तरफ हम गाँव के हैं, हमारे बेटे हैं, बिना छप्पर के कच्ची मिट्टी और टाट पर बैठते हैं और आप प्रतियोगिता में दोनों को एक समान खड़ा करना चाहते हो। सही शिक्षा का दर्शन है 'राजा का बेटा या भंगी की संतान—सबकी शिक्षा एक समान'। है हिम्मत तो इस दर्शन को मानो। सभी निजी विद्यालयों पर आज से ताले लगा दो और गरीब का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसी के साथ राजीव गांधी के बेटे को भी पढ़ाया जाए। हिम्मत है तो करो इसको। हमारा तो यही दर्शन है। आप आर्थिक आधार की बात करते हों, खेती, नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार। जमीन के मालिक आप रहेंगे। हजार बीघा जमीन आपके पास होगी, कारखाने आपके पास होंगे, बस का परमिट आपके पास होगा, ट्रक का परमिट आपके पास होगा, एम.पी. और एम.एल.ए. आप बनोगे 'बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना'। यह नहीं देख रहे हो। कारखानों पर तुम्हारा कब्जा, नौकरियों पर तुम्हारा कब्जा, फैक्टरियों पर तुम्हारा कब्जा और उसके बाद भी समाज में समता की बात करते हो, और सरकारी नौकरियों को लेकर परिवर्तन की बात करते हो। आप एक सूत्र को मानो 'खेती, नौकरी और व्यापार एक आदमी एक रोजगार'। जिसके पास कारखाने हो, उसे सरकारी नौकरी मत दो, जिसके पास जमीन है, उसे सरकारी नौकरी मत दो, रेखा खींच दो कि जिसके पास कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी का हकदार वही होगा, आरक्षण उसी को मिलेगा, हिम्मत हो तो आगे बढ़ो।

लेकिन केवल घड़ियाली आँसू न बहाओ। आप जाति प्रथा तोड़ने की बात कर रहे थे। जाति प्रथा रोटी से नहीं टूटती है। समाज में आज रोटी के मामले में जातियाँ मिट चुकी हैं। हम सब संसद् में बैठते हैं, किसी से जाति नहीं पूछते, एक साथ खाते हैं, एक जगह पानी पीते हैं तथा कहते हैं कि जातियाँ मिट गईं। लेकिन अपनी बेटी के ब्याह के लिए अपनी बिरादरी में जाएँगे। मैं जनता दल में हूँ, लेकिन मुझे जनता दल में अपनी बेटी ब्याहने के लिए बिरादरी का लड़का नहीं मिलता तो भारतीय जनता पार्टी में अगर मेरी बिरादरी का कोई आदमी होगा तो उसके साथ हमारा रिश्ता बनेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रोटी में जातीयता मिट चुकी है, लेकिन जाति का आधार रोटी नहीं बेटी है। सरकारी नौकरी के लिए अंतरजातीय विवाह अनिवार्य हो। जो जाति तोड़कर शादी रचाएगा, सरकारी नौकरी वही पाएगा। है हिम्मत तो इसको लागू करो, वरना बातें करने से क्या हासिल होगा? आप केवल आरोप लगाना जानते हो, यदि इसको कमजोर करना चाहते हो तो आप परिवर्तन करो, लेकिन आप यह करनेवाले नहीं हो, आप समता समाज वाले नहीं हो, विशेषाधिकारी वाले हो, समाज के अंदर विशेषाधिकार को आपने बनाकर रखा है और हमारी लड़ाई विशेषाधिकार के खिलाफ विशेष अवसर की है। समाज में गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप कह देते हो शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्यूनिटी के अंदर जो बढ़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण से मुक्त रखो। जगजीवन राम का नाम लेते हो, जगजीवन राम का बेटा हो, बुद्धिप्रिय मौर्य का बेटा हो, रामधन का बेटा हो या रामविलास पासवान का बेटा हो, जो अच्छे स्कूल में पढ़कर शिक्षा लेता है, वह पढ़कर ऊपर उठ जाता है और आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति को आप चार प्रतिशत या पाँच प्रतिशत दे रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो चार प्रतिशत भी आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को दिया जा रहा है, इसको भी अलग कर दें, जिसे गरीब कभी कम्पीट नहीं करेगा। उनको चार से जीरो पर लाकर रखना चाहते हैं। ऊँची जाति में यही मानसिकता है, यही लोग देश को लूटना चाहते हैं। जो शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्यूनिटी के संपन्न लोग हैं, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं और आरक्षण के नाम पर कुछ प्रतिशत ले लेते हैं तो आज उसको भी हटाना चाहते हो। यह तो धूर्तता है या क्रूरता है। जो लोग कहते हैं वे या तो धूर्त या क्रूर हैं। उनके हृदय में मानव जाति के लिए प्रेम समाप्त हो चुका है और वे धूर्तता की बात करते हैं। श्री हरीश रावतजी कह रहे थे कि पिछली जाति के अंदर कुछ आगे बढ़ी जातियाँ हैं, वे आगे बढ़ेंगे। हाँ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जब परिवर्तन की धारा उत्तर भारत में चल रही थी, तब पिछड़ी जातियों की जमीनवाली जातियों ने उनका साथ दिया। उत्तर भारत में क्षत्रियों, पिछड़े वर्गों, किसानों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उससे पूँजीवादी व्यवस्था पर चोट पड़ रही है। वे चाहते हैं कि यह सामाजिक ध्रुवीकरण गंगा-जमुना के मैदान में न बने, क्योंकि इस सामाजिक, ध्रुवीकरण के गर्भ से जनता दल की ऊपज हुई है, आप इस सामाजिक ध्रुवीकरण की शक्ति को आगे बढ़ने दें। आप घबराएँ मत। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो संसद् सदस्य बैठे हुए हैं। आप जरा गहराई और गौर से सोचें। आपके घर में अगर बीमार आदमी है, डॉक्टर कह रहा है कि घी, दूध, संतरा तथा विटामिन दो, लेकिन जो ताकतवर भाई हैं, वे कह रहे हैं कि अपने हिस्से के मुताबिक खाओ और हमारे हिस्से में से क्यों खाएगा? वह भाई है या क्रूर है? आप विश्व दर्शन की बात करते हैं, कहते हैं कि योग्य बनो तो कुरसी लो। यह दर्शन वैसा ही है, जैसे किसी से कहा जाए कि आप तैरना सीख लो, तब तलाब में तैरने देंगे। तो वह तैरना सीखेगा कहाँ? क्या हम वोट क्लब या इंडिया गेट पर तैरना सीखेंगे? साइकिल चलाना सीखो तो साइकिल का हैंडल पकड़ो, कार चलाना सीखो तो उसका स्टेरिंग पकड़ो। मेरे डॉक्टर

लोहिया का यही दर्शन था और वे कहते थे कि काबिल है या नाकाबिल पहले उसको कुरसी दो, कुरसी पर बैठने से वह काबिलियत सीख जाएगा। हम पहले तालाब में तैरेंगे, दो फुट पानी में उतरेंगे, डूबेंगे, तब तैरना सीखेंगे। ऊँची जाति के लोगों में हजारों वर्षों के संस्कार हैं। मेरे अंदर वे संस्कार नहीं हैं। डॉक्टर लोहिया का दर्शन था—खेती, नौकरी और व्यापार, एक व्यक्ति एक रोजगार। सरकारी नौकरी, राजनीति, व्यापार, पलटन इन चारों में दलित आदिवासी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को 100 में से 60 स्थान दो। राजनीतिक दलों के नेतृत्व में दो, सरकारी नौकरी में दो, पलटन में दो, व्यापार में दो। यदि राष्ट्र को उदारता के रास्ते पर ले जाना है तो उदार बनिए और यदि उदार नहीं बनेंगे तो रामविलास पासवान, शरद यादव पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आह्वान किया है कि आप सड़क पर निकलकर चले आइए। हाँ, द्विजवादी चरित्र में और पिछड़े चरित्र में कहीं तो फर्क है। जो अवगुण है, वही मेरे लिए गुण है और आपका गुण है, वही आपका दुर्गुण है। आप इस बात को समझ लो, श्री रामविलास और शरद यादव के मन में बाते छुपेंगी नहीं, अगर उनके मन में था, उन्होंने खुलेआम कहा कि आप अपने हक के लिए सड़क पर जाओ, लेकिन आप जैसे नहीं कि संसद् में मंडल कमीशन की सिफारिशों लागू करने के लिए कहते हो, परंतु भीतर-भीतर लोगों को इंजेक्ट करते हों कि आग लगाओ, बसें जलाओ, देश जलाओ...

(व्यवधान)

हुक्मदेव नारायण इस काम को नहीं कर सकता है। हुक्मदेव नारायण यादव, शरद यादव या रामविलास, जो संसद् में बोलेंगे, वही सड़क पर बोलेंगे। जो मस्तिष्क में सोचेगा, वही दिल से सोचेगा, क्योंकि हमारा दिल और मस्तिष्क दोनों एक है। हम नए समाज की रचना करना चाहते हैं। अभी राजा साहेब बोल रहे थे, एक पुराने जमाने की कहानी कह रहे थे, वह कौन सी प्रेरणा थी महात्मा गांधी के रहते हुए आपको बिरादरी के लोगों ने बाहर कर दिया, लेकिन देश के निर्माण के लिए आपने उसको स्वीकार किया था। मैं आशा करता हूँ कि राजा दिनेश सिंह यदि उसी परिवार या खानदान के हैं तो आगे बढ़ो और मंडल कमीशन की सिफारशों का समर्थन करो, बिरादरी से बाहर निकल जाओ, लेकिन गांधीजी के समय जो...

(व्यवधान)

अपने परिवार, अपने खानदान के इतिहास को संसद् में धूमिल मत करिए, बल्कि अपने खानदान और परिवार की इज्जत बचाकर रखिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यही पुरुष का पुरुषार्थ है। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि जो ऊँची जाति के लोग हैं, चाहे किसी घर में जन्म लिये हों, ब्राह्मण हों, ठाकुर हों, बनिया हों, कहीं भी जन्म लिये हों, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब परिवर्तन का काम होता है तब अवरोध पैदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उन्हें सहयोग नहीं देते। जब देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था तो क्या विरोधी शक्तियाँ कोर्ट तक मुकदमा नहीं ले गई थीं। जब देश में भूमि सुधार से संबंधित कानून बना था तो क्या जमींदार सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लेकर नहीं गए थे। इसलिए समाज में जो विरोधी शक्तियाँ होती हैं, वे हर अच्छे काम में कोई-न-कोई अवरोध अवश्य खड़ा करेंगी, लेकिन यह सत्ता का काम है कि उन अवरोधक शक्तियों की हिम्मत और उनके हौसले को न बढ़ने दें। यह मत देखो कि हम सत्ता में रहेंगे या नहीं, कुरसी पर रहेंगे या नहीं। अगर देश को बनाना है तो समाज में अवरोधक शक्तियों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। अगर देश को बनाना है तो समाज के, जो दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित लोग हैं, जो युगों से आर्थिक, समाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक रूप से शोषित होते आए हैं, उन्हें आगे लाना ही पड़ेगा। ऊपर उठाना ही पड़ेगा। मैं आपको बताना

चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हमेशा से तीन गद्दियों का गठबंधन होता आया है, उनमें से एक राजा की गद्दी है, दूसरे सेठ की गद्दी और तीसरी महंत की गद्दी है। राजा, सेठ और महंत इन तीनों के गठबंधन से ही आपकी कुरसी आज तक चलती आई है। इस देश में राजा और सेठ आपस में मिल गए, सेठ और महंत आपस में मिल गए तथा महंत और राजा आपस में मिल गए और इसी तरीके से शासन चलाते आए हैं। आज यदि आप बाबरी-मसजिद और राम जन्मभूमि के झगड़े से हार गए हो, थक गए हो, तो क्यों आरक्षण के नाम पर अरंतु-परंतु लगाकर आग लगाना चाहते हो। मैं सदन की मारफत इस देश के करोड़ों लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध को याद करो, महावीर को याद करो, रामकृष्ण परमहंस को याद करो, स्वामी दयानंद को याद करो, यद्यपि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कुलों में पैदा हुए थे, मगर इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। इस देश के किसान के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे। मैं आज उन सभी लोगों का आह्वान करता हूँ। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, आज हमें उनके स्वप्नों के भारत का निर्माण करना है। उनके स्वप्नों को टूटने मत दो। आज यदि हिंदुस्तान में कुछ लोग कट्टरपंथ को चलाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनके खिलाफ डटकर लोहा लेना पड़ेगा। इस काम में यदि कुछ आदमियों की जिंदगी चली जाए तो उसकी परवाह मत करो। दबे, कुचले लोगों को राह दिखाओ। ऐसे लोग जो आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं, उससे कर्नाटक के लोगों को भी असलियत का पता चल जाएगा, सबके सामने उनका चरित्र उजागर हो जाएगा। यदि वहाँ आप 40 परसेंट का समर्थन करते हो तो हमने, जो यहाँ 27 परसेंट रिजर्वेशन का प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन करने में आपको क्यों परेशानी हो रही है? पूँजीवादी व्यवस्था के आप क्यों पक्षधर बनना चाहते हो? पूँजीवादी व्यवस्था के अनुसार यदि कोई कदम उठाया जाए तो वह आपके लिए जायज है और यदि इस देश के गरीबों के हित में, शोषित और पीड़ित लोगों के हित में, कोई कदम उठाया जाता है तो उसका आप खिलाफत करें, यह कहाँ का न्याय है? आप हर चीज को अपनी मरजी के मुताबिक क्यों लेना चाहते हो? हमारा विश्वास है कि देश अब पूँजीवादी व्यवस्था और ज्यादा बरदास्त नहीं कर सकता। उसके खिलाफ हम संसद् में लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे, आकाश में भी लड़ेंगे, पाताल में भी लड़ेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो जान तक भी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ।

नोट—''इस भाषण की प्रशंसा माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा 'मेरा देश मेरा जीवन' में की है। इस भाषण को उन्होंने आरक्षण पर दिए गए सभी भाषणों में सर्वश्रेष्ठ भाषण कहा है।''

04/09/1990

❑

बाढ़-सुखाड़ पर चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी) : सभापति जी, राजेश रंजनजी अभी उस इलाके की कहानी के साथ-साथ कुछ सुझाव दे रहे थे। संयोग से उनका और हमारा जन्म उसी मिथिलांचल के कोसी कमला-बलान क्षेत्र में हुआ है। एक पैर बाढ़ में और एक पैर सुखाड़ में। जब नेपाल में पहाड़ पर पानी जोर से बरस जाए, तो हम बाढ़ में डूबने लगते हैं। जब पहाड़ में पानी न बरसे तो सुखाड़ की चपेट में आ जाते हैं। फिर न जाने कब बाढ़ आ जाए। मेरी जिंदगी में हथिया नक्षत्र में भी दो-तीन बार बाढ़ आई है जब धान की लहलहाती फसलें बरबाद हो गई थीं। डूब जाती हैं और किसान बिलकुल निर्धन और दरिद्र हो जाता है। ऐसे इलाके मिथिलांचल में हमारा जन्म हुआ है, उस इलाके के लोग शुरू से मैथिली भाषा में गाते रहे हैं—

''कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर,
दुखहि जनम भेल दुखहि गमाऔल सुख-सपनेहु नहीं भेल,
हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर।''

लेकिन आज तक न भोला बाबा सुन रहे हैं और न ही सरकार द्वारा कुछ हुआ है। वे लोग दुख में ही पड़े हुए हैं और महिलाएँ गाती हैं कि 'अविरल आँसू बहे नैनन से, अब तो दया करो, हे राम कृपा करो।' उस इलाके में जन्म लेने के कारण उसकी दर्दनाक कहानी मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर कहने लगूँ, तो इस सदन की ईंट की आँख से भी आँसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि इतनी वेदना और इतने दर्द के साथ उस इलाके के लोग तीन महीने तक जीवन जीते हैं।

मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा किया गया होता, बराह क्षेत्र में, कोसी में, शीशा पानी में, कमलाबलान में और नूनथर अधवारा समूह में डैम बनाने की पच्चीसों वर्ष से चर्चा चल रही है, लेकिन भारत सरकार आगे बढ़ती नहीं है और न बिहार सरकार कुछ करती है। न जाने केंद्र के, बिहार के तथा नेपाल के, इन तीनों के चक्कर में हम बाढ़ में और सुखाड़ में मरते रहे हैं। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूँगा कि अब आगे बढ़े। नेपाल सरकार के साथ समझौता करे। माननीय प्रधानमंत्रीजी नेपाल जानेवाले हैं। शायद मेरी बात वहाँ तक पहुँचे तो इस बात पर भी वे नेपाल सरकार से चर्चा करें जिससे इन तीनों डैमों का निर्माण हो जाए। इससे इतनी बिजली पैदा होगी कि बिहार की क्या बात करें, बल्कि आधे भारत को बिजली मिलेगी। हमारी दो फसलें धान और गेहूँ जो हम पैदा करते हैं, ये हमारी फसलें हमेशा लहलहाती रहेंगी। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए।

बगहा से लेकर किशनगंज तक उसी इलाके में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंहजी भी रहते हैं। बगहा से लेकर किशनगंज तक का जो इलाका है, नेपाल की तराई के साथ-साथ हम जिस समय डॉ. लोहिया के आंदोलन में थे, उस समय हम उस इलाके में 'बाढ़-सुखाड़ स्थायी निदान सम्मेलन' किया करते थे। हम लोग तब से माँग कर रहे हैं...(व्यवधान)

हमें अपनी बात बोलने दीजिए। आप कभी हमसे बाद में बहस कर लीजिएगा। हमसे बहस करते-करते बहुत लोहियावादी थक गए। आप तो लोहियावादी कभी नहीं थे... (व्यवधान) आप शांत रहिए। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि बगहा से लेकर किशनगंज तक हम उस समय से आंदोलन करते रहे हैं कि बगहा से किशनगंज तक सीधे पश्चिम से पूर्व तक नदी जोड़ दी जाए जिससे उत्तर बिहार की, मिथिलांचल की सभी नदियाँ उसमें जुड़ जाएँ। अगर किसी नदी में बाढ़ आएगी, वह पानी सभी नदियों में चला जाएगा जिसके कारण बाढ़ की समस्या का निदान होगा। इसलिए नदियों को जोड़ो। हम कहते हैं कि नदियाँ जोड़ो जिससे बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का निदान होगा। बगहा से किशनगंज तक लंबी नहर खोदकर सभी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए।

दूसरे, पिश्चमी कोसी नहर का निर्माण हुआ। पूर्वी कोसी नहर में कुछ सिंचाई हुई लेकिन बालू की समस्या से लोग पीड़ित रहे। पश्चिमी कोसी नहर अब तक अधूरी है। उसके रेखांकन गलत किए गए। डीपीआर गलत बनाया गया। साइफन होना चाहिए, वहाँ साइफन नहीं बनाया। इसके कारण परेशानी है। इसलिए उसका फिर से डीपीआर बनाया जाए और फिर से उसका प्राक्कलन बनाकर, सुधार करके पश्चिमी-कोसी नहर को शीघ्र पूरा किया जाए तो मिथिलांचल के अंदर बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा।

तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आहर कहते हैं, जो सिंचाई के स्रोत हैं। आहर मृत नदियों के जितने बेड हैं और उसके साथ-साथ तालाब और पोखरा हैं, इन सबकी खुदाई क्यों नहीं करवाई गई? मनरेगा पर हजारों-करोड़ों रुपये खर्च किए गए। लेकिन अगर इनकी खुदाई करा दी जाती तो जितने मृत नदियों के बेड हैं, पुराने तालाब हैं, वे सब अतिक्रमण से ग्रसित हैं, उन पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया गया। इसके लिए अतिक्रमण कानून में नया संशोधन किया जाए और यह कहा जाए कि सड़क में, विद्यालय में, सिंचाई के स्रोत पर अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको नया कानून बनाकर, उस पर काररवाई की जाए। Prevention of Damage to Public Property Act संसद से बना हुआ है। उसके तहत काररवाई की जाए तो हमारी सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। लेकिन यह सरकार को करना चाहिए।

अंत में, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उस बाढ़ में जन्मते हैं, उसी बाढ़ में पलते हैं, उसी बाढ़ में मरते हैं और मरने के बाद हमारी लाश भी बाढ़ के पानी में बहा दी जाती है, क्योंकि हमें जलाने के लिए कहीं सूखी जमीन नहीं रहती है। इस विपत्ति को हम झेलते आए हैं तो कितने दिनों तक झेलेंगे? इसलिए इस इलाके के लोगों ने बड़ी आशा, उमंग और विश्वास के साथ श्री नरेंद्र मोदीजी का साथ दिया। लोगों को जिताकर यहाँ भेजा। अब हम चाहते हैं कि अंत में कृषि मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी दोनों मिलकर एक आयोग बनाएँ और उस आयोग के द्वारा मिथिलांचल और उत्तर बिहार में बाढ़ और अकाल से निदान के लिए एक बड़ी योजना बनाई जाए और उसके आधार पर काम किया जाए। उसमें नेपाल सरकार से भी समझौता किया जाए।

अगर इतना कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में हमारे बच्चे रोएँगे नहीं।

कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा,
कखन हरब दुख मोर,
दुख ही जन्म झेल, दुख ही गमाओल,
सुख सपने हुँ नहीं भेल,
हे भोला बाबा, कखन हरब मोर।
ये गाते-गाते रोते आए हैं, उससे निदान होगा। धन्यवाद।

31/07/2014

❑

बजट पर सामान्य चर्चा

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं बिहार के मधुबनी संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, जो नदियों के जाल से घिरा हुआ क्षेत्र है, बाढ़ से हर साल परेशान होने वाला क्षेत्र है। हमारे वहाँ की भाषा मैथिली है। मैं श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयीजी को आज इस सदन में खड़ा होकर धन्यवाद देना चाहूँगा। मिथिलांचल में फोर लेन की सड़कें बनी थीं, द्वारिका से लेकर कोहिमा तक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया गया था, कोसी में पुल बना था। सभी छोटी रेल लाइन को उन्होंने बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट किया था, कुल 1100 किलोमीटर सड़कें एन.एच. की स्वीकृत हुई थीं, उसमें से सात सौ किलोमीटर उन्होंने केवल मिथिलांचल के लिए दिया था, इसके लिए भी मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ।

महोदय, आजादी के इतने दिनों के बाद भी मिथिलांचल पिछड़ा रहा, मैं उस समय संघ का स्वयंसेवक होने के साथ-साथ समाजवादी आंदोलन में डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करता रहा। 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, 1967 में जब विधायक बना, तब से 1977 में लोकसभा में आने तक 17 वर्षों में से पाँच वर्ष मुझे कांग्रेसी राज की जेल में सड़ाया गया। वह दिन भी याद है जब सात फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी कोठरी में हम लोगों को बंद करके खतरनाक बंदी की हैसियत से रखा जाता था। एक घड़ा पानी और एक गमला दिया जाता था। क्या अपराध था, यही कि हम गाँव की बात करते थे, किसान की बात करते थे, गरीब की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, निर्धन, निर्बल, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते थे। जिसके कारण कांग्रेस के राज में हम लोगों को जेल में बंद किया जाता था। रोम-रोम से आज भी वह ज्वाला भड़कती है। अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारे गुरु डॉ. लोहिया ने 1967 में नारा दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर गैर कांग्रेसवाद की एक योजना बनी थी। तब उन्होंने नारा दिया था —कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। वह सपना अधूरा था। परंतु जब नरेंद्र मोदीजी बोल रहे थे तो उन्होंने गांधी, लोहिया और दीनदयाल का नाम लिया था। मैं लोहियावादियों की तरफ से तथा देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, पीड़ितों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने गांधी, लोहिया, दीनदयाल तीन महान् राजनीतिक गुरुओं का नाम लिया था, उनके आदर्शों पर भारत के निर्माण का संकल्प लिया।

सभापति जी, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा, आज प्रधानमंत्रीजी विदेश में हैं, वह ब्राजील में ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं, उन्होंने नए भारत का जो सपना देखा था, मैं इस संसद् से खड़ा होकर विदेश में बैठे प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत के यश की विजय पताका दुनिया में फहराने का काम किया है। इससे विश्वास होता है कि नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत विश्व की एक महान् शक्ति के रूप में खड़ा होने वाला है। बैंक शंघाई में बनेगा, लेकिन उसका प्रथम सीईओ भारतीय बनेगा, यह सम्मान भारतीयों को मिला है और इस सम्मान के लिए हर भारतीय की छाती गर्व से फूल जानी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा और इन कांग्रेस के लोगों को सुनाना चाहूँगा कि माननीय ज्योतिरादित्यजी कांग्रेस के नए उदीयमान नेता हैं। उनके पिताजी भी मेरे साथ सदस्य थे। तब भी वह मेरी बात को सुनते थे। उस दिन वह कांग्रेस की तरफ से बहस का प्रारंभ करके आँकड़े दे रहे थे। सभापतिजी आँकड़े सुनते-सुनते मेरे 74 वर्ष गुजर गए, उससे देश के लिए क्या निकला -3 में 13 डालो, 13 में 15 डालो, 15 में 18 डालो, 18 से 27 निकालो, 27 में 22 डालो, यह हिसाब सुनते-सुनते इस देश के पिछड़े, निर्बल किसानों और मजदूरों को क्या मिला है। हम अपनी जवानी के दिनों में जेल में बंद होकर गाते थे। आज भी वही गीत हम गाते हैं और आज भी खेत में किसान, मजदूर, पिछड़े और दलित जब काम करते हैं तो वे राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं।

तब भी हम कहते थे—धूप-ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर करते, फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रोकर, हम चलो बसाएँ नया नगर। मैं तो नया नगर बनाने वाले गरीब, निर्धनों, निर्बलों, उपहासित और उपेक्षित लोगों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बार उस सपने को पूरा किया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, वह संकल्प आगे बढ़ेगा और पूरा होगा। हम भी पाँच वर्ष उस तरफ बैठे थे। जहाँ से वे बोल रहे हैं इससे पहले पाँच वर्ष हम वहीं बैठे थे, दूसरे बेंच पर, मेरा डिवीजन नंबर 462 था। उस समय हमारे दल से प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थीं। उनके सफल नेतृत्व में हम विरोधी दल के आचरण का निर्वाह कर रहे थे। इस संसद् में विरोधी दल ने एक नए इतिहास का निर्माण किया था। आज नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष में हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि तब भी कांग्रेस वालों को सुनाया करता था। ये समाजवाद की बात करते हैं। ये समता की बात करेंगे। ये क्या-क्या बात करेंगे।

''उहरहि अंत न होई निबाहुं,
कामनेमि जिवि रावण राहु।''

रावण ने भी तपस्वी बनकर सीता माता का हरण किया था। कालनेमि भी साधु बनकर हनुमान के मार्ग को रोकने गया था। लेकिन वह पकड़ में आ गया। उनके परदे उठ गए। आपके परदे भी उठ चुके हैं। अब थोड़ा बाकी है। जब वह पूरा उठेगा, तो आप कहाँ रहोगे, वह भगवान जाने, वह ईश्वर को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिसके लिए मैं इतने दिनों तक लड़ा हूँ, मैं उस दिन को देखना चाहता हूँ कि सदन में कांग्रेस नाम की कोई चीज न रहे, कोई पार्टी न बैठे और उनकी तरफ से कोई सदस्य न रहे। ऐसे भारत का हम सपना देखते हैं। उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं। वह दिन आने वाला है। वह इस देश की जनता करेगी। नौजवान करेंगे। जब हम आपके खिलाफ लड़ते थे तो उनका आह्वान करते थे—

''आओ श्रमिक, कृषक मजदूरों,
इंकलाब का नारा दो।
शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों,
अनुभव भरा सहारा दो।
तब देखें कांग्रेसी सत्ता,
कितनी बर्बर और बौराई है।
तिलक लगाने तुम्हें जवानों,
क्रांति द्वार पर आई है।''

हम तो वह जमाना पार कर के आए हैं। इसी सदन में डॉ. लोहिया ने 16 मार्च, 1965 को कहा था, मैंने वहाँ से भी सुनाया था। आप जिस समय सत्ता में थे, उस समय डॉ. लोहिया ने आपको सुनाया था। लेकिन क्या आपने उस बात को ध्यान दिया था। हमारे बहुत साथी समाजवाद की बात करते हैं। लोहिया की बात करते हैं, उनके गीत गाते हैं। लेकिन उनके दर्शन को समझ नहीं पाए हो? इस सदन में उन्होंने कहा था कि भारत की दृष्टि क्या हो, दिशा क्या हो, संकल्प क्या हो, राह क्या हो? उन्होंने एक मार्गदर्शक का काम किया था, जिसको मैं आज पढ़कर अपने सदस्यों को थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, जो उसको समझ लें। समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से कोई एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी। उससे से एक सीढ़ी और नीचे उतरो, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता लगाव। यह है भारत का दर्शन। अगर इसके आधार पर भारत का निर्माण

हुआ होता तो आज भारत में गरीबी नहीं रहती, निर्धनता नहीं रहती, अशिक्षा नहीं रहती। गाँव नरक नहीं रहता। हरियाणा और पंजाब जैसे आस-पास के कुछ राज्य हैं, वहाँ के गाँवों से हमारे गाँवों की तुलना मत करो।

सभापति महोदय, कभी किसी को अगर मेरे गाँव में रहना पड़ा होगा, तो उस दर्द को जानता होगा, जब तीन महीने पानी में खड़े रहते हैं। हमारे घर के मर्द क्या औरतें भी घुटने भर पानी में शौच को जाती हैं। उस हिंदुस्तान को हमने देखा है। उस नरक की जिंदगी को हमने जिया है। नरक की जिंदगी जिलाने वाले कौन हैं। आप हैं। आपने भारत के गाँव के किसान को, मजदूर को नरक की जिंदगी में बंद रखा। कीड़े-मकोड़े के जैसे रखा। आपने उनको जानवर से भी बदतर बनाकर रखा।

आज उसके जीवन में एक नए संकल्प, एक नए दिन की संभावना है, उसके मन में एक आशा जगी है। नरेंद्र मोदी ने उनको एक संभावना दिखाई है कि आओ मेरे साथ, तुम्हें एक नया देश बनाकर देंगे, एक नया संकल्प बनाएँगे, एक नए देश में तुम्हें खुशहाली देंगे, रोटी-कपड़ा और मकान देंगे, इज्जत देंगे, वह सब इस बजट में है। इस बजट में क्या नहीं है? मैं हिंदुस्तान के गरीब, किसान के नाते इस बजट का समर्थन करता हूँ। मैं इसका समर्थन इस नाते नहीं करता हूँ कि मैं सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं इसका इसलिए समर्थन करता हूँ कि मैं अपने जीवन में जिसके लिए लड़ता आया, उसकी रोशनी इस बजट में दिखाई पड़ रही है और एक नई किरण दिखाई पड़ी है कि नए भारत का निर्माण होने वाला है। इस बजट में क्या नहीं है? आदरणीय जेटलीजी आ गए हैं, मैं इनकी योग्यता, विद्वत्ता, प्रतिभा क्षमता को नमस्कार करता हूँ। लेकिन मैं इनसे प्रार्थना करूँगा, पहले आया था कि एक रुपए में 33 पैसे कम, पिछली बार आया 27 पैसे कम, इस बार आया है 24 पैसे कम। मैं कहता हूँ कि इस कम से भारत को कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं। इससे मुक्ति मिलेगी, अगर भारत संकल्प करे तब मुक्ति मिलेगी।

किसान विकास पत्र है। किसान विकास पत्र के लिए एक नियम बना दिया जाए। मैं उसमें अपने को भी ऑफर करता हूँ कि इस देश का हर आदमी, जो सरकारी खजाने से वेतन, भत्ता उठाता है, वह अपने वेतन-भत्ते का एक चौथाई किसान विकास पत्र में लगाएगा और 20 वर्ष तक उसके पैसे उसमें लगे रहेंगे। 20 वर्ष के बाद वह पैसा वापस होगा। ऐसा करने से इतना धन आएगा कि हिंदुस्तान का गाँव स्वर्ग बन जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं एक बात और सुनाकर दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। हमारे बहुत साथी इसमें आते हैं, वे बड़ी-बड़ी बातें सुनाते हैं, लेकिन भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रखर हिंदुत्व की बात आती है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। ये संघ के दर्शन नहीं हैं, ये किसी भाजपा के नेता के नहीं हैं। इसी संसद् में डॉ. लोहिया ने भारत के इतिहास की आलोचना करते हुए कहा था—''समन्वय दो तरह का होता है, एक दास भाव का समन्वय, एक स्वामी भाव का समन्वय। पिछले हजार बरस के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा है। यह एक दास भाव का समन्वय रहा है। इस संबंध में मैं खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं, वे सभी जहर से बिलकुल खुल जाते हैं। आज भारत में दो इतिहास के स्कूल हैं। एक डॉक्टर ताराचंद और एक डॉ. मजूमदार, ये दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विशेषता की धारा के हैं। भारत क्या है, इसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग हैं, उनकी तरफ निगाह चली जाती है। दास भाव का समन्वय, बड़े हम उठते हैं और कहते हैं कि हमने सांस्कृतिक समन्वय किया है। हमने सभी धर्मों के साथ समन्वय किया है। डॉ. लोहिया ने कहा कि भारत में अगर हमने दूसरे धर्मों के साथ सांस्कृतिक समन्वय किया है तो दास बनकर समन्वय किया है, हमने स्वामी बनकर समन्वय नहीं किया है। भारत में स्वामी भाव से समन्वय की धारा चलनी चाहिए तब कहीं जाकर भारत का स्वाभिमान जगेगा, भारत की आशापूर्ति होगी। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए।''

अंत में मैं वित्तमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों के लिए अगर न माँगू तो मेरे लिए माँगेगा कौन? अपने लिए मैं न माँगू, दूसरा कोई माँगे नहीं, अपने लिए माँगने में संकोच कर जाऊँ तो फिर पाऊँगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के केंद्रीय सचिवालय में एक भी पिछड़ी जाति और दलित जाति का सचिव नहीं है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है इतने दिन में? ये बड़ी डींग मारते हैं कि इन्होंने बहुत दिया। आज भारत सरकार के केंद्रीय सचिवालय में पिछड़ी और दलित जाति का एक भी सचिव नहीं है। आज भी बैंक के डायरेक्टर बनते हैं, उस बैंक के डायरेक्टर में 14-15 डायरेक्टर होते हैं, उनमें एक भी पिछड़ा और दलित नहीं होता है। जितने अधिवक्ता बनाए जाते हैं, उनमें पिछड़ों और दलित को स्थान नहीं दिया जाता। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए प्रार्थना करूँगा कि हिंदुस्तान के उन करोड़ों दलितों और पिछड़ों की तरफ से मैं वित्तमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि नरेंद्र मोदी आए हैं, नया भारत बनाएँगे, इनके आने से देश भर के पिछड़ों में एक आशा जगी कि हिंदुस्तान में पहला निर्धन, निर्बल, अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वह गद्दी पर आएगा और मेरे लिए कुछ करके जाएगा।

आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत की नौकरियों में, भारत के विश्वविद्यालयों में, भारत के सचिवालयों में, भारत के आयोगों में, भारत के हर बोर्ड में, भारत के हर अंडरटेकिंग्ज़ में पिछड़े और दलित समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए—डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए जिससे उनको सम्मान मिले। आशा है कि इन सबकी पूर्ति होगी। धन्यवाद।

17/07/2014

❑

गैर-सरकारी संकल्प

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं हृदय से गैर-सरकारी संकल्प का समर्थन करता हूँ। प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय निशंकजी ने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। माननीय सौगत रायजी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहु-आयामी दृष्टिकोण से हिमालय के संबंध में बातें सदन में रखी थीं और उस पर चर्चा भी विस्तार से की थी।

हमारे महताब साहब उस दिन भी बोले और आज भी उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा है और कई दृष्टिकोण से हिमालय के महत्व को सिद्ध करते हुए इस बात का समर्थन किया है कि अलग मंत्रालय बनना चाहिए। अलग मंत्रालय का मतलब है कि इस मंत्रालय के अधीन सभी चीजें होंगी।

हिमालय का मतलब केवल पहाड़ नहीं है, हिमालय का मतलब केवल जंगल नहीं है, हिमालय का मतलब केवल मिट्टी नहीं है। सौगत रायजी की एक बात से मैं बहुत भिन्न मत रखता हूँ कि हर बात में उन्हें क्यों लग जाता है कि हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए साधु-संन्यासी हैं तो उन्हें हर बात में वे क्यों जोड़ने लगते हैं। अगर हिंदुत्व से हिमालय को निकालकर रख दें तो भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मशास्त्र सभी लुप्त हो जाएँगे, क्योंकि इनका उद्गम स्थान ही वही है। रामायण और महाभारत दो महान् ग्रंथ हिंदू धर्मशास्त्र के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हैं और जिनका सबसे ज्यादा महत्त्व है, जिन्हें सब जगह लोग जानते हैं। उनका संपूर्ण रहस्य ही हिमालय की यात्राओं में छिपा हुआ है, वहीं से निकला है। अगर कैलास-मानसरोवर नहीं होता, अगर शंकर-पार्वती की कहानी न हो, तो रामचरित मानस का पाठ घर-घर में बाबा तुलसीदासजी कहाँ से करवा देते।

आप कहते हैं कि उसे भूल जाओ। उसे हिंदुत्व से अलग कर दो। अगर उसके सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्त्व से आपका कोई मतलब नहीं है तो आप अपने दृष्टिकोण से उसे महत्त्व न दें, लेकिन आप हमें क्यों कहते हैं कि हम उस दृष्टिकोण से न देखें। हम भारतीय हैं और भारत में बसने के कारण हिंदू हैं। विवेकानंदजी ने जब कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं तो आज भी यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू हैं तो इसका मतलब कि भारत के भूगोल से, संस्कृति से, धर्म से, पहाड़ से, नदियों से, पशुओं से हमें एकात्म बोध है इसलिए हम जब कभी बात करेंगे तो उनके साथ हमारा संबंध जरूर जुड़ेगा।

डॉक्टर लोहिया 'हिमालय बचाओ सम्मेलन' करते थे। जब हम समाजवादी आंदोलन में थे और जिस समय तिब्बत की घटना घटी थी उस समय डॉक्टर लोहिया सारे देश में एक आंदोलन चलाए थे उसका नाम 'हिमालय बचाओ आंदोलन' था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिमालय भारत की प्रहरी नहीं है, बल्कि जब मुझमें ताकत रहती है और हम हिमालय की रक्षा करते रहते हैं तो हिमालय भी भारत की रक्षा करने में सक्षम रहता है। अगर हम हिमालय की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं तो हिमालय भी भारत का प्रहरी नहीं है। आज भी हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हिस्से में से निकलकर किसी दूसरे के कब्जे में है। एक लाख 18 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन उसी क्षेत्र के अंदर जो वर्ष 1947 को भारत के नक्शे में था, वह जमीन आज भारत के नक्शे में नहीं है। यह मैं नहीं कहता हूँ बल्कि यूनेस्को द्वारा प्रकाशित ईयर बुक है, अगर 1952 और 1962 की किताब निकाल कर देखें तो भारत के क्षेत्रफल का अंतर दिखाई दे जाएगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारत की संस्कृति और दर्शन का जो उद्गम स्थान हिमालय रहा है और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ रही हैं, हमारे तो सारे धर्मग्रंथों का निर्माण ही नदियों के किनारे हुआ है या पहाड़ों की कंद्राओं में हुआ है। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने तीर्थस्थलों की रक्षा, भारत की नदियों की स्वच्छता और इन सब को जोड़ने की बात कही थी। हिमालय के अंदर हमारे कितने तीर्थस्थल हैं? उमा भारतीजी यहाँ बैठी हैं, वे ज्यादा जानती होंगी। एक साधारण संत मेरे साथी थे, उनके साथ चर्चा करते समय

उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश नाम क्यों पड़ा। मैंने कहा कि भूगोल के हिसाब से नाम पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ धार्मिक दृष्टिकोण से खोजो। हमने कहा कि आप बताओ। उन्होंने कहा कि जहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों वही उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। रामचरित मानस के उत्तर कांड का निर्माण उसी प्रदेश में हुआ था जिस उत्तर कांड में सभी प्रश्नों के उत्तर काकभुशंडीजी ने गरूड़ महाराज को दिए हैं। अगर काशी विश्वनाथ से शुरू करें और बदरीधाम से ले कर केदारनाथ तक जाएँ तो भारत के सभी अधिकतर तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश में इसी हिमालय और इसी गंगा के किनारे पाए जाते हैं। जब हमारे सभी तीर्थस्थल, सभी सांस्कृतिक स्थल हिमालय और गंगा के किनारे पाए जाते हैं तो हमारा उनके साथ एकात्मबोध तो होगा ही। उनके साथ हमारा मानसिक और आध्यात्मिक लगाव होगा ही। हम कैसे इसे अलग करेंगे या काटेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिमालय को देखने का काम करना चाहिए। केवल भौगोलिक और भौतिक दृष्टिकोण से ही न देखें, बल्कि उनके महत्व को हम भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें।

भारत के धार्मिक तीर्थस्थल के बारे में डॉ. लोहिया कहा करते थे कि ये केवल धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति को जोड़ने वाली कड़ी हैं। धर्मशास्त्र ने कहा है कि रामेश्वरम पर जो गंगाजल चढ़ाता है, मुक्ति पा जाता है। यह भी लिख दिया कि जो रामेश्वरम् का दर्शन करता है वह मुक्ति पा जाता है। इसका मतलब है कि दक्षिण के लोग चलें गंगाजल लाने और रामेश्वरम् पर चढ़ाकर मुक्ति पाने तो भारत की सांस्कृतिक कड़ी जुड़ेगी और उत्तर के लोग जब गंगाजल लेकर रामेश्वरम् में मुक्ति पाने जाएँगे तो भारत की कड़ी जुड़ेगी। अयोध्या, मथुरा या हिमालय के तीर्थस्थलों में जब देश भर के लोग जुड़ते हैं, उनकी भाषा, भूषा, भोजन, रूप, रंग अनेक होता है, लेकिन सबकी सांस्कृतिक कड़ी एक होती है और यही राष्ट्र को जोड़ती है। राम-कृष्ण-शिव किताब लिखते हुए डॉ. लोहिया बड़े विस्तार से समझाया था, मैं माननीय सांसदों से कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं यह किताब मिले तो जरूर पढ़िए, यह किसी संघ के प्रचारक ने नहीं लिखी है, किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखी है। इसमें लिखा है कि राम उत्तर से दक्षिण तक चलकर सीमा का निर्धारण करते हैं। यह भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सीमा है। उसी तरह कृष्ण द्वारिका से चलते हैं, कामरूप तक जाते हैं। कृष्ण की यात्रा पश्चिम से पूर्व द्वारिका से कामरूप तक कण-कण से जोड़ने का काम किया है। राम, कृष्ण और शिव भारत के त्रिवेदी हैं। भारत के जन-जन में समाए हुए हैं, कण-कण में रमे हुए हैं।

मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि माननीय निशंकजी ने जिस प्रश्न को उठाए हैं, महत्वपूर्ण है। हिमालय से जुड़े हुए भौतिक मूल्य हैं। यहाँ रत्नों के भंडार हैं, उनके बारे में खोज की जाए। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल स्रोत के लिए माननीय उमा भारतीजी आंदोलन चला रही हैं ताकि निर्मलता और अविरलता बनी रहे, इसे भी खोजा जाना चाहिए ताकि जलस्रोत चलते रहें। इसके अंदर रत्नों के भंडार हैं, उनका पता लगना चाहिए। जंगलों की रक्षा हो, जीव-जंतुओं की रक्षा हो। भारत के लिए सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन भारत के लोग कैलाश मानसरोवर में बिना चीन के परमिट के शिव और पार्वती का दर्शन करेंगे, वहाँ स्नान करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में इसका वर्णन है। हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से इस पर अधिकार मानते रहे हैं। पूर्व से पश्चिम तक जहाँ भी हिमालय का क्षेत्र है, उनको जोड़कर एक जगह बात की जाएगी तो राष्ट्रीय, एकता, अखंडता भी बनेगी और राष्ट्रीय सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एकता भी जुड़ेगी। हिमालय के एक छोर से दूसरे छोर तक के समग्र विकास के लिए, समग्र उत्थान के लिए, वहाँ बसने वाले लोगों के समग्र भौतिक चेतना की उन्नति के लिए अलग सरकार

मंत्रालय बनाएगी तो वह हिमालय का मंत्रालय ही नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, इतिहास, भूगोल, ऋषि, मुनि, पूर्वजों की कहानी को एक बार भारत में पुन:स्थापित करेगा। एक बार फिर मौका आएगा जब इतिहास को पुन: लिखने का काम करेंगे। एक बार फिर हिमालय उठेगा, भारत का स्वाभिमान जागेगा और भारत अपने स्वाभिमान को प्राप्त करके फिर एक बार उसी जगह पर जाएगा जहाँ शिव-पार्वती ने रामचरित मानस की कहानी दोनों ने आपस में सत्संग के जरिए दुनिया को सुनाई थी। फिर एक बार भारत वहाँ तक पहुँचे इसलिए जरूरी है कि हिमालय के लिए अलग से मंत्रालय बने। यह देश की एकता, अखंडता के लिए अच्छा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

18/07/2014

❑❑❑